छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025
(फाल्गुन 30, शक सम्वत् 1946)

[अंक 17]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025

(फाल्गुन 30, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का पहले कार्यकाल का पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- वह अभी तक जय जगन्नाथ बोले नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- जय जगन्नाथ के साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि टंकराम जी डंक न मारे।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- आप सभी को जय जगन्नाथ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, अब प्रश्न ठीक रहेगा।

शासकीय सेवकों को आवासीय प्रयोजन हेतु रियायती दर पर भूमि का आबंटन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (*क्र. 2065) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या शासकीय सेवकों को या उनकी सहकारी समितियों को रियायती दर पर रायपुर या नया रायपुर में आवासीय उपयोग हेतु भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस विभाग के, किस-किस संवर्ग के शासकीय सेवकों को कहां-कहां, किस-किस दर पर, भूमि के विवरण सहित बताएं ? **(ख)** क्या रियायती दर पर संचालनालयीन अधिकारियों की गृह निर्माण सहकारी समिति को आबंटन किया गया है ? यदि नहीं ,तो कब तक किया जाएगा ? **(ग)** किन-किन संस्थानों को रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया है? रियायती दर पर भूमि का आवंटन करने की नीति क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) शासकीय सेवको की सहकारी समितियों को रियायती दर पर रायपुर में शासकीय भूमि आवासीय उपयोग हेतु आबंटित भूमि की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. ग्राम -सेरीखेड़ी, प.ह.नं. 77, रा.नि.मं. रायपुर, तहसील व जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 682, रकबा 12.128 हे. में से रकबा 15 एकड़ भूमि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, के आदेश क्रमांक एफ 4-68/सात-1/2018, दिनांक 04.09.2018 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों के आवासीय प्रयोजन हेतु छ.ग. राज्य प्रशासनिक सेवा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रायपुर को गाईड-लाईन वर्ष 2018-19 के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार-क्रमांक 1 की कंडिका 26 में आबंटित होने वाले क्षेत्र का 60 प्रतिशत अथवा प्लाट एरिया जो भी अधिक हो का बाजार दर पर प्रीमियम तथा सामान्य वार्षिक भू-भाटक लेकर सामान्य एवं विशेष शर्तो के साथ भूमि आबंटन किया गया। 2. ग्राम सेरीखेड़ी, प.ह.नं. 42, तहसील व जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 680 का रकबा 20.24 हे. भूमि को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-65/सात-1/2016, दिनांक 30.06.2016 के द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, शंकर नगर, रायपुर को अखिल भारतीय सेवा श्रेणी के अधिकारियों के आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित भू-खंड उपलब्ध कराने हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार क्रमांक 1, 2 की कंडिका 26 (6) के प्रावधानानुसार आबंटित होने वाले क्षेत्र का 60 प्रतिशत अथवा प्लाट एरिया जो भी अधिक हो का बाजार दर पर प्रीमियम तथा सामान्य वार्षिक भू-भाटक लेकर वित्तीय वर्ष 2016-17 की गाईड-लाईन के आधार पर प्रब्याजी एवं भू-भाटक लेकर सामान्य शर्तो के साथ भूमि आबंटन किया गया है। **(ख)** संचालनालयीन अधिकारियों की गृह निर्माण सहकारी समिति को ग्राम सेरीखेड़ी, प.ह.नं. 77, रा.नि.मं. रायपुर, तहसील व जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 431/1 रकबा 3.765 हे. तथा खसरा नंबर 680/1 का भाग रकबा 3.350 हे. भूमि कुल रकबा 7.115 हे. छत्तीगसढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-22/सात-1/2017, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, शंकर नगर, रायपुर को छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सस्ती दरो पर आवासीय भूमि आबंटन करने हेतु छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन सेवा के कर्मचारियो/अधिकारियो को आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित भू-खंड उपलब्ध कराने हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार क्रमांक-1,2 की कंडिका 26 (6) के प्रावधानानुसार आबंटित होने वाले क्षेत्र का 60 प्रतिशत अथवा प्लाट एरिया जो भी अधिक हो का बाजार दर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 की गाईड-लाईन के आधार पर प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर सामान्य शर्तो के साथ स्थायी पट्टे पर भूमि आबंटन किया गया है। **(ग)** जिला कार्यालय रायपुर में वर्तमान उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर संस्थानो को रियायती दर पर भूमि आबंटन करने की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ**[1] अनुसार है। शेष प्रकरणों के संबंध में जानकारी संबंधित विभागो/कार्यालयों से प्राप्त की जा रही है। रियायती दर पर भूमि आबंटन करने की नीति के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में पृथक से प्रावधान अंकित है।

---

[1] परिशिष्ट "एक"

Uncorrected and unedited/Not for Publication

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे कुछ प्रश्न है, वह इसे बताने की कृपा करेंगे। क्या शासकीय सेवकों को या उनकी सहकारी समितियों को रियायती दर पर रायपुर या नया रायपुर में आवासीय उपयोग हेतु भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस विभाग के, किस-किस संवर्ग के शासकीय सेवकों को कहां-कहां, किस-किस दर पर भूमि आवंटित की गयी है, भूमि के विवरण सही-सही बताये, सहित बताएं ? क्या रियायती दर पर शासकीय भूमि के आवंटन में भेदभाव किया जाता है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- पहले उत्तर तो आने दीजिये।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- अच्छा उत्तर आने दूं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बैठ जाईये। पहले उतने प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- मैंने सोचा कि एक साथ ही पढ़ दूं।

अध्यक्ष महोदय :- पुरन्दर जी, मंत्री जी सही ही बतायेंगे।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- मंत्री जी, आप बोल दीजिये कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। (हंसी)

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का शासकीय सेवकों की सहकारी समिति के माध्यम से भूमि आवंटन का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि शासन के द्वारा शासकीय सेवकों की सहकारी समितियों को रियायती दर पर नया रायपुर में शासकीय भूमि आवास हेतु आवंटित की गयी है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा निर्माण सहकारी समिति को नया रायपुर, तहसील- रायपुर, सेरीखेड़ी में पटवारी हल्का नं- 77, कुल रकबा - 12.128 हेक्टेयर के टुकड़े 15 एकड़ को शासन की गाइडलाइन वर्ष 2018-19 के अनुसार आवंटित की गयी है। यह राज्य प्रशासनिक सेवा गृह निर्माण समिति इनकी स्वयं की समिति है। यह भूमि आवंटन शासन के नियमानुसार उनको दिया गया है और अखिल भारतीय सेवा श्रेणी के जो आई.ए.एस. हैं, उनको भी तहसील - रायपुर, ग्राम सेरीखेड़ी, पटवारी हल्का नं.- 42, कुल रकबा- 20.24 हेक्टेयर गाइडलाइन वर्ष 2016-17 के अनुसार राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-65/सात-1/2016, दिनांक 30.06.2016 के अनुसार भूमि आवंटित की गयी है। यह भूमि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दी गयी है, वह भूमि डेव्हलप करके इनको आवंटित की जायेगी और साथ ही यह जो अखिल भारतीय सेवा श्रेणी के अधिकारियों को जमीन आवंटित की गयी है, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी भी उस भूखण्ड को ले सकते हैं। इसमें उनको भी भूमि आवंटित की जायेगी। तीसरा, नया रायपुर में जो संचालनालयिन अधिकारियों की समिति है, उनको भी सेरीखेड़ी पटवारी हल्का नं- 77 में, खसरा नं- 433/1 और खसरा नं- 680/1 की कुल 7.115 हेक्टेयर भूमि को दिया गया है। यह भूमि भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल रायपुर को दी गयी है और वह इसे डेव्हलप करके उनको भूमि का आवंटन करेंगे।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- अध्यक्ष महोदय, क्या रियायती दर पर शासकीय भूमि के आवंटन में भेदभाव किया जाता है ? यदि नहीं, तो संचालनालय अधिकारियों की गृह निर्माण सहकारी समिति को आवंटन क्यों नहीं किया गया है ? कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं किया जायेगा तो क्यों नहीं किया जायेगा ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन की जो गाईड लाईन है उसके अनुसार जमीन आवंटन किये जाते हैं। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। जो जमीन का मूल्यांकन होता है, उसमें भू-भाटक और प्रीमियम के हिसाब से उनको जमीन दी जाती है और अभी कब तक यह दिया जायेगा, इन्होंने अपने प्रश्न के भाग "ख" में प्रश्न किया है। क्या रियायती दर पर संचालनालयीन अधिकारियों की गृह निर्माण समिति को आंवटन किया है और यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा। जो संचालनालयीन अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी उनका प्रश्न खत्म नहीं हुआ है।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (ग)किन-किन संस्थानों को रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया है? रियायती दर पर भूमि का आवंटन करने की नीति क्या है ? माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमको जिला कार्यालय से सूची मिली है कि किन-किन संस्थानों को रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया है। यह प्रश्नोत्तरी पुस्तिका में उनकी सूची संलग्न है। इसमें करीब 50 संस्थानों का है और रियायती दर पर भूमि आवंटन करने की नीति की बात है तो इसकी भी पृथक से जानकारी दी गई है इसमें बहुत सारे नियम शर्त होते हैं। उन नियम शर्तों के अधीन संस्थाओं, समाजसेवी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करायी जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- उनका कहने का मतलब यह है कि सामान्य शर्त और विशेष शर्त में कितना फर्क है ? आपके जवाब में सामान्य शर्त और विशेष शर्त आया है। इन दोनों में मूलभूत कितना फर्क है ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जमीन की उपयोगिता और उस जमीन को लीज पर लेने के उद्देश्य के अनुसार उसमें रियायती दर लागू होता है। जैसे शैक्षणिक संस्था है उसके लिए कम रियायती दर होता है, हॉस्पिटल के लिए भी ..।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैं समझ गया।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि दिनांक 7-8-2019 को छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा लिखे गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा की जो सहकारी समिति है उसको तो जमीन आवंटित की जा चुकी है। इन्होंने जो प्रीमियम राशि है, यह करीब 6 करोड़ रूपये है, यह भुगतान भी कर चुके हैं। बल्कि इनको भूमि समिति के द्वारा अलग-अलग जितने आवेदन किये हैं, हम उनको आवंटित करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय श्री धर्मजीत सिंह, आप प्रश्न कर लें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भूमि आवंटन का मामला है तो मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके विभाग में रायपुर में विधायकों और सांसदों को भी जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव है ? यदि यह है तो क्या आपने उनको जमीन दे दी ? और अगर आपने नहीं दी है तो जो अभी नये विधायक और सांसद जीतकर आये हैं, क्या आप उनको जमीन देंगे और आप देंगे तो कब तक देंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों और सांसदों के लिए अभी जगह चिन्हांकित नहीं किया गया है। हम जमीन देख रहे हैं। हम नया रायपुर के ग्राम नकटी में जमीन देख रहे हैं यह प्रक्रियाधीन है। अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष यह मामला बहुत दिनों से विचाराधीन है। ग्राम नकटी हो या जहां भी हो। आप कम से कम इनके लिए भी ख्याल रखें। जब सबको जमीन दे रहे हैं तो इसमें बहुत से विधायकों को भी एलॉट हो जाएगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। उनको राजधानी में रहने के लिए एक व्यस्थित जगह मिल जायेगी। आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि आप उनके लिए जमीन देख रहे हैं, नहीं। आप यह बताईये कि इसमें कितनी जल्दी कार्यवाही कर लेंगे ? अगर आप इसमें थोड़ी समय-सीमा बता सकते हैं तो आप बता दीजिए ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय हमारे संसदीय कार्य मंत्री और आपकी भी जानकारी में है और इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करके, आगे आवंटन की कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। चलिये राजेश जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ये यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो जमीन एलाटमेंट की है, वह जमीन का पूरा का पूरा आपने खसरा बताया है तो उस जमीन को डेव्हलप कौन करेगा और क्या रेट पर जमीन दी?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जमीन आवंटित की गई है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा निर्माण सहकारी समिति को सीधे तौर पर यह जमीन दी गई है, इसका डेव्हलप करने का काम राज्य प्रशासनिक सेवा निर्माण सहकारी समिति का है। अखिल भारतीय सेवा श्रेणी के अधिकारियों को जमीन आवंटित की गई है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिये हैं, इसको डेव्हलप

करना उनका काम है। उसी तरह से संचालनालयीन कर्मचारियों के लिए जो भूमि आवंटित की है, इसको भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिये हैं। यह डेव्हलप करके देंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जमीन का रेट पूछा है। पहला तो आपने हाउसिंग बोर्ड को जमीन एलाटमेंट की, हाउसिंग बोर्ड वाले उनको प्लाट काटकर देंगे और प्लाट के रेट का निर्धारण करेंगे। हाउसिंग बोर्ड के अंदर जो भी डेव्हलपमेंट चार्ज होगा, वह लेंगे। यह जो समिति को एकड़ के हिसाब से सीधा दिया है, उसका रेट क्या था ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जो जमीन एलाट किये हैं, उनके मूल्य निर्धारण की जानकारी चाही है, इसकी जानकारी मैं माननीय विधायक को पृथक से उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको जानकारी पृथक से उपलब्ध करा देंगे। उमेश पटेल जी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो बात है, अगर सरकारी कर्मचारी को आपने रियायत दर पर जमीन दी, उसका रेट एकड़ के हिसाब से या प्लाट के हिसाब से लिया ? क्योंकि नई राजधानी का पूरा डेव्हलपमेंट नया रायपुर विकास प्राधिकरण कर रहा है और उसके पूरा डेव्हलपमेंट में वह पैसा खर्च कर रहा है, वह रोड, गार्डेन बना रहा है, सीवरेज सिस्टम, पानी दे रहा है तो यह क्षेत्र का लगा हुआ हिस्सा क्या इसकी वाटर सप्लाई से लेकर यह सब सुनिश्चित करने आपस में सामंजस्य हुआ है ? मेरा पूछने का तात्पर्य यह है।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आवासीय कालोनी आवंटित की गई है, उसको डेव्हलपमेंट छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल करेगा। इनकी जो राशि है कि एकड़ के हिसाब से या square fit के हिसाब से लगी, यह 2017-18, 2018-19 का प्रकरण है, मैं आपको इसकी जानकारी पृथक से उपलब्ध करा दूंगा।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूछने का इतना ही तात्पर्य है कि अगर आपने जिस रेट में भी जमीन दी, नया रायपुर से लगा हुआ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम से लेकर सब कुछ का क्या वहां पर नया रायपुर अथारिटी से उसकी अनुमति ले करके, वहां भविष्य में पानी की, सीवरेज सिस्टम की समस्या आयेगी, क्या इनकी सहमति के आधार पर वहां कालोनी डेव्हलपमेंट के लिये आपने जमीन दी ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भविष्य में जिस प्रकार से रायपुर के चारो तरफ कालोनियां बस गईं और वहां पानी नहीं पहुंचा पाये, ऐसा नया रायपुर का एक मास्टर प्लान बना हुआ है, उसमें अगर यह सोसायटियों को जमीन देंगे तो नया रायपुर विकास प्राधिकरण से कम से कम भविष्य में वॉटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम इन सबके लिये सहमति लेनी चाहिए। आप मत रेट में दें, लेकिन जो 21वीं सदी का नया रायपुर बसा है, वह ऐसा न हो कि चारो तरफ इसी टाइप का डेव्हलपमेंट खड़ा हो जाये। हम जो कल्पना कर रहे थे, वह कल्पना चूराचूर हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपसे सुझाव ले लेंगे। श्री उमेश पटेल जी।

रायगढ़ जिले के एन.एच. 200 में भू-अर्जन और मुआवजे की अद्यतन स्थिति

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

2. (*क्र. 2340) श्री उमेश पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिले के एन.एच. 200 हेतु कितनी भूमि का भू-अर्जन कर लिया गया है और कितनी लंबित हैं? क्या भू-अर्जन प्रक्रिया एवं मुआवजा वितरण के दौरान जो खसरा शामिल थे उन्हें ही अवार्ड दिया गया है या अन्य को दिया गया है? जानकारी देवें। क्या प्रभावी क्षेत्र में खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा था ? यदि हाँ, तो प्रोजेक्ट पूर्ण, अपूर्ण तथा खरीद-बिक्री के प्रतिबंध की अद्यतन स्थिति की जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : रायगढ़ जिले के एन.एच. 200 हेतु कुल 141.23 हेक्टेयर का भू-अर्जन कर लिया गया है भू-अर्जन हेतु प्रकरण लंबित नहीं है। जी हां, भू-अर्जन प्रक्रिया एवं मुआवजा वितरण के दौरान जो खसरा शामिल थे, उन्हें ही अर्जन हेतु अवार्ड दिया गया है। अन्य को नहीं दिया गया है। रायगढ़ जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग (1)रायगढ़ से रेंगालपाली, (2) रायगढ़ से खरसिया, (3) रायगढ़ से सारंगढ़, (4) रायगढ़ से धरमजयगढ के मध्य 100-100 फीट तक जमीन की खरीद-बिक्री एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य पर कलेक्टर रायगढ़ के आदेश क्रमांक 157/अ.वि.अ.(रा.)/वा-1/2005, रायगढ़, दिनांक 04.02.2005 के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया है। प्रोजेक्ट का कार्य दिनांक 21.05.2022 को पूर्ण हो चुका है। अनुविभाग रायगढ़ अंतर्गत प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[2] अनुसार है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करने से पहले मैंने आपको भी इसकी डिटेल दी है। आप माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न में उत्तर दिया है कि 141.23 हेक्टेयर भू-अर्जन कर लिया गया है। यही प्रश्न जब मैंने पिछले बार बजट सत्र में लगाया था तो वहां 820.783 हेक्टेयर भू-अर्जन का उत्तर आया था। और उसी सत्र में जब मैं अतारांकित प्रश्न लगाया था तो वहां 143.533 हेक्टेयर निजी भूमि उत्तर आया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेम प्रश्न, सेम मंत्री जी और उत्तर तीनों बार अलग-अलग हैं । अब इस तरह के जवाब में हम लोग आगे क्या प्रश्न पूछें, कृपया आप ही हमको इसमें बता दीजिये कि किसको उत्तर हम लोग मानें, किस-किस उत्तर को सही मानें और किस उत्तर को सही नहीं मानें ? चूंकि यह प्रोजेक्ट पूरा हुए बहुत साल पहले हो गया है और इस प्रश्नावधि में तो कोई और अधिग्रहण होना नहीं है । यह वर्ष 2022 में पूर्ण हो गया है और अधिग्रहण तो वर्ष 2016-17 में पूरा हो

[2] परिशिष्ट "दो"

गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आज की क्या अद्यतन स्थिति है वह बता दीजिये।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जो प्रश्न पूछा है कि रायगढ़ जिले के एन.एच. 200 में कितनी भूमि अर्जन की गयी है, कितनी लंबित है और कितनी प्रक्रियाधीन है और कितने मुआवजा का वितरण हुआ है । मैं बताना चाहूंगा कि रायगढ़ जिले के एन.एच. 200 अनुभाग रायगढ़ के अंतर्गत 13 ग्रामों की निजी भूमि कुल रकबा 68.480 हेक्टेयर और अनुभाग खरसिया के 18 ग्रामों की निजी भूमि कुल रकबा 72.750 हेक्टेयर कुल मिलाकर 141.23 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही तो प्रश्न है कि अभी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 141.23 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जित की गयी है, आपने ही उत्तर दिया है । मैंने पिछले बजट सत्र में प्रश्न लगाया था, इसकी तारीख 17 फरवरी है । यह विधानसभा की प्रॉपर्टी है, आपको मैंने कॉपी दे भी दी है । इसमें इन्होंने दिया है 143.533 हेक्टेयर और जब मैंने उसी सत्र में 24 फरवरी को अतारांकित प्रश्न पूछा था तो वहां 820.788 उत्तर आया है, यह आपका ही उत्तर है और यह विधानसभा की प्रॉपर्टी है । मैंने तो आपको तीनों उत्तर दिये हैं, भैया अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, 820 और 143 में तो बहुत जमीन-आसमान का अंतर है । आप कृपया यह बता दीजिये कि अब इसमें क्या करें ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दोनों जानकारियों में अंतर क्यों है इसको मैं एक-बार चेक कराउंगा कि अभी जो हम 141 बता रहे हैं बाद में 143 बताये फिर 820 आया तो ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं एक-बार चेक कराता हूं कि इतना बड़ा अंतर क्यों आया ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रश्न संदर्भ समिति में जाने योग्य है लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसी में 141.23 हेक्टेयर के आधार पर प्रश्न बनाता हूं । लेकिन यह लगातार हो रहा है, अंतर अलग-अलग आ रहा है । हर बार प्रश्न के अलग-अलग उत्तर आते हैं, यह विधानसभा को लगातार अलग उत्तर या तो आप लोग अपने किसी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें कि इस तरह से क्यों हो रहा है ? आपके अधिकारी अलग-अलग उत्तर दे रहे हैं, आप एक स्टेण्डर्ड सेट करिये कि इस तरह से अलग उत्तर यानी विधानसभा को इस तरह से गुमराह न किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उमेश जी यदि आप जवाब से असंतुष्ट हैं और आप जवाब को गलत मान रहे हैं तो उसके लिये अन्य प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया में आ जायेंगे तो हम उसका निराकरण कर देंगे ।

श्री उमेश पटेल :- नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लगातार हो रहा है । मैं आपको इससे कई बार अवगत करा चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है न । विधानसभा निराकरण ही करेगा । आप उस प्रक्रिया में आ जायें तो उसका निराकरण करा देंगे । श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आगे प्रश्न करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, अब आपको शंका है कि गलत है तो इसका उत्तर आने के बाद ही तो हो पायेगा तो आप इसकी प्रक्रिया कर लें, हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ जायेंगे ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 141 और 143 में तो थोड़ा बहुत विचलन चल जाता है । 820 में कहां से विचलन आयेगा, इसके लिये तो एक अलग ही प्रक्रिया आपको और विधानसभा के जो भी आप निर्णय करें, वह करना पड़ेगा । अभी 141 आया है, दिनांक 17 फरवरी को 143 आया है और 820 यह अलग-अलग है ।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब में फर्क है इसीलिये तो बोल रहे हैं कि उस प्रक्रिया में आ जायें तो हम इसका निराकरण करेंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, तो आप इसमें आधा घंटे की चर्चा ले लीजिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरे लिये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये मैं इसको लगातार लगा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखकर दे दीजिये, हम उसका निराकरण करेंगे । आप जो भी चर्चा मांगते हैं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं लगातार इस प्रश्न को लगा रहा हूं क्योंकि यह चर्चा में आ नहीं रहा है तो या तो आप मुझे इसमें आधे घंटे की चर्चा दे दें या तो फिर मैं 141 को सही मानकर इसी में और चर्चा कर लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप यदि इसमें प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न कर लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एन.एच. 200 का जो सर्वे हुआ था । यह जो पहले सर्वे हुआ था, यह जो पहले सर्वे हुआ था, वह किसी और डायरेक्शन में था। उसके बाद सर्वे को बदल दिया गया। सर्वे को नए डायरेक्शन में किया गया और नए सर्वे के हिसाब से रोड बन गया है। लेकिन जो पुराना सर्वे था, उसमें आज भी प्रतिबंध लगा हुआ है। वह प्रतिबंध कब तक हटाएंगे?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, माननीय सदस्य जानना चाह रहे है कि 100-100 फीट की जो जमीन है, उसे प्रतिबंधित उस समय से गयी थी, इसका निर्माण शुरू होने से पहले। अभी भविष्य में उस सड़क का और विस्तारीकरण होगा। जब विस्तारीकरण होगा तो फिर से भूमि अर्जन करना न पड़े, इसके लिए उस जमीन को अभी भी प्रतिबंधित किया गया है।

श्री उमेश पटेल :- आप जो उत्तर दे रहे है न, उसी जमीन की 100 फीट की बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो पुराना सर्वे हुआ था जैसे अमलीभौना से कोसमनारा होते हुए एन.एच. को जोड़ना था। यह पुराना सर्वे है। नया सर्वे के हिसाब से अमलीभौना और कोसमनारा उस लाइन में आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन आज भी वहां खरीदी-बिक्री में प्रतिबंध है, क्योंकि आपने उस समय से प्रतिबंध लगाकर रखा है, जो आज तक रिलीज नहीं हुआ है। इसे कब तक रिलीज कर देंगे?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं कि पुरानी एक नई सड़क, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की गई है, लेकिन उसमें अभी सड़क का काम नहीं हुआ है। पड़ा हुआ है, प्रतिबंधित है, ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इसको मैं मंगवा लेता हूं, फिर उसके बाद मैं उसको प्रक्रिया में ले लेता हूं कि जहां पर निर्माण नहीं हुआ है, उसको प्रतिबंध से कैसे हटाएंगे, मैं इसको ले लूंगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी जानकारी में यह आयी कि जो जमीन है, जिसको अधिग्रहित की गयी, उसमें आपने उत्तर में दिया है कि किसी तरह की कोई भी ऐसी जमीन जो उस मुआवजे के प्रकरण में नहीं आ रहा था, उसको मुआवजा नहीं मिला है। ये जमीन है 362/2, लिख लीजिये 362/6, 362/25 ये प्रभावित हो ही नहीं रहा है और इनके नाम पर लगभग 2 करोड़ रूपये का मुआवजा बना है। इनका नाम अनूप अग्रवाल है। ये रायगढ़ निवासी हैं। इनके नाम पर 2 करोड़ रूपये का मुआवजा बना हुआ है। इसी तरह से 361/6, इसकी जगह पर 361/1 को मुआवजा दिया गया है। क्या आप इसकी जानकारी निकलवाकर अगर यह गलती की गयी है तो इस पर रिकवरी और उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के निर्माण के संबंध में यह वर्ष 2005 का प्रकरण है और वर्ष 2005 से शुरुआत हुई थी और वर्ष 2022 में ये कंप्लीट हो गया है। अभी माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है कि 362/2, 362/6, 362/25 और 361/6 की जगह 361/1 को मुआवजा मिला है, मैं इस प्रकरण को दिखाउंगा।

अध्यक्ष महोदय :- उसकी जांच करा लीजिए। बोल रहे हैं कि गलत आदमी को मुआवजा मिल गया है तो उनकी जो कंप्लेंट है, उसे देख लीजिए।

श्री टंक राम वर्मा :- जी-जी, मैं इसकी जांच कराकर..।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वह खसरा नं. अपने उत्तर में दिया है। आपने उत्तर में दिया है कि उनको मुआवजा मिला है, जबकि वह जमीन रोड के कहीं दूर पर है और यह वहां अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उन्हें 2 करोड़ रूपये का मुआवजा मिला है। ये तो एक प्रकरण है। ऐसे कितने प्रकरण होंगे और अगर आप जांच कराएंगे तो पूरा जांच कराएंगे क्या? इस तरह की कहीं पूरी गलती तो नहीं है? अगर जांच में सही निकला तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी की शिकायत को बहुत गंभीरता से लेता हूं और जो मुआवजा में गड़बड़ी बता रहे हैं, इसकी शिकायत की मैं जांच करवाउंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय चन्द्राकर जी। प्रश्न संख्या 03

38वें राष्ट्रीय खेल (देहरादून उत्तराखंड) में आयोजित खेल स्पर्धाओं में छत्तीसगढ़ की स्थिति

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

3. (*क्र. 882) श्री अजय चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि : **(क)** 38वें राष्ट्रीय खेल (देहरादून उत्तराखंड) में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कितने सदस्यीय खेल दलों ने, कौन-कौन से खेलों में भाग लिया है? **(ख)** उक्त टीम की चयन प्रक्रिया क्या अपनायी गयी थी (व्यक्तिगत/टीम स्पर्धा)? व चयनकर्ता कौन-कौन थे? उनका शैक्षणिक एवं अनुभव क्या है? **(ग)** उक्त व्यक्तिगत/टीम प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए कब-कब और कहां-कहां पर प्रशिक्षण शिविर लगाए गए व किन-किन खेलों के प्रशिक्षक/कोच कौन-कौन थे एवं राज्य सरकार द्वारा इन प्रशिक्षिक/कोच एवं खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गयी हैं? **(घ)** राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से खिलाड़ियों द्वारा किन-किन खेलों में गोल्ड/सिल्वर/कास्य पदक जीते तथा जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं? एवं शासकीय नौकरियों मे भर्ती हेतु इनके लिये क्या-क्या प्रावधान किया गया है? उनको कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है? वर्ष 2019 से 2023 तक कितने खिलाड़ियों को यह सुविधायें एवं प्रोत्साहन राशि/शासकीय नौकरियां दी गयी है तथा ऐसे कितने खिलाड़ी जो अन्य किन-किन राज्यों के तरफ से, किन-किन खेलों का प्रतिनिधित्व किया है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र [3]† 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षक/कोच एवं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल में भागीदारी हेतु यात्रा किराया, यात्रा दैनिक भत्ता, ट्रैकशूट, बैग, जूता-मोजा, कैप, ब्लेजर, टी-शर्ट, प्रशिक्षण शिविर इत्यादि की सुविधाएं छत्तीसगढ़ ओलम्पिक संघ के माध्यम से दी गई है। **(घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।** पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा नगद राशि पुरस्कार की सुविधा प्रदान की जाती है एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति एवं नियम 2007 एवं 2010 के अनुसार राष्ट्रीय खेल में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के प्रावधान है तथा घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरियों में भर्ती की सुविधाएं प्रावधानित है। राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एकल खेल विधा के लिए स्वर्ण पदक

3 † परिशिष्ट "तीन"

हेतु रू 4 लाख, रजत पदक हेतु रू 3.20 लाख, कांस्य पदक हेतु रू 2.40 लाख एवं दलीय खेलों में प्रति खिलाड़ी स्वर्ण पदक 2 लाख, रजत पदक 1.60 लाख, कांस्य पदक हेतु रू 1.20 लाख हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है। प्रश्नाधीन अवधि में राष्ट्रीय खेलों के कुल 64 खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन राशि दी गई एवं शासकीय नौकरियां दी जाने की जानकारी निरंक है। राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी छत्तीसगढ़ ओलम्पिक संघ के माध्यम से होती है, अन्य राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ियों की जानकारी छ.ग. ओलम्पिक संघ से संबंधित नहीं है। यह अन्य राज्यों से संबंधित कार्य होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, भूपेश बघेल जी ने भी उस पोस्ट को सुशोभित किया है। मेरा प्रश्न अभी जो राष्ट्रीय खेल हुआ, उससे संबंधित है। इसमें यदि आप परिशिष्ट को देखें तो चार खेल ऐसे हैं, जिसका चयन राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने किया, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, इंडियन कायकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन ने, भारतीय कुश्ती महासंघ ने, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, छत्तीसगढ़ की टीम का सेलेक्शन उन लोगों ने किया और आपने चयनकर्ता आपने बताया नहीं, चयनकर्ता की योग्यता आपने नहीं बताई । आपको एक-दो चीजें बता देता हूं । आपने जिन-जिन खोलों में भाग लिया है बीच हैंड बॉल के चयनकर्ता में मोहम्मद अकरम खान का नाम दिया है, आपको बता देता हूं कि वे बालीबॉल की खिलाड़ी हैं । कलारीपयट्टू प्रदर्शन में शामिल हुआ । उसको सीनियर रैंकिंग के खिलाड़ियों द्वारा सीधे चयन किया गया । यह खेल छत्तीसगढ़ में कहां होता है ? जिसका चयन दिल्ली से आदमी ने आकर किया है । आपने परिशिष्ट में कुछ चीजों को लिखा है, मैं पढ़कर बता देता हूं । एक तरफ छत्तीसगढ़ की साइक्लिंग टीम का चयन सीधे दिल्ली वालों ने किया और उसका आपने कोई कोचिंग कैम्प नहीं लगाया, कोई सेलेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं । काइकिंग औ केनाइंग का चयन दिल्ली वालों ने किया, उसका कोचिंग कैम्प आपने दिल्ली और भोपाल में लगाया । अध्यक्ष महोदय, यह बताने के पीछे आशय यह है कि टीम भेजने में कहीं कोई गंभीरता नहीं, कहीं कोई नियंत्रण नहीं था । अब इस स्थिति को बताने के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं । छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ या भारतीय ओलंपिक संघ में कितने खेल मान्यता प्राप्त हैं ? उन मान्यता प्राप्त खेलों में छत्तीसगढ़ ने कितने खेलों में भाग लिया ? कितने ऐसे राष्ट्रीय खेल हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनमें भाग लिया ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि नेशनल गेम भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जो चिन्हांकित राज्य दल जो खेल है, वह उसमें भागीदारी लेता है और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ प्रतिनिधित्व करता है और कुछ खेल ऐसे हैं जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर होता है और कुछ खेलों का चयन राज्य स्तर पर होता है । नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों की जो चयन प्रक्रिया है, इसमें खेल एवं युवक कल्याण विभाग ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं चयन प्रक्रिया और बाकी चीजों में जो गड़बड़ियां हैं उसका उदाहरण

दिया, कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है । मेरा मूल प्रश्न यह है कि भारतीय ओलंपिक संघ के हिसाब से छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ चलता है । अभी देहरादून में राष्ट्रीय खेल हुए, ओलंपिक संघ में मान्यता प्राप्त कितने खेलों में छत्तीसगढ़ ने भाग लिया और कितने ऐसे खेल में भाग लिया जिसमें ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त नहीं है ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में 32 ओलंपिक संघ हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 32 ओलंपिक संघ हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :- 32 खेल संघ हैं और अभी जो देहरादून में जो ओलंपिक हुआ उसमें 27 खेलों में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भाग लिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय टंकराम जी, हम दोनों सगे भाई हैं, कुंभ मेले में मिले हैं । मैं फिर से प्रश्न दोहरा देता हूं, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त कितने खेल हैं जिनमें छत्तीसगढ़ ने भाग लिया और कितने ऐसे खेल हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनमें भाग लिया ? यह पूछ रहा हूं, तब तो मैं आपसे आगे पूछूंगा । 27 खेल जो आपने बताया वह तो परिशिष्ट में लिखा है ।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, देहरादून में जो हुआ उसमें 27 खेलों में हमारे छत्तीसगढ़ की टीमों ने भाग लिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि 27 खेलों में भाग लिया, यह तो परिशिष्ट में हैं । मैं यह पूछ रहा हूं, मेरा बहुत सीधा और छोटा सा प्रश्न है । इन्होंने उत्तर में लिखा है कि ओलंपिक संघ ने सब देखा । प्रशिक्षण, किराया, दैनिक सूट, ट्रेक सूट, मोजा वगैरह सब लिख दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 27 खेलों में कितने खेल हैं जो ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त हैं और कितने खेल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं ? उसके बाद मेरा आगे का प्रश्न बनेगा । नहीं मालूम, तो नहीं मालूम बोल दीजिए, तो फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- उपलब्ध करा देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए आप दूसरे प्रश्न में आईए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसके बगैर दूसरा प्रश्न कैसे करूंगा ? मंत्री जी कुछ तो बोल दें कि बाद में उपलब्ध कराऊंगा करके।

श्री टंकराम वर्मा :- मैं इसका क्लियर कर दूंगा बहुत सारे खेल हैं।

अध्यक्ष महोदय :- क्लियर कर देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए आप क्लियर कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा आगे तो बढ़िए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे थोड़ा संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपको पूरा संरक्षण है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी प्रश्न का उत्तर मिलना भी जरूरी रहता है।

अध्यक्ष महोदय :- जरूरी है। कभी-कभी नहीं, हर प्रश्न का पूरा उत्तर मिलना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए उसको छोड़ दीजिए। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री टंकराम वर्मा :- मैं बता रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय का आगे बढ़ने का निर्देश हो गया।

श्री टंकराम वर्मा :- 3 को मान्यता नहीं है, 24 शेष को मान्यता है।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, फिर पूछूंगा उन खेलों में मान्यता नहीं है, आपने कितना खर्च किया तो फिर हम उलझ जाएंगे, इसलिए उसको रहने दीजिए। आपने लिखा है कि प्रश्नाधीन अवधि में राष्ट्रीय खेलों में कुल 64 खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन राशि दी गई। आप उत्तर पढ़ लीजिए, आपने उत्तर दिया है। आज पेपर में छपा है कि आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। आपने कौन से खेल को पैसा दे दिया है ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, खेल में भाग लेने के लिए, वहां जाने के लिए, भोजन के लिए, सुविधाओं के लिए वह पैसा दिया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उत्तर पढ़ लीजिए। प्रश्नाधीन अवधि में राष्ट्रीय खेलों में कुल 64 खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन राशि दी गई। प्रोत्साहन राशि कितनी दी गई ये बता दीजिए ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, 62 लाख 60 हजार 100 रूपये की आर्थिक सहायता दी गई है और जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को निम्नानुसार नगद पुरस्कार प्रोत्साहन राशि की सुविधा दी जाएगी। एक्चुअल में ये थोड़ी सी गलती हो गई है, दी जा रही है नहीं, दी जाएगी।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने जो छापा है, मैं उसी में बोलूंगा।

श्री टंकराम वर्मा :- आज दी जाएगी। जो 62 लाख रूपए है, वह प्रोत्साहन राशि दी गई थी।

श्री अजय चंद्राकर :- आप तीसरा प्रश्न ये बता दीजिए। आपने लिखा है कि ओलंपिक संघ यात्रा किराया, यात्रा दैनिक भत्ता, ट्रैकशूट, बैग, ब्लेजर आदि देता है। इसमें दो चीजें हैं, पहला आप ओलंपिक संघ को अनुदान देते हैं, आप किन-किन चीजों के लिए अनुदान देते हैं ? दूसरा, आपने पूरे खेल में प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, आप कोच को कितनी राशि देते हैं, आपके पास कितने कोच हैं, उसको हायर किए थे, उस अवधि के लिए बुलाए थे, उसमें कितना पैसा खर्च किया, आप मुझे टोटल बता दीजिए ? हमने 27 खेलों में कोच के लिए इतना पैसा खर्च किया।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कुछ कोच नियमित हैं, कुछ संविदा के कोच हैं, किसको कितनी-कितनी राशि दी गई, मैं इसकी अलग से जानकारी दे दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- आप डॉयरेक्ट ये बता दीजिए कि ओलंपिक संघ को कितना अनुदान देते हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :- उनके खेल आयोजन के हिसाब से अनुदान होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, उनको 50 लाख देना है या इतना देना है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, मैं और पढ़ता, मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता देता हूं। शूटिंग में परमपाल सिंह गुरोन ने रजत पदक जीता है। आप ये बतायेंगे कि ये कहां के रहने वाले हैं, कहां के खिलाड़ी हैं ? अधिकारी लोग हैं, पता करके बता दीजिए, पदक जीता है, कहां के रहने वाले हैं, कब कोचिंग में भाग लिया, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं या छत्तीसगढ़ के हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक खिलाड़ी के बारे में......।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता था, ये नहीं बताएंगे। वे छत्तीसगढ़ के रहने वाले ही नहीं हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की टीम से खेला है, आज उनको छत्तीसगढ़ की टीम से ईनाम मिलेगा। मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपने जो कहना चाहता हूं वह यह है कि मैंने उस दिन खेल विभाग की अनुदान मांगों में यही बात कही थी। खेल में जो इस तरह की घटनाएं हैं और इस तरह की जो स्थितियां हैं, आप उसको ठीक करिए। मेरे हिसाब से ठीक नहीं हैं। सब एडहॉकिज्म में चल रहा है।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। दो तरह के खिलाड़ी हैं, एक तो राज्य के बाहर से खेलते हैं और हमारे राज्य के खिलाड़ी दूसरे राज्य में जाकर खेलते हैं। मूलत: यह है कि .. ।

श्री अजय चंद्राकर :- देखिये, आपने इसमें उत्तर दिया है कि जो खिलाड़ी दूसरे राज्य से खेलते हैं, उसकी आपके पास कोई जानकारी नहीं है। अब आपके पास इसकी जानकारी कहां से आ गई?

श्री टंकराम वर्मा :- नहीं, मैं आपको बता रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें तो आपने बताया है कि जो खिलाड़ी बाहर से खेलते हैं, उसकी आपके पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए या 6 माह तक यहां रहना चाहिए या जो यहां पर नौकरी कर रहे हैं या शासकीय सेवा में हैं, वह लोग खेल सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह नौकरी भी नहीं कर रहा है।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यहां के जो खिलाड़ी यहां क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं और जिनका सेलेक्शन नहीं होता है, वह दूसरे राज्य में जाकर प्रयास करते हैं। यदि वहां पर उनका सेलेक्शन होता है तो वह दूसरे राज्य से भी खेलते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जिसका नाम लिया है, वह छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी नहीं है और न ही वह यहां नौकरीपेशा है। चाहे तो आप इसकी जांच करवा लीजिए। अब मंत्री जी बोल रहे हैं और इन्होंने स्वयं ही प्रश्न पैदा कर दिया है कि हमारे खिलाड़ी भी बाहर राज्य से खेलते हैं। इसमें इन्होंने उत्तर दिया है कि हमारे राज्य से जो खिलाड़ी बाहर खेलते हैं, उसकी हमारे पास कोई जानकारी या संधारण नहीं रहती है तो ये दोनों बातें क्यों होती हैं?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बाहर के खिलाड़ी हैं, वह यहां भी खेल सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि उसकी शर्त है कि वह शासकीय सेवा में हो।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक-4। दिलीप लहरिया जी।

मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नए ट्रांसफॉर्मर/सब स्टेशन की क्षमता विस्तार

[ऊर्जा]

4. (*क्र. 1643) श्री दिलीप लहरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 15.2.2025 तक कितने नए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना, अतिरिक्त पोल, सब स्टेशनों का क्षमता विस्तार एवं विद्युत उप केंद्र स्वीकृत हुए हैं? इनमें से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण व निरस्त हुए हैं? अपूर्ण के कारण क्या है? सहित विवरण देवें। **(ख)** कंडिका "क" के तहत उक्त अवधि तक कितने ट्रांसफार्मर खराब हुये हैं? खराब ट्रांसफार्मर के विरूध्द कितने ट्रांसफार्मर बदल कर नये स्थापित किये गये हैं? **(ग)** प्रश्नांश "क" के विद्युत उपकेन्द्रों के अंतर्गत कितने ग्रामों में कितने नये ट्रांसफार्मर स्थापना की आवश्यकता एवं मांग प्राप्त हुई है? विवरण देवें? **(घ)** प्रश्नांश "ग" के परिपेक्ष्य में कितने नये ट्रांसफार्मर की स्थापना हुई है और कितने लंबित हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रश्न ''क'' के अंतर्गत चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी कारण सहित **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में 418 नग वितरण ट्रांसफार्मर खराब हुए है, सभी खराब ट्रांसफार्मर बदल कर नये स्थापित किये गये हैं। **(ग)** प्रश्नांक ''क'' के विद्युत उपकेन्द्रों के अंतर्गत 104 नग नये ट्रांसफार्मर स्थापना की आवश्यकता एवं मांग प्राप्त हुई हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स**

अनुसार है। **(घ)** प्रश्नांक "ग" के परिपेक्ष्य में 99 नग नये ट्रांसफार्मर की स्थापना हुई है और 5 नग ट्रांसफार्मर स्थापना के कार्य प्रगति पर है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में कितने नये ट्रांसफॉर्मर व पोल लगाये गये हैं? कितने नये उप केन्द्र व सब स्टेशनों का विस्तार किया गया है और कितने नये सब स्टेशन बनाये गये हैं?

श्री विष्णुदेव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में कुल 130 ट्रांसफॉर्मर स्वीकृत हुए थे, जिसमें से अभी तक 100 ट्रांसफॉर्मर पूर्ण कर लिये गये हैं और बाकी 28 अपूर्ण ट्रांसफॉर्मर की जानकारी जब आपको उत्तर दिया गया, तब दी गयी थी। लेकिन आज की स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से 6 कार्य और पूर्ण हो गये हैं और 22 कार्य कृषि पंप के लिए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में ये 22 कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसी तरह से अतिरिक्त 2407 पोल स्वीकृत थे, जिसमें से 1236 कार्य पूर्ण हो गये हैं और 1130 कार्य बचे हैं। इसको भी आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा और सब स्टेशन क्षमता के विस्तार के लिए 37 कार्य स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 17 कार्य पूर्ण हो गये हैं और 19 कार्य बाकी हैं। ये शेष कार्य जून, 2025 तक पूर्ण कर लिये जाएंगे।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में मेरा प्रश्न है। जैसे कि मेरे प्रश्न के उत्तर में जानकारी आई है कि लगातार 418 ट्रांसफॉर्मर खराब हुए हैं, जहां से यह ट्रांसफॉर्मर आते हैं तो क्या यह डुप्लीकेट हैं? जैसे ही ट्रांसफॉर्मर लगता है और उसके बाद लाइनमेन घर पहुंचते हैं और फिर से वह ट्रांसफॉर्मर धाय से उड़ जाता है। फिर से फोन आता है कि भैया, जो ट्रांसफॉर्मर लगा है, वह फिर से धाय से उड़ गया। यह ट्रांसफॉर्मर साय-साय नहीं उड़ना चाहिए। कम से कम इसकी जांच हो और सही ट्रांसफॉर्मर लगे। हमारे मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में लगभग प्राय: सभी गांवों में जो वायर खराब हैं, जर्जर हैं, पोल झुके हुए हैं, उससे कभी भी जान-माल की हानि हो सकती है तो इसके लिए क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक केबल/वायर के दुरस्तीकरण का कार्य व्यवस्थित कर लिया जायेगा?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इनका ट्रांसफॉर्मर ठीक है या नहीं है, आप यह भी बता दीजिएगा। (हंसी)

श्री विष्णुदेव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में कुल 418 ट्रांसफॉर्मर खराब थे, लेकिन आज की तिथि में सभी 418 ट्रांसफॉर्मर बदल दिये गये हैं और इनके विधान सभा क्षेत्र में सभी ट्रांसफॉर्मर ठीक हैं। आज के डेट में कोई ट्रांसफॉर्मर फेल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। यदि आपके यहां कोई विशेष ट्रांसफॉर्मर खराब हो तो आप उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए। वह उसको भी ठीक कर देंगे।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात बोल रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अब ठाय से फोन नहीं आएगा। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय 132 के.व्ही. का सब स्टेशन मल्हार के लिए स्वीकृत हुआ था। जो अभी तक नहीं बन पाया है और उसको लगभग 5 वर्ष हो गये हैं। जिससे 100 गांव लाभान्वित होंगे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कार्य काफी धीमा है , यह कब तक बन जायेगा ? मल्हार में 132 के.व्ही. का सब स्टेशन बन रहा है। इसके साथ-साथ जोंधरा, टिकारी एवं जोंधरा में भी सब स्टेशन बनना प्रस्तावित था, ये कब तक पूर्ण हो जायेंगे, बताने की कृपा करें ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने 132 के.व्ही. का सब स्टेशन लाईन के सम्बन्ध में पूरे प्रश्न में कहीं उल्लेख नहीं कया है। 132 के.व्ही. पावर स्टेशन लगाने में कितना बजट लगता है, कितनी राशि लगती है, यह प्रश्न सन्दर्भित ही नहीं है। आपने साधारण सा प्रश्न किया था कितने ट्रांसफार्मर खराब हैं और कब तक ठीक कर लिए जायेंगे। मुख्यमंत्री जी ने साफ जवाब दे दिया है। 132 के.व्ही. सब स्टेशन के लिए अलग से प्रश्न पूछना पड़ेगा।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिजली से संबंधित प्रश्न है। इससे समस्याएं दूर होगी। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि जो 5 साल से नहीं बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो हो जायेगा।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप चाहे तो जवाब दे दें।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मल्हार में 132/33 के.व्ही. के उप केन्द्र के विषय में कहा है। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि 30 जून, 2025 तक काम पूरा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका काम हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब तो ताली बजाओ।

श्री दिलीप लहरिया :- धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी।

श्री विष्णु देव साय :- लिमतरा में जो है..।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-5 रोहित साहू जी।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न और था।

अध्यक्ष महोदय :- आपने इतना बड़ा काम करवा लिया, बैठिये। श्री रोहित साहू ।

प्रश्न संख्या : 5 XX XX

मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा अंतर्गत विभिन्न कार्यों की स्वीकृति

[जल संसाधन]

6. (*क्र. 570) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में परवीडीह एनीकेट निर्माण, चिलाडबरी एनीकेट निर्माण (दमउ एवं शिवनाथ नदी), कनेरी एनीकेट निर्माण,कांड़े एनीकेट निर्माण, ककईपार स्टापडेम निर्माण, बोइरडीह रपटा कम स्टापडेम निर्माण, छुरियाडोंगरी जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य, एकटकन्हार जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य, मिस्प्री जलाशय निर्माण कार्य, नरसूटोला एनीकेट निर्माण, जबकसा एनीकेट निर्माण, तेन्दूटोला एनीकेट निर्माण, साल्हे, पदगोंदी रपटा कम स्टापडेम निर्माण, चांपाटोला एनीकेट निर्माण, दनगढ़ एनीकेट निर्माण, डुमरघुंचा से मुड़पार एनीकेट निर्माण, तारमटोला एनीकेट निर्माण, खुर्सीटिकुल, हेमलकोड़ो रपटा कम एनीकेट निर्माण, नवागांव जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य, संबलपुर स्टापडेम निर्माण, घोटिया जलाशय नहर लाइनिंग कार्य, पुसेवाड़ा स्टापडेम निर्माण, जामड़ी एनीकेट निर्माण (जामड़ी नदी), मोहला टारबांध का जीर्णोद्धार कार्य सहित बोईरडीह जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य की स्वीकृति कब तक दे प्रदान की जाएगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांक योजनाएं वर्ष 2023-24 के बजट (नवीन मद) में शामिल है। विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

श्री इन्द्र शाह मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तारांकित प्रश्न संख्या-6 है। लिखित उत्तर में इन योजनाओं को वर्ष 2023-24 के बजट में शामिल होना बताया गया है। लेकिन वर्ष 2023-24 समाप्त हो चुका है। साथ ही वर्ष 2024-25 चल रहा है, वह भी 9 दिनों बाद समाप्त हो जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2023-24 के बजट में था इसलिए इन योजनाओं के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा सकता है ? यदि नहीं तो वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल किया गया है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मंत्री जी ने बिलकुल स्पष्ट तौर पर अपने संबोधन में पूरे सदन को बताया था। आप शायद उस समय ध्यान नहीं दिए होंगे। वर्ष 2023-24 का जो बजट था, वह बजट केवल दिखावा बजट था। हमारे सदस्यों को यह बताया गया कि हम आपके यहां इतना काम दे दिए हैं। वह चुनाव के लिए बजट था और चुनाव की दृष्टि से बजट में शामिल किया गया था। लेकिन बजट में प्रावधान सिर्फ दिखाने के लिए किया गया था, कोई इम्पीलमेंट नहीं हुआ। यदि करना होता तो पहले कर दिए होते। लेकिन हमारी मंशा है कि ..।

श्री इन्द्र शाह मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब यह है कि आप अभी भी नहीं करेंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। हम कर रहे हैं। हम लोगों ने आपके यहां दो योजनाओं को बजट में सम्मिलित किया है। उसके साथ-साथ आपका पुराना मरकाटोला का था, हमने उसको भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसकी लागत करीब 22 करोड़ रूपए है। बहुत लंबे समय से उसकी मांग थी। (मेजों की थपथपाहट) हमारी अभी भी मंशा है कि ..।

श्री इन्द्र शाह मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराटोला जलाशय का कार्य पूर्व कार्यकाल में बंद था। माननीय भूपेश बघेल जी की वजह से, मैं दिल्ली गया था और वहां से 18-19 करोड़ रूपए लेकर आये थे। अभी उसमें 32 करोड़ रूपए कुछ आ गया है, आप उसको छोड़ दीजिये। आप तो अभी यह बता दीजिये कि परिशिष्ट-'चार' में यह बताया गया है कि कई निर्माण कार्यों के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन तैयार करने में और कितना समय लगेगा, यह बता दीजिये ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन तैयार करने में समय है, वह तो लग ही रहा है। राशि की उपलब्धता, स्थल को देखेंगे कि पानी की उपलब्धता की क्या स्थिति है, क्या वहां Land Acquisition की स्थिति है, वहां पर वास्तव में लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल पायेगा या नहीं, इन सब चीजों को देखेंगे। लेकिन हमारी मंशा है कि उन क्षेत्रों में समुचित रूप से सिंचाई की व्यवस्था हो, उसके लिए बजट में प्रावधान किया हुआ है और वह हम कर रहे हैं।

श्री इन्द्र शाह मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मैंने जितनी भी जगहों के लिए कार्य दिया है, सब आवश्यक है और सिंचाई की दृष्टिकोण से है। जिन कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन बता रहे हैं, उसमें यह प्रक्रिया कब तक चलेगी और कब तक हो जायेगी, इसको थोड़ा बता दीजिये ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य ने बजट में कौन-कौन सी योजना शामिल है, केवल इसके संदर्भ में जानकारी चाही है। इसमें समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री देवेन्द्र यादव जी।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, यह तो इन्द्रशाह जी का मोहला-मानपुर विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है। क्या आपका प्रश्न देवेन्द्र यादव जी वाले प्रश्न में है?

श्रीमती गोमती साय :- अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- पहले इनका प्रश्न आ जाये, फिर आपको अवसर देंगे। इन्द्रशाह मंडावी जी का प्रश्न समाप्त हो गया है, अब हम आगे बढ़ गये हैं। अभी हम देवेन्द्र यादव जी के प्रश्न में आ गये हैं। आपको देवेन्द्र यादव जी वाले में प्रश्न पूछना होगा तो पूछ लीजिये।

भिलाई नगर वि.स. क्षेत्र में स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम शालाओं के संचालन हेतु आबंटन/व्यय

[स्कूल शिक्षा]

7. (*क्र. 189) श्री देवेन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- भिलाई नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यद शालायें संचालित हैं? कलेण्डर वर्ष 2020 से 2024 तक इन शालाओं के संचालन हेतु वर्षवार जारी आंबटन एवं व्यय की वर्षवार जानकारी दी जाये?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जानकारी **संलग्नर प्रपत्र**[4] अनुसार है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं दिनांक 08 अप्रैल, 2023 को सेक्टर-9 में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की घोषणा की गई थी। इस प्रश्न के जवाब में जो जानकारी दी गई है, उसमें सिर्फ भिलाई विधान सभा अंतर्गत संचालित तीन स्कूलों की जानकारी दी गई है। दिनांक 09 अप्रैल, 2023 में सेक्टर-9 के स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की घोषणा की गई थी, जिसका नाम अभी बदलकर पी.एम. श्री रखा गया है। क्या यह स्कूल आने वाले समय में प्रारंभ करेंगे?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं का भी स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम नहीं बदला गया है, बल्कि उसमें पी.एम. श्री जोड़ा गया है। पी.एम. श्री भारत सरकार की योजना है। आपको खुश होना चाहिए कि पी.एम. श्री में आपका आत्मानंद स्कूल शामिल हो रहा है तो उसमें भारत शासन से भी सहयोग होगा और आपके स्कूल के संचालन में और अच्छी व्यवस्था होगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा प्रश्न वहीं पर रूका हुआ है। वर्ष 2023 में सेक्टर-9 में जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए घोषणा हुई थी, क्या आगामी समय में सरकार उस घोषणा की पूर्ति करेगी?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ बात कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न के जवाब में जो डिटेल जनकारी दी गई है, उसमें खुर्सीपार स्कूल एवं छावनी स्कूल का उल्लेख है। छावनी स्कूल में 1175 बच्चे पढ़ते हैं, जहां हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों एक ही स्कूल में शिफ्ट वाईज लगते हैं, वहां पर कमरों की कमी है। जो खुर्सीपार का स्कूल है, वहां लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं। वहां प्राइमरी विंग में 20 शिक्षकों के पद पहले से स्वीकृत हैं, जिसमें से 7 शिक्षकों के पद

---

[4] परिशिष्ट "पाँच"

vacant हैं और मीडिल विंग में 2 पद vacant हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह है कि क्या आप इन पदों को आगामी समय में भरेंगे?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आत्मानंद स्कूल इन्हीं के समय का है और इन्होंने इसके लिए कोई नया भवन और कोई नया सेटअप स्वीकृत नहीं किया, बल्कि बहुत पुराने-पुराने स्कूल जैसे रायगढ़ का नटवर हाई स्कूल कितना पुराना स्कूल है, उसमें आप लोगों ने आत्मानंद स्कूल खोला। हम तो इसको लगातार अच्छा कर रहे हैं। इसमें पहले जो शिक्षक थे, यह प्रतिनियुक्ति में एवं संविदा से भरे जाते हैं। संविदा वाले 500 शिक्षक छोड़ कर चले गये हैं, लेकिन हम बजट में उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। पहले यह लोग कुछ विभाग से, कुछ सी.एस.आर. से, कुछ डी.एम.एफ. की राशि से व्यय करते थे, लेकिन अब हम लोग बजट में प्रावधान करके शिक्षकों की वेतन की व्यवस्था कर रहे हैं, इससे आपका आत्मानंद स्कूल और अच्छा चलेगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब दिया गया है, उसके हिसाब से भिलाई विधान सभा अंतर्गत आने वाले तीन आत्मानंद स्कूलों में वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में कुल मिलाकर 6 करोड़ 33 लाख 61 हजार रूपये 522 रूपये खर्च किये गये हैं। मेरे हिसाब से अगर हम पूर्ववर्ती सरकार को यह कहें कि उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल पर व्यय नहीं किया तो जो डेटा इस विधान सभा के माध्यम से मिलता है, वह यह बताता है कि तीन स्कूलों में ही लगभग 6.5 करोड़ रूपये खर्च हुये हैं । अध्यक्ष महोदय, अब तो पी.एम.श्री हो गया है, स्वामी आत्मानंद जी के आगे पी.एम.श्री लग गया है, यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है । हम तो कुछ कमरों की ही बात कर रहे हैं, दो-चार कमरे, आठ कमरे में क्या हो जाता है, उस पर कोई स्पष्टता नहीं आई है । अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से यह कहा है कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसकी पहले से घोषणा हो गयी थी, उसके आगे अब पी.एम.श्री लग गया है तो एक और पी.एम.श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल खुल जायेगा तो उस पर क्या होगा, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया है ? चलिये, मैं आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूँ कि हमारे यहां खुर्सीपार में स्वामी आत्मानंद स्कूल पी.एम.श्री है, उसमें कामर्स की क्लासेस नहीं लगती है । छात्रों को दूर के स्कूलों में जाना पड़ता है, क्या आप वहां पर कामर्स की क्लासेस लगायेंगे ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सेक्टर 9 स्कूल के विषय में कह चुके हैं कि उसका परीक्षण करायेंगे और हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि पिछले साल बजट में 700 करोड़ का प्रावधान था, इसे वर्ष 2025-2026 के बजट में 70 करोड़ बढ़ाकर 770 करोड़ कर रहे हैं । आप उम्मीद करिये कि आत्मानंद स्कूल और अच्छे से चलेगा । आपने जो खुर्सीपार स्कूल की चर्चा की है, उसकी भी समीक्षा कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धरम कौशिक जी । प्रश्न क्रमांक 8 । आपका जवाब आ गया ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, अभी पूरा नहीं हुआ है और जवाब भी नहीं आया है । विधान सभा का एक सवाल बड़ी मुश्किल से लगता है, छात्रों के भविष्य की बात है, कृपया मुझे संरक्षण देंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय ...।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब पूरा डिटेल्स आ गया है और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए ? चलिये, महंत जी पूछ रहे हैं ।

डॉ.चरणदास महंत :- जी । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग 600 स्कूल स्वामी आत्मानंद के नाम से खोला था । क्या पी.एम.श्री के तहत इन सभी 600 विद्यालयों को लिया जायेगा तथा इनके रखरखाव और अन्य कार्य के लिये पी.एम.श्री योजना से राशि दी जायेगी, मैं इतना पूछना चाहता हूँ ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 751 आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिगएगा, आप थोड़ा कम बताये हैं । पूरे प्रदेश के 341 स्कूल पी.एम.श्री में शामिल है, उसी में कुछ आत्मानंद स्कूल शामिल हैं, उसके बाद जैसे-जैसे भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होगा, उसे शामिल करते जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अनुरोध है कि वह हम सब के नेता हैं, सदन के नेता हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इस क्वेश्चन अवर का लाईव देख रही है, यह छात्रों का मामला है, कामर्स के सेशन को शुरू करवाना है, यह जरूरी है और छावनी तथा खुर्सीपार स्कूल में कुछ कमरों की जरूरत है । कृपया उसकी घोषणा करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, देवेन्द्र जी इतना लंबा हो गया है ।

श्री विष्णु देव साय :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सच बोल नहीं पाये हैं, हमने कहा है कि समीक्षा करा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोल दिये ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, समीक्षा की ही बात आई है ।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी ।

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

8. (*क्र. 2195) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि : **(क)** मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना कब प्रारंभ हुई? इस योजनांतर्गत प्रारंभ से दिनांक

15.02.2025 तक बिल्हा विधानसभा क्षेत्र, वि.ख. बिल्हा, जिला बिलासपुर एवं वि.ख. पथरिया, जिला मुंगेली में योजनांतर्गत किस-किस स्कूल के लिए, क्या-क्या कार्य हेतु व कितनी-कितनी राशि स्वीकृत/आवंटित की गई है ? वर्षवार, स्कूलवार व कार्यवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका (क) अनुसार कार्यों में कौन-कौन से कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण/अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं? निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर निर्माण एजेंसी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा किन-किन कार्यो का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, किन-किन कार्यों का कितना भुगतान शेष है व क्यों तथा शेष भुगतान कब तक किया जावेगा ? वर्षवार, स्कूलवार व कार्यवार जानकारी देवें ? **(ग)** कंडिका (क) अनुसार कार्यों में अनियमिता एवं अन्य के संबंध में क्या शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना वर्ष 2022-23 में प्रारंभ हुई। जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 02 से 06 अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 07 अनुसार है।** कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पूर्ण भुगतान किये गये कार्य एवं शेष भुगतान की जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 08 एवं 09 अनुसार है।** अपूर्ण कार्यों का भुगतान शेष है एवं कुछ पूर्ण कार्यों का भुगतान विभिन्न् कारणों से शेष है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वर्षवार, स्कूलवार व कार्यवार **जानकारी संलग्न**[5] **प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय:- श्री धरमलाल कौशिक जी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि स्कूल जतन योजना के छोटे-छोटे काम है, कहीं खिड़की

लगना है, कहीं दरवाजा लगना है, कहीं शौचालय का है, कहीं अतिरिक्त कक्ष का है, इसमें वर्ष 2022-23 और 2023-2024 की स्वीकृति है । जो अभी तक अनुबंध हुआ है और काम प्रारंभ नहीं किये हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो काम प्रारंभ नहीं किये हैं, उनकी काम करने की इच्छा नहीं है । इसमें 1.5 लाख, 2.00 लाख, 3.00 लाख के काम हैं, क्या उस एजेंसी का काम रद्द करेंगे और उसे दूसरे एजेंसी को देंगे, इसके साथ ही जो अनुबंध किये और काम नहीं किये हैं, क्या उसके खिलाफ में कार्यवाही करेंगे ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के द्वारा स्कूल जतन योजना शुरू किया गया था और इसका उद्येश्य स्कूलों का मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष बनवाना था, लेकिन इसमें भ्रष्ट्राचार की बहुत शिकायतें प्राप्त हुई और हम लोग उसकी जांच थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं । जांच

[5] परिशिष्ट "छ:"

रिपोर्ट आयेगी तो जो अधूरे भुगतान भी हैं, वह भी किए जाएंगे और जो काम होने लायक हैं या काम होने लायक नहीं हैं, उसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इसमें लीपापोती की गई है और [xx] किए गए हैं, लेकिन उसमें शिकायत नहीं मिली, ऐसी जानकारी आई है । आपने जवाब में भी यह लिखा है कि कुछ पूर्ण कार्यों का भुगतान विभिन्न कारणों से शेष है । मैं वही जानना चाहता हूं कि कार्य भी पूर्ण हो गया और भुगतान नहीं हुआ, उसमें क्या गड़बड़ियां हैं और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला के कलेक्टर को जांच के लिए कहा गया है, उनकी जांच रिपोर्ट आने पर निर्णय लेंगे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- एक अंतिम प्रश्न । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, उसको आप रद्द करें और रद्द करके दूसरे को देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो जो मंशा थी कि छोटे-छोटे काम हो जाएं । बच्चों को सुविधा मिले । बच्चे उस सुविधा से वंचित हैं तो उस कार्य को आप उनसे रद्द करके दूसरी संस्था को दे दीजिए । आप पंचायत को दे दें, ग्राम पंचायतों को 20-25 लाख रूपए का अधिकार दिया गया है, वहां डेढ़ लाख का काम हैं, लोग थोक के भाव में उसको बेच दिए थे ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने सुझाव दिया, मुख्यमंत्री जी उसका परीक्षण कर लेंगे।

लघु वनोपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहित वनोपजों की कुल राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

9. (*क्र. 604) श्री भूपेश बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छ.ग. प्रदेश में वर्ष 2021 से 2025 के बीच लघु वनोपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहित वनोपजों की कुल राशि की वर्षवार जानकारी प्रदान करें।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : छ.ग. प्रदेश में वर्ष 2021 से 2025 के बीच छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहित वनोपजों की कुल राशि की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र[6] में दर्शित है ।**

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वन मंत्री से है कि 2020-21 से लेकर फरवरी, 2025 तक कितना लघु वनोपज खरीदी गया ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 156 करोड़ रूपए, 2021-22 में 119 करोड़ रूपए, 2022-23 में 61 करोड़ रूपए,

[6] परिशिष्ट "सात"

2023-24 में 50 करोड़ रूपए और 2024-25 में केवल 15 करोड़, 43 लाख रूपए की खरीदी की गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें खरीदी में लगातार कमी क्यों आ रही है और 2024-25 में आपने कौन-कौन से लघु वनोपज की खरीदी कितनी-कितनी मात्रा में की ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, मैंने जानकारियों की पूरी कॉपी उपलब्ध कराई है । जहां तक 2020-21 और 2021-22 में जो लघु वनोपज खरीदी गई है, उसमें 67 प्रकार के लघु वनोपज खरीदने का प्रावधान है । जब वह दौर था, जब पूरे देश में कोरोना कॉल था, छत्तीसगढ़ में भी था और उस कोरोना कॉल में जो लघु वनोपज है, वह शासकीय तौर पर खरीदा गया था । जो प्राईवेट सेक्टर में हैं, उन्होंने लघु वनोपज नहीं खरीदा क्योंकि उस समय में भाव था कि किसी की सामग्री परचेस न हो और वह ओपन मार्केट में ही था । इसके कारण से वर्ष 2020-21 और 2021-22 में राशि बढ़ी हुई दिखाई दे रही है । उसके बाद अगले वर्षों में 61 करोड़, 50 करोड़ और 15 करोड़ रूपए की राशि दिख रही है । यह भी पिछले महीने का रिकार्ड है और इसकी भी लागत बढ़ जाएगी और जो 67 प्रकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज है, उसकी भी जानकारी मेरे पास है । आप कहेंगे तो मैं उसको पढ़कर बता देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको उपलब्ध करा दें । और कोई प्रश्न हो तो करिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीदी में कमी आई है इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा । आपने 2020-21 में 67 लघु वनोपज प्रकार की खरीदी की जानकारी दी । 2024-25 में फरवरी तक आपने 15 करोड़ रूपए की खरीदी की है, केवल मार्च बचा है, उसमें भी ज्यादा खरीदी नहीं होगी । अभी महुआ भी आ रहा है और उसकी खरीदी शुरू भी नहीं हुई है तो आपने 2024-25 में कितने प्रकार के लघु वनोपज खरीदे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में पहले ही बताया कि हम 67 प्रकार के लघु वनोपज खरीद रहे हैं और अभी वर्तमान में 2024-25 में जो स्थिति है, उसकी लघु वनोपज की खरीदी राशि भी 50 करोड़ के पास आ जाएगी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने फरवरी तक केवल 15 करोड़ रूपए की खरीदी की है तो इसी महीने की जानकारी बता दीजिए कि आपने कितने करोड़ रूपए की खरीदी की है तो क्या-क्या लघु वनोपज की खरीदी की है और उसका क्या उपयोग हो रहा है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि इसमें जो 67 प्रकार के लघु वनोपज हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची उपलब्ध करा दें ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप उन्हें सूची उपलब्ध करा दें ।

श्री केदार कश्यप :- मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय:

12.00 बजे

उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार तथा उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर

अध्यक्ष महोदय:- मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2024 के उत्कृष्ट विधायक हेतु सत्ता पक्ष से माननीया श्रीमती भावना बोहरा एवं प्रतिपक्ष से माननीय श्री लखेश्वर बघेल का चयन किया गया है। दोनों को बधाई।

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के संवाददाता श्री राकेश पाण्डेय तथा उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर हेतु सुदर्शन न्यूज के संवाददाता श्री योगेश मिश्रा एवं कैमरामैन श्री शिवप्रकाश पुरैना का चयन किया गया है।

मेरी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों एवं पत्रकार बंधुओ को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। (मेजों की थपथपाहट)

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

समय

12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-19 के अंतर्गत चौबीसवॉ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024

मुख्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-19 के अंतर्गत चौबीसवॉ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 पटल पर रखता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2021-22 एवं 2022-23

उप मुख्य मंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरुण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत)(सक्ती) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल में निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यहां धान की खरीदी में पिछले सत्र के दौरान ये देखा है कि पूरे तरीके से गड़बड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, आप उस दिन आसंदी पर थे, मैंने आपको बताया था कि जब 110 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है, तो वहीं हम 149 लाख मीट्रिक टन उपार्जन कर रहे हैं। इस तरह से यहां के किसानों के धान को, उसकी मेहनत को जिस ढंग से यहां के अधिकारी, यहां के कर्मचारी, यहां के सोसायटी वाले मिलकर हम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और हम जो 70 प्रतिशत आबादी के लोग छत्तीसगढ़ में कृषि का उत्पादन करने में लगे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था वहीं से है, हमारी जीवन पद्धति वहीं से है, वहां लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। मैं अभी आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी सूचना दीजिए, आंकड़े बाद में दीजिएगा।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि इसमें लगभग 13 हजार करोड़ रुपए का घपला हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसे आप स्वीकृत कर लें, हम बता देंगे कि 13 हजार करोड़ के धान की खरीदी किसने की, कैसे की, किसके परिवहन वालों को मिला, कितने ठेकेदारों को मिला, कितने मिलर्स को मिला। अगर आप हमारे इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत कर देंगे, तो हम विस्तृत रूप से इस बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उत्पादन से लगभग 36% अधिक खरीदी हो रही है, तो ये छोटा-मोटा मामला नहीं है। प्रतिवेदन में भी आया है कि 1 लाख 10 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है और 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन के आसपास खरीदी हुई है। तो ये 36% अधिक धान आया कहाॅ से? अध्यक्ष महोदय, अगर इसको पैसे में आकलन किया जाए तो यह लगभग

13 हजार करोड़ रुपए के आसपास बनता है। ये बहुत बड़ा मामला है और हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इसे ग्राह्य करके चर्चा कराई जाए।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, जहां हमारे जांजगीर-चांपा जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है परंतु जो आंकड़े आये हैं, यह आंकड़े वास्तव में छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिये और हम सब लोगों के लिये चिंताजनक है। हमारे जिले में मात्र 63 लाख 27 हजार 930 क्विंटल की खरीदी हुई है और वहां किसानों की संख्या 1 लाख 19 हजार 517 है। जबकि 1 लाख 26 हजार किसान पंजीकृत हैं, जिसमें 6 हजार ऐसे किसान हैं, जो अपना धान नहीं बेच पाये हैं। एक आंकड़ा तो और चिंताजनक है कि विभाग की तरफ से जांजगीर-चांपा जिला में जो धान का रकबा बताया जा रहा है, वह 1 लाख 51 हजार 134 हेक्टेयर है और कुल रकबा जिसमें कोदो, कुटकी, रागी और ऐसी अन्य फसलों में 5 हजार क्विंटल उत्पादन लेने की बात आ रही है। लेकिन हम हमारे जांजगीर-चांपा जिला को सर्वाधिक लगभग 95-99 प्रतिशत सिंचिंत एरिया कहते हैं। उनका जो सिंचिंत रकबा आता है, वह मिनीमाता, हसदेव बांगों बांध का सिंचिंत रकबा 1 लाख 26 हजार 355 हेक्टेयर है। जब हम इन सब आंकड़ों को निकाल रहे हैं तो धान की कमी हो रही है। वहां प्रति क्विंटल लगभग 17 क्विंटल से भी कम का उत्पादन आ रह है। यदि पूरे प्रदेश में खरीदी देखें तो जहां सर्वाधिक उत्पादन है, वहां खरीदी कम है। यह जांच का विषय है। हमें इन सब चीजों के लिये चिंता करनी चाहिए और सरकार भविष्य में इस विषय को देखें, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान न हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया। भूपेश जी, बोलिये। हो गया, बाकी को बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान के विषय में पहले भी स्थगन आ चुका है और उस विषय पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

श्री भूपेश बघेल :- इस पर स्थगन नहीं आया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- स्थगन का तो मतलब यह है कि जो विषय अभी तक नहीं आया है, वह एक बार आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इसे देख लूंगा।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में स्थगन लाया है। स्थिति यह है कि एक तरफ किसान रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं और दूसरी तरफ भुगतान की शिकायत है। मुख्यमंत्री जी के जिले में 8 केंद्र ऐसे हैं, जहां धान ही नहीं था। जब शिकायत हुई तो 4 केंद्रों में पूर्ति कर दी गयी और 4 केंद्र अभी भी खाली पड़े हुए हैं। इस प्रकार से जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, जशपुर जिले में यह स्थिति है तो प्रदेश की

स्थिति क्या होगी ? आंकड़ेबाजी तो यह है कि अभी तक राजस्व विभाग में आंकड़े गलत आ रहे हैं। एक प्रश्न में दूसरा, दूसरे प्रश्न में तीसरा, और चौथे प्रश्न में कुछ और आंकड़े हैं। अब तो कृषि विभाग में भी प्रकार से आंकड़े इस आ रहे हैं, जिसे देखकर बड़ा आश्यर्च होता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो आंकड़े दिये हैं कि कृषि विभाग में कहा जा रहा है कि 110 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है और 149 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो रही है। यह जो विसंगती है, यह सरकार के दोनों आंकड़े अपने आप में यह उजागर कर रहे है कि खरीदी में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरे प्रदेशों से धान लाकर खपाया गया है और हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे ऐसी अपेक्षा है कि आप इसे ग्राह्य कराकर इसमें चर्चा कराये क्योंकि आज आखिरी दिन है।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ओर यह बताया जा रहा है कि 2024-25 में 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है और दूसरी ओर कृषि विभाग की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि 110 लाख 11 हजार मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है तो दोनों में भारी अंतर दिख रहा है। एक तो उत्पादन कम बताना और उपार्जन ज्यादा बताना। कहीं न कहीं दोनों में भारी अंतर है। यह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की ओर ईशारा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है, हम आपसे इस पर चर्चा कराने की मांग करते हैं।

श्री लखेश्वर बघेल (दंतेवाड़ा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इंद्रावती नदी जल संकट के संबंध में ध्यानाकर्षण भी लगाया था लेकिन मेरी ध्यानाकर्षण 7 नंबर पर है इसलिए आज उस पर चर्चा नहीं हो पायेगी। मेरा निवेदन है कि भवन एनिकट, नदी सागर एनिकट और रोतमा एनिकट में पानी सूख गया है। वहां बच्चे कबड्डी से लेकर क्रिकेट और सब तरह के खेल खेल रहे हैं। वह एनिकट थोड़ा ऊपर है। उस संबंध में हमारे वहां के किसान और वहां के ग्रामीण हड़ताल पर है और जो उड़ीसा बांध है, वहां पर भी साफ-सफाई करके कई तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन पानी नीचे नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में विभाग को थोड़ी गंभीरता से निर्देश दे दीजिये कि वह वहां पर पानी की व्यवस्था करें।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 में धान की खरीदी कहना चाहूंगा । किसानों का मामला तीन विभागों पर निर्भर होता है, जिसमें एक सहकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और कृषि विभाग है। अभी आप इस पर चर्चा करवायेंगे तो यह कृषि विभाग की गलती है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गलती है या सहकारिता विभाग की गलती है। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे नेता जी ने जो स्थगन प्रस्ताव लाया है, उस पर चर्चा करायी जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। निश्चित रूप से इससे यह उजागर होगा कि यह कौन से विभाग की लापरवाही की वजह से अधिक धान खरीदी हुई है।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़):- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है और इस धान कटोरे में धान भरकर, उछल गया और यहां पर ज्यादा धान

खरीदी की गई है। शासन द्वारा एक लाख 10 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी बतायी गयी है और यहां 50 लाख मीट्रिक टन धान अधिक खरीदी की गई है, यह कैसे हुआ ? हमें जानकारी कुछ और दी जा रही है और रिपोर्ट में कुछ और खरीदी आ रही है। इसमें जांच कराने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुन्दरदेही):- माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद वन विभाग के अंतर्गत हर्राडेमा सर्किल के काल्हेवारा तांदुला डूबान क्षेत्र पर 24 फरवरी को भालू की डूबने से मौत हो जाती है। जब वहां पर स्थानीय मछुआरा जाता है, देखता है तब वन विभाग के कर्मचारियों को खबर देता है तो आनन-फानन में इस मामले को दबाने के लिए, वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वहीं पर उस भालू के नाखून- वाखून को निकालकर, दफना दिया जाता है। मेरे पास इसके पूरे साक्ष्य हैं। जब मीडिया के माध्यम से यह बात सामने आती है तब उसमें संबंधित विभाग के एस.डी.ओ. जांच के लिए निर्देश करते हैं। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि जब माननीय पी.सी.सी.एफ. के द्वारा डी.एफ.ओ. को निर्देश किया गया, जब मीडिया के माध्यम यह सब उजागर हुआ तब यह बातें समाने आयीं। तो इस तथ्य, साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया गया क्योंकि यह जंगल के भालू की मौत का मामला है तो इसकी एक उच्च अधिकारी से जांच करायी जाये ताकि जो इसमें दोषी हैं, उन पर कार्यवाही हो सके।

अध्यक्ष महोदय :- बस हो गया।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी (मोहला-मानपुर):- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षक सीधी भर्ती वर्ष 2023 की सूचना दिनांक 18.03.2025 के अनुसार 2615 सहायक शिक्षकों की चयन सूची जारी करते हैं। उसके बाद 24 घण्टे में उनको वहां पर उपस्थिति देना है और दस्तावेज सत्यापन करने की सूचना जारी करते हैं। जबकि दिनांक 18 से दिनांक 19 की सुबह, रात भर में कवर्धा क एक व्यक्ति है अशोक कुमार कौशिक। जो दंतेवाड़ा जिला के कुआकोण्डा ब्लॉक में चोलनार नामक गांव है वहां पर वह 15 हजार रूपये किराया करके, ज्वाईन करने जाता है। उन अधिकारियों के द्वारा ऐसा असहनीय कार्य जो इतना अधिक अव्यवहारिक है, मैंने जिसको यहां पर शून्यकाल में बताया।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धान खरीदी पर बहुत ही गंभीर विषय है। प्रदेश में जितना धान का उत्पादन है, उससे ज्यादा धान की खरीदी हुई है। यहां उत्पादन से अधिक धान की खरीदी होना, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इस प्रदेश में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान की अधिक खरीदी हुई है तो मेरा, आपसे यह निवेदन है कि इसमें सभा की कार्यवाही रोककर, चर्चा करायी जाये।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे देता हूँ। खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 में धान की खरीदी उपार्जन, उत्पादन, विपणन, वितरण एवं अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित डॉ. चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का मैंने अवलोकन किया। मैंने प्रतिपक्ष के सदस्यों के विचारों को भी सुना। इसी सत्र में उक्त विषय पर पूर्ण चर्चा हो चुकी है। इसमें शासन की ओर से भी तत्संबंधी वक्तव्य आया था। अनुदान मांगों की चर्चा के समय भी इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। प्रक्रिया और कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 55(5) के तहत, अग्राह्य करते हुए, मैंने इस स्थगन को अग्राह्य कर दिया है। अब ध्यानाकर्षण की सूचना लेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हम पर कृपा तो की है, लेकिन माननीय मंत्री जी हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण मामले पर बार-बार..।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यख महोदय, क्या बात कर रहे हैं। हम लोग यहां पर लगातार खड़े होकर कार्य रहे हैं, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जो आरोप लगा रहे हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं समझता हूं कि आज सत्र का अंतिम दिवस है। इस सत्र को एक पावन सत्र मान करके आप लोगों को इसमें एक अच्छा सहयोग मिलना चाहिए। धान खरीदी को लेकर जिस प्रकार से हमारी सरकार ने बेहतर व्यवस्था की और सर्वाधिक धान खरीदी हुई। .. (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं, ट्रेजरी बैंच से उत्तर आ रहा है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय मंत्री जी, आप इसमें बता दीजिए कि असत्य है या सही है। .. (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। .. (व्यवधान)

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ही आपत्तिजनक और निंदनीय है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आसंदी से यही आग्रह है कि जब मंत्री जी जवाब देने के लिये तैयार हैं तो इसको ग्राह्य करके चर्चा करायें।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने मंत्री जी को पुकारा ही नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर वह किस प्रकार से बोल रहे हैं। यह तो सीधी-सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश हो रही है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है। (शेम-शेम की आवाज) इस कारण से कृषि मंत्री जी इस प्रकार से बोल रहे हैं, खाद्य मंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं, सहकारिता कुछ और बोल रही है। अलग-अलग मुंह से यह लोग कह रहे हैं। यह किसानों का मामला है।

यह सरकार न धान खरीदना चाहती और धान खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है, इस कारण से हम लोग बहिर्गमन करते हैं।

समय
12.16 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में।

(श्री भूपेश बघेल सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।)

समय
12.17 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 75 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक- 22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् सबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

पहले क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जावेगी। श्री धर्मजीत सिंह जी, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़े।

(1) प्रदेश में भू-जल स्तर गिरावट पर शासन की ठोस कार्य योजना नहीं बनाया जाना

श्री धर्मजीत (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- प्रदेश में इस वर्ष गर्मी आने से पहले मार्च माह में ही सूखे की भयावह स्थिति निर्मित हो

गई है, शिवनाथ समेत प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जल संकट का एक बड़ा उदाहरण हमने पिछले वर्ष देखा है जब राजधानी समेत प्रदेश के मुख्य शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने वाले गंगरेल बांध को जल संकट का सामना करना पड़ा था और बांध की कुल क्षमता के मुकाबले सिर्फ 8 फीसदी पानी ही शेष बचा था। इसके साथ ही प्रदेश का ग्राउंड वाटर लेवल भी वर्ष-प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में उपयोगी सतही जल की उपलब्धता 4,17, 200 लाख क्यूबिक मीटर है, जबकि भूजल उपलब्धता का आंकड़ा 1,45,480 लाख क्यूबिक मीटर का है। पहले जहां 100 फिट बोरवेल में ही जल मिल जाता था। आज 800-1000 फिट के पहले जल मिलना मुश्किल हो गया है। जल स्तर में आ रही इस गिरावट को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जल संवर्धन हेतु कोई ठोस कार्य योजना भी नहीं बनाई गई है। वाटर लेवल नीचे जाने से पीने के पानी की समस्या से संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है साथ ही पशुओं एवं पक्षियों के लिए भी पीने के पानी की कमी के कारण प्रदेशवासियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इस वर्ष गर्मी आने से पहले मार्च माह में ही सूखे की भयावह स्थिति निर्मित हो गई है, शिवनाथ नदी समेत प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, यह कथन सही नहीं है। छत्तीसगढ़ में जल संकट का एक बड़ा उदाहरण हमने पिछले वर्ष देखा है। जब राजधानी समेत प्रदेश के मुख्य शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने वाले गंगरेल बांध को जल संकट का सामना करना पड़ा था और बांध की कुल क्षमता के मुकाबले सिर्फ 8 फीसदी पानी ही शेष बचा था। छत्तीसगढ़ में सतही जल की उपलब्धता 4,17,200 लाख क्यूबिक मीटर हे, जबकि भू-जल उपलब्धता का आंकड़ा 1,45,480 लाख क्यूबिक मीटर का है। अपितु यह कथन सही नहीं है कि प्रदेश की विभिन्न स्त्रोतों से जल की उपलब्ध सतही जल की मात्रा 48 हजार 296 मि. घनमीटर है, भू-जल की मात्रा 62 हजार 844 मि. घनमीटर है । गंगरेल की जल आवक क्षमता 911.02 घन क्यूबिक मीटर है । शासन द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन हेतु निरंतर कार्य किये जा रहे हैं । इसके तहत जल संवर्धन एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम के तहत 68685 कार्य, तालाबों एवं डबरों के 32355 पुनर्जीवन के कार्य, गंदे पानी एवं पुनर्भरण के 15407 कार्य, वॉटर शेड के तहत् 38149 कार्य, नर्सरी एवं प्लांटेशन के 16,59,217 कार्य किये गये हैं । वर्षा जल संचयन हेतु अमृत सरोवर योजना भी कारगर साबित हो रही है । प्रत्येक ग्रामों में तालाब है । भू-जल के दोहन को जन भागीदारी के माध्यम से फसल चक्र में परिवर्तन कर नवीन तकनीक जैसे कम जल आधारित फसल की खेती किया जाना है । कार्यक्रम के अंतर्गत मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भू-संरक्षण अंतर्गत 30819 रिचार्ज फिट 301 बोरवेल रिचार्ज और 2275 पर्कुलेशन टैंक निर्मित किये गये हैं । जल स्तर पर आ रही गिरावट को नियंत्रित करने के लिये भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त विभागों को वर्षा

जल संचयन हेतु कार्य क्रियान्वयन किया जा रहा है । जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षा जल संचयन कार्यक्रम के तहत जल संचयन के कार्यों से पीने की पानी की समस्या से निदान हेतु कार्य करने हेतु सरकार कटिबद्ध है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में कहीं पर भी पेयजल समस्या जो अभी वर्तमान में व्याप्त है और उसके निराकरण के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए थे उसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है । इन्होंने जिक्र किया है कि नर्सरी और प्लांटेशन के इतने हजार कार्य किए गए, हुए होंगे, लेकिन उससे आज की जल समस्या का निराकरण हो नहीं सकता । भू-संरक्षण अंतर्गत 30819 रिचार्ज फिट किए गए, किए गए होंगे, 301 बोरवेल रिचार्ज और 2275 पर्कुलेशन टैंक निर्मित किए गए हैं । यह जो है, यह सरकार के पक्ष का तर्क, आप अपने कामों का तर्क दे रहे हैं । मैं आपसे बिल्कुल व्यावहारिक बात यह करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में नदियां सूख गई हैं, चाहे वह शिवनाथ नदी हो, चाहे वह अरपा नदी हो, चाहे वह मनियारी नदी हो, चाहे वह आगर नदी हो, चाहे वह महानदी हो, सब में पानी की जो उपलब्धता है वह कम है अगर हमारे पास अभी सिर्फ जो रिजर्व टैंक है, गंगरेल और जो थोड़े बहुत बांध हैं उसमें ही पानी अभी तक सुरक्षित है लेकिन वह पानी पूरे प्रदेश के लोगों के लिये पर्याप्त नहीं है । वाटर लेवल डाउन हो गया है, जिन गांवों में नल लगा हुआ है वहां पर नल बिगड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है। उसकी पाईप बढ़ाने से उसमें पानी आयेगा, कई वनवासी और आदिवासी गांव में सौलर से लाईप पम्प लगाया गया है लेकिन सौलर में 1 रूपये का भी कोई प्रावधान अभी तक वहां पर बैटरी बदलने, प्लेट बदलने के लिये नहीं लगाया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव के तालाब में भी पानी नहीं है, पूरा सूख चुका है । गांव के किनारे से जो नदियां बहती हैं उसमें भी पानी नहीं है और जानवर भी तड़प रहे हैं, चिड़िया और अन्य वन्य प्राणी भी परेशान हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने पेयजल से निपटने के लिये कोई कार्ययोजना बनायी है ? चूंकि सीधे प्रेक्टिल बात होनी चाहिए, यह बांध बनाये, यह रेन कैच वाटर वगैरह सब ठीक है, सरकारी योजना है, चल रही होंगी लेकिन आज तो वाटर लेवल बहुत डाउन है । माननीय मंत्री जी, आप कृपया यह बताने की कृपा करें कि पीने के पानी की समस्या के निराकरण के लिये क्या आपने शासन स्तर पर ग्रीष्मकाल के लिये कोई योजना बनायी है ? ताकि पेयजल और निस्तारी के लिये पानी की व्यवस्था हो सके । अभी तो संकट है, इस संकट का निराकरण करना है ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। यह भी सही है कि इस वर्ष सामान्यत: हर साल दिसंबर-जनवरी में थोड़ी बारिश होती है, इस बार दिसंबर-जनवरी में बारिश नहीं हुई, इस कारण से भी वाटर लेवल अधिक डाउन हुआ है, पर जैसा सबको पता है कि जो बांध है, बांध में 20 प्रतिशत पानी की पहली प्राथमिकता पेयजल और निस्तारी के लिए

होता है। जहां बांध है, वहां पर बांध से पेयजल के लिए पानी देंगे और लगातार इस विषय पर 5-6 अलग विभाग हैं, जो पेयजल के लिए नगरीय निकायों का काम है, वह निकाय भी कर रहे हैं और पी.एच.ई. विभाग भी पूरी ताकत से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है और वास्तविकता यह है कि आज के समय में दुनिया के सामने यह जल संरक्षण एक बड़ा विषय है, क्योंकि जल स्तर गिरता चला जा रहा है। जल पर हमारी निर्भरता और बढ़ी है। जल की उपयोगिता समय के साथ बढ़ी है, इसलिए एक व्यापक योजना बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है। भारत सरकार भी लगातार इस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। अभी उदयपुर में फरवरी महीने में देश भर के जल मंत्रियों का नेशनल कांफ्रेंस हुआ था। आदरणीय केदार कश्यप जी और मैं स्वयं उसमें शामिल हुए थे। जल संरक्षण के लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण की दिशा में जो काम किया है, देश में जल संरक्षण की दिशा में काम करने में पहला नंबर छत्तीसगढ़ का है। मेरे पास उसके सारे आंकड़े हैं। उसी तरह से देश के जो 10 महत्वपूर्ण टॉप 10 जिले हैं, जो जल संरक्षण में काम कर रहे हैं, 10 में से 7 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के आये हैं। स्थाई रूप से समाधान की दिशा में 5-6 विभागों के समन्वित प्रयास से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यह सही है कि जल संकट आने वाले समय में और बढ़ता चला जायेगा। यह भी सही है कि पहले 100 फीट के अंदर ट्यूबवेल में पानी आ जाता था। अब और गहरा होता चला जा रहा है, लेकिन सबके संयुक्त प्रयास से ही जलस्तर को हम ऊंचा कर पाएंगे। जहां तक पेयजल की व्यवस्था की बात है तो विभाग पूरी तरह से सजग है, सक्रिय है। पेयजल की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए ठोस और मजबूत कार्यवाही कर लगातार विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। महीने भर पहले से बातचीत करके पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभागों को निर्देशित किया है और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल की अभी जो वर्तमान समस्या है और अप्रैल, मई और जून में जो समस्या आना है, हर गांव में आनी है। यहां बैठे हुए सब विधायकों के क्षेत्र में पेयजल की किल्लत है और समस्या है। मैं जल संरक्षण के बारे में आपकी किसी भी क्षमता पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। अगर आपकी सरकार को 7 इनाम मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है। जल संरक्षण हमारे प्रदेश में हो, यह भी अच्छी बात है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि लातूर में आज से कुछ साल पहले इतनी बड़ी समस्या पैदा हुई थी कि रेलवे से पानी का टैंकर भेजा गया था। कई जगह पानी के कारण लोगों की मौत हुई थी। इस साल भयावह स्थिति है। भयावह मतलब सही मायने में भयावह है, लेकिन अगर आप अभी से इसके लिए ध्यान नहीं देंगे, कोई कार्य योजना नहीं बनाएंगे, कोई बड़ी बैठक नहीं करेंगे। अगर नीचे स्तर तक के अमला को सक्रिय नहीं करेंगे तो यह मानकर चलिए कि बहुत दिक्कत होगी। ये गंगरेल बांध तो मैंने पूछ लिया था, लेकिन इस सदन में एक भ्रम और दूर कर देना चाहता हूं। इस प्रदेश में गंगरेल सबसे बड़ा बांध नहीं है। इस प्रदेश

में गंगरेल से कई गुना बड़ा बांध बांगो है और वह भी कोरबा को पानी देता है। गंगरेल रायपुर और धमतरी को देता होगा तो उस गंगरेल से बहुत बड़ा बांध उधर भी है। हमारे आपके क्षेत्र में खुड़िया का डैम है, जो पानी भरने में इतना संपन्न है कि अभी भी उसमें पानी लबालब है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस समस्या को पूरे सदन की समस्या मानकर पूरे प्रदेश की समस्या मानकर क्या आप उच्च स्तर पर सौर ऊर्जा, पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई., वन विभाग और सिंचाई विभाग के लोग यहां बैठकर मीटिंग कर लीजिए कि निचले तबके तक के पानी को कैसे बचाना है ? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ पा रहा हूं क्योंकि एक प्रश्न पूछूंगा तो बात खत्म होगी । मैं एक जनरल डिस्कशन के माध्यम से ही बताना चाहता हूं । आप एक मीटिंग रायपुर में ले लीजिए । हर कलेक्टर को निर्देशित कीजिए कि वहां के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को, जो जिला स्तर के हैं, अभी नये जिला पंचायत के हैं, महापौर हैं, इनको बैठकार मीटिंग ले कि हम लोकल लेवल पर पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, टैंकर माफिया अभी से सक्रिय हैं । अचानक कोई काम करेंगे तो हजारों के टैंकर माफिया तैयार हैं कि हम अपना टैंकर लगाएंगे । चाहे वह रायपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो या और कोई भी शहर हो । अगर अभी से आप प्लानिंग करेंगे तो नीचे तक एक महीने में जब बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी तो असर वहां तक पहुंचेगा । दूसरा, मंत्री जी, इस पर आप कोरोनाकाल जैसा प्रोटोकॉल की तरह लीजिए क्योंकि गर्मी में जनता के बीच त्राहि-त्राहि होने वाली है । कोरोना में जैसा प्रोटोकॉल था, ऐसा होगा, वैसा होगा । आप पंद्रहवें वित्त आयोग से गांव-गांव के जनपद पंचायतों में एसडीएम और सीईओ की अध्यक्षता में मीटिंग कराइए । पंद्रहवें वित्त में वहां कई करोड़ रूपए हैं, लाखों रूपए हैं तो गांव के नाले में अभी पानी बह रहा है । अगर रेत की बोरी लगाकर पानी रोकेंगे तो वह पानी जानवरों के काम आ जाएगा । नया हैंड पम्प बाद में खोदिएगा, अभी केवल बिगड़े हैंडपम्पों की मरम्मत करवा दीजिए, सोलर पम्प की भी मरम्मत करवा दीजिए । कलेक्टर के यहां, एसडीएम के यहां प्रदेश स्तर पर यह मीटिंग हो इसको अभी से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जल समस्या का निवारण कर पाएंगे । माननीय मंत्री जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है । हमारी सरकार का यह काम है कि हम जनता को इस भीषण गर्मी से बचाएं । अध्यक्ष महोदय, आपने इस ध्यानाकर्षण को प्राथमिकता दी है उसके लिए आपका भी धन्यवाद और आपसे मेरा आग्रह है कि आप प्रदेश स्तर पर मीटिंग लीजिए और हर कलेक्टर को निर्देश दीजिए । हर एसडीएम लेवर पर, जनपद लेवल पर मीटिंग हो और लोकल लेवल पर पानी कहां संरक्षण हो सकता है, उसको कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी । आप बता दीजिए कि आप ऐसा करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप जो बोल रहे हैं, संक्षिप्त में बोलिए एक-एक लाईन में, संकट की गंभीरता पर पूरे सदन के लोग बोलना चाहते हैं मगर इतना वक्त नहीं है । जल संकट से निपटने के लिए आप

संक्षिप्त में अपने क्या सुझाव दे सकते हैं, वह दे दें । उसके बाद मंत्री जी का जवाब आ जाएगा, मगर पूरे सदन को नहीं बोल सकते । चलिए अजय जी संक्षिप्त में एक-एक मिनट में ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । मैं बात को आवृत्त नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें आ गई हैं । निस्तार के लिए और पेयजल के लिए डेम से पानी कब तक छोड़ेंगे? दूसरा, यह जो आपने अपने सरकारी प्रयास बताए हैं, एक कार्यक्रम है कैच द रैन । इस प्रोग्राम के लिए कितना बजट है और कौन से स्तर पर संचालित होता है, रायपुर में एकाध जगह हमको दिखाएंगे क्या कि कैच द रैन यहां पर हो रहा है ?

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई प्रश्न नहीं है । आज भी क्षेत्र से फोन आया था वाटर लेवल डाऊन हो गया है और इसके कारण पीने के पानी का संकट आ गया है, वहां जो नलजल योजना है, पाईप लाईन बिछा हुआ है, टंकी बना हुई है लेकिन जब पानी का स्रोत रहेगा तभी पानी चढ़ेगा । ऐसी में जो संकट कालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है । मंत्री जी, उसका निवारण कैसे करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या सलाह देना चाहते हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- एक तो उसके लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएं, जहां बोर से पानी संभव है वहां बोर करें, जहां हैंड पम्प अतिआवश्यक है, वहां हैंड पम्प लगवाएं । इसके लिए वे व्यवस्था करेंगे अन्यथा यह संकट अभी और गहराने वाला है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा 73 नंबर का ध्यानाकर्षण इसी विषय से संबंधित है। जल का स्तर नीचे हो चुका है, कल माननीय मंत्री जी और मैं तखतपुर बरेला गये हुए थे तो मैंने मंत्री जी से चर्चा की। जहां जल स्तर नीचे हैं, वहां पाईप डाला जाए, वहां पाईप डालेंगे तो पानी आ जाएगा, पिछले समय भी ऐसी हुआ था, अन्य वर्षों में भी ऐसा होता है। वहां बोर में पाईप की व्यवस्था की जाए। जहां पाईप का विस्तार हो, वहां विस्तार किया जा सकता है। जहां जहां जल ग्रहण क्षेत्र में टंकी बना है, वहां टंकी में बोरिंग की आवश्यता है, क्योंकि जहां सूख गया है, वहीं नहीं, दूसरी जगह जहां पर्याप्त मात्रा में पानी है, वहां भी बोर किया जाए जिससे पानी की व्यवस्था हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपके क्षेत्र में 10-20 ऐसे गांव हैं, जहां पानी के लिए सारे नलकूप सूख गए हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, 25 गांव है, मैं आपको नाम गिना दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- वह जानकारी मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए। आपके गांव के सारे जल स्त्रोत सूख गए हैं, मैं कुछ गांव गया था, आपके खुद के गांव में गया था, वहां पर 90 प्रतिशत जल स्त्रोत सूखे

हुए मिले, 120 में से 100 बोर सूख गए हैं। ऐसा बताएंगे तो मंत्री जी को उनकी गंभीरता समझ में आएगा। बस हो गया इतना पर्याप्त है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, दूसरा खुड़िया बांध है, खुड़िया बांध का पानी छोड़ दिया गया है, वहां नहरों में पानी छोड़ा है, वहां तालाब भी भरे मैं ऐसी आशा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- रेत माफिया से सावधान रहना पड़ेगा, सारा गड्ढा कर दिए।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा सुझाव रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट में अपनी बात रखिए।

श्री प्रबोध मिंज :- जी। अभी आने वाले भविष्य के लिए जल की चर्चा हो रही है। हम शहर में वॉटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों में वॉटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम को लागू नहीं करते। जितने हैंडपंप वगैरह है, जहां ट्यूबवेल से गांव के लोग पानी ले रहे हैं, वह ट्यूबवेल चलने के बाद पूरा पानी ऐसी बहता रहता है। माननीय मंत्री जी पूरी ताकत से इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, सारे हैंडपंप के पास एक सॉकेट बनाए, ताकि पानी वहीं उसको इकट्ठा करे। दूसरा, एक छोटा सा महत्वपूर्ण विषय है। अंबिकापुर में पानी वॉटर सप्लाई का बाकी डैम है। पिछली बार एकदम सूख गया था, इस बार भी पानी की मात्रा कम है, पूरे शहर में पेयजल सप्लाई होती है, उसके लिए बजट में स्वीकृति भी हुई है, उसको तत्काल करें ताकि आने वाले गर्मी में वहां पानी रिचार्ज हो सके और बाकी डैम से पानी मिल सके।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि राजधानी रायपुर के अंदर धीरे-धीरे पानी की समस्या खड़ी होती जा रही है। पूरी राजधानी खारून नदी पर निर्भर है। मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपने राजधानी को लेकर कोई कार्ययोजना बनाई है तो वरिष्ठ अधिकारी अभी से बैठक ले करके जहां पर बोर खोदना है, वाटर सप्लाई या टैंकर तीनों को किस प्रकार से करना है, उसके लिए पैसा पहले से रिलीज कर दे। दूसरा, जिन-जिन लोगों के यहां वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के नक्शे पास हुए हैं, उन लोगों ने वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू नहीं किया तो कम से कम एक सर्कुलर निकाल दें कि 101 प्रतिशत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिन-जिन घरों में नहीं है, वे लगाएं। क्योंकि नक्शा पास करते समय उनका पैसा वहां जमा होता है, अगर उन लोगों ने नहीं किया है तो वे करें।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक मांग रूपी सुझाव देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- संक्षिप्त में दीजिए।

श्री अनुज शर्मा :- बिल्कुल संक्षिप्त में दूंगा। बहुत सारे बंद माईंस होते हैं, जिसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पानी इकट्ठा रहता है, अगर उन बंद माईंस के बाजू में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए और उससे आस-पास के क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था की जाए तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़े

समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या बंद पड़े खदानों के पानी को लोगों के पीने लायक पानी बनाकर सप्लाई करने की कोई योजना लाएंगे ?

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- अध्यक्ष महोदय, मेरा धरातल स्तर पर अपना एक अनुभव रहा है। माननीय धर्मजीत भैया ने जो जल के बारे में ध्यानाकर्षण लगाया है, वह बहुत गंभीर है। मैं समझता हूं कि इसमें सारे लोगों को समर्थन करना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, हमारे पास ग्राम पंचायत स्तर पर 15वें वित्त का पैसा स्पष्ट तौर पर पेयजल के लिए रहता है। आप उस पैसे को दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते। अगर हमारे पंचायत विभाग के मंत्री सख्ती से ध्यान दें तो यह समस्या थोड़ी सी हल हो सकती है। क्योंकि वह पैसा पर्टिकूलर पेयजल के लिए आता है, वह लाखों रूपए रहता है। जब वे हमारे पास आते हैं कि भैया एक बोरिंग खनवा दीजिए तो मैं पूछता हूं आपके पास तो पैसा है, आप क्यों खनन नहीं कर सकते ? हमारे पास सिर्फ 500 फीट की मशीन है, आप एक हजार फीट खनाकर समस्या को हल कर सकते हैं। सरपंच को पता नहीं रहता है कि मेरे पास 15वें वित्त का पैसा है। आप इसके लिए सख्ती से एक स्पष्ट निर्देश जारी करें। पैसे तो लगेंगे, लेकिन जल संरक्षण और पेयजल की समस्या के लिए पंचायत विभाग को भी सख्ती से कार्य करना आवश्यक है। दूसरा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। हो गया। आपका अच्छा सुझाव है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सुझाव है। प्लीज। मैं यह चाहता हूं कि आज एक विधायक को 2 बोरिंग खोदाने के लिए भी टारगेट बंद है। आपकी जो घर-घर में नल-जल वाली मेन योजना चल रही है, वह तक सीमित हो गई है। यदि हम कहते हैं कि किसी जगह का स्रोत सूख गया है तो एक सीधा सा जवाब आता है कि वहां के लिए हमारी जो कार्य योजना है, जो नल-जल योजना है, जिसके कारण हम जल जीवन मिशन के तहत ही बोर खोदा पाएंगे तो आप हमको कम से कम 2-2, 5-5 बोर खोदने का टारगेट दे दीजिए। जिससे हम उस समस्या का निराकरण कर सके। इसमें सिंचाई विभाग की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आपको जल उपभोक्ता को भी टाइट करना पड़ेगा। आप इसमें बहुत सोच-समझकर कदम उठायें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये। माइक चालू कर लीजिए।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंचायतों में सरपंचों के द्वारा बनवाये गये छोटे-छोटे स्टॉप डेम हैं, लेकिन उनमें गेट नहीं लगे हैं। इसलिए उन सभी स्टॉप डेम में गेट लगा दिये जाये। नरेगा में मिट्टी का काम होता ही है तो आप मिट्टी के बांध को गर्मी में प्राथमिकता दें ताकि जल स्तर बढ़ें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पठारी क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं, जहां बिल्कुल भी पानी नहीं है। पूर्वी क्षेत्र में पुतरीचौरा गांव में एक भी हैण्ड पंप नहीं है। हैण्ड पंप खोदते हैं, लेकिन वह सक्सेस नहीं है। वहां 2 किलोमीटर दूर में नदी है तो वहां से पानी ले जा सकते हैं तो उसकी भी व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये। आप इसमें कुछ सुझाव दीजिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें ही सुझाव है। मेरा धर्मजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर ऐसी व्यवस्था की जाये। पी.एच.ई. विभाग से वहां पहाड़ी वाहन जाती है। वहां पर बहुत पुराने-पुराने बोर खोदे गये हैं। वहां नये बोर खोदने की व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। भावना जी, आप बोलिये।

श्रीमती भावना बोहरा (पण्डरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सिर्फ 2 छोटे से सुझाव हैं। मेरा पहला सुझाव यह है कि जिले में कलेक्टर के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकल सकता है। कहीं निस्तारी की जरूरत है या जो अन्य छोटी परेशानी है तो उसका जिला स्तर पर ही तत्काल समाधान करने के लिए पहले आदेशित कर दें। मेरा दूसरा विषय है कि चूंकि अभी लगातार लोग बहुत बड़ी संख्या में टैंकर का इस्तेमाल करेंगे तो टैंकर की जो रेट है, उसमें बहुत जल्दी मनमानी होने वाली है तो उसकी रेट में नियंत्रण के लिए भी यदि यहां से कोई आदेश हो जाए तो इन 2 विषयों का हमको तत्काल समाधान मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, साहू जी।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है। जो मुझे अनुभव हुआ है। गांव की ग्राम पंचायतों में अभी कुछ दिनों से छोटे-छोटे चेक डेम निर्माण की स्वीकृति होनी बंद हो गई है तो पंचायत के माध्यम से गांव के छोटे-छोटे नालों में चेक डेम भी स्थापित किये जाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि गरियाबंद जिले में लगभग 30-35 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहां अभी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहां दूसरे गांव से पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। चूंकि वह मशीन 500 फीट तक खोदने वाली मशीन है तो मेरा आपसे आग्रह है कि गरियाबंद जिला और राजिम में 1000 फीट का बोर खनन हो। आप अपने विभाग के माध्यम से इसके लिए मशीन की भी व्यवस्था करा दें ताकि वहां पर पेयजल की व्यवस्था की जा सके।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप संक्षेप में बोलिये। बहुत हो गया। अब सब रिपीट हो रहा है।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 महीने से बेमेतरा में पानी की समस्या है और वहां वाटर लेवल पूरा डाउन हो गया है। वहां एकमात्र नदी शिवनाथ नदी है। जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 90 प्रतिशत पानी आता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से वह नदी भी सूख गयी है तो मेरा आपसे निवेदन व आग्रह है कि यदि वहां पर मोंगरा बैराज से पानी पहुंच जाये तो उस समस्या का निदान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप 1 मिनट में बोलिये। यहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आप उनको फटाफट बता दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर के आसपास की जमीनें रेतीली हैं और जब मशीनों से बोर होता है तो वह फेल हो जाता है। कैलेक्स मशीन थोड़ा समय लेता है। उसके प्रावधान के तहत यदि वह बोर हो तो सफलता की भी उम्मीद रहती है। मेरा दूसरा विषय यह है कि जो चेक डेम बने हुए हैं, रेत चोरी के कारण उन सबके गेट तोड़ दिये जाते हैं और पानी बहा दिया जाता है जो जून तक बरसात आने तक रह सकता है। मेरा इस विषय में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री विनायक गोयल (चित्रकोट) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हराकड़ोरे, पीचीकड़ोरे, मारीकड़ोरे ऐसी पंचायतें हैं। वहां पानी की बहुत किल्लत है क्योंकि वहां आयरन वाला पानी निकलता है। वहां 500-1000 किलोमीटर जाने के बाद ही पानी मिलता है। यदि वहां पर पानी की व्यवस्था और नलकूलप की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये। बस, हो गया। बहुत हो गया। आप सब एक ही बात बोल रहे हैं।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोरी बंधान का यह सही समय है और निश्चित तौर पर कलेक्टरों को इसका निर्देश जाना चाहिए। दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तथा पूरे कोण्डागांव जिले में इस समय लो वोल्टेज इतनी भारी समस्या बन गई है कि लोग वहां पर लगातार धरना-आंदोलन कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से वहां के वोल्टेज को बढ़ा दिया जाये ताकि कम से कम वह मोटर चल सके और पेयजल की सुविधा हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं। श्री धर्मजीत सिंह जी ने यह विषय ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाया है। उसकी गंभीरता यह है कि एक-एक गांव इससे प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं अपने क्षेत्र में जाकर देख चुका हूं, आने वाले में समय भीषण जल संकट आ रहा है, बिलकुल सामने खड़ा है। इसके लिए सावधानी की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसीलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं उच्च स्तरीय बैठक करें और सभी जिलाधीश को निर्देशित करें कि वे अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने-अपने जिले में बैठकर इसकी कार्ययोजना के बारे में चर्चा करने के लिए उनको निर्देश दें। with in week हर जिले में बैठक हो जाये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप चाहूंगा कि ऐसी बैठक होनी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

(उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी द्वारा बोलने हेतु खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- बैठक के लिए मुख्यमंत्री जी बोलेंगे या आप (उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा) बोलेंगे ?

(मुख्यमंत्री जी द्वारा बोलने हेतु खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- मैं यह कह रहा था कि भीषण जल संकट है। इस ध्यानाकर्षण मेंर सभी सदस्यों ने करीब-करीब इसी बात को कहा है। तो इस जल संकट निपटने के लिए प्रदेश स्तर पर आपकी अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हो जाए और जिलाधीश को निर्देशित हो कि उनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ विधायक, सांसद के साथ, जिला पंचायत के जीते हुए अन्य लोगों के साथ, जनपद अध्यक्ष के साथ बैठकर सप्ताह भर के अंदर एक बैठक लेकर अपने-अपने क्षेत्र की कार्ययोजना बनायें। फिर उसमें मदद की जरूरत होगी तो आप करेंगे। मैं आपकी सहमति चाहता था कि यह निर्देश जारी हो जाये।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- जी। जी, आपके सुझाव से बिलकुल सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय :- निर्देश जारी कर देंगे ?

श्री विष्णु देव साय :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब आपका ध्यान आकर्षण हो गया। (मेजों की थपथपाहट) श्री ब्यास कश्यप जी

(2) जिला अस्पताल जांजगीर के प्रभारी सिविल सर्जन के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिला अस्पताल जांजगीर के कर्मचारी, नर्स एवं समस्त डाक्टर वहां पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन को हटाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। जिला अस्पताल जांजगीर के स्टॉफ एवं नर्सों सहित डाक्टरों ने जिला कलेक्टर एवं डायरेक्टर से उक्त प्रभारी सिविल सर्जन की मनमानी एवं दुर्व्यवहार की शिकायत की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि उक्त प्रभारी सिविल सर्जन के द्वारा अस्पताल के स्टॉफ एवं डाक्टरों की सी.आर. खराब करने की धमकी दी जाती है। एक नर्स ने अपमान करने, एक नर्स ने एरियर्स राशि निकालने पर रूपये की मांग करने, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर से रूपये की मांग करने, एक कर्मचारी की बी.डी.एम. अस्पताल में संलग्नीकरण करने, क्रय शाखा से बिना कलेक्टर की अनुमति की खरीदी की शिकायत की है। डॉक्टरों के द्वारा ओ.पी.डी. का बहिष्कार कर दिया गया है। इससे जिला अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। मरीज परेशान हैं। उक्त प्रभारी सिविल सर्जन की योग्यता पर भी डाक्टरों के द्वारा सवाल उठाया गया है कि उनकी योग्यता सिविल सर्जन पद के अनुरूप नहीं है। प्रभारी सिविल सर्जन को जिला अस्पताल जांजगीर से नहीं हटाने के कारण जिला

अस्पताल जांजगीर के स्टॉफ एवं नर्सों सहित डाक्टरों में शासन प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला अस्पताल जांजगीर में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल को हटाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला अस्पताल जांजगीर के स्टॉफ एवं नर्सों सहित डाक्टरों ने जिला कलेक्टर एवं डायरेक्टर से उक्त प्रभारी सिविल सर्जन की मनमानी एवं दुर्व्यवहार की शिकायत की है। उक्त शिकायतों के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा के आदेश दिनांक 05.03.2025 के तहत जांच दल गठित किया गया है। जांच समिति को जांच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। जांच समिति द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है।

मामले की गंभीरता एवं दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित खबरो एवं जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी तथा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के मध्य आपसी मतभेद की स्थिति को देखते हुए संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. के पत्र दिनांक 11.03.2025 के तहत विभागीय जांच टीम गठित की गई है। जांच टीम के द्वारा जांच कर शीघ्र तथ्यात्मक प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित करने के निर्देश हैं। उक्त निर्देश के परिपालन में जांच समिति द्वारा जांच हेतु दिनांक 12.03.2025 एवं दिनांक 17.03.2025 को जिला चिकित्सालय जांजगीर के दोनों पक्षों का कथन लिया गया। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् शासन द्वारा संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

समय :
12:51 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय मंत्री महोदय, वर्तमान में जिला अस्पताल जांजगीर में 100 बिस्तर का सेटअप है, जिसमें 153 पद स्वीकृत हैं और वहां लगभग 100 की संख्या में कर्मचारी जैसे डॉक्टर, नर्स एवं स्टॉफ व अन्य कार्यरत हैं। इस मानव संसाधनों से वर्तमान में वहां प्रतिदिन ओ.पी.डी. को देखेंगे तो लगभग 180 से लेकर 500 ओ.पी.डी. है, लेकिन वहां बिस्तर की व्यवस्था जा रही है। वर्ष 2024 से प्रस्तुत सी.ए.जी. की रिपोर्ट में जिला अस्पताल में मानव संसाधनों की कमी का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पताल में 5 स्पेशियलिस्ट, 38 स्टॉफ नर्स, 17 पैरा मेडिकल स्टॉफ, 19 मेडिकल अफसर उपलब्ध थे, जबकि वर्तमान बिस्तर संख्या 200 बिस्तर के अनुसार मात्र 42 स्पेशियलिस्ट, 224 स्टॉफ नर्स, 80 पैरामेडिकल स्टॉफ एवं 24 मेडिकल अफसरों का सेटअप होना चाहिए। यहां नवंबर, 2024 में नवपदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल, जिनकी नियुक्ति

वरीयता सूची के विरूद्ध की गई है। यह मात्र एम.बी.बी.एस. पास आऊट हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में एम.बी.बी.एस. किया है। इनकी प्रशासनिक परिपक्वता, वित्तीय प्रबंध की गड़बड़ियां, कमीशनखोरी के लिए किए गए खर्च, महिलाओं से दुर्व्यवहार, वहां के स्टॉफ नर्सों से ..।

सभापति महोद :- ब्यास जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत करा रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप अवगत मत कराईये, आप प्रश्न पूछकर अवगत होइये।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं वहां की वर्तमान स्थिति बता रहा हूं। उनका जो उत्तर आया है, उसी के जवाब में जो वर्तमान स्थिति है ..।

सभापति महोदय :- मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो प्रश्न पूछना है, वह पूछ लीजिये, लेकिन आप पढ़िये मत।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी तरफ से थोड़ा सा प्रश्न पूछ रहा हूं?

सभापति महोदय :- सर, वह एक बार प्रश्न पूछ लें, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, माननीय नेता जी को अनुमति है क्योंकि वह भी हमारे जिले के माननीय विधायक हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, पहले आप ही प्रश्न पूछ लीजिये, फिर मैं पूछूंगा।

सभापति महोदय :- आप पहले प्रश्न पूछ लीजिये, उसके बाद नेता जी भी प्रश्न पूछ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, प्रश्न यह उठता है कि वहां पर 180 व 190 मरीज भर्ती हो रहे हैं, लेकिव वह 100 बिस्तर अस्पताल है। वहां डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है एवं अन्य स्टॉफ की कमी है, उसके बावजूद भी वह दिन-रात मेहनत करके वहां पर काम करते हैं, परंतु प्रभारी सिविल सर्जन के द्वारा धौंस दिखाना, कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करना, नर्सों से, स्टॉफ के कर्मचारियों से तथा डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करना, जो कि सिविल आचार संहिता के अंतर्गत उनसे कहीं अधिक लोग हैं।

सभापति महोदय :- आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह आप पूछिये न।

श्री ब्यास कश्यप :- प्रश्न एक ही है कि क्या इस व्यवस्था को, जो हड़ताल की बात कही गई है, दिनांक 05 तारीख को इसकी सूचना ..।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, सुनिये न, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। आप सीधा-सीधा प्रश्न पूछ लीजिये कि आप क्या चाहते हैं, मैं मंत्री जी से उसका जवाब देने के लिए बोलूंगा।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, एक लाईन की बात है। जब 05 तारीख को हड़ताल की सूचना हो गई और जब जिला कलेक्टर से आवेदन करने के बाद वहां जांच हो गई, प्रदेश के अफसरों के द्वारा भी वहां जाकर जांच की कार्यवाही हो गई, उनकी आपस में बातचीत हो गई और इस मामले को विगत 15 दिन से अधिक दिन हो गये, परंतु कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है? एक कारण ही बताया जाता है, जिसको मैं सदन में नहीं कहना चाहता हूं। इसका अच्छे से जवाब आ जाये, उसके बाद मैं आगे पूछूंगा।

सभापति महोदय :- एक मिनट। आप पहले मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिये। माननीय मंत्री जी, जवाब दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, जांजगीर का यह जो जिला अस्पताल है, इसमें जिस प्रकार का माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण लाया है, उसका स्वागत है। वैसे उसकी आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने इस मामले को खुद ही ध्यान में लिया है। जिस दिन से घटना हुई है, यह घटना 05 मार्च की है। दिनांक 05 मार्च को जो तत्कालीन सिविल सर्जन है, उसने दो डॉक्टरों के खिलाफ संचालनालय में शिकायत लिखा कि यह डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं और बार-बार बोलने के बाद भी वह अपने वरिष्ठता का धौंस दिखाकर काम नहीं करते हैं, इसके बाद वहीं से मामला बना है। पूरे डॉक्टर्स और नर्स जिनको पूरा नहीं कहना चाहिए, अधिकांश लोग पूरे रैली बनाकर धरना, प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुये कलेक्टर के यहां शिकायत किये । कलेक्टर ने इसकी जानकारी संचालयनालय को भी दिया और जांच दल गठित करने का निर्णय लिया । इसके बाद पुन: यह मामला संचालनालय स्तर पर आने के बाद बीच में डॉक्टरों ने सायकल स्टैण्ड पर ओ.पी.डी. भी लगाये, जिससे सरकार की छवि भी धूमिल हुई । ऐसा लगा कि यह मामला गंभीर है, हमारे कमिश्नर हेल्थ और सचिव महोदय सहित मैंने स्वयं ने इसे संज्ञान में लिया और 11 मार्च को जांच दल का गठन कर दिया तथा 12 मार्च को हमारे राज्य स्तर की जांच दल के टीम ने वहां जाकर बयान लिया । सभापति महोदय, चूंकि सामने होली था तो पूरा बयान न होने से पुन: 17 मार्च को वहां टीम गई है तथा 17 मार्च को टीम बयान लेकर वापस आई है, उस पर सचिव के माध्यम से जल्द ही रिपोर्ट आयेगी और जो भी उसमें गड़बड़ी होगा, ऐसा लगता है कि इसमें किसी प्रकार से पक्षपात किया जा रहा है या कोई टार्चर किया जा रहा है तो दोनों पक्ष का इसमें बयान लिया गया है, जो भी होगा इसमें सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी, इसके साथ ही और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं ।

सभापति महोदय :- ठीक । एक प्रश्न और पूछ लीजिए ? वह पूरी बात बताये हैं ना कि ऐसी शिकायत आई है, जांच के दौरान होली आ गया, फिर जांच टीम गई है, रिपोर्ट आई नहीं है, आपको और कुछ पूछना है तो बता दीजिए ?

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं कुछ पूछने वाला नहीं हूँ, सब बात से माननीय मंत्री जी अवगत है । मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे आग्रह भी किया था, मैंने किसी के लिये कार्यवाही की बात नहीं की थी कि आप कार्यवाही करें, कम से कम व्यवस्था को सुधार दीजिए । वह हड़ताल पर जाने वाले हैं, देखिये मैं लगातार जब से...।

सभापति महोदय :- मैं मंत्री जी से आपकी बात पूछ लेता हूँ ना ? यह पूछ रहे हैं कि व्यवस्था को आप सुधार दीजिए । इनको कार्यवाही में बहुत इंट्रेस्ट नहीं है, वहां जो लड़ाई-झगड़ा और अव्यवस्था है, क्या उसको सुधारेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था सुधारने के चलते ही हुआ था, अब यह घटना इसलिये हुआ है कि जो वहां सी.एस. है, वह व्यवस्थाओं को सुधारना चाहता है । मैं कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ, यह आंकड़ें हैं । हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय महंत जी भी प्रश्न पूछने वाले हैं, मैं भी चाहता हूँ कि उनके प्रश्नों का जवाब दूँ । माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर अभी तीन महीने आये हुये हैं और वहां ओ.पी.डी. 500 तक पहुंच गया है, लगभग 450-500 तक पहुंच चुका है । वहां जो बेड संख्या रेफरल होते थे, उसमें पहले औसतन 15 प्रतिशत होते थे, उसे 8.5 प्रतिशत में लाया गया है । सभापति महोदय, इसी प्रकार से जो पोस्टमार्टम होता था, इसमें बार-बार शिकायतें आती थी कि वहां परिजन प्लास्टिक लेकर जाते हैं, साबुन लेकर जाते हैं, वहां उनको पैसा देना पड़ता है, उसको जीवनदीप से फ्री किया गया । माननीय सभापति महोदय, जांजगीर चांपा में सिकलसेल बहुत ही आगे बढ़ रहा है, सरकार उसके रोकथाम का प्रयास कर रही है, उसके लिये उन्होंने एक सेप्रेट यूनिट स्थापित किया है । वहां स्क्रीनिंग का कार्य आरंभ हुआ और दवाईयां भी दी जा रही है । वहां लैब की जांच सुविधा को 24 घण्टे किया गया है और अप्रत्याशित रूप से जांच नवम्बर माह तक 63,786 लगभग कुल था, वह 76,000 तक पहुंच गया है । सभापति महोदय, इसी प्रकार से सी.टी.टी. ऑपरेशन है, जिसकी सुविधा सप्ताह में 2 दिन तक थी, इसे कंटिन्यू करके जो 205 तक ऑपरेशन होता था, उसे 249 किया गया । वहां डायलिसिस की 6 मशीनें थी, हेपेटाइटिस (बी) और (सी) की जो मशीनें थी, वह भी नहीं थे, उसको दो महीने में को-आर्डिनेट करके 8 तक किया । माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से उन्होंने जो सीनियर नर्सेस थे, जहां लोड कम था, वहां ड्यूटी लगा था, उनको उठाकर लेबर रूम में कर दिया । डॉक्टर लोग जो मनमानी करते थे, जो एक टाईम आते थे, दोनों टाईम आने के लिये बाध्य किया । माननीय सभापति महोदय, मुझे शायद यह नहीं कहना चाहिये, यह मेरा विभाग है, मैं इसे सदन के सामने कह रहा हूँ कि मेरे पास सूची है, अधिकांश डॉक्टर प्रायवेट क्लिनिक भी चलाते थे और पैसे भी लेते थे । उसका दोष सिर्फ इतना ही है कि उसने व्यवस्थाओं को सुधारना चाहा और सारे लोग लामबंद होकर सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है ।

सभापति महोदय :- ठीक है, अब हो गया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, थोड़ा समय दीजिए ।

समय :-

1:00 बजे

सभापति महोदय :- नेता जी पूछ रहे हैं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नेता जी जो पूछने वाले हैं, मैं उसका जवाब पहले दे देता हूं ।

सभापति महोदय :- मत दीजिए न । मैं आपको मौका दूंगा न ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, जिस प्रकार से मंत्री महोदय यह आरोप लगा रहे हैं कि वहां की नर्स, वहां के स्टाफ के अन्य कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। जब 10 दिनों में डॉक्टर की 5066 ओपीडी हो रही है तो क्या यह ओपीडी सिविल सर्जन महोदय देख रहे हैं या डॉक्टर देख रहे हैं ? वहां पर पर्याप्त काम हो रहा है । मैंने अवगत कराया कि 100 बेड के हिसाब से वहां 47 स्टाफ की आज भी कमी है । 190 से अधिक लोग वहां पर बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, काम अधिक पर कर रहे हैं, पर अगर किसी एक व्यक्ति से नाराजगी रहती तो समझ में आता है । एक व्यक्ति से स्टाफ परेशान हैं। मंत्री जी सिविल सर्जन को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ?

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिए कि आप क्या चाहते हैं ? यह तो आपको ही पूछना पड़ेगा न ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि अगर आपको व्यवस्था खराब करनी हो तो आप जिला चिकित्सालय, जांजगीर का पूरा स्टाफ हटा दीजिए या जितने लोग लामबंद होकर प्रदेश के वरिष्ठ लोग भी कूद गए हैं । या तो डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी हटा दीजिए या सिविल सर्जन को हटा दीजिए, जिनकी लंबी शिकायत है, उनके खिलाफ आर्थिक अनियमितता की भी शिकायत है, उनको हटा दीजिए ।

सभापति महोदय :- आपका प्रश्न आ गया, अब मुझे उत्तर लेने दीजिए न। मंत्री जी, आप बताईए । माननीय विधायक जी बोल रहे हैं कि या तो आप 145 स्टाफ को हटा दीजिए या सिविल सर्जन को हटा दीजिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, अगर अच्छा काम हो रहा है, माननीय सदस्य यह भी मान रहे हैं कि पहले से व्यवस्थाएं सुधरी हैं, पहले से ओ.पी.डी. बढ़ा है, रेफरल कम हुआ है । अगर व्यवस्थाएं बढ़ी हैं तो किसी के हड़ताल करने से या कर्मचारियों के बोलने से हम व्यवस्थाओं को नहीं बदलने वाले हैं और जॉच टीम गठित की गई है । जिसकी गलती होगी, उसके खिलाफ कारवाई भी करेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय नेता जी । (श्री ब्यास कश्यप के खड़े होने पर) नेता जी पूछ रहे हैं न ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, नेता जी पूछ रहे हैं, वह ठीक है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी बता दूं । वहां उनकी लगातार मनमानी चल रही है, जिन्होंने कहा है कि 15 प्रतिशत तक, आप देखिएगा कि वहां गंभीर मरीजों को रेफल नहीं ले रहे हैं । वहां पर 5 महीने में 161 मरीजों ने दम तोड़ा है । आप दबावपूर्वक कर्मचारियों से काम कराना चाहते हैं क्या ? यह गंभीर विषय है ।

सभापति महोदय :- आपके ध्यानाकर्षण में आपने जो भी पूछा है ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, एक व्यक्ति को बचाने के लिए वहां का सिविल सर्जन बोलता है कि कलेक्टर मेरा मित्र है, स्वास्थ्य मंत्री मेरा रिश्तेदार है । ऐसा करके दबाव डाला जाता है ।

सभापति महोदय :- आपके ध्यानाकर्षण में सारी बातें आ गई हैं ।

श्री ब्यास कश्यप :- सरकार की ओर से यह बात नहीं आ पाती कि एक को बचाने के लिए सब लोगों के खिलाफ दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करने की बात मंत्री महोदय कर रहे हैं, यह उचित बात नहीं है ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न । मंत्री जी, आप बैठिए न । महंत जी पूछेंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं इसका जवाब देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- दे दीजिए, आप जवाब दे रहे हैं तो मुझे क्या आपत्ति है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, जहां तक उसको स्वास्थ्य मंत्री के रिश्तेदार वाली बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां कोई रिश्तों की सरकार नहीं चलती । आपने जो कहा, उसमें मैं बता रहा हूं । वहां मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े पदों में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके परिवार के लोग वहां पर नौकरी करते हैं और अव्यवस्थाओं को फैलाने का काम वही कर रहे हैं, लेकिन मैं इस सदन से आपको आश्वस्त करता हूं कि हम बिना राग द्वेष के जो भी गड़बड़ी होगी, अगर सिविल सर्जन की गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई करेंगे । नहीं तो जिन्होंने हड़ताल की है, उन्होंने सिविल सेवा आचरण अधिनियम, 1965 की धारा 3 का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और मैं इसकी विस्तृत जांच करा रहा हूं और यहां से डायरेक्टर, हैल्थ और सचिव को निर्देश देता हूं कि इसकी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करें और 7 दिन के अंदर जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं, शासन की छवि धूमिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाये, यह ऐलान करता हूं ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कर रहा हूं ।

सभापति महोदय :- अब आपका प्रश्न हो गया । आप पॉच बार पूछ चुके हैं ।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात को विश्राम दूंगा ।

सभापति महोदय :- अब महंत जी पूछेंगे, आप बैठिए । आपकी सब बातों का जवाब मंत्री जी ने दे दिया । अब इससे ज्यादा स्पष्ट जवाब क्या लोगे ?

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, शासन उनका है, वे जो कराना चाहते हैं, वे करें । भविष्य में वहां पर अव्यवस्था फैलेगी, उसके लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय मंत्री

महोदय की रहेगी । अगर पूरे कर्मचारी छोड़कर जाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी माननीय मंत्री महोदय की रहेगी । कार्रवाई करे, यह उचित बात है । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- आप ऐसा मत करिए, आपका यह व्यवहार एकदम उचित नहीं है । आप बैठिए । आपके हर प्रश्न का जवाब उन्होंने दे दिया । अगर आप लगातार पूछेंगे ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैंने धन्यवाद भी दिया। मंत्री जी दुर्भावनापूर्वक जवाब दे रहे हैं । उनको बचाने के लिए जवाब दे रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न । सदन में जो परम्परा है..

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, वे वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं इसलिए ऐसा जवाब आ रहा है ।

सभापति महोदय :- अब बहस करेंगे तो मैं बहस नहीं कर सकता, मैं आपको बोल रहा हूं कि सदन में एक व्यवस्था है, उसी के तहत प्रश्न और उत्तर होते हैं । आपको पूरा अवसर दिया गया, मंत्री जी को बोला गया, उन्होंने जवाब दिया । अब माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गए हैं, तब भी आप नहीं बैठ रहे हैं तो मैं क्या करूं ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरण दास महंत) :- माननीय सभापति जी, आप देख रहे हैं कि माननीय विधायक की बहुत आक्रोशित हैं, बहुत दुखी हैं और यह भी हो सकता है कि जाने के बाद उनको अपने क्षेत्र में कुछ तड़ी भी पड़ जाए । माननीय मंत्री जी प्रभारी सिविल सर्जन का गुणगान कर रहे हैं, जैसा कि मैं सुन रहा हूं । लोग यह भी कह रहे हैं, आप मत मानिए, मगर जो जात-समाज का आदमी हमारे क्षेत्रों में काम करता है, वह हमारा रिश्तेदार बन ही जाता है । वह भी आपका रिश्तेदार बन चुका है, इसलिए स्वाभाविक है कलेक्टर, एस.पी. सब लोग डरते होंगे। चांपा और जांजगीर में ज्यादा दूरी नहीं है, मात्र 6 किलोमीटर का अंतर है, वह भी इनका क्षेत्र है और समझ लीजिए कि मेरा भी क्षेत्र आता है, तो अगर इतना आक्रोश उस व्यक्ति के खिलाफ है, तो उसे 6 किलोमीटर दूरी पर पदस्थ कर दीजिए, ताकि आप भी बदनामी से बच जाएं और इनकी भी इज्ज़त बच जाए। ये काम भी तो अपने को ही करना पड़ेगा, इसलिए आप इतनी जांच आदि करा रहे हैं, काहे को पैसे बर्बाद कर रहे हैं। 06 किलोमीटर की दूरी है, उनको चांपा में कर दो, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बदनामी आपकी भी हो रही है और माननीय मंत्री जी की भी हो रही है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय महंत जी ने 6 किलोमीटर की बात कही है, जिला चिकित्सालय के स्टाफ के 18 कर्मचारियों को वहां से हटा दिया गया जबकि वह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उसके बावजूद भी हटा दिया गया।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, आप बैठिए। नेता जी के प्रश्न के बाद आप उत्तर नहीं आने दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत है ना। नेता जी का क्वेश्चन है, नेता जी के बाद नहीं बोलना चाहिए। आप बैठो ना।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें आपसे थोड़ा समय चाहूंगा।

सभापति महोदय :- आप बोलिए ना।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ही बताया हूं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद या रिश्तेदारी या ऐसी चीज़ों का प्रभाव नहीं होता है। मैं नेता जी से सहमत हूं कि अगर कहीं पर सरनेम का लेबल लगा है, तो कहीं न कहीं वह बात आती है। माननीय नेता जी, मैंने सर्च किया कि आप 1980 में विधायक थे, बाबूजी के बाद आपने उस क्षेत्र का नेतृत्व संभाला और 14 अक्टूबर, 1980 को तत्कालीन मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह जी ने उस समय आपके स्वर्गीय पिताजी बिसाहू दास महंत जी के नाम से वहां एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, चालू किया। हॉस्पिटल अच्छा भी चला, लेकिन आप पिछले समय भी स्पीकर थे, आपके क्षेत्र से लगा है, मुझे लगता है कि आप जाकर देखे होंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि जाकर नहीं देखे हैं, परंतु मैंने जो सर्च किया, मैं तो 24 में से 16 घंटे पूरे प्रदेश की चिन्ता करता हूं कि कहां पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मेरे पास मुखाग्र बस्तर से लेकर बलरामपुर तक के हॉस्पिटलों की जानकारी रहती है। जो स्व.बिसाहू दास महंत मेमोरियल शासकीय बी.डी.एस. हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति एकदम जर्ज़र होने लगी थी और शायद नेता जी को यह जानकर खुशी होगी कि उसी सी.एस. ने संज्ञान लिया और तीन महीने में क्या-क्या किया। मैं उसका कोई गुणगान नहीं कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि वह अच्छा वर्क कर रहा है। हटाने में एक मिनट लगेगा। सी.एस. को हटाने में कितना समय लगता है लेकिन आज अगर हटा दिए, तो कल को कोई भी ईमानदार अफसर, अच्छी मेहनत करने वाला व्यक्ति काम नहीं करेगा और ऐसे दबाव में आकर व्यवस्थाओं को ध्वस्त करेगा। मेरा कोई कुछ नहीं है, उस अच्छे काम करने वाले को तो हम कहीं भी ले जाकर सेट कर सकते हैं। जांजगीर-चांपा में क्या ऐसा रखा है, वह तो सरगुजा का रहने वाला है, उसे तो व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए भेजा था। इसके बाद भी नेता जी बोलेंगे, तो उनका बड़ा सम्मान है। थोड़ा सा सुन लीजिए कि स्व. बिसाहू दास शासकीय बी.डी.एस. हॉस्पिटल में नवंबर तक, जब वह आया था तो ओ.पी.डी. 2752 प्रति माह थी और अभी 4083 प्रति माह तक पहुंच गई है। इसी प्रकार से जो प्रसव होता था, वह 17 होता था और अब बढ़कर उसके दोगुना हो गया है। जो सी.टी.टी. ऑपरेशन वहां नहीं हो रहा था, अब वहां 100 तक होने लगा है। इसी प्रकार से वहां सोनोग्राफी नहीं हो रही थी, उसने हफ्ते में तीन दिन सोनोग्राफी की व्यवस्था की और आप लोग जनप्रतिनिधियों की मांग पर उसने वहां पर डीप फ्रिज़र रखने की व्यवस्था की। इसके अलावा वहां एम्बुलेंस नहीं थी, तो एक एम्बुलेंस की

व्यवस्था हॉस्पिटल की जीवन दीप समिति से की। इसी प्रकार से उस हॉस्पिटल के कई रिनोवेशन भी उसने भेजा था, हमने स्वीकृत भी किया। बाथरूम, टॉयलेट, साफ सफाई सारी चीज़ किया।

मानननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा और उदाहरण दे दूंगा तो ये मामला शायद सदन को समझ में आ जाएगा। एक हैं- डॉ.विष्णु पैगवार, इनका संजीवनी दंत हॉस्पिटल जांजगीर में चलता है। इसके अलावा डॉ.लोकेन्द्र कश्यप, इनका संजीवनी हार्ट केयर जांजगीर में चलता है। डॉ. एस.के.राठौर, इनका एस.जे.लैब जांजगीर में चलता है। डॉ. नितिन जुनेजा जो कि आर्थोपेडिक्स हैं, इनका जुनेजा क्लीनिक बिलासपुर में है। डॉ. हरीश पटेल, इनका किलकारी चाईल्ड हॉस्पिटल जांजगीर में है। अब इनको खुद की प्रेक्टिश करने के लिए टाईम नहीं मिलता, ड्यूटी करते थे, उसे ड्यूटी में लगाया है, तो वह इतना बड़ा मामला। मैं इसकी ओर से नही, उनकी ओर से भी दुखी हूं। ये हड़ताल किए, साईकिल स्टैंड में ओ.पी.डी. किए और ये स्थिति आ गई कि माननीय सदस्य को ध्यानाकर्षण लगाना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर से आश्वस्त कर रहा हूं कि हम जांच करायेंगे और जांच में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और एक हप्ते के अंदर करके रिपोर्ट लेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने तो यह कहा चूंकि जैसा वह खुद ही बता रहे हैं कि मेरे पिताजी के नाम से अस्पताल है, वहां पहले पदस्थ था उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पास में ही है। उसे वहीं पर रहने देते। आप क्यों लड़ाई-झगड़ा करवा रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं। यह सरगुजा से आया। अभी उसको भी कर रहे हैं, उसके अण्डर में वह भी आता है। उसी का ही विंग है।

सभापति महोदय :- आदरणीय नेता जी ने जो बोला, आपने वह सुना लिया। आप जांच-वांच कराकर देख लीजिए, जो निर्णय लेना है, आप निर्णय लेकर बता दीजिएगा।

समय
1.10 बजे

सभापति महोदय :- कार्यसूची के पद 3 के उप पद 3 से 75 तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जाएंगे। सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा। आज बहुत काम है और इसे बहुत जल्दी निपटाना है।

3. श्री प्रबोध मिंज
4. श्रीमती कविता प्राण लहरे
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री अटल श्रीवास्तव
7. श्री लखेश्वर बघेल
8. श्री इन्द्र साव

9. श्री इन्द्र साव
10. श्रीमती अंबिका मरकाम
11. श्रीमती गोमती साय
12. श्रीमती अंबिका मरकाम
13. श्री कुंवर सिंह निषाद
14. श्री बालेश्वर साहू
15. श्री द्वारिकाधीश यादव
16. श्री लालजीत सिंह राठिया
17. श्री सुशान्त शुक्ला
18. श्री दलेश्वर साहू
19. श्री भोलाराम साहू
20. श्रीमती चातुरी नंद
21. श्री दलेश्वर साहू
22. श्री द्वारिकाधीश यादव
23. श्री बालेश्वर साहू
24. श्री भूपेश बघेल
25. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
26. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
27. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
28. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
29. श्री ओंकार साहू
30. श्री इन्द्र साव
31. श्रीमती कविता प्राण लहरे
32. श्री गजेन्द्र यादव
33. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
34. श्रीमती शेषराज हरवंश
35. श्रीमती अंबिका मरकाम
36. डॉ. चरणदास महंत
37. डॉ. चरणदास महंत

अप्रकाशन के लिये नहीं

38. श्री अजय चन्द्राकर
39. डॉ. संपत अग्रवाल
40. श्री अनुज शर्मा
41. डॉ. चरणदास महंत
42. श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती शेषराज हरवंश
43. श्री रामकुमार यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री विक्रम मंडावी
44. श्रीमती चातुरी नंद,
45. श्रीमती अंबिका मरकाम
46. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
47. श्री दलेश्वर साहू
48. श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते
49. श्री विक्रम मंडावी
50. श्री दलेश्वर साहू
51. सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, लालजीत सिंह राठिया
52. श्री सुशान्त शुक्ला
53. श्री रामकुमार यादव,
54. श्रीमती चातुरी नंद
55. श्री मोतीलाल साहू
56. श्री लखेश्वर बघेल
57. श्री लखेश्वर बघेल
58. श्रीमती चातुरी नंद
59. श्री दिलीप लहरिया
60. डॉ. चरणदास महंत
61. श्रीमती शेषराज हरवंश
62. श्री सुशान्त शुक्ला
63. श्री विक्रम मंडावी
64. श्री अजय चन्द्राकर
65. श्री सुशान्त शुक्ला
66. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

67. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
68. श्री बालेश्वर साहू
69. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
70. श्री धरमलाल कौशिक
71. श्रीमती भावना बोहरा
72. श्रीमती अंबिका मरकाम
73. श्री पुन्नूलाल मोहले
74. श्री राघवेन्द्र कुमार सिं
75. डॉ. चरणदास महंत

समय
1.11 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 21 मार्च को मैंने सदन में 18 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं
सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे।

1. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
2. श्री कुंवर सिंह निषाद (2 सूचनाएं)
3. श्री संदीप साहू
4. श्री रामकुमार यादव
5. श्री बालेश्वर साहू
6. श्री ओंकार साहू
7. श्री ब्यास कश्यप (2 सूचनाएं)
8. श्रीमती चातुरी नंद (2 सूचनाएं)
9. श्री देवेन्द्र यादव
10. श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते (2 सूचनाएं)
11. श्री विक्रम मंडावी
12. श्री दलेश्वर साहू
13. श्रीमती शेषराज हरवंश
14. श्री जनक ध्रुव

समय
1.12 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

सभापति महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर-

1. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025)
2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025)

की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण की अनुमति प्रदान की है।

मैं, समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025)

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) का पुर: स्थापन करता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) का पुर: स्थापन करता हूँ।

सभापति महोदय :- शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

1.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025)	45 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025)	15 मिनट

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(3) छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अमर अग्रवाल जी।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक इस सदन में लाया। इस देश की आजादी के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि 25 जून 1975 के दिन को यह देश कभी भुला नहीं पायेगा। वास्तव में आजाद भारत का सबसे लोकतंत्र के लिये काला दिन अगर कोई रहा है तो वह 25 जून 1975 रहा है। 25 जून 1975 को इस देश में एक व्यक्ति का पद बचाने के लिए, एक पार्टी के नेता ने, देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का गला घोटकर लाखों बेकसूर लोगों को जेल में भेज दिया गया। सभापति महोदय, पूरा देश इस बात को जानता है कि इस देश में

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपातकाल क्यों आया? इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश जगमोहन जी ने... ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। जिस बात की चर्चा यहां शुरू हो चुकी है और जिस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 यहां प्रस्तुत किया है, क्या इस सदन को अधिकार है कि इस संदर्भ में यहां कानून बन सके, चर्चा हो सके? जहां तक मेरे पास जानकारी है कि उसका अधिकार राज्य की सूची में शामिल ही नहीं है। आप राज्य की सूची में देख लें- लोक व्यवस्था किन्तु इसके अंतर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिये, नौसेना, सेना, वायुसेना, संघ, किसी अन्य सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल या उसकी किसी टुकड़ी के या यूनिट नहीं है, सूची एक में शामिल है। पुलिस अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस, उसके बाद उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र में जो विषय हैं, उसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची क्रमांक 2 में दिया गया है तथा क्रमांक 3 में समवर्ती सूची है। इन दोनों सूचियों में ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर यहां विधेयक पर विचार हो सके और यहां पर चर्चा हो सके इसलिये माननीय सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको स्थगित करें और मेरे प्रश्न पर या मेरी आपत्ति पर आपको पूरा भरोसा हो जाये, निर्णय हो जाये उसके बाद इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया जाये ।

सभापति महोदय :- विधेयक तो प्रस्तुत हो गया है ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, यहां बहुत बड़े विद्वान कानून मंत्री जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं । मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जो आपके-हमारे इस विधानसभा के अंदर जिसका नियम बनाना, कानून बनाना संभव ही नहीं हो क्या उस पर यहां चर्चा करने का कोई औचित्य है ? आप पता कर लें तब तक के लिये स्थगित करके आप दूसरा विधेयक ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इस पर स्थगित रखें ।

सभापति महोदय :- नहीं, मैं आसंदी की तरफ से कुछ निर्णय देता हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता जी यहां पर जिस बात की आपत्ति कर रहे हैं । जब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यह उस समय लाया गया था और लोकतंत्र सैनानियों के सम्मान में जो राशि भी उस समय देना प्रारंभ किये थे और प्रारंभ करने के बाद यह लगातार चल रहा था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद जिस दिन कांग्रेस की सरकार आयी और उनके आने के बाद उन्होंने इसको देना बंद किया और बंद करने के बाद हाईकोर्ट भी गये और हाईकोर्ट ने उसको बहाल किया, बहाल करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गये और ये नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र सैनानियों का सम्मान हो, उनको जो दी जा रही राशि है वह राशि उनको मिल सके, यह बिल्कुल नहीं चाह रहे थे । आज वे केवल इसीलिये इस बात की आपत्ति उठा रहे हैं कि इनकी

सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी, हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय नहीं दिया, लोकतंत्र सैनानियों के पक्ष में निर्णय दिया । (मेजों की थपथपाहट) और इन्होंने उनकी जो राशि बंद की थी, उस राशि को बहाल किया गया और बहाल करने के बाद आज उस राशि के और उस सम्मान के, चूंकि मुख्य रूप से उनके सम्मान का विषय है । ये लोकतंत्र सैनानियों को लोकतंत्र सैनानी मानते ही नहीं हैं । आपातकाल में जिस प्रकार से उनके ऊपर में सरकार के द्वारा उस समय डिक्टेटरशिप लागू किया गया और लागू करके उनको जेलों में बंद किया गया और इसके कारण यह सरकार आने के बाद बदले की भावना से उसको बंद किया गया । हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद में पुन: वह लागू हो गया है इसलिये मैं समझता हूं कि उसको अस्वीकार किया जाये और अस्वीकार करने के बाद में चर्चा प्रारंभ की जाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता जी ने कुछ सूचियों का उल्लेख किया है और CONSITUTION में जो समवर्ती सूची है जो राज्य और केंद्र दोनों के विषय हो सकते हैं । चूंकि यह संशोधन विधेयक नहीं है, मूल विधेयक है । समवर्ती सूची के जो विषय हैं उसमें आप 20 नंबर को देखियेगा । 20 नंबर में आर्थिक और सामाजिक योजना । स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम दें या किसी विषय के नाम दें, यह सामाजिक क्षेत्र को स्पर्श करता है और सामाजिक क्षेत्र का विषय यदि समवर्ती सूची में है तो समवर्ती सूची में राज्य भी उसमें लेजिसलेट कर सकती है और उसी के तहत यह लेजिसलेशन हो रहा है इसलिये मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें आपत्ति लेनी चाहिए । आप बहुत सीनियर पॉलिटिशयन हैं, यह समवर्ती सूची के उसमें है कि आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रों में हम कानून बना सकते हैं, उसको अधिनियमित कर सकते हैं ।

सभापति महोदय :- कोई भी विधेयक लाये जाने से पहले...।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- मैं आपकी व्यवस्था दे रहा था । कुछ बोलना है तो बोल लीजिये ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मैं व्यवस्था के पहले बताना चाह रहा हूं कि माननीय कौशिक जी ने जिस बात को यहां छेड़ा है, हमें उनका सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यदि आपत्ति नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो नियम बनाये गये और उस पर चल रहे थे तो उसको आप बंद नहीं करते और बंद करने का प्रमुख कारण ही नहीं है ।

डॉ. चरणदास महंत :- देखिए, हम तो अभी यह कह रहे हैं कि यहां जो आप कानून-नियम बना रहे हैं, यहां के योग्य नहीं है । आप जहां से बनता है, उसको बनवा लीजिये, उसका सम्मान करिये । उनको सोने का मुकुट पहनाईये, चांदी का पहनाईये । हम थोड़ी न आपत्ति कर रहे हैं । हम तो जिस बात पर यहां हो सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, मैं आपके लिए अति सम्मान के साथ बोल रहा हूं। ऐसा कोई कानून नहीं बन रहा है जो असंवैधानिक हो। आप राज्य सभा को छोड़कर लगभग सभी सदनों में रहे हैं। मैं राजनीतिक कारणों का हवाला नहीं दे रहा कि इनकी भावना क्या है? आपकी भावना क्या है? विरोध के कारण क्या हैं? मैंने तो आपको विशुद्ध रूप से संवैधानिक चीजें बताईं कि समवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं कि आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में हम legislation कर सकते हैं और उसके तहत् यह legislation हो रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- किसी का सम्मान करना, यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र कैसे बनता है?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्यों सामाजिक क्षेत्र नहीं?

डॉ. चरणदास महंत :- हम दोनों आपस में बहस न करें।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- सामाजिक क्षेत्र के विषय नहीं आएंगे तो कौन से क्षेत्र के विषय आयेंगे?

सभापति महोदय :- एक-एक कर बोलिए। बोल लीजिए साहब।

डॉ. चरणदास महंत :- आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में जैसे कि माननीय चंद्राकर जी कह रहे हैं, ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों का नहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्यों सामानिक क्षेत्र में नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने के लिए आपके समय आपके पक्ष में जो जेल गए थे या आपके पक्ष में जिन्होंने हड़ताल किया था, जो आपके पक्ष में खड़े रहे, उस व्यक्ति को आप व्यक्तिगत सम्मान पहुंचाना चाहते हैं, न कि सामाजिक और आर्थिक सम्मान करना चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये तो आज जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी खड़े होकर बोल रहे हैं, वे उन्हीं के कारण बोल रहे हैं, जिनके लिए हम कानून बना रहे हैं, नहीं तो यह स्थिति नहीं बनती। आप बोलने के लायक नहीं रखते। लोकतंत्र इस देश में रहता या नहीं रहता, उसका ठिकाना नहीं था। कब खुलता तो इन लोगों के सम्मान के लिए जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की और यह सामाजिक क्षेत्र में नहीं आएगा तो कौन से क्षेत्र में आएगा? आप यह मुझे बता दीजिए। आप भी constitution की इस किताब को रख लीजिए।

सभापति महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं, सुन लीजिए न।

डॉ. चरणदास महंत :- व्यवस्था देने से पहले मैं इनसे और बात करना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, संविधान की समवर्ती सूची 20 में सामाजिक एवं आर्थिक योजना के प्रावधान हैं और यह विषय लोकतंत्र सेनानी के सम्मान देने के विषय में है और

मध्य प्रदेश में पहले से इस पर बिल है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में बिल पास हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- अब मैं एक व्यवस्था दे रहा हूं, सुन लीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- सर, सुन लीजिए न।

सभापति महोदय :- जी।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं आपको व्यवस्था देने से नहीं रोकूंगा। यह मूल बात है, जो इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय जो निर्देश हुए थे, संविधान की कुछ धाराओं को राष्ट्रपति जी ने प्रतिबंधित कर दिया था, उसके बाद जो लोग आपके पक्ष में आपके साथ रहे, उनको आप कुछ देना चाहते हैं, इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मगर..।

श्री अमर अग्रवाल :- हमारे पक्ष में नहीं, लोकतंत्र का गला घोट रहे थे, उसका विरोध। हमारे पक्ष और पार्टी का सवाल नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उसके साथ वे खड़े हुए थे। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए, आपने जितनी तेजी से कहा, मैं सुन रहा हूं। मगर मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोगों ने अभी एक पिक्चर इमरजेंसी बनायी है, उसको देख लीजिए। किसी ने देखा है?

श्री अमर अग्रवाल :- मैंने देखा है।

डॉ. चरणदास महंत :- कब देखा?

श्री अमर अग्रवाल :- मैंने 3 दिन पहले ही देखा है। ओ.टी.पी. में देखा है।

डॉ. चरणदास महंत :- 3 दिन पहले देखा तो उसमें कहां पर लिखा है कि उन लोगों को सम्मान देना है। उसमें कहां आपके [xx] हुई है? आपने कहां पर कहा कि उनका सम्मान होना चाहिए।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं-नहीं, यह चालू हो जाने दें, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में आउंगा कि कहां सम्मान करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय :- बैठिए न।

श्री अमर अग्रवाल :- चर्चा प्रारंभ होने दीजिए, मैं उस विषय में आउंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं तो सभापति जी से यह कहा हूं, आपत्ति लगाया हूं कि इसकी यहां पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती। यह नियम-कानून यहां नहीं बन सकता।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। इमरजेंसी के बारे में आपकी पार्टी नेताओं की टिप्पणी क्या थी? आपने पढ़ा है?

डॉ. चरणदास महंत :- वह बात अलग है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसका reference दे रहे हैं, इसलिए मैं उसका reference दे रहा हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- इमरजेंसी पिक्चर बनी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, इमरजेंसी पिक्चर के बारे में आपकी पार्टी के लोगों ने क्या टिप्पणी की? यह आपके जानने योग्य है। उल्लेख करने योग्य है।

डॉ. चरणदास महंत :- आपकी कंगना रनौत ने उसमें इंदिरा जी की भूमिका निभाई है, कंगना रानौत ने उसका डायरेक्शन दिया है। कंगना रनौत उसमें खुद काम की हैं। उस पिक्चर को देख लें, उसके बाद बात करिए।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय..।

सभापति महोदय :- एक-एक करके बोलिए न।

श्री अमर अग्रवाल :- चर्चा करनी है तो एक इसके बाद चर्चा होगी न। विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं?

सभापति महोदय :- हां, बोलिए।

श्री भूपेश बघेल :- अभी अजय जी ने जो बात कही कि इमरजेंसी लगी थी और आप बोलने के लायक नहीं रहते तो मैं थोड़ा सा उनके ज्ञान में थोड़ा सा वर्धन करता हूं। इमरजेंसी लगाने काम भी इंदिरा जी ने किया था और इमरजेंसी हटाने का काम भी इंदिरा जी ने किया था और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। तो ये जो कहना है कि आपके कारण से इमरजेंसी हटी है, ये कहना गलत है। इमरजेंसी उन्होंने लगाई भी और उन्होंने हटाया भी।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सारे विषय आ जाएंगे कि हटी क्यों लगी और क्यों लगी? अभी चर्चा तो प्रारंभ हो।

सभापति महोदय :- अभी इसमें ज्यादा कुछ बहस करने की जगह नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सवाल यह है कि आपत्ति तो इन्हीं के लोगों ने शुरू की।

सभापति महोदय :- ठीक है ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जितनी बातें ये कह रहे हैं, ऐसी बातें कभी कभी रिकॉर्ड में आती हैं ।

सभापति महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- किन परिस्थितियों में उन्होंने इमरजेंसी हटाई ? उसमें भी आपको बताना चाहिए ।

सभापति महोदय :- देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कह ली है, आपने भी कह ली और आप ने भी कह ली है ।

अध्यक्षीय व्यवस्था

कोई भी विधेयक शासन स्तर पर पूर्ण विचार करने के उपरांत ही लाया जाता है ।

सभापति महोदय :- कोई भी विधेयक लाए जाने से पहले उसका शासन स्तर पर पूर्ण विचार करने के उपरांत ही विधेयक को लाया जाता है । विधि विभाग द्वारा भी इसके प्रारूप का परिमार्जन किया गया है । यह संविधान की समवर्ती सूची 3 के पद 20 के अंतर्गत है, इसलिए आपकी आपत्ति को मैं अमान्य करता हूं । (मेजो की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, हम आपके निर्णय का विरोध तो कर नहीं रहे हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा । यहां जिस ढंग से दादागीरी करके और संविधान के विरूद्ध, लोकतंत्र के विरूद्ध, अपने अधिकारियों पर दबाव डालकर, शासन ने यहां विधेयक प्रस्तुत किया है । उसके खिलाफ हम सभी लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी की गई)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष द्वारा परस्पर नारेबाजी की गई)

समय
1.32 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा विधेयक प्रस्तुत किए जाने के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अभी रजत जयंती वर्ष चल रहा है । अमूमन, विपक्ष किसी जनहित के मुद्दे पर असहमति पर बहिर्गमन करता है । 25 सालों में यह पहली बार हो रहा है कि विधेयक बन रहा है, उसमें बहिर्गमन हो रहा है (शेम शेम की आवाज) । अरे, इनकी बुद्धि कहां है समझ में नहीं आता, ये लोग बुद्धि से खोखले हो गए हैं । लगता है इन लोगों में कुछ अक्ल-वक्ल नहीं है । इस विधान सभा में विधेयक के निर्माण की प्रक्रिया में पहली बार बहिर्गमन देख रहे हैं। कांग्रेस के पास अब जनहित के मुद्दे नहीं हैं ।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि इस देश में आपातकाल क्यों लगा ? सभापति महोदय, वास्तव में जो इनके पार्टी की करतूत रही और जिस प्रकार से आपातकाल में हुआ, इनके पास कोई जवाब नहीं है और उसको सुनने की क्षमता नहीं है । इसलिए सदन से बहिर्गमन कर दिया और जब तक ये बिल चलेगा, वे आएंगे भी नहीं क्योंकि जो उनकी पार्टी की करतूतें रही हैं । सभापति महोदय, माननीय इलाहाबाद के न्यायाधीश जगमोहन जी ने इंदिरा गांधी जी का जो रायबरेली से चुनाव था, उसमें उनके खिलाफ शासकीय पद के दुरूपयोग के कारण उनको 6 साल के लिए अयोग्य कर दिया था । चूंकि उनको इस्तीफा देना था और जिसकी बात वो आपातकाल में कर रहे थे कि आपातकाल उस समय के विधि के द्वारा लगाया गया । जब उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव उन्हीं के केबिनेट के सदस्यों ने बनाया, उसके बाद इस देश में आपातकाल लाया । हमारे देश के संविधान में इस बात का जिक्र था कि आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है । आपातकाल में संविधान के द्वारा प्रदत्त देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार शिथिल होते थे इसीलिए आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, उनकी अवहेलना करके इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीनने के लिए, अपने पदको बचाने के लिए इस देश में आपातकाल लगाया गया (शेम शेम की आवाज) । सभापति महोदय, 25 जून की शाम को ही जब आपातकाल घोषित हुआ, इस देश में सारे दलों के, मैं केवल उस समय की भारतीय जनसंघ की बात नहीं करता, लोकदल, संगठन कांग्रेस, उसके अलावा और भी जितने राजनीतिक दल थे, क्योंकि स्व. जयप्रकाश नारायण जी ने उससे पहले सन् 1973-74 में समग्र आंदोलन चलाया, जब समग्र आंदोलन से इस देश का युवा जुड़ गया और जुड़ने के बाद जब उनकी सत्ता जाती हुई नजर आ रही थी, उस समय जयप्रकाश जी ने नारा दिया था, जनता आती है, सिंहासन खाली करो, वह आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था, उसी बीच में ये फैसला आया तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान के अधिकार का दुरूपयोग करते हुए मंत्रिमंडल के साथियों की अवहेलना करते हुए, इस देश में आपातकाल लगा। माननीय सभापति महोदय, आपातकाल के बाद जब सारे देश के नेताओं की गिरफ्तारी हुई, चाहे स्व. जयप्रकाश नारायण जी रहे हों, चाहे चौधरी चरणसिंह जी रहे हों, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस रहे हों, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे लालकृष्ण आडवाणी जी रहे हों, इस देश के सारे नेता मैं केवल अखिल भारतीय जनसंघ की बात नहीं करता, सारे नेताओं को बेकसूर मीसा में बिना बताए डाला गया। माननीय सभापति महोदय, मैं उस समय मात्र 12 साल का था, मेरा जन्म 1963 का है। 26 जून को सबेरे जब मेरे घर में पुलिस आई, मेरे स्व. पिताजी को जेल ले गये, मैं उस बात का साक्षात गवाह हूं। बिना बेकसूर के पुलिस आई और जेल ले गई। उस आपातकाल में हुआ क्या ? जब देश के सारे नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन

लिये गये तो सबसे पहले प्रेस में सेंसरशिप लगाई गई। न उस जमाने में नेट था, न उस जमाने में सैटलाईट था, केवल प्रेस एक जरिया था, उस समय दूरदर्शन भी नहीं था, बहुत कम जगह थी, केवल रेडियो चलता था, उस समय प्रेस में पूरी तरह से सेंसरशिप लगाई गई। उस समय एक बीस सूत्रीय कार्यक्रम चलता था, यह देश के द्वारा लागू हुआ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू किया गया। पुलिस किसी को भी पकड़ ले, सारे मौलिक अधिकार छीन गए तो फार्म भरवाते थे कि मैं बीस सूत्रीय का समर्थन करता हूं, उस बीस सूत्रीय तक नहीं रूके, उनके उस समय के युवराज जो संजय गांधी थे, उनने अपना पांचसूत्रीय कार्यक्रम चला दिया। उस पांचसूत्रीय में एक नसबंदी था। नसबंदी के टारगेट दिए गए, न केवल नसबंदी के टारगेट दिए गए, जो करा रहे हैं उनको ईनाम दीजिए, जो नहीं करा रहे हैं, उनका जबर्दस्ती करें। उस नसबंदी में कई जो अनमैरिड युवक हैं, उनकी भी नसबंदी कर दी गई। उस समय का जो आतंक है, वह प्रत्यक्ष रूप से हुआ, यहां बहुत से प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने देखा था। माननीय सभापति महोदय, उस समय मौलिक अधिकार नहीं थे, उस समय कोई भी आता, किसी को भी अंदर कर दो, आप कोई बात नहीं कर सकते, आप शासन के खिलाफ बात नहीं कर सकते, प्रेस में कुछ छप नहीं सकता, बेकसूर लाखों लोगों को जेल के शिकंजे में डाल दिया गया। उस आपातकाल की जो चर्चा है, किशोर कुमार जी, हमारे यहां के गायक थे, उनके गाने में कहीं झलग गया कि सत्ता के खिलाफ है तो किशोर कुमार जी के पूरे गाने को ही प्रतिबंध कर दिया गया।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। डूएट गानों को फिर से रिकॉर्ड कराया गया, किशोर कुमार जी की आवाज को बैन किया गया, सिर्फ महिला आवाज में डूएट गानों को गवाया गया, कलाकारों के साथ इतना अत्याचार हुआ था।

श्री अमर अग्रवाल :- अत्याचार तो और भी कहीं हुआ था, आप छोड़िए, मैं उस लंबे विषय पर नहीं जाना चाहता। माननीय सभापति महोदय, मुझे याद है, मैं आज भी रायपुर सेंट्रल जेल के पास से निकलता हूं, मुझे वह दृश्य याद आता है, जब हमारे रायगढ़ जिले के बहुत से लोग उस जेल के अंदर थे। हम सब मिलने आते थे तो मैं उस समय 13, 14 साल का था। आज भी मुझे वह दृश्य याद आता है, मैं यहां पर अपने पिताजी से मिलने आया करता था। मुझे जेलर के रूम में मिलाया जाता था, हमारे रायगढ़ जिले के बहुत से लोग जेल में बंद थे। केवल बाहरी लोकतंत्र की समाप्ति नहीं हुई थी, केवल मौलिक अधिकारों को नहीं छीना गया था, बल्कि जेल के अंदर भी बर्बारता के साथ उन लोगों के साथ व्यवहार किया गया। मैं आपको रायपुर जेल का किस्सा बताता हूं। रायपुर जेल में थोड़ा सा कुछ विवाद हो गया था तो सायरन बजाया गया, लीठीचार्ज किया गया और निहत्थे बेकसूर लोगों को लाठियों से पीटा गया। (मेजों की थपथपाहट) (शेम-शेम की आवाज) माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। वह बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाला साहब देशपाण्डे जी जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम चलाते थे। उस घटना में उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। बेकसूर लोगों को केवल बाहर ही नहीं, बल्कि जेल के अंदर भी

बुरी तरह से लाठियों से पीटा जाता था। उस समय यदि हम दूरदर्शन में देखे तो विजय राज सिंधिया जी को खाना बनाते समय जो वह लाइन में लगते थे, उसको दूरदर्शन में दिखया जाता था और उनकी बेइज्जती कराई जाती थी।

समय :
1.41 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, महारानी गायत्री देवी जयपुर को जिस प्रकार से कैदियों की लाइन में ले जाकर खाना लेते हुए दिखाकर उनका अपमान करने की कोशिश की जाती थी। उस दृश्य को भी इस देश की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। जो आपातकाल का दृश्य था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इंदिरा गांधी जी उस समय रसिया गई थी। उस समय जेल के अंदर आपस में कुछ पत्राचार होते थे। वहां कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। जो अधिकारी अच्छे थे, वह उनकी मदद करते थे। उस समय जेल में जितने लोग थे, उनके मन में यह भाव आ गया था कि अब हम अपने जीवन में कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और जिस प्रकार से रसिया में कम्यूनिजम में डिक्टेटरशिप थी, वही हमारे देश का हाल होगा। यह लगता था कि वह अपने जीवन में कभी इससे बाहर नहीं आ सकेंगे। वह सब इस बात से निराश थे। लेकिन वह लोग उससे भी नहीं टूटे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं मेरे चाचा जी के साथ मेरे पिताजी से मिलने गया था तो उनकी आंख में पानी था। वह बोले कि शायद मैं अपने इस जीवन से निकल नहीं पाऊंगा। मेरे लड़के का जो भी होगा, वह हो जाएगा। मेरी एक लड़की है, उसकी शादी कर देना। लेकिन हम लोग लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं और लोकतंत्र के लिए जेल में रहेंगे। इसका हमको फक्र है। (मेजों की थपथपाहट) हमने वह दृश्य देखा है। यदि किसी को आपातकाल के बारे में संपूर्ण रूप से जानना हो तो उससे बारे में हमारे देश के यशस्वी नेता उप प्रधानमंत्री रहे, लालकृष्ण आडवानी जी ने नजरबंद लोकतंत्र नाम की एक किताब लिखी थी। यदि आप उस किताब को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में आपातकाल लगा, किन परिस्थितियों में आपातकाल हटने की सूचना हुई और जेल में उनके साथ क्या व्यवहार हुआ? कांग्रेस के लोगों को वह नजरबंद लोकतंत्र किताब पढ़ लेनी चाहिए, जो लालकृष्ण आडवानी जी के द्वारा लिखी गई है। यह आपातकाल की बात करते हैं। आपातकाल ऐसे ही नहीं हटा। उनका पक्का इरादा रसिया की तर्ज पर यहां पर डिक्टेटरशिप लगाना, लंबे समय तक इस देश के लोगों पर राज करना, [xx] करके तानाशाही का राज स्थापित करने का था। यह स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पूरी इच्छाशक्ति थी। लेकिन उसी समय बांग्लादेश में एक केस हुआ कि शेख मुजफ्फर रहमान की हत्या कर दी गई। उसके बाद इंदिरा गांधी जी डर गई कि कभी मेरे साथ भी यह हो सकता है और इसलिए उन्होंने आपातकाल हटाने का निर्णय किया। उनको जब रॉ ने यह खबर दी तो वह बहुत डरी हुई थी और विचलित थी। बांग्लादेश की जो घटना हुई, उसके बाद रॉ व आई.बी. ने उनको रिपोर्ट दी कि यदि आप

चुनाव करायेंगे तो चुनाव जीत जायेंगे तो उनको लगा कि चलिये ठीक है। वह डरी हुई तो थी कि क्या जनता का बहुमत मेरे साथ है? उनको भ्रम था कि आपातकाल में ट्रेन सही समय पर चल रही है। सारा सुशासन चल रहा है। वह जनता की नब्ज को पहचान नहीं पाये और इसलिए उन्होंने धोखे में आपातकाल नहीं हटाया, बल्कि चुनाव की घोषणा की। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस में ही बगावत हो गई और उन्हीं की केबिनेट के सदस्य जग जीवन राम जी ने उनकी पार्टी को छोड़कर, उस समय तात्कालिक सारे दलों ने मिलकर एक जनता पार्टी बनाई थी, उसके सहयोगी के रूप में खड़े हो गये। जगजीवन राम जी के आने के बाद इंदिरा गांधी और संजय गांधी को लगने लग गया था कि वह दोबार नहीं जीत पायेंगे। उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वह फकरूद्दीन जी थे। वह दोनों मां-बेटा उनके पास चुनाव टालने के लिए गये, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? नोटिफिकेशन हो गया है। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। उन मां-बेटे ने राष्ट्रपति के साथ भी जो दुर्व्यवहार किया, यह भी देश का एक पहलू है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ दोनों मां-बेटों ने दुर्व्यवहार किया। इस बात का उल्लेख, जब कहीं न कहीं उनकी पत्नि आड़े आईं कि आप क्या कर रहे हैं ? यह देश के राष्ट्रपति हैं, वह पहलू भी देश की जनता ने देखा है। इतनी बड़ी नादिरा शाही, तानाशाही को खत्म करना। चुनाव हुए, मैं इस देश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो समय पर निर्णय करती है। उस चुनाव का क्या हश्र हुआ ? स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। संजय गांधी स्वयं चुनाव हार गए और इस देश में जनता पार्टी की सरकार बनीं। मैं वास्तव में बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं कि उस समय का जो कार्यकाल था, जिसने मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, उस मौखिक अधिकारों के खत्म करने का विरोध करते हुए जो जेल गए, वह तो हैं हीं, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से नेता ऐसे हैं, जिन्होंने भूमिगत रहकर इस लोकतन्त्र की रक्षा की है। उस जमाने में पर्चे बांटते थे। उन्हें जेल जाने का डर नहीं था। लाईट के साथ रात भर दीवालों में पोस्टर चिपकाते थे, हमने वह समय भी देखा है। जेल के अंदर रहने वाले भी और जेल के बाहर भी बहुत से लोगों ने कि इस देश में लोकतन्त्र चलता रहे, नागरिकों के मौलिक अधिकार चलते रहें, संविधान के लिए समर्पित होकर लड़ाई लड़ते रहें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र की रक्षा किन लोगों ने की ? उन लोगों ने की है। कोई 19 महीने जेल में रहा, कोई 12 महीने जेल में रहा, कोई 17 महीने जेल में रहा। हमारे यहां आपातकाल लगाने का जो दुरूपयोग हुआ, उस अधिकार के दुरूपयोग के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, सारे आपातकाल लगाने के नियम में संशोधन किये गये। आज उसी का परिणाम है कि उस आपातकाल के संशोधन के कारण अब इस देश में कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि लोकतन्त्र का गला घोंट दिया जाए, फिर से वह काला दिन लाया जाए। उसके बाद संविधान संशोधन हुआ। मैं बिलासपुर के बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं कि उनके घर के आय की जीविका उनके हाथों में थी, उनके घर बर्बाद हो गए। उनके बच्चें, उनकी बीवी एक-एक पैसे के लिए तरसने लग गए। मैं याद करना चाहूंगा कि ऐसे

बहुत से लोग हैं, मैं नाम भी कह सकता हूं, वह बाहर रहकर जो इस विचाराधारा के लोग थे, चंदा करके उनके घरों को चलाया है, ऐसा समर्पण और ऐसा त्याग जिन लोकतन्त्र के सेनानियों ने किया, लोकतन्त्र की रक्षा के लिए किया, उनको उनका समय नहीं लौटाया जा सकता है। कुछ राशि देकर उनके परिवार को सम्मानित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ राशि एक सम्मान बतौर देने का संकल्प लेते हैं, कुछ राशि से किसी का घर चलना है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय में यह चालू हुआ। उसके बाद भूपेश बघेल जी आए, इसके बाद इन्होंने क्या किया ? पहला निर्णय वही किया कि लोकतन्त्र के सेनानियों की राशि बंद कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह करेंगे ही। क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है, जब लोकतन्त्र की चर्चा हो, जब लोकतन्त्र की बात चले तो सुनने की हिम्मत ही नहीं है तब ही तो भाग गये। इन सबको मालूम है कि 25 जून, 1975 के उस काले दिन की न चर्चा सुन सकते हैं और न स्वतन्त्रता संग्राम,लोकतन्त्र के सेनानियों का सम्मान को सह सकते हैं, इसलिए उन्होंने बंद किया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। आज उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक आया है। इनकी बुद्धि पर तरस आता है, या तो उनके पूर्वजों में है। इन लोगों ने नहीं किया, ठीक है, ये शर्मिन्दा हैं। लेकिन कम से कम सुनने का साहस तो रखते, वे बहिर्गमन करके चले गये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो विधेयक लाया है, बहुत ही अच्छा विधेयक लाया है। क्योंकि लोकतन्त्र की रक्षा के लिए काम करते हैं, उनका यह सम्मान है, उनके संकल्प का सम्मान है, उनके परिवार का सम्मान है और जिसके वास्तविक हकदार है। जो आपातकाल पिक्चर देखने की बात कर रहे थे। मैं तो कल किसी विषय में कहने वाला था जब यह लोग बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे, मैं आपसे निवेदन करने वाला था कि सबको एक बार आपातकाल पिक्चर दिखाई जाये कि कैसे लोकतंत्र का गला अपनी व्यक्तिगत सियासत को बचाने के लिए छोड़ा और यह पार्लियामेंट की बात करते हैं। उस समय जो पार्लियामेंट मेम्बर थे, उनके मौलिक अधिकार छीन लिये गये और पार्लियामेंट में बाहर निकलते ही गिरफ्तार करेंगे, संसद सदस्य और विधायक वहां पर जा नहीं पाते थे, लेकिन इस देश की जनता ने, लोकतंत्र सेनानियों ने इस देश में फिर से लोकतंत्र को स्थापित किया। अगर हम राजनीतिक आंकलन करेंगे तो कांग्रेस की गिरावट की शुरूआत वहीं से होती है जब इन्होंने देश में काला कानून लगाया था। अगर हम सन् 1984 का समय छोड़ दें, जब एक लहर में राजीव गांधी जी पूर्ण बहुमत में आ गये थे, उसके बाद कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत में नहीं आई, देश की जनता ने इनको कभी माफ नहीं किया, जनता इनके वास्तविक चेहरे को पहचानती है। मैं फिर से हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उनके लिए जो सम्मान का विधेयक लाया है, मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बोलने वाले सम्माननीय सभी सदस्यों से आग्रह है कि विपक्ष तो चला गया। अमर जी ने अपनी बात बहुत अच्छे से रख दिया है, उसको Repeat करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी भावना से सहमत हूं कि पूरे सदन और पूरे सभी सदस्यों के मन में पीड़ा है और हर कोई बोलना चाहता है, मगर आप अपनी भावना को अमर जी की भावना के साथ समाहित करते हुए संक्षिप्त में दो मिनट में बात रखें, क्योंकि इसको मुख्यमंत्री जी को पास भी कराना है और एक महत्वपूर्ण बैठक में भी जाना है।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र सेनानियों के संबंध में एक सम्मान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जिन लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया, जिनका परिवार पूरा का पूरा उजड़ गया, वह काला दिन, वह काला अध्याय जनता भूल नहीं सकती है और [xx] करने वाले आज इस देश के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए घूम रहे हैं, आज उनके सामने हम यह काला चिट्ठा रखने के लिए खड़े हुए हैं। वह सामने फेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ी-बड़ी बात करते हैं। दिनांक 25 जून, 1975 की काली रात व काला दिन, जिस दिन [xx] की। वह [xx] की बात करने वाले आज चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, कोई राजनेता अपनी बात को नहीं रख सकता। जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही थी, उनके यहां घर में जाकर ताला लगा दिया। जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मैं कक्षा छठवीं कक्षा के अंदर शिशु मंदिर, जहांगीराबाद में पढ़ता था। 19 तारीख को ठीक 18 दिन के बाद इन्होंने वहां शिशु मंदिर के अंदर ताला लगा दिया। जो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, वहां आपका कौन सा लोकतंत्र खतरे में आ गया? वहां स्कूल में जाकर शिशु मंदिर में ताला लगा देना, एक नहीं, बल्कि इन्होंने पूरे देश के शिशु मंदिर स्कूलों में ताला लगा दिया। संघ के कार्यालय में ताला लगा दिया, विश्व हिंदु परिषद्, बजरंग दल, यह सब अपनी जगह हैं, लेकिन जहां शिक्षा का केन्द्र है, उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। मैं स्वयं साक्षात हूं, जहांगीराबाद के शिशु मंदिर में ताला लगाने के बाद बच्चा पढ़ाई करने कहां जाएगा? इन लोगों ने यह स्थिति निर्मित की थी। मेरा परिवार भी भोगा है। मेरे ताऊ जी भी 19 महीने में 18 महीने 13 दिन जेल की सलाखों में, रत्लाम में रहे हैं। इन्होंने क्या नहीं किया है? इन्होंने चुने हुए [xx] की तो की, लेकिन एक सामान्य परिवार का व्यक्ति किसी दुकान में अंदर चले गये, वह कलेक्टर की बात को नहीं सुना तो दुकानदार को काला कानून के अंदर कर दिया गया। कोई पत्रकार ने अगर आपके लेखनी का समर्थन नहीं किया तो पत्रकार अंदर कर दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं। यही नहीं, नुक्कड़ नाटक करने वाले भोपाल के अंदर जहांगीराबाद पीर गेट के ऊपर भा.ज.पा. जंक्शन कार्यालय के नीचे रहीम खान की एक दुकान है, जो गद्दा बनाता है, जहां पर वह व्यापार करता है, वह रहीम खान की दुकान के अंदर छापा मारकर उसको भी उठाकर लेकर चले गये । उनके पास यही काम था कि आपके यहां जनसंघ और भाजपा के लोग बैठते हैं, वह कहां गये?अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि मैं दुकान चला रहा हूँ, मेरा क्या लेना-देना है ?

सूचना मिली है, आपके यहां अभी बैठे थे, कहां चले गये ? लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे महान सपूत जिनकी बात अमर जी ने कहीं थी, मैं उल्लेख नहीं करूंगा, चाहे मध्यप्रदेश के जमाने में हो, जनसंघ से लेकर जितने बड़े नेता हुये, चाहे नारायण प्रसाद गुप्ता हो, चाहे कुशा भाऊ ठाकरे हो, चाहे प्यारेलाल खंडेलवाल हो, चाहे सुंदरलाल पटवा हो, चाहे कैलाश जोशी हो, लखीराम अग्रवाल जी से लेकर हमारे पांडेय जी भी बिलासपुर से सांसद थे, चाहे बलि दादा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के दरबारा सिंह हो, कौन ऐसा व्यक्ति था, जिसे इन्होंने अंदर नहीं डाला है ? अध्यक्ष महोदय, आपके राजनांदगांव जिले के सभी लोग विचारधाराओं में थे, उन सब को अंदर डाल दिया, एक ही सूत्र और एक ही काम था, इमरजेंसी ? आपके खिलाफ क्या बोल दिया, लेकिन इसलिये इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब लोकतंत्र के सेनानियों की बात करते हैं, हमने उनको क्या दे दिया भईया ? अध्यक्ष महोदय, देश आजाद होने पर जिन्होंने आजादी का झंडा उठाया था, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिये । यह विचारधारा की लड़ाई थी, देश पूरा आपके साथ था, लेकिन कांग्रेसियों की रोजी-रोटी चलाने के लिये कांग्रेस केवल गांधी के नाम का उपयोग करती है, कांग्रेस पार्टी भंग नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की मांग का सिंदूर है, चिंता इस बात की नहीं है, इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र का गला घोंटा और आज पूछते हैं कि तुमने क्या किया ? मैं आपसे पूछता हूँ कि देश को आजाद हुये 77 साल हो गये हैं और 77 साल की उम्र के कांग्रेस नेता एक भी नहीं है । जो वर्तमान पीढ़ी है, अगर देश में इनको पूछा जाये, जो 10 साल के उम्र का होगा, 15 साल की उम्र का होगा, अगर देश का नेतृत्व अगर कांग्रेस पार्टी का कोई है, आप देख लें कि जिन्होंने होश संभाला होगा, कक्षा 12 वीं में पढ़ता होगा, कक्षा 8 वीं में पढ़ता होगा तो 12 साल का नवजवान होगा, देश के 77 साल आजादी के हो गये और 12 साल और मिला दो मां 79 साल का कौन कांग्रेस पार्टी का नेता है ? हमें जो बताया गया है, उसमें बात कर रहे हैं, हम तो यहां बात करने को तैयार हैं, आप फेस नहीं कर सकते, आप चर्चा नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते, जब इन विचारों को आदान-प्रदान करने का अवसर आया, यही तो लोकतंत्र का मंदिर है, यही तो संविधान का मंदिर है, आपने चुने हुये लोगों का गला घोंटा है । आज यहां चर्चा के लिये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हमारे मुखिया ने जब यह प्रस्ताव आपके सामने रखा तो आप पलायन करके चले गये ? आपके पास कोई शर्त नहीं है, इमरजेंसी पिक्चर की बात कर रहे थे, अमर जी ने कहा कि मैं भी आपसे आग्रह करूंगा । कांग्रेसियों को एक बार जरूर पिक्चर दिखा देनी चाहिये । फिल्म में जिसने रोल अदा किया, मैं कंगना राणावत को धन्यवाद दूँगा कि इंदिरा गांधी जी के अच्छे कामों का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समर्थन किया था, उन्होंने देश के बंटवारे का समर्थन नहीं किया था । कांग्रेसियों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिये देश का बंटवारा किया है, उसमें भी तो दर्शाया है । कंगना राणावत के सीन को लेकर नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे, कंगना राणावत ने इंदिरा जी के कई रूपों को उसमें दिखाया है, आप थोड़ा उसकी भी तारीफ कर दें ।

मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा के अंदर और विधान सभा के अंदर यह जो विधेयक लेकर आये हैं, मैं इसके समर्थन में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे हजारों परिवार जिन्होंने इसकी पीड़ा को सहा है, वेदना को सहा है, कई परिवार बरबाद हो गये, जिनके धंधे-पानी नहीं थे, ऐसे कई पत्रकार बरबाद हो गये, जिनके परिवार में कोई पालने-पोषने वाला नहीं था, ऐसे कई सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया कि तुम्हारे परिवार के अंदर वह है और कहां है, उसे लेकर आओ, उनके घर में रेड मारा गया । माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सम्मान के भाव से प्रस्ताव रखा है, मैं आपसे इतना ही आग्रह करता हूँ कि इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखकर खत्म कर रहा हूँ । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये जो आपने मुझे अवसर दिया है, धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी । थोड़ा कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में आपकी ज्यादा से ज्यादा भावना आ जाये । भावना पूरी आ जाये, शब्द कम हो । चलिये ।

समय :-
2:00 बजे

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 1971 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में राजनारायण जी चुनाव लड़े थे । चुनाव में इंदिरा गांधी जी के द्वारा धन-बल और शासकीय मशीनरी का दुरूपयोग करके उस चुनाव को जीता गया । उसके खिलाफ में राजनारायण जी के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाया गया और याचिका लगाने के बाद में 12 जून, 1975 को दो महत्वपूर्ण घटना हुई । इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उस फैसले में इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द किया गया और चुनाव लड़ने के लिए उनको 6 साल के लिए डिबार किया गया । 12 जून, 1975 की एक घटना यह है । दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि गुजरात में कांग्रेस की चिमन भाई की सरकार चल रही थी, उसके खिलाफ में जन मोर्चा और अन्य दलों के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और उस समय जो आन्दोलन हुए, उस आन्दोलन के कारण इंदिरा गांधी जी को चिमन भाई की सरकार को भंग करना पड़ा और भंग करने के बाद में जब गुजरात में विधान सभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई और वहां पर जन मोर्चे पार्टी की जीत हुई और वहां जो रिजल्ट आया, वह इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस के खिलाफ आया । यह 12 जून, 1975 की दो महत्वपूर्ण घटना है । केवल यही नहीं, उस आन्दोलन का प्रभाव पूरे देश में गया । उस समय बिहार में भी कांग्रेस की सरकार चल रही

थी, उसके खिलाफ आन्दोलन हुआ और फिर कांग्रेस विरोधी लहर चलना शुरू हुआ । यह फैसला आने के बाद में इंदिरा गांधी जी को अपने पद से त्याग-पत्र देना चाहिए था और त्याग पत्र देकर उनकी पार्टी की बहुमत थी, वे किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने की बजाय इस मोर्चे पर डटी रहीं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ना नहीं है, उसके लिए जो करना पड़े, वह करना है और उसी दिन में 24 जून, 1975 की रात्रि में 25 जून को एमरजेंसी लगाई गई और एमरजेंसी लगाकर जो देश में सारे विरोधी दल के नेता थे, चाहे उसमें समाजवादी के हों, जनसंघ के नेता हो, मुस्लिम लीग हो और उसके साथ में जो अन्य दल के नेता थे, उन सबको गिरफ्तार करने का काम किया गया । उस समय लोकसभा की एक कमेटी में अटल बिहारी वाजयेपी जी और लाल कृष्ण आडवानी जी बैंगलोर गए हुए थे, उस कमेटी की बैठक बैंगलोर में बैठक होनी थी और उस बैठक में चर्चा होनी थी । वहां से उन दोनों की गिरफ्तारी हुई । उस गिरफ्तारी के बाद में देश भर के नेताओं की गिरफ्तारी हुई । जिस प्रकार से आनन-फानन में एमरजेंसी लगाई गई । लखी भैया जेल में बंद रहे, बिलासपुर में हमारे बहुत सारे नेता बंद रहे, बद्रीधर दीवान जी जो जेल में बंद करने का कारण बताया गया था कि वे बिजली के खम्बे में चढ़कर उनके द्वारा बिजली की लाईट को काटा गया था। उस समय कांग्रेस वाले हमारे नेताओं को जेल में बंद करने के लिए कैसे-कैसे कारण बताए थे । दीवान जी जैसे आदमी बिजली के खम्बे में चढ़कर लाईन को कैंची से काटे, यह उनके खिलाफ में अपराध बनाया गया और इसी प्रकार से लगभग 25 जून से 31 मार्च, 1977 के मध्य जिनकी गिरफ्तारियॉ इस संदर्भ में हुई हैं, उन सबको लोकतंत्र सेनानी माना गया। लोकतंत्र सेनानी इसलिए माना गया कि उस समय दो अधिनियमों के तहत वे बंद किए गए। पहला-आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और दूसरा-डी.आ.डी.ए.। इन दो कानूनों के अंतर्गत लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हुईं और बिना अपराध के लोगों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। कई लोग पूरे समय तक रहे, तो कुछ लोगों की गिरफ्तारियां बाद में हुईं। सेंसरशिप लागू हुआ। उस समय जो इमरजेंसी के खिलाफ लिखे, ऐसे हमारे पत्रकार बंधुओं को भी जेल में डालने का काम किया गया। आकाशवाणी लगभग बंद हो गई और जिस समाचार का एप्रूव्हल देते थे, वही छपता था। समाचार पत्रों में वही छपता था, जिसे उस समय सरकार के द्वारा परमीशन होती थी और जो अपने से लिखना चाहते थे, ऐसे लोगों को जेल में निरुद्ध करने का काम किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा है कि कई परिवार ऐसे थे, जो नौकरी करते थे और नौकरी के कारण उनके परिवार का पालन पोषण होता था। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई छूट गई, लोगों का परिवार बिखर गया, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। मैं विषय को लंबा न कहते हुए कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा ऐसे लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसे सर्वसम्मति

से पारित किया जाए ताकि ऐसे परिवारों को न्याय मिले। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला जी। घटते क्रम में और कम कर दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपातकाल पर कहना चाहता हूं कि दिनांक 25 जून, 1975 आम दिनों की तरह ही था, परंतु रात जो थी, वह इतनी काली स्थापित कर दी गई कि उसे आज लोकतंत्र की हत्या दिवस के रूप में जाना जाता है। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने सत्ता में बने रहने के लिए इस देश को आपातकाल दिया। नई पीढ़ी शायद उस आपातकाल को न जाने, क्योंकि मैं आपका सबसे कम उम्र का सदस्य हूं, परंतु मेरे परिवार के 03 सदस्य आपातकाल में मीसा बंदी थे। एक मेरे बड़े पिताजी जिला प्रचारक संबलपुर रहते हुए संबलपुर की जेल में थे। पिताजी छत्तीसगढ़ स्कूल के शिक्षक रहते हुए, जिन्हें चलते हुए स्कूल से पढ़ाते समय गिरफ्तार किया गया और चाचाजी को समाज सेवा के रूप में मोहल्ले में बोर खनन करवाते समय गिरफ्तार करके जेल ले गए। तीनों 19 महीने जेल में रहे। दादी आपातकाल के दौरान अस्वस्थ थी और उनकी तबियत जब बहुत बिगड़ी, तब भी उस दौरान चूंकि जमानत का प्रावधान नहीं था तो भी पेरोल पर छोड़ा नहीं गया। 25 जून की आधी रात आपातकाल के नाम पर जब संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया, तब देश के सर्वमान्य नेता और आज के छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था कि -

"*अनुशासन* के *नाम पर अनुशासन* का *खून हुआ,*
भंग कर दिया संघ को ये *कैसा जुनून चढ़ा*।
कैसा चढ़ा जुनून मातृ-पूजा प्रतिबंधित
कुटिल कर रहे केशव-कुल की कीर्ति कलंकित
कह कैदी कविराय, तोड़ कानूनी कारा
गूंजेगा भारत माता की जय का नारा
गूंजेगा भारत माता की जय का नारा।।"

अध्यक्ष महोदय, आज जब विनियोग पर चर्चा हो रही थी, तब माननीय वित्त मंत्री जी के बयान पर नेता सदन कह रहे थे, तब लश्कर भी तुम्हारा वाला विषय आया था, तो मैं आज उनके प्रति प्रश्न का आपके माध्यम से जवाब देना चाह रहा हूं और वह लिपिबद्ध हो कि -

"लश्कर भी तुम्हारा था, सरदार भी तुम्हारा था,
तुम झूठ को सच लिखवाते थे, तत्कालीन समय में अखबार भी तुम्हारा था।"

और यह कहते हुए जब मैं आज आपके बीच खड़ा हूं, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष हमें स्मरण कराता रहेगा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे काले अध्याय को कभी भूला नहीं जा सकता। एक व्यक्ति की जिद पर अहंकार की भेंट लोकतंत्र को चढ़ाया गया। यह काल पूरे भारतीय

इतिहास में इसलिए दुर्भाग्यशाली है कि कई राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में हमारी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में छत्तीसगढ़ में लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम, 2008 बनाया। जिसे नजरंदाज करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए 29 जुलाई, 2020 को इसको निरस्त कर दिया और आज कैसा अद्भुत संयोग है अध्यक्ष कि आज 21 मार्च है और आज ही के दिन आपातकाल हटाया गया था और आज के दिन छत्तीसगढ़ के सदन में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में यह बिल लाया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) यह अपने आप में अद्भुत संयोग है। माननीय विष्णु देव साय जी के सुशासन ने इस बार इसको पुन: प्रतिस्थापित किया है और तब बर्बस कुछ पंक्तियां याद आती है।

"यह महतारी का वंदन है, यह संविधान हमारी गीता है
सोने के मूल्य अब धान है, क्योंकि प्रजातंत्र जीता है, लोकतंत्र जीता है
सिर्फ कागजों में नहीं विकास अब वास्तविकता है,
गांव-गांव पुन: कमल खिला है और प्रजातंत्र जीता है।
हम राम के ननिहाल है, यहां की बेटी सीता है,
विष्णु का सुशासन है क्योंकि प्रजातंत्र जीता है"।

इसी प्रजातंत्र की जीत के अवसर पर जब विष्णु देव साय जी के सुशासन में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में पुन: यह विधेयक स्थापित किया जा रहा है तो अपने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान करने के अवसर पर छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके माध्मय से बोलने का अवसर मिला। आने वाले समय में लोकतंत्र अजर अमर रहे और सूचिता का ध्वज संसदीय इतिहास के धरातल से आकाश के नभ नक्षत्र पर फैले, बढ़े और भारत विश्व गुरू पुन: स्थापित हो। इसी मंगलकामना के साथ आपको पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र की महानता के पीछे हमारा संविधान है, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सभी के अधिकार और कार्यक्षेत्र बंटे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा संविधान हमें दिया, जिसके आधार पर प्रत्येक नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस महान संविधान की बदौलत हम एक महान राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। लेकिन अतीत में कुछ ताकतों ने इस संविधान को तहस नहस करने की कोशिश की। आपातकाल आधुनिक इतिहास की भयावह त्रासदी है। 25 जून, 1975 को भारत के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जायेगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश में आपातकाल लगाकर हजारों लोगों को जेल में डाल दिया,

उनकी तानाशाही सोच की वजह से न जाने कितने लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से बर्बाद हो गये। जिस प्रकार लोकतंत्र सेनानियों को मानसिक शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया, वह इतिहास का बेहद दु:खद प्रसंग है।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 एवं भारत रक्षा नियम डी.आई.आर., 1971 भारतीय संसद द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून था। इसमें कानून व्यवस्था बनाये रखने वाली संस्थाओं को अनुचित अधिकार भी दे दिये गये थे। मीसा में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को कोर्ट में पेश करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। पुलिस वारंट लाकर जेल में बंद करती थी। मीसा में सरकार के पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार था। यदि कोई छोटी-सी बात पर भी विरोध कर दे, तो मीसा लगाकर जेल में डाल दिया जाता था। सामाजिक कार्यकर्ताओं से बोलने की आजादी छीन ली गयी थी। अध्यक्ष महोदय, आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक देश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध रहे। इनमें से 24,988 लोग मीसा के अंतर्गत और 50,818 लोग डी.आई.आर. के तहत जेलों में बंद थे। आपातकाल के समय भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया। आपातकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा गया। अध्यक्ष माहेदय, देश को आपातकाल की कालकोठरी में झोंकने वालों ने अपने इस कृत्य के लिये देश से माफी मांगना भी उचित नहीं समझा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनी। उसके बाद ऐसा कोई दिन नहीं, जब कांग्रेस पार्टी को संविधान और लोकतंत्र खतरे में न लगा हो। एक परिवार ने सत्ता की हनक कायम रखने के लिये देशवासियों से बोलने की आजादी छीन ली। मीडिया का गला घोंट दिया गया। वही लोग अब संविधान की प्रति लहराकर देश को गुमराह करना चाहते थे। अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये संविधान और लोकतंत्र का कत्ल करने वालों ने सिर्फ संविधान का अपमान ही नहीं किया बल्कि संविधान के निर्माता पूज्य बाबा साहेब, डॉ. भीमराव अंबेडकर से लेकर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद समेत मां भारती के हर उस सपूत को अपमानित किया, जिसकी बदौलत हमें महान संविधान मिला।

अध्यक्ष महोदय, एक परिवार के हित को देश हित से बड़ा मानने वालों से हम उम्मीद भी क्या कर सकते है ? अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य गरीब पीरवार का सदस्य देश का प्रधानमंत्री हैं। जनजाति समाज की बेटी आज देश की प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति हैं। यहां तक की जनजाति समाज से आने वाले किसान को छत्तीसगढ़ की महतारी की सेवा का अवसर मिला है। यह हमारे संविधान की वजह से ही संभव हुआ है। ऐसे में आज की युवा पीढ़ी को बताना जरूरी है कि काले कानून मीसा के अंतर्गत हमारे नेताओं को क्या-क्या यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने मीसाबंदियों की तकलीफों को बहुत करीब से देखा है। उनके संघर्ष और पीड़ा को महसूस किया है। आपातकाल के दौरान मेरे परिवार से

मेरे बड़े पिताजी स्व. नरहरि साय जी 19 महीनों तक जेल में बंद रहे। स्व. लखीराम अगव्राल जी हम लोग के पूज्य नेता थे। हम उनके भी बहुत करीब थे। आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने विस्तार से मीसा के संबंध में अपनी बात रखी है और वह भुक्तभोगी हैं। उसी तरह से हम जिनको अपनी राजनीति का आदर्श मानते हैं, बाल कृष्ण शर्मा जी, जिनको देवकी महाराज के नाम से लोग जानते थे। वह घर में अकेले कमाने वाले थे। जब 19 महीने वह जेल चले गये तो उनकी रोजी रोटी छीन गयी और जब भी मैं बेठता था तो उनके बच्चे उनको हमेशा उलाहना देते थे कि आपने हम लोगों के जीवन के लिये क्या किया है ? ऐसे आपातकाल से सैकड़ों परिवार बर्बाद हो गये । आपातकाल के समय लोकतंत्र सेनानी जब जेल जाते थे तो उस परिवार की स्थिति बड़ी पीड़ादायक हो जाती थी। इन परिवारों के सामने आजीविका का संकट आ जाता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान छत्तीसगढ़ की राजनीतिक या सामाजिक कारणों से मीसा डी.आई.आर. के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों को लोकतंत्र सेनानियों का दर्जा दिया। अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे तब यह सब हुआ। उनके लिये सम्मान राशि देने की शुरूआत हुई। छत्तीसगढ़ में लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम, 2008 बनाया गया था, किंतु लोकतंत्र सेनानियों की देशभक्ति को नजरंदाज करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2020 को इसे निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागीय अधिसूचना 7 मार्च, 2024 द्वारा छत्तीसगढ़ की राजनीतिक तथा सामाजिक कारणों से मीसा डी.आई.आर. के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों को सहायता देने के लिये छत्तीसगढ़ में लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम, 2008 पुन: लागू किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश के दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि एवं उनके परिवार प्रमुख को अंत्येष्टि हेतु सहायता राशि 25 हजार रूपये दिये जाने के संबंध में प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, प्रेदश में वर्ष 2024 की स्थिति में लगभग 207 लोकतंत्र सेनानियों एवं 128 आश्रितों को वर्ष 2019 से अब तक की सामान्य निधि प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 42 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। संबंधितों को एरियर्स सहित सामान्य निधि का भुगतान किया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम, 2008 बनाया गया था तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण दिनांक 5 अगस्त, 2008 में इसे प्रकाशित किया गया था। अब राज्य सरकार ने उक्त नियमों के स्थान पर एक अधिनियम अधिनियमित करने का भी निश्चय किया है ताकि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये अपने प्राणों की आहूति देने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि सुविधाएं तथा संबंधित विषयों का उपबंध करने के साथ-साथ उनके हितों की रक्षा की जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपातकाल का दंश एक पूरी पीढ़ी ने झेला है। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र सेनानियों के लिये लोक नायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अधिनियम स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्र की अखण्डता के लिए पवित्र अनुष्ठान है। इसलिए आज मैं सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों से यह आग्रह करता हूँ कि छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- खण्ड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

(4) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- श्री दलेश्वर साहू जी।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे यह पता ही नहीं है कि अभी किस विधेयक पर चर्चा है।

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक पर चर्चा है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री राजेश मूणत :- माननीय श्री दलेश्वर साहू जी आपने खाना-वाना खा लिया?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025 आया हुआ है, मैं इस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपके हित में बोल रहा हूँ। आप एक बार पूछ कर आ जाईये।

श्री दलेश्वर साहू :- मुझे एलाउ हो गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज माननीय दलेश्वर साहू जी उत्कृष्ट विधायक चुने गये हैं। उनको पूछने की जरूरत नहीं है। आप बधाई ले लीजिए। आपको आजू-बाजू से पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका जलवा है। आपको बधाई हो।

श्री दलेश्वर साहू :- लखेश्वर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 2005 में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम बना है। इस अधिनियम के बनने के बाद से अभी तक कुल 17 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु विधेयक के माध्यम से स्थापना की गई है। अब 18 वां निजी विश्वविद्यालय के रूप में रूंगटा इंटरनेशनल स्किल विश्वविद्यालय को स्थापित करने हेतु यह संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित विश्वविद्यालय को स्थापित करने हेतु विधेयक लाया गया है। यह निजी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि पूर्व में जिन 17 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, इस अधिनियम में दिये उद्देश्य एवं कारणों से कितना मेल खाते हैं। ऐसा न हो कि यह विश्वविद्यालय उद्देश्य से हटकर सिर्फ खानापूर्ति कर व्यवसायिक लाभ का

हिस्सा हो जाये। अध्यक्ष महोदय, अगर हम निजी विश्वविद्यालय का अवलोकन करें, उनके बारे में सोचें, अगर थोड़ा सा भी परीक्षण करने का प्रयास करें, हम फिर से विधेयक लाने की बात कर रहे हैं, हम 17वां को 18वां करने जा रहे हैं। जिसको हमने सदन के माध्यम से अनुमति दी है और विधेयक को पारित किया है। अगर फिर से नये निजी विश्वविद्यालय का विधेयक लाकर पास करते हैं। बाकी का अवलोकन करने से मुझे ऐसा नहीं लगता इस निजी विश्वविद्यालय विधेयक को पास करें। हमें पास करने में कोई परहेज नहीं है, परंतु शासन की जो गाईडलाईन है, आपने विधेयक में शिक्षकों, व्याख्याताओं की व्यवस्था और अन्य सेट अप के आधार इस निजी विश्वविद्यालय को खोलकर जिन विद्यार्थियों को ज्ञान देना चाह रहे हैं, क्या उसका फायदा इस विश्वविद्यालय को खोलने से होगा या नहीं होगा? मैं एक उदाहरण के तौर कुछ निजी विश्वविद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप सदन में नाम जानना चाहेंगे तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा। इस उदाहरण से मेरा किसी भी निजी विश्वविद्यालय के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं है। यहां मैं किसी भी विश्वविद्यालय का नाम उल्लेखित करना भी नहीं चाहता। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा भी। आपने एक निजी विश्वविद्यालय को 2007 में राजपत्र में प्रकाशन कर स्थापित किया था। इस विश्वविद्यालय की उन्हीं की एक सेल्फ स्टडी रिपोर्ट बताती है, कॉलेज खुद बता रहा है कि मेरे कालेज की स्थिति क्या है? जिसको इस सदन ने वर्ष 2007 में अनुमति दी है। सेल्फ स्टडी रिपोर्ट 18.03.2023 को प्रकाशित की गई है, इनके अनुसार इस विश्वविद्यालय के पास कोई भी महाविद्यालय की मान्यता नहीं ली गई है। जब किसी विश्वविद्यालय के पास महाविद्यालय ही नहीं होगा तो राज्य के युवक और युवतियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का लाभ कैसे प्राप्त होगा एवं विधेयक के उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी? इस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 34 प्रोफेसर पी.एच.डी. वाले हैं। इतने कम प्रोफेसर से एक विश्वविद्यालय कैसे संचालित होगा? यहां पर बेचलर कोर्स 17, बी.ई. कोर्स 6, एम.टेक कोर्स 6, मास्टर कोर्स 27, पी.एच.डी. कोर्स 29, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 4 है। इस विश्वविद्यालय ने एम.फिल के लिए 25 कोर्स को वर्ष 2021 में बंद कर दिया है। अगर ऐसे ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो भविष्य में और विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता क्यों? यह पूरी बातें जो मैं यहां कह रहा हूं, यह उस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा दिये गये एफिडेविट के माध्यम से है, वह एफिडेविट में लिख कर दे रहे हैं। जहां तक की विदेशी एन.आर.आई. छात्रों को पढ़ने की बात है, इस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर हम विश्वविद्यालय खोलेंगे तो बाहर के विद्यार्थी आयेंगे, विदेश के विद्यार्थी आयेंगे। उनको ज्ञान अर्जन करने के लिए हमने एक पाठ्यक्रम शुरू किये हैं। बहुत सारे विषय भी हैं। पर जहां तक विदेशी एन.आर.आई. छात्रों के पढ़ने की बात है, इस विश्वविद्यालय में 2017 से 2022 तक कुल 16313 छात्रों ने अपना नामांकन किया जिसमें से आपके किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी विदेशी छात्र नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार यदि थोड़ा सा डाटा को भी देखा जाये तो वर्ष 2021-

22 में 27658 आवेदन प्रवेश हेतु प्राप्त किया जिसमें से वर्ष 2021-22 में 4553 छात्रों को ही विभिन्न कोर्स में प्रवेश दिया गया । वर्ष 2021-22 में 4776 ने परीक्षा उत्तीर्ण की । उक्त छात्रों, विश्वविद्यालय का व्यय 2 करोड़ 205 लाख रूपये उसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि निजी विश्वविद्यालयों का इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार कर रहे हैं और राज्य में रोजगार उत्पादन, आय वृद्धि एवं युवा-युवकों के लिये रोजगार के बेहतर अवसर कैसे सृजित करेंगे, क्या आपके विधेयक में है कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, इतने लोगों की बेरोजगारी दूर करेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने 17 विश्वविद्यालयों को जो परमिशन दी है उसका हाल तो जानिये, उनके बारे में जानने का तो प्रयास करिये फिर हम एक रूंगटा विश्वविद्यालय को मान्यता देने जा रहे हैं बाकी का बेहाल है, न ढंग से संचालित हो रहा है और न ही उसमें बाहर से कोई व्यक्ति आना चाह रहे हैं वैसे ही सुंदरलाल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का भी विषय रहा है । आप वहां के डाटा को भी देखिये, यदि आप 17 विश्वविद्यालयों के डाटा को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके डाटा को देखने के पश्चात् चूंकि इस विश्वविद्यालय के लिये जो विधेयक आया है, अगर वह स्पष्ट रूप से अपनी खानापूर्ति करे और उनके जो नॉर्म्स हैं वह पूरा करे तो मैं सोचता हूं कि हम देने के लिये कोई इंकार नहीं कर रहे हैं । आप डॉ. सी.जी.पी. रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर का हाल देखिये तो ऐसे कई उदाहरण हैं और यदि इन उदाहरणों को देखते हुए हम करें तो मैं सोचता हूं कि विधेयक के आने के पहले उनकी जो रिक्वॉयरमेंट है, मैं ऐसा मानता हूं कि उन सारी चीजों का अवलोकन करने के बाद ही यह पारित होना चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले इस निजी विश्वविद्यालय में आपको ही स्मरण करना चाहता हूं । भूपेश बघेल जी भी उस सरकार में मंत्री थे, छत्तीसगढ़ की पहली सरकार बनी । उस समय 117 से 125 के बीच निजी विश्वविद्यालय थे । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजी विश्वविद्यालय के जिसके तहत् आप लोगों ने कानून बनाया था उसको अमान्य कर दिया । ऐसे-ऐसे कुलपति थे, ऐसे-ऐसे फैकल्टी मेम्बर थे जो लूना में चलते थे और कुलपति लिखा रहता था । कोई कहीं पर खड़े होकर पंचर बनाते रहता था और कुलपति लिखा रहता था, रिक्शे में घूमते थे तो यह एक स्थिति थी । प्राईवेट स्कूल शिक्षा की हालत यह थी कि 10 रूपये के स्टॉम्प में हम स्कूल खोलेंगे और आप हमसे मान्यता भर ले लीजिये, पढ़ाने की व्यवस्था और शिक्षक की व्यवस्था आपको करनी है । ऐसी दयनीय स्थिति थी, आप मुख्यमंत्री थे । बड़ी विपरीत स्थिति थी । एक लाख के ऊपर बच्चे थे, वह अधिनियम कोलेप्स होने के बाद उन बच्चों का क्या किया जाये ? तो जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी थी उनमें वह सब्जेक्ट नहीं थे । गवर्नर साहब भी चिंतित थे लेकिन आपके प्रयत्न से तत्कालीन गवर्नर महोदय ने, सब-मिलकर एक नया कानून बनाया और आज चूंकि माननीय

मुख्यमंत्री जी के पास यह विभाग है और मुझे उनको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसी विधानसभा से निजी विश्वविद्यालय कानून निकला, वह पूरे देश में गया । पूरे लोग उस कानून को लेने आये, आपने मुझे उस समय उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया था और वही कानून उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जहां-जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में नये युनिविर्सिटी खुले वह हम लोगों ने काम किया । माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी एकाध-दो यूनिवर्सिटी अंजनेया यनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी सूची में जोड़वाई । इस कानून में कुछ विशेष बात नहीं है, 17 यूनिवर्सिटी हैं । आपने कैबिनेट से जो पारित किया है, उस यूनिवर्सिटी को 18वें नंबर में जोड़ना है। जब मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बोलता हूं तो हमेशा दो-तीन बातें बोलता हूं। हमारे सामने चुनौती थी, जब मैं शिक्षा मंत्री बना या आपने बनाया तो मैंने उस विभाग से पूछा कि छत्तीसगढ़ का जी.ई.आर. कितना है तो आश्चर्य होगा कि उनको मालूम नहीं था और निकाले तो वह पौने दो प्रतिशत के आसपास था। जब मैंने आपको यह बात बताई तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी, इतने सारे कॉलेज उस समय ऐसी जगहों में दूरस्थ क्षेत्रों में खुले कि उन 15 सालों में राजकीय विश्वविद्यालय और कॉलेज कितने खुले, उसको मैं खुद नहीं गिन पाउंगा, पर 1 दिन में तीन यूनिवर्सिटी legislate हुई। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में वह अखिल भारतीय रिकॉर्ड है। 1 दिन में तीन यूनिवर्सिटी legislate हुई। मैं हमेशा इस बात को बोलता था कि हमने क्षेत्रीय असंतुलन हमने दूर किया। बस्तर में यूनिवर्सिटी बनी, सरगुजा में बनी, आपने रायगढ़ में भी बना दी, सभी जगह बनाई, लेकिन हम ट्रेडिशनल कोर्स से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। मैंने उस दिन अभिभाषण में इस बात को कहा कि उन्होंने केरिकुलम को बदलने के लिए, नए कोर्स बनाने के लिए स्टडी बोर्ड बनाई है। हमारी यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय परीक्षाओं तक उनका वार्षिक कैलेंडर खत्म हो जाता है या नहीं हो जाता, रिजल्ट आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं, जो अखिल भारतीय परीक्षाओं के लायक हमारे केरिकुलम हैं या नहीं हैं, हम यह चिंता शासकीय विश्वविद्यालय के लिए करते हैं। जब मैं उच्च शिक्षा के प्रतिवेदन रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो मुझे वह पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि निजी विश्वविद्यालय के पद भी रिक्त हैं। ऐसी चीजों को देखने, रोकने, भरने की हमारे पास mechanism नहीं है, सिस्टम नहीं। दूसरी बात, जब हमने क्षेत्रीय असंतुलन के कारण इतनी सारी यूनिवर्सिटी आपके समय में बनाएं, मैं हमेशा यह कहना चाहता हूं कि जो निजी यूनिवर्सिटी आती है, उसमें हमेशा क्षेत्रीय असंतुलन और नए कोर्स को देखना चाहिए। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखिये, रायपुर, दुर्ग, भिलाई मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एकाध दो इससे बाहर हैं, वे भी इसी पेरीफेरी में हैं कि नई राजधानी में रावतपुरा का ऑफिस है, इधर आरंग के पास एक का ऑफिस है, इस तरह का है, उससे ज्यादा दूर कहीं पर नहीं है। दूसरा, कोर्स क्या लाते हैं? इसमें कोर्स की सूची है। पर मैंने आपको बताया कि कोर्स को पढ़ाने वाले नहीं हैं, उन यूनिवर्सिटी में भी रिक्त पद हैं। दूसरी बात, हमारे पास यह सिस्टम नहीं है। प्रतिवेदन में उस दिन उच्च शिक्षा मंत्री जी एक प्रश्न के उत्तर में बता रहे थे कि हमने प्लेसमेंट

सेल बनाया हुआ है। अब मैंने पूछा कि कौन सा प्लेसमेंट सेल है? उस प्लेसमेंट सेल में कौन-लोग रहते हैं, डीन रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, विभागाध्यक्ष रहते हैं, रजिस्ट्रार रहता है, कौन रहता है? कोई उसको बताने के लिए तैयार नहीं था। बस प्लेसमेंट सेल है। इन यूनिवर्सिटी में आपने जमीन तय किया कि 25 एकड़ होगा, 5 करोड़ तय किया, वह होगा, इसमें सब चीजें हैं। मैं उस तरफ तकनीकी चीज़ों में नहीं जाता। सवाल यह है कि 17 यूनिवर्सिटी के बाद आज 18वीं यूनिवर्सिटी बन जाएगी। प्लेसमेंट में कितने बच्चे गए? कौन-कौन सी कंपनियां और किस स्तर की कंपनियां प्लेसमेंट में आती हैं? उसको भी देखने का हमारे पास mechanism नहीं है। निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग बनाना है, यूनिवर्सिटी से ज्यादा जरुरी अब यह बात है कि नियामक आयोग को नई परिस्थिति में उसके रिक्त पद मत रहें, उसमें प्लेसमेंट कितने हुए, कौन-कौन सी कंपनियां आईं? कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा? उसको एक सिस्टम बनाना चाहिए कि वह तीन महीने में नियामक आयोग को सरकार को रिपोर्ट करेगी। छह महीने में करेगी या हर साल शिक्षा सत्र के बाद में करेगी। ये mechanism खड़ा नहीं होगा तो हम जिसको एजुकेशन का बाजारीकरण बोलते हैं, वह हम कर रहे हैं और उस बाजारीकरण को रोकना है। आज हमारे पास अभी भी चुनौती है, सभी शिक्षाओं को जोड़ दें तो हम लगभग 18-19 प्रतिशत जी.ई.आर. में हैं। माने पशु चिकित्सा को भी जोड़ दें, कृषि को भी जोड़ दें, टेक्नीकल को भी जोड़ दें, मेकेनिकल और तकनीकी शिक्षा को भी जोड़ दें तो राष्ट्रीय स्तर से पीछे हैं और मैं तो लक्ष्य रखता था, मैंने इस विधान सभा में कई बार भाषण दिया है कि छत्तीसगढ़ में 50 प्रतिशत विकसित देश के लक्ष्य को मानकर तैयारी करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहे, इसकी तैयारी करनी चाहिए और ये चीजें यदि हमने कर लीं तो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे - शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा । बस्तर के भोले-भाले लोगों को सरगुजा के भोले-भाले लोगों को या और भी ऐसे अंचल हैं, जहां शिक्षा की पहुंच कम रही, ऐसे भोले-भाले लोगों को बहकाने का काम नहीं हो सकता । छत्तीसगढ़ की सारी समस्या चाहे धर्मान्तरण को लें, चाहे नक्सलवाद को लें ।

श्री रामकुमार यादव :- महाज्ञानी जी, दारूभट्ठी ला खोलिहौ ता उही मा दहाड़ही लइका मन, 67 ठा दारू भट्ठी खोले हौ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पशु चिकित्सा में तोर नाम भेज दे हौं, तैं आईवीएफ तकनीक ओखरे संग आजमा ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं भैंसा बुद्धि के बात करथौं तैं महाज्ञानी होकर 67 दारू भट्ठी खोले हौ, ओखरे तारीफ कर हावव ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अउ एकाध झन बैला भैंसा ला पेंशन बर नॉमिनी बना दे, दू काम कर । अध्यक्ष महोदय, जिन चीजों के कारण, आज एक इंडेक्स जारी हुआ है । पेपरों में उस विषय पर संपादकीय भी लिखी है कि अमेरिका हैप्पीनेस इंडेक्स में चौबीसवे नम्बर पर है । भारत तो

अफगारिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश से भी पीछे हैं । ऐसे इंडेक्स जब बनते हैं, तो हमारी जो शिक्षा है जब वे अपनी समस्या के बारे में दृष्टिकोण का निर्माण करेंगे, सोचने के लायक बन जाएंगे तो छत्तीसगढ़ अपने आप ही उन्नत बन जाएगा । शासन के संसाधन कम हैं, निजीकरण की जरूरत है लेकिन निजीकरण हो कहां पर ? यदि औद्योगिकीकरण करते हैं तो उसका मतलब रायगढ़ और सरगुजा नहीं होता, इसलिए इस यूनिसर्विटी के बाद मैं अपेक्षा करूंगा कि मानपुर-मोहला भी राजनांदगांव के नये जिले को ध्यान में रखा जाए, सुकमा, बीजापुर को भी ध्यान में रखा जाए कि उधर भी बनाएंगे । सुदूर गरियाबंद को भी ध्यान में रखा जाए और जो भी विसंगति मैंने बताई उसका मैकेनिज़्म खड़ा करने का समय अब आ गया कि उसमें रिक्त पद मत रहें, उसमें नये कोर्स रहें और उसके प्लेसमेंट को देखें । इन चीजों को ध्यान में रखा जाए । इसमें भी कुछ नये कोर्स दिख रहे हैं पर एकदम से कोई नये कोर्स नहीं दिख रहे हैं । इन्हीं चिंताओं के कारण हम लोग इसको बनाते हैं, मुख्मयंत्री जी आपने इसकी पहल की और उसके लिए मैं बधाई दता हूं । मैंने आपसे व्यक्तिगत मिलकर भी इस बात को कहा कि राजकीय विश्वविद्यालय जितने हैं, जितने यू.टी.डी. हैं, कोर्स तो बाद की बात है, बड़ी चिंता 8-9 हजार रिक्त पदों की है । जितने नये मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनको भी ले लीजिए, एनाटामी जो पहले साल पढ़ेंगे उसकी भी फैकल्टी की कमी छत्तीसगढ़ में है। तो शिक्षा को वेलफेयर स्टेट में सबसे ऊपर स्थान मिले । मैं आपको यह शुभकामना देता हूं । आपके समय में यह बनेगा और जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रसिद्ध वाक्य हैं, जिसे मैंने बोला कि शिक्षा वह शेरनी का वह दूध है, जो पियेगा वह दहाड़ेगा तो आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के लोग शिक्षित होकर देश दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन करेंगे । इस यूनिवर्सिटी को बनाकर आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं । इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं । आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । अब बोलो रामकुमार क्या कहना है ?

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, मोला कुछ ज्यादा बोलना नइ हे । जहां महाज्ञानी बोल दिस, एखर मा महागुण हे लेकिन महाज्ञानी जी आज प्रदेश में शिक्षा के स्तर कइसे हे आपला पता हे ? आप जावा ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- बता देथों ना । तैं इहां ले निकलके जाबे ना महाराष्ट्र अउ उड़ीसा के बॉर्डर स्टेट मा ता देखकर पता लग जाही शिक्षा के स्तर कइसे हे ।

श्री रामकुमार यादव :- हां, हां । इहां के कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मा पढ़े रथे वो आने प्रदेश में अप्लई करथे, तो ओ समय बड़का इंजीनियर मंत्री रहे हावा, ओखर कागज ला लेके फेंक देत हावय । ये गुणवत्ता आपमन ओ समय दे हवव । इहां 67 ठा दारू भट्ठी खोल दे हौ, अउ कहत हौ शेरनी के दूध, शेरनी के दूध । अउ ओला दारू पियात हावा, का दहाड़ही वो हा ? कतको कानून बना देवा ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बोलना होगा तो मैं अलग से समय दे दूंगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- रामकुमार की विशेषज्ञता हर विषय में बोलने की है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ब्यास जी, संक्षिप्त में अपनी बात रख दीजिए ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन का बिल प्रस्ताव लाया गया है कि छत्तीसगढ़ में और निजी विश्वविद्यालय खोले जाएं। निजी विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए और निजी विश्वविद्यालय खोलकर छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास होना चाहिए। लेकिन हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि वर्तमान में शासकीय विश्वविद्यालयों की या शासकीय कॉलेजों की जो स्थिति है, उसमें सुधार हो। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि अगर हमें शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है तो शासन के अधीन जितने विश्वविद्यालय हैं, आप कॉलेज खोलिए और कॉलेज खोलकर शासकीय कॉलेज और प्राईवेट कॉलेजों का एक साथ Competition एग्जाम कराएं और बेहतर परिणाम लाएं, इस बात के लिए हमें ज्यादा प्रयास करना चाहिए, खाली इंडेक्स बढ़ाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में इतने विश्वविद्यालय हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- ब्यास जी, एक मिनट। आप भाजपा में थे, मैंने जांजगीर में कौन-कौन सी शिक्षण संस्थान खोली है, आपको मालूम है।

श्री ब्यास कश्यप :- महोदय मालूम है।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए बताईए या मैं आपको बताऊं।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन जइसने खोले रेहेव वइसने फेल हो गे हे। ओमे कोनो पास नई होत हे।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं आपको बता देता हूं। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले थे और डॉ. रमन सिंह जी जिस समय गए थे, उसका नामकरण किया था। वह जानकारी मुझे है।

श्री अजय चंद्राकर :- पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोला था, विधि कॉलेज भी खोला था और तसर टेक्नोलॉजी भी खोला था, अभी तसर टेक्नोलॉजी चल रही है।

श्री ब्यास कश्यप :- महोदय, तसर टेक्नोलॉजी वर्ष 2007 में खुला है, आप उसकी हाल तो देख लीजिए, मैंने उसके बारे में इस सदन में कई बार कहा है। तसर टेक्नोलॉजी में 30 सीट है और वह भी संविदा के आधार पर चल रही है, वहां के कर्मचारी संविदा के आधार पर चला रहे हैं, उनके परीक्षा परिणाम तमिलनाडु के सेलम द्वारा रोक दिए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए छत्तीसगए के छात्र तैयार नहीं हो पा रहे हैं, ये तो राष्ट्रीय स्तर का कॉलेज है। महोदय, ध्यान दीजिए, मैं सरकार से खाली आग्रह कर रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। जब हम निजी विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालयों की तुलनात्मक बात करते हैं, निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अधिकांश बड़े घर के लोग रहते हैं, खाली डिग्री हासिल करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं। शासकीय कॉलेजों का हाल ये रहता है, जहां गरीब के बच्चे रहते हैं, उनका प्रतिशत हाई मार्क्स नहीं आ पाता,

मार्क्स कम रहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है या जिस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना होता है, मुझे पता है, आपके समय शिक्षाकर्मी वर्ग दो और एक की भर्ती जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के माध्यम से होती थी। जो विश्वविद्यालय के छात्र आते थे, उसमें सी.वी. रमन विश्वविद्यालय के छात्र 90 प्रतिशत पात्र होते थे, हमारे छत्तीसगढ़ के गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के हो या रविशंकर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत करने वाले छात्र उस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए ले लेते थे, लेकिन प्रतिशत कम होने के कारण उनका चयन नहीं हो पाता, ये विषय नहीं रहना चाहिए। विश्वविद्यालय खुलें और शिक्षा के स्तर में सुधार हो। हम यह क्यों प्रयास नहीं कर पाते कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जितने कॉलेज हैं, हम उसकी व्यवस्था ठीक करें। अभी बजट आया था, बजट में 52 करोड़ रूपए की राशि दी गई है, वह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के हिसाब से कम है, उसमें भी विस्तार किया जाए ताकि यहां निजी विश्वविद्यालय की जरूरत न पड़े। आज शिक्षा का स्तर अलग-अलग हो रहा है, उच्च वर्ग के बच्चे बड़े स्कूल में, मिडिल वाले अलग स्कूल में, झोलाछाप जिसको दाल भात खाना है, थाली लेकर जाना है, उसको अलग विद्यालय में भर्ती कर रहे हैं, ये स्थिति क्यों है ? हम एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकते, हम एक साथ Competition एग्जाम क्यों नहीं दे सकते ? हमें इस विषय में भी विचार करना चाहिए। निजी विश्वविद्यालय खुलें, कहीं पर कोई विरोध वाली बात नहीं है परंतु हमको अपने आप को भी इस विषय के लिए देखना पड़ेगा कि निजी विश्वविद्यालय में जो शिक्षा का स्तर गिरा रहता है, क्योंकि वे डिग्री बेचने का काम करते हैं, जिसके कारण उनके प्रतिशत हाई रहते हैं, शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चे का प्रतिशत कम होता है। जिसके कारण वे आगे अपना कैरियर नहीं बना पाते। निजी विश्वविद्यालय एक प्रकार से शिक्षा व योग्यता की हत्या है। सरकार को शासकीय विश्वविद्यालय में पर्याप्त स्टाफ एवं सुविधा देनी चाहिए और उसके उत्थान करने का प्रयास शासन स्तर पर होना चाहिए। निजी विश्वविद्यालय खुलें पर वह शासकीय विश्वविद्यालय के साथ Competition करें। निजी विश्वविद्यालय के बनिस्बत कॉलेज को ज्यादा महत्व दें और शासकीय विश्वविद्यालय के साथ एक साथ Competition करायें तो इसका रिजल्ट बेहतर आएगा। उसमें Competition होगा, अन्यथा खाली डिग्री बंट जाएगी और डिग्री बंटने के बाद परिणाम वहीं का वहीं रह जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री लेना नहीं होना चाहिए। आप शिक्षा का स्तर उठाने के लिए और competition कराने के लिए निजी विश्वविद्यालयों को भी शासकीय विश्वविद्यालयों के साथ competition करायें। उनकी भी एकसाथ देख-रेख व निगरानी हो ताकि वह केवल डिग्री ही न बांटे, बल्कि शिक्षा का स्तर कैसा हो, इस बात को देखने को मिले। निजी विश्वविद्यालयों में डिग्री बंटती है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं कि हमारे जांजगीर शहर में कई विश्वविद्यालयों के बोर्ड लगे रहते थे कि अध्ययन केन्द्र, अध्ययन केन्द्र। छात्र अध्ययन केन्द्र में केवल एडमिशन करा लेते थे और एडमिशन कराने के बाद केवल डिग्री लेकर आते थे। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए या शासकीय नौकरियों की परीक्षा में भाग लेने के लिए वह पात्र तो हो जाते

हैं, परंतु क्या ऐसे लोगों से हमारी छत्तीसगढ़ की शासकीय व्यवस्था और सुधरेगी? क्या हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे छात्र competition में भाग लेंगे? आप निजी विश्वविद्यालय खोलिये, परंतु उसका और शिक्षा का स्तर बेहतर रहे, न कि उनका काम केवल डिग्री देने का रहे। यह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सोच के साथ किया था, उसे वर्ष 2003 से वर्ष 2018 के बीच जब इस राज्य के आप मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके नेतृत्व में तेजी से आकार देने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से कार्य और उच्च शिक्षण संस्थानों का विस्तार आपके समय में ही हुआ। कभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 शासकीय विश्वविद्यालय होते थे। इसमें आज उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अब राज्य में शासकीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। (मेजों की थपथपाहट) इसी तरह शासकीय महाविद्यालयों का भी विस्तार हुआ है। जो 114 से बढ़कर 335 तक पहुंच गये हैं। इनके अलावा अनुदान प्राप्त व अनुदान अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या 321 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम, 2005 लागू किया गया है। जिसके तहत वर्तमान में कुल 17 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। जिन युवाओं को उज्जवल भविष्य की नई रौशनी मिलनी थी, उन्हें छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल में अंधेरे में ढकेलने का प्रयास हुआ। हमारी सरकार युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पी.एस.सी. समेत सभी भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता लेकर आई है। आज छत्तीसगढ़ में IIM, IIT, IIIT, NIT, AIIMS, national law university के साथ गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थान संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ को विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भूमिका अहम है। किसी नेतृत्व की संवेदनशीलता उसके छोटे-छोटे सरोकारों से दिखती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन्हीं सरोकारों का ध्यान हमेशा रखा है। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उनके सरोकारों की एक बहुत बड़ी कड़ी है। हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समय के साथ भविष्य के आयामों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की है। हमारी सरकार उच्च शिक्षा की पहुंच दूरस्थ, दुर्गम और आदिवासी अंचल में बढ़ाने के लिए एवं महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रायोजक निकाय जी.डी.आर. फाउन्डेशन द्वारा रूंगला इंटरनेशनल स्कील यूनिवर्सिटी के रूप में कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अनुमोदन के उपरांत यह प्रदेश का 18वां निजी विश्वविद्यालय होगा। यह विशेष रूप से कौशल विकास एवं रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देगा। प्रस्तावित विश्वविद्यालय राज्य की युवा शक्ति को कुशल एवं उद्योग उन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता, विधि, व्यवसाय, प्रशासन, इंजीनयरिंग, फार्मेसी, होटल प्रबंधन, fine arts, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान जैसे विविध विषय रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जायेंगे। इन पाठ्यक्रमों से प्रदेश के युवाओं को आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित भी किया जा सकेगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देगा। छात्रों को बेहतर कैरियर विकल्प मिलेंगे। अत: रूंगटा इंटरनेशनल स्कील यूनिविर्सिटी की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सकल प्रवेश अनुपात को बढ़ाने में योगदान को देखें तो उच्च शिक्षा में प्रवेश अनुपात (GER) को बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। यह विश्वविद्यालय दुर्ग संभाग में स्थापित 5 निजी विश्वविद्यालयों से अलग होगा। क्योंकि इस विश्वविद्यालय का फोकस व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर अधिक होगा। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा भी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अनुशंसा प्रदान की जा चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक प्रदेश के युवाओं को नये अवसर प्रदान करने एवं उच्च शिक्षा को और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महतवपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित करें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

(5) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025)

उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- श्री राम कुमार यादव जी, चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री राम कुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री जी के द्वारा ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट सुन ऐती।

श्री राम कुमार यादव :- महाज्ञानी जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुन न, ये तो आर्डिनेंस ए, अध्यादेश में जेन होना ए हो चुकीस। तोर बोले अउ नइ बोले के का मतलब ? तेखर सेतीर समर्थन कर अउ चुप बैठ। (हंसी) बोल के का डारबे ? का करबे तेला बता न ग, ये तो आर्डिनेंस ए। ओखर अनुपूरण होना ए, बस।

श्री राम कुमार यादव :- तुंहर बोले मा बने मीठा जथे, तू चुपेचाप बैठे रहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- समर्थन कर अउ चुप बैठ।

श्री राम कुमार यादव :- तुंहर बोले ला सुनतीस तो तू मंत्री रथा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप अपना भाषण जारी रखिये। आप इधर-उधर मत देखिये, सीधा इधर देखिये और बात करिये।

समय :
3:00 बजे

श्री रामकुमार यादव :- महोदय, मैं आप ल ही देखथौं।

अध्यक्ष महोदय :- हाँ, बस। आप उधर अजय जी की तरफ मत देखिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ए विधेयक ल देखत रहे। मैं ज्यादा पढ़े-लिखे नई हौ, मैं हर ज्यादा कुछ तो जानत नई हौं, लेकिन मैं पढ़े ल गुने त मैं मूल भाव ल ये समझे कि पंचायत में चाहे ओ हर पंच रहय, चाहे जनपद के अध्यक्ष रहय, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष रहय, अगर अनुसूचित जाति अऊ अनुसूचित जनजाति, अगर ये दोनों के आंकड़ा 50 प्रतिशत हे त ओमा कोई पंच तक नई बनय। महाज्ञानी जी, अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आंकड़ा 50 प्रतिशत हे, एमा ये कहे गे हे कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नई दिया जाये। ये प्रदेश के जोन जनसंख्या के अनुपात हे, ओमा 32 प्रतिशत आदिवासी हे, 12.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति हे अऊ इहां 49 प्रतिशत से भी ज्यादा पिछड़ा वर्ग हे, जेमा हमर महाज्ञानी चन्द्राकर जी भी आथे, छत्तीसगढ़ के आईकन हमर ओ.पी. चौधरी साहब भी आथे अऊ उमेश पटेल जी भी आथे, ए मन सब 49 प्रतिशत से ऊपर वाले हावय। बड़े-बड़े महाज्ञानी मन बइठे हे, ऊहां पिछड़ा वर्ग ल आरक्षण नई मिलत हे त 20 साल, 50 साल बाद कभू समय आही जब जनता आप मन ल सवाल पूछही। हमर अरूण साव जी भी पिछड़ा वर्ग में हावय। आप मन से सवाल पूछे जाही कि तुमन सदन में बहुत बड़े-बड़े ज्ञान गोठियात रहे हौ अऊ हमर लइका मन एक ठन सरपंच तक नई बनत रिहीस हे त तुमन सदन म काय करत रहे हौ ग? ओ समय आप ला जवाब देहे बर लागही।

समय :
3:02 बजे

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुई)

माननीय सभापति महोदय जी, मैं ज्यादा कुछ नई कहवं, मैं ज्यादा कानून के बारे म नई जानव, मैं आप मन ल इही बात कहना चाहता हौं कि मैं कर्नाटक के बारे म सुने रहे, काबर कि मैं पढ़व नहीं, मैं सुनथौ ज्यादा। मैं सुने रहे कि कर्नाटक में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिये जाथे। ये देश म कई उदाहरण हे, जहां 50 प्रतिशत से भी ज्यादा आरक्षण दिये जाथे। जब कोई राज्य अगला रास्ता म चल चुके हे त छत्तीसगढ़ में आप मन काबर उदाहरण पेश नई करौ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहत हौं कि अगर ए प्रदेश म पिछड़ा वर्ग मन भी वोट देत हे त का ओ मन इंसान नई हे? अभी सरगुजा से हमर मुख्यमंत्री जी आथे, उहां ल भी पिछड़ा वर्ग के बहुत आदमी मन वोट देथे। चल भाई इहां आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हे तब विधायक नई तो बने पाबो, सांसद नई तो बन पाबो, कम से कम सरपंच बन जाबो, बी.डी.सी. बन जाबो, जिला पंचायत सदस्य बन जाबो, ये उम्मीद के

साथ हमन के साथ म चलथे। न ओमन सरपंच बने पाही, न ओमन बी.डी.सी. बने पाही, न ओमन जिला पंचायत संदस्य बने पाय, न ओमन विधायक बने पात हे, न सांसद बने नई पात हे, सिर्फ इहां ओमन महाज्ञानी अऊ चौथा इंजन के सरकार ल वोट देहे बन बने रही। एखर खातिर मैं कहना चाहत हौं कि आप मन तो बड़े-बड़े ज्ञानी हौं, आप मन अइसे कोई रास्ता निकालौ, ताकि पिछड़ा वर्ग ल भी इहां आरक्षण मिल सकय अऊ पिछड़ा वर्ग कह सकय कि सबका साथ, सबका विकास होवत हे। अइसे हो सकय, एखर लिए आप मन विचार करौ। आप ल बहुमत हे, आप बहुमत के आधार पर कोई कानून ल पास करा सकत हौ, जेखर लाठी तेखन भैंस हे जइसे। लेकिन चन्द्राकर जी, आप याद रखिहौ कि ज्ञान मारे ज्ञानी ल अऊ ज्ञान गोला ठहराय हो मुरूक मारे टेम्पा त मुड़ कान फूट जाय हो। (हंसी) आज मैं शर्मा जी से निवेदन करिहौं कि आप तो महाराज जी हव, आप सबके भावना के कदर करने वाला हव, पिछड़ा वर्ग जे मन ये प्रदेश म 50 प्रतिशत से भी ज्यादा रइथे, ओ मन सरपंच नई बन पाय, ओ मन जिला पंचायत अध्यक्ष नई बन पाये, सरगुजा अऊ बस्तर म तो विधायक अऊ सांसद बनेच नई पाय, अइसे मन के भी हमन ल कुछ विचार करना चाहिए। चूंकि इहां के सब्बो झन भाग्य विधाता हौ, एखर खातिर अच्छा से कानने बनववौ ताकि पिछड़ा वर्ग ल ग्राम पंचायत म प्रतिनिधित्व मिल सकय। जइसे हमर भूपेश बघेल जी हर इहां 27 प्रतिशत आरक्षण के व्यवस्था बनाय रिहीस हे, ओ हर राज्यपाल महोदय के आलमारी में धूल-धक्कड़ खात पड़े हे, ओला निकाल के आप देवा देवौ, अइसे मैं आपसे निवेदन करते हुए अपन वाणी ल विराम देवत हौं। महाज्ञानी की जय हो।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन विधेयक, 2025 में बहुत छोटा-छोटा संशोधन है । इसमें संशोधन लाने का जो मूल कारण हैं, जिस प्रकार से बहुत सारे राज्यों के विधानमंडलो में अलग-अलग सरकारों के द्वारा पारित करके 25 प्रतिशत आरक्षित किया गया है तो इस मामले को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, मैं उसके केवल एक प्रकरण का उदाहरण दे देता हूँ- WPC 980/2019 विकास किसन राव गावली विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य शासन । सभापति महोदया, इसमें जो पारित हुआ है, मैं उसको थोड़ा पढ़कर सुना देता हूँ कि पारित निर्णय दिनांक 4-03-2021 के पैरा 12 में Tripple Test/Condition का उल्लेख किया गया है । इससे राज्य द्वारा स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित करने के पूर्व सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। सभापति महोदय, अब उसमें आवश्यक है तो मूल रूप से उसका सार यह आया है कि 50 परशेंट अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण यदि है, उस स्थिति में पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण 50 प्रतिशत से कम है, वहां पर पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण किया जा सकता है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की

सरकार के द्वारा एक 16-07-2024 को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया । आयोग के द्वारा अपना काम प्रारंभ किया गया, प्रारंभ करने के बाद में उसकी समीक्षा की गई, उसकी सुनवाई हुई और उसके बाद 24-10-2024 को राज्य शासन को प्रतिवेदन सौंपा गया । उक्त प्रतिवेदन में आयोग द्वारा अनुशंसा करते हुये लिखा, जिस बात का मैंने उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, वर्तमान में स्थानीय निकायों में आरक्षण की एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत हो, उसे शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक आरक्षण का प्रावधान किया जाये । सभापति महोदय, आपको मालूम है कि जिस समय हमारा चुनाव हुआ, उस समय हमारी विधान सभा की सत्र नहीं थी और इसके कारण में अध्यादेश लाना पड़ा । अध्यादेश लाने के बाद में चुनाव संपन्न हो गये, संपन्न होने के बाद आज जब हमारे सत्र चल रहे हैं तो यह विधेयक लाया गया । हमें विधेयक लाने का जो फायदा मिला है, इसके पहले मध्यप्रदेश का चुनाव हुआ, अन्य राज्यों का चुनाव हुआ, उन चुनावों में पिछड़ा वर्ग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि उन्होंने कोई संशोधन नही लाया, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अध्यादेश लाये गये, उस अध्यादेश के कारण में यहां के पिछड़े वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिला और उसी को माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधेयक के रूप में आज प्रस्तुत किया गया है, इसमें धारा 13 में एक छोटा सा संशोधन है, धारा 13 के संशोधन (2) वार्ड में पंच के लिये है, मैं उसे डिटेल्स में पढ़ने की जगह नहीं है, आपको केवल एक जगह पढ़कर बताता हूँ कि मूल क्या है- किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिये 50 प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गये हैं । वहां यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्याके 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये, जो शेष स्थान है, कौन सा शेष स्थान जो 50 परशेंट है, उसमें दोनों को मिलाकर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत से कम है, 50 प्रतिशत की अद्यतन सीमा के रहते हुये शेष स्थान जो बचा हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये, उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षित किये जायेंगे और ऐसे स्थान उस ग्राम पंचायत के भिन्न वार्डों को विहित रीति से, चक्रानुक्रम से कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगे । यह हमारा धारा 13 का संशोधन पंच के लिए है। इसी प्रकार से धारा 17 का संशोधन ग्राम पंचायत के सरपंचों के लिए है, कंटेंट वही है । धारा 23 (दो) का संशोधन जनपद पंचायत के सदस्य के लिए है और धारा 25 (दो) का संशोधन जनपद अध्यक्ष के लिए है । धारा 30 (दो) का संशोधन जिला पंचायत के सदस्य के लिए है और धारा 32 (दो) का संशोधन जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए है । अभी जो चुनाव हुए, उस चुनाव में पंच से लेकर त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव सम्पन्न हुए और इस चुनाव का जो रिजल्ट आया, वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे, उसमें पूरे 31 सीट में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनकर आये । (मेजों की थपथपाहट) 125 जनपद अध्यक्ष चुनकर आये हैं ।

यदि मैं सरपंचों की बात करूं तो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के 80 प्रतिशत से ऊपर सरपंच चुनकर आये हैं । (मेजों की थपथपाहट) उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया गया । तो मतदान का प्रतिशत है, उसमें हम लोगों ने गांव में देखा है कि जो व्यक्ति गांव के बाहर हैं या जो व्यक्ति गांव के आसपास नहीं हैं या जो इस दुनिया में ऐसे नहीं हैं, ऐसे लोग ही वोट डालने नहीं आये हैं, नहीं तो लगभग शत-प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है । यह जिज्ञासा रही है, चुनाव को लेकर उत्सुकता रही है और इस उत्सुकता के साथ में लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है । उसके बाद में हमारे पंच का चुनाव, उप सरपंच का चुनाव, जनपद सदस्य का चुनाव, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव हुए । ये सारे चुनाव सम्पन्न हुए हैं । मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं, साथ ही हमारे मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं । प्रदेश के बाकी लोग वंचित रह गए, लेकिन मैं अभी डाटा तो नहीं दे रहा हूं, ये पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो आज मैं यह बोल रहा हूं कि अनुसूचित जाति और जाति को छोड़ दें तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधि चुनकर आये हैं । यह हमारे परिणाम बता रहे हैं । उसके बाद में जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनकर आये हैं, जो सामान्य सीटें हैं, उसमें भी पिछड़ा वर्ग के जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनकर आये हैं । यह हम लोगों ने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधि चुनकर आयें । हमने अपनी पार्टी की ओर से भी यह व्यवस्था बनाई कि सरकार का आरक्षण जो भी हो, लेकिन हम सामान्य सीट में भी पिछड़ा वर्ग को चुनकर लाएंगे और हम पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को हम अध्यक्ष बनाएंगे । यह केवल कहने की ही बात नहीं है, बल्कि हमने अध्यक्ष बनाये हैं । आज यह संशोधन लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे देश के अलग-अलग विधान मण्डलों में विधेयक पारित किए गए और जिन लोगों ने उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी । माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया, उसके परिपालन में आज यह विधेयक हमारे मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है । मैं चाहता हूं कि हम लोग इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें और आने समय में भी जो शंका और कुशंका जाहिर करते हैं कि पिछड़े वर्ग के कितने प्रतिनिधि आएंगे ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आज चुनकर आये हैं, उससे भी ज्यादा पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधित्व पंच से लेकर जिला पंचायत तक रहेंगे । मैंने इस विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखी है । इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये । माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह विधेयक लाया गया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रेमचन्द पटेल (कटघोरा) :- माननीय सभापति महोदया, मैं आज इस सदन में छ.ग. पंचायत राज संसोधन विधेयक-2025 का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदया, अभी वर्तमान में ही स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए और हमारे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के भाई-बहनों का स्थानीय निकाय के चुनाव में चाहे वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हों, उन सबमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हुई। उनको भी उचित स्थान मिले, इसके लिए इस विधेयक का सर्वसम्मति से पास होना बहुत जरूरी है। चुनाव के पहले अध्यादेश के माध्यम से यह विषय आ चुका है।

सभापति महोदया, मैं सदन का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न आदेश वर्ष 2021 एवं 2022 में आ चुके थे। परन्तु पूर्ववर्ती शासनकाल में इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु आयोग का गठन कर आरक्षण का निर्धारण नहीं किया जाता तो स्थानीय निकाय का वैधानिक समय-सीमा में निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं हो पाता।

सभापति महोदया, राहुल रमेश बाग विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य शासन एवं अन्य में पारित आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं करती है, तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सीटों को अनारक्षित करते हुए संविधान द्वारा निर्धारित समयावधि में पंचायतों का चुनाव कराना होगा।

अतः यह राज्य सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करे एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित कालावधि के अवसान के पूर्व ट्रिपल टेस्ट की औपचारिता को पूर्ण कर पंचायतों का निर्वाचन पूर्ण कराए।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि मध्यप्रदेश राज्य में ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूर्ण न होने के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव तीन वर्ष तक लंबित रहे। झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये बगैर स्थानीय निकायों के चुनाव कराये गये तथा महाराष्ट्र राज्य में अभी तक स्थानीय निकायों के चुनाव लंबित हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रासंगिकता के साथ समयबद्ध तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।

अतः मैं इस सदन से इस विधेयक को आज सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करता हूं और अपनी ओर से सभी सदस्यों से मांग करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जाए। धन्यवाद।

श्री ईश्वर साहू (साजा) :- मैं आज इस सदन में छ.ग. पंचायत राज संसोधन विधेयक-2025 का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 11693 ग्राम पंचायत, 146 जनपद पंचायत एवं 33 जिला पंचायत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सन् 1993 में संवैधानिक संशोधन होने के पश्चात् से प्रत्येक 5 वर्ष में तय समय-सीमा में पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन होते रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में दिये गये निर्णयों के परिपालन में हमारी सरकार ने त्वरित और समयबद्ध पहल करते हुए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया तथा आयोग की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने हेतु अध्यादेश लाया गया और आज इसी संबंध में विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका मैं समर्थन करता हूं।

यह कार्यवाही सरकार की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जिसके माध्यम से प्रजातंत्र के अंतिम इकाई के भी निर्वाचन समय-सीमा में हो सके इस बात की चिंता की गई। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में जहां तय समय-सीमा निर्वाचन नहीं कराया जा सका। हमारी विष्णु देव साय की सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं संवैधानिक मूल्यों दोनों का सम्मान करते हुए तय समय-सीमा में चुनाव कराया।

अतः इस विधेयक को आज इस सदन में सर्व सहमति से पारित किया जाना प्रस्तावित है। (मेजों की थपथपाहट)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदया, मैं इस संशोधन विधेयक के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखकर समाप्त करता हूं। इस चर्चा में जिन साथियों ने भाग लिया है, उसमें हमारे माननीय रामकुमार यादव जी की चिंता थी कि 50 प्रतिशत से कम की स्थिति में कोई नहीं जीत पायेगा, मैं अभी भी उनको बताना चाहता हूं कि जब जिला पंचायत में पिछली बार भी चुनाव हुआ था तो ओ.बी.सी. वर्ग से 9 जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर आये थे और इस बार भी ओ.बी.सी. वर्ग से 9 जिला पंचायत अध्यक्ष चुनकर आये हैं। यह तो ऐसी स्थिति थी जिसके कारण ट्रिपल टेस्ट, जैसा माननीय सदस्य श्री ईश्वर साहू जी ने और प्रेमचंद जी ने कहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर एक और मामला है। सुप्रीम कोर्ट के तीन निर्णय हुए। मैं इसमें थोड़ा स्मरण कराकर बात समाप्त करता हूं। एक, विकास किशन राव, गबली विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य शासन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन ट्रिपल टेस्ट की बात कहीं कि इन तीनों टेस्ट को करके चुनाव कराया जाना, इससे इतर कुछ नहीं हो सकता। ओ.बी.सी. आयोग का गठन करके उसकी अनुशंसा के आधार पर चुनाव करना। दूसरा, आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायवार प्रावधान किये जाने वाले आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम को ने एक और मामले में दिनांक 04 मार्च, 2021 को और फिर दिनांक 19 जनवरी, 2022 को राहुल, रमेश बाघ, विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य शासन को

एक और ओदश जारी किया। उसमें यह कहा कि अगर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता को सरकारें पूर्ण नहीं करती है तो बिना आरक्षण किये, उन शेष पदों को अनारक्षित मानते हुए निर्धारित समय में जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें निर्धारित समय में स्थानीय निकाय के चुनाव कराये जाने चाहिए, इसमें ऐसा कहा गया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय आया जो 10 मई, 2022 का था। वह सुरेश महाजन, विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय है, जैसे ट्रिपल टेस्ट और यह सारे निर्णय, इसको सिर्फ यह न माना जाये कि यह सिर्फ एक राज्य में लागू हैं, यह समूचे भारत वर्ष में सभी राज्यों में अनिवार्यत: लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तीन निर्णय आये। इन निर्णयों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को सूचना दी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया, उसमें नियुक्तियां की गईं और नियुक्तियां होने के उपरान्त एक संपूर्ण सर्वे कराकर, जिस तरीके से भारत के सांख्यिकीय विभाग के द्वारा जितना इंक्रीमेन्ट जनसंख्या का माना गया है। उस इंक्रीमेन्ट में जनसंख्या को लेकर उसका अनुपात निकाला गया। आयोग के द्वारा सब कुछ किया गया। फिर आयोग ने अपनी अनुशंसा दी। इस आधार पर आरक्षण करके, करना है। उस आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करवाकर। यह विशेष बात है, जिसकी चिंता माननीय सदस्यों ने भी की है और विशेष रूप से ईश्वर साहू जी ने की है। जब से संविधान संशोधन पंचायती राज के हुए हैं तब से आज तक नियत समय में पंचायती राज के चुनाव होते रहे हैं। इसमें विशेष रूप से यह है कि 3 राज्य हैं मध्यप्रदेश इस बार इसी विषय को लेकर ट्रीपल टेस्ट नहीं करा सकने के कारण, वह तीन वर्ष लेट हो गये। लेकिन हमारा चुनाव समय पर हुआ। इसके अतिरिक्त झारखण्ड में ट्रीपल टेस्ट नहीं होने के कारण सारी सीटें अनारक्षित रह गयीं। ओ.बी.सी.वर्ग. के आरक्षण जितने मिलने थे, वह नहीं हो पाये और वहां वह चीजें आगे बढ़ गईं, बिना आरक्षण के ही वहां करना पड़ा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अब तक चुनाव की दिशा में लोग आगे नहीं बढ़ पाये हैं, वह राज्य आगे नहीं बढ़ पाये हैं। इन सारे ही विषयों को देखते हुए जो हमारे संविधान के प्रावधान हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, उसके आधार पर आयोग के गठन के उपरांत, आयोग की जो अनुशंसा हुई। उस आलोक में आरक्षण की प्रक्रिया करते हुए नियत समय में चुनाव निर्धारित हो जाये, संपन्न हो जाए। हमारे जितने भी स्थानीय निकाय हैं पंच, सरपंच, जनपद, जिला, सब जगह यह चुनाव होकर के निर्धारित हो जाएं। यह सोचकर के बातें आगे बढ़ायी गयी। इसमें जितने भी आवश्यक कार्य थे, वह करने के उपरांत आज सदन के समक्ष जितने आवश्यक संशोधन हैं, उसके लिए प्रार्थना है। मैं सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि इसका अनुमोदन करें। माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि- खण्ड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि- खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि- पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उप मुख्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदया, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पारित किया जाये।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(6) रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदया, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पर विचार किया जाय।

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, आपने प्रस्तुत किया है तो उसके बारे में कुछ बोलें। आप उसमें कुछ प्रकाश डालें और कुछ बोलें। आप थोड़ा बहुत व्याख्या कर दीजिए।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदया, एक्चुअली वाणिज्यिक कर पंजीयन का जो नियम है, जिसके तहत जमीनों का पंजीयन होता है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत होता है। यह 1908 का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम बहुत पहले बना हुआ है, करीब 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। उसमें आजकल जो डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल आधार, पेन कार्ड की सीडिंग, इस तरह के जो विषय हैं, उसके लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं, बड़े पुराने प्रावधान हैं। उस दृष्टिकोण से बहुत ही व्यापक संशोधन लाये गये हैं। इन संशोधनों को लाने से पहले हमने अनेक राज्यों के, लगभग 6 राज्यों में पंजीयन के संबंध में जो reforms हुए हैं, उसका अध्ययन किया और उसके आधार पर जो जरूरी reforms थे, उसे एक comprehensive way में एक साथ लेकर आये हैं। इस अधिनियम में लगभग 93 सेक्शन हैं, उनमें से 32 सेक्शन और सब सेक्शन में छोटे-छोटे amendment की जरूरत पड़ रही है। सभापति महोदया, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक फार्म या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को कैसे डिफाइन करना है, उसके बारे में एक्ट में कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि 1908 की परिस्थितियों में कोई तरह के technological subject नहीं थे। आधार कार्ड का कोई कांसेप्ट ही नहीं था तो आधार कार्ड, पैन कार्ड की सीडिंग कैसे करनी है, उसके संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि जो दस्तावेज, रिकॉर्ड हैं, उसको लोग देख सकें, यह आजकल technology के माध्यम से संभव है। प्रापर्टी को mortgage रखा रखा जाता है, कई बार प्रापर्टी mortgage रहती है। कोई क्रेता जमीन को खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ही 2-4 बैंक में वेरीफाई कर पाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि mortgage का भी जो अभिलेख है, उसे रजिस्ट्रीकरण किया जाये, ऑनलाईन मोड में उसे संचित करके रखा जाये और वह जनता के लिए ओपन हो और जनता उसे देख सके। जो mortgage की प्रापर्टी है, उसकी बिक्री न हो जाये। इस तरह के जो आवश्यक संशोधन हैं, वह भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजीयन में जो बहुत बड़ी समस्या आती है, हमारे पक्ष और विपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्य जानते हैं कि कई बार होती है कि एक जमीन की कई बार रजिस्ट्री हो जाती है तो उसको भी technology के माध्यम से रोका जा सकता है। इसके लिए सुगम ऐप लाया गया है। सुगम ऐप अभी पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। उसमें जैसे ही जमीन की खरीद बिक्री करनी हो तो क्रेता और विक्रेता उस साईट में खड़े होते हैं और उसका तीन साईड से फोटोग्राफ लिया जाता है और फोटोग्राफ लेते हुए अक्षांश और देशांत उसका उसमें एंट्री हो जाती है। उसी अक्षांश और देशांतर की जमीन को कोई अगर कोई दूसरा बेचने की कोशिश करेगा तो उस सॉफ्टवेयर ट्रेक कर पायेगा। पर इस तरह की चीजों को पहले एक्ट में शामिल नहीं किया गया था, इसको जोड़ने की जरूरत है। इससे दोबारा रजिस्ट्री

रोक पायेंगे। कई बार जमीन की रजिस्ट्री करते समय दूसरी जमीन को दिखा दिया जाता है और दूसरी जमीन को, दूसरे खसरा को रजिस्ट्री कर दी जाती है। इसको भी अक्षांश, देशांतर जमीन की पहचान रहेगी तो उसको ट्रैक किया जा सकेगा और इस तरह की गफलत में हमारे क्रेता, विक्रेता नहीं फसेंगे। इस तरह से महत्वपूर्ण विषय है। इसी तरह से जो उपस्थिति है, वह केवल फिजिकल उपस्थिति को ही एक्ट मान्यता देता है। लेकिन आजकल आधार डिजिटलाइजेशन है, आजकल के जमाने में फिजिकल अटेन्ड करना जरूरी नहीं है, अगर उसको technologically फूलप्रूफ कर लिया जाये। उस सबंध में भी आवश्यक संशोधन करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। डिजिटल डेटा से ऑनलाईन सर्च और नकल निकाल सकें। जैसे कोई जमीन की हिस्ट्री देखनी है, कहीं कोई जमीन को खरीद रहा है तो क्रेता उसकी पूरी हिस्ट्री देख सके, इसके लिए डिजिटल माध्यमों से उसको उपलब्ध कराने से उसका काम आसान हो सकता है और जो फर्जीवाड़ा होता है, उसे रोका जा सकता है। इस तरह के भी प्रावधान इसमें सम्मिलित किये गये हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखना चाहूंगा कि जैसे सरकारी जमीनों की कई बार गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी जाती है और बाद में वह अपील में जाता है तो सिविल कोर्ट में जाता है और जो सरकारी राजस्व अधिकारी रहता है, वह अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं या उनका कोई interest involve नहीं रहता इसलिए appear नहीं होते और कई बार सरकारी जमीनों में उल्टा फैसला आता रहता है तो इस तरह की स्थितियों के लिये आई.जी. को भी अधिकृत करने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है ।

माननीय सभापति महोदया, इसी तरह सामाजिक सुधार की दृष्टि से आज हम जो संशोधन ला रहे हैं, मैं उसके संबंध में एक सामाजिक सुधार की दृष्टि से बताना चाहूंगा कि पहले जो गोदनामा लिया जाता था, जो दत्तक गोदनामा लिया जाता था । बच्चे को एडॉप्ट किया जाता था तो उसके संबंध में केवल दत्तक पुत्र लिखा हुआ है, एडॉप्ट करने के संबंध में "स" नहीं लिखा हुआ है, Daughter नहीं लिखा हुआ है । जबकि आज के जमाने में पुत्र-पुत्री को बराबर का महत्व दिया जाना सामाजिक रूप से एक अत्यंत अनिवार्य विषय है और यदि किसी को एडॉप्ट किया जा रहा है यानी बेटे को एडॉप्ट किया जाता है तो बेटी को भी एडॉप्ट किया जा सके, ऐसा कानून में प्रावधान होना चाहिए लेकिन वर्ष 1908 के समय में जिस तरह की सामाजिक मानसिकता रही होगी उसके अनुसार उस एक्ट में लिखा हुआ है कि adopted son यानी केवल पुत्र लिखा हुआ है तो उसकी जगह में हम उसको पुत्र/पुत्री अर्थात् संतान कर रहे हैं तो इस तरह की जरूरी चीजों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं । इसके अलावा जैसा कि मैंने Online search की बात कही, Online नकल प्राप्त करने की बात कही, इससे पक्षकारों को, आम जनता को, वकीलों को सबको आसानी होगी और दूसरा जो Registry के Document होते हैं उसको ई-मेल से, व्हाट्सएप से भी भेजा जा सके और उसको वैधानिक मान्यता मिले इसके लिए भी आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता है । Passport office जैसे आजकल चलता है, Visa Office जैसे

आजकल चलता है कि वहां पर जाते हैं और Professionally managed Office होता है । वहां कोई भी Customer जाता है और उसकी पूरी अच्छे तरीके से आवभगत की जाती है और उसके बाद जो Registry का काम है वह केवल सरकारी अधिकारी करे, बाकी काम को अच्छे तरीके से Professionally manage किया जा सके इस तरह के संशोधन हैं जिसके माध्यम से हम पंजीयन की प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत लाभ होगा । फर्जी रजिस्ट्री, एक ज़मीन की बार-बार रजिस्ट्री या mortgage जमीन की रजिस्ट्री जैसी स्थितियों से हम छत्तीसगढ़ की जनता को बचा पाएंगे । इस दृष्टिकोण से नए टेक्नालॉजी, नए युग के अनुरूप एक्ट में जो संशोधन की जरूरतें थीं उसको इंट्रोड्यूज किया गया है । हमारे पूरे विभाग ने पिछले लगभग एक साल तक इस दिशा में बहुत प्रयास किया है, मेहनत की है और मैं निवेदन करूंगा कि आज सदन के माध्यम से इसको सर्वसम्मति से अनुमति दे दी जाए ।

श्री भूपेश बघेल :- आपने अभी बहुत विस्तार से बताया, इसमें वित्तीय भार कितना आयेगा ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने एग्जेक्ट वित्तीय भार पूछा है तो एग्जेक्ट कोई अतिरिक्त वित्तीय भारत नहीं आएगा और जो प्रक्रिया है अभी उसी के तहत पूरा हो सकेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- आपने अभी जैसा उल्लेख किया कि नया साफ्टवेयर तैयार करेंगे ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- बहुत नॉमिनल होगा, बहुत ज्यादा ज़रूरत नहीं होगी ।

श्री भूपेश बघेल :- होगा न, चाहे कुछ भी हो । यदि खजाने से एक रूपया भी खर्चा होता है तो वह वित्तीय भर तो आएगा लेकिन आपने जो अभी बिल प्रस्तुत किया है उसमें वित्तीय ज्ञापन नहीं है । चूंकि आपने खुद स्वीकार किया कि इसमें नॉमिनल लाएगा । आपने यह स्वीकार कर लिया कि आयेगा और वित्तीय ज्ञापन आया नहीं तो बिना वित्तीय ज्ञापन के आप इस प्रकार के बिल नहीं ला सकते, मेरी आपत्ति है ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- नहीं, अभी...।

श्री भूपेश बघेल :- अभी आपने स्वीकार कर लिया क्योंकि नया साफ्टवेयर तैयार करेंगे । अभी आपने पायलट प्रोजेक्ट लागू किया है तो उसमें जो खर्चा आएगा और खर्चा तो आएगा ही तो मैंने इसीलिए आपको पहले प्रारंभिक उद्बोधन के लिए कहा क्योंकि जब मैंने पूरा एक्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें खर्च तो होगा लेकिन वित्तीय ज्ञापन नहीं है और बिना वित्तीय ज्ञापन के बिल प्रस्तुत किये हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आपने यह स्वीकार कर लिया है कि वित्तीय भार पड़ेगा और आप स्वयं वित्तमंत्री हैं तो कृपा करके नियम विपरीत कोई बात नहीं होनी चाहिए । मेरा आपसे आग्रह है कि इसको वापस ले लें ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदया, अभी जो प्रक्रियाएं हैं और प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत होगा, अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा ।

श्री भूपेश बघेल :- आपने स्वीकार किया है ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- मैंने यह स्वीकार किया है ।

श्री भूपेश बघेल :- कोई भी साफ्टवेर है उसको डवलप करने में या आप नया साफ्टवेर लांच करेंगे उसमें खर्चा आयेगा ही, आप बिना उसके साफ्टवेर डवलप ही नहीं कर सकते हैं । आप उसमें साफ्टवेर लागू करेंगे ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदया, इसमें पहले जो फिजिकल प्रोसेस में जितने खर्चे हैं, उसी के यानी अभी ऑनगोइंग सिस्टम में जितने खर्चे हो रहे हैं उससे अतिरिक्त वित्तीय भारत नहीं आयेगा । मैंने जो बात कही है कि नॉमिनल कुछ खर्च आयेंगे तो अभी वर्तमान में जो जारी सिस्टम है उसमें जो खर्च हो रहा है उसके अंतर्निहित हो जायेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, आप दोनों प्रकार की बात बोल रहे हैं। एक नॉमिनल खर्च भी होगा, बोल रहे हैं और दूसरा नहीं भी होगा। इसमें खर्च होगा ही। कैसे नहीं होगा? आप सारे सिस्टम बदल रहे हैं। पहले जो पेपर वर्क होता था, अब डिजिटल होगा, डिजिटल होगा तो मतलब यह है कि गवर्नमेंट को उसके लिए सारे कुछ रखना पड़ेगा, कैमरा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। थम्ब इम्प्रेशन के लिए आपको मशीन लगेगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, उसमें पैसा लगेगा, पैसा तो लगेगा और आपने इस सदन में स्वीकार भी कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो विधान सभा में नियम विपरीत कोई बिल पारित नहीं होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि आपने वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया है, वित्तीय ज्ञापन लगाइए, उसके बाद रखिए।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा।

श्री भूपेश बघेल :- 1 रूपये भी आता है तो भार पड़ेगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- फिजिकल प्रोसेस के तहत् जो खर्च हो रहे हैं, उसके अतिरिक्त और नहीं आएगा। नॉमिनल जो खर्च आया, मैंने कहा वह तो बनाने के लिए आएगा, लेकिन उसमें से हमारी मैक्सिमम चीजें पहले से तैयार है।

सभापति महोदय :- उसी के अंदर ही है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जो खर्च अभी हो रहा है, उसके अतिरिक्त और खर्च नहीं होगा, जो फिजिकल प्रोसेस में हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। सॉफ्टवेयर और सारी चीजें पहले ही हम लोगों ने स्वीकृति लेकर उसमें आगे बढ़ चुके हैं। ये तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसको implement करने के लिए लीगली इसकी जरूरत पड़ रही है।

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू।

कृषि मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- सभापति जी, नेता जी, आज रजिस्ट्री में खर्च हो रहा है या नहीं? आज भी थम्ब इम्प्रेशन की मशीन लगी हुआ है। आज भी वहां कैमरे, कंप्यूटर सभी हैं। सिस्टम वही है, उस सिस्टम को अपडेट करना है, इतना तो है।

श्री भूपेश बघेल :- राम विचार जी, मंत्री जी ने नए सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात कही है, इसलिए मैंने कहा। अब आपको बहुमत के आधार पर जो करवाना है करवा लीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सर, सॉफ्टवेयर रेडी है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आपने खुद स्वीकार कर लिया है कि इसमें वित्तीय भार आएगा, नॉमिनल आएगा, जो भी आएगा, आपने स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी यदि नियम विपरीत पारित कराते हैं तो कराइए। उसमें कुछ थोड़ी है। आपका बहुमत तो है, लेकिन नियम विपरीत कोई काम करेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें क्या खर्च आएगा? नॉमिनल आएगा। नॉमिनल आयेगा तो चाहे एक रूपया आए या 100 रूपये आये, हजार रूपये आये या चाहे लाख करोड़ रूपये आये, लेकिन वित्तीय ज्ञापन के बिना आप कैसे इस बिल को ले आए? यह मेरा कहना है। अब उसके बाद बहुमत का आधार पर जो करना है, करिए न। जब विधान सभा में इस प्रकार से हो रहा है तो फिर कहा नहीं सकता।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने कहा था कि उसी के अंदर ही आयेगा, क्योंकि अतिरिक्त नहीं आ रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, खुद confuse हैं और ऐसे भी हम बहस नहीं करेंगे, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :
3.42 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा विधेयक में वित्तीय ज्ञापन संलग्न नहीं किये जाने के विरोध में

(माननीय सदस्य, श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा विधेयक में वित्तीय ज्ञापन संलग्न नहीं किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, संबंधित विभाग के मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रक्रिया चल रही थी, जो खर्चा था, उसी के अधीन, उसी व्यवस्था के तहत् वह संपूर्ण व्यवस्था चलेगी। जब हाउस में स्पष्ट बोल दिया तो उससे बचा हुआ क्या है? ये केवल बहिर्गमन करके चर्चा के विषय को विषयांतर करना मुझे नहीं लगता कि यह उचित है।

सभापति महोदय :- श्री अमर अग्रवाल जी।

श्री राम विचार नेताम :- ऐसा है एक कहावत है कि रोने का मन था और आंख भी थोड़ा पोंछा गया तो इनको जाने की इच्छा ही थी तो ये कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे थे, चले गए। इन सबको लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी प्रकार का विश्वास ही नहीं है। ये सब तो चले भाग वाले हाल है। वे चले गएं। ये रणछोड़ दास हैं। रण छोड़ कर भाग गए। (मेजों की थपथपाहट) जब कभी भी इस तरह की बात आती है, ये लोग रण छोड़कर भागते हैं, इसलिए इनका नाम अब जो है रणछोड़ दास है।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, एक कहावत है कि दुनिया में सारे युद्ध, सारे झगड़े, मनमुटाव तीन चीजों के कारण होते हैं जर, जोरू, गुलाम।

श्री राजेश मूणत :- जोरू क्या होता है?

श्री अमर अग्रवाल :- मेरे ख्याल से मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानेगा। (हंसी) मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्रीमती शेषराज हरबंश, सदस्य के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- आइए आपका स्वागत है ।

श्री अमर अग्रवाल :- बैठो बैठो (हंसी)

(श्रीमती शेषराज हरबंश, सदस्य सदन से बाहर गईं)

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस रजिस्ट्री अधिनियम में बहुत विस्तार से, नई सोच के साथ, बदले हुए परिवेश में टेक्नालॉजी के साथ जो बदलाव किया है, उसमें आवश्यक होता है कि जो हमारे पुराने अधिनियम हैं, उनको परिवर्तित करना । मैं बहुत विस्तार में नहीं जाउंगा । सभापति जी, बढ़ता हुआ शहरीकरण, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई तरक्की के साथ जमीनों के विवाद दिनोदिन बढ़ रहे हैं । इसमें बहुत से डिटेल हैं, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा कि फर्जी रजिस्ट्रियां, सरकारी जमीन का चढ़ जाना, सारी टेक्नालॉजी के उपयोग से निश्चित तौर पर इसमें बहुत सी बातों का समाधान इस अधिनियम के कारण हो जाएगा, इस नई तकनीक के कारण हो जाएगा । सभापति जी, मुझे भी इस विभाग में काम करने का अवसर मिला है । दुनिया के साथ चलते हुए, बढ़ते हुए परिवेश में मंत्री जी ने लाया मैं इनका समर्थन करता हूं । लेकिन मंत्री जी मैं एक बात कहना चाहता हूं हालांकि यह रजिस्ट्रेशन विभाग का विषय नहीं है, आपके पड़ोसी टंकराम जी का विषय है । संयोग से मैंने राजस्व विभाग भी चलाया है, इसमें बहुत सी चीजों को आप रोक लोगे, **Latitude and Longitude** आ जाएगा, बेचने वाले की फोटो आ जाएगी, उसकी दूसरी रजिस्ट्री नहीं होगी लेकिन अगर पटवारी ने ही खसरा बदल दिया है तो उसका समाधान क्या है ? शासकीय जमीन को निजी जमीन में चढ़ा दिया है, अच्छा है यह, इससे नहीं हो पाएगा । सभापति जी, मैं आज भी यह दावा करता हूं कि इस देश में जितनी भी रजिस्ट्रियां होती है, चाहे मेनुअल में चले जाओ या अन्य में चले जाओ, वह प्रोप्रायटरी

रजिस्ट्री नहीं है । जो चौहद्दी बनाते हैं, **Longitude** ले लें, **Latitude** ले लें । यह अच्छा कदम है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं । लेकिन वह प्रोप्रायटरी नहीं है, उसमें विवाद होता है और उसका सबसे बड़ा कारण बटांकन है । यह जो बटांकन होता है, एक रकबा होता है, खसरा होता है, तोड़ तोड़कर उसकी 100 रजिस्ट्रियां होती है और नक्शे के हिसाब से उसका बटांकन होना चाहिए । उसका बटांकन नहीं होता और सारी हेराफेरी वहीं से प्रारंभ होती है । हमने एक बार बहुत प्रयास किया था कि हमारी रजिस्ट्री नक्शे के आधार पर हो, चौहद्दी के आधार पर न हो, **Latitude and Longitude** के आधार पर नहीं हो, नक्शे के आधार पर हो, नक्शा बटांकन सहित हो तब जाकर उसको प्रोप्रायटरी राइट मिलता है और कोई विवाद की स्थिति नहीं होती । हमने बटांकन की बहुत कोशिश की, पूरे प्रदेश का हो गया था लेकिन रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग का बटांकन नहीं हो पाया । अब स्वाभाविक है जब आप नई व्यवस्था में जाओगे, जिनके हित प्रभावित होंगे वे उन व्यवस्थाओं को रोकने की कोशिश करेंगे । बहाना लिया स्केल का, स्केल छोटा है, शहर की जमीन एक खसरे में 100 बार बंटी है, कैसे बटांकन करें ? माननीय सभापति महोदय, हमने उस समय आदेश दे दिया था कि शहरों के लिए उसका स्केल बढ़ा दिया जाए, एग्जीक्यूटिव आदेश किया था, उसके बाद भी अधरे रह गये। मैं आज की वर्तमान स्थिति नहीं जानता, आज भी शहरों के बटांकन पूरी तरह से नहीं हुए हैं और आप जब तक रजिस्ट्री प्रोप्रायटरी नक्शे के साथ बटांकन की प्रक्रिया नहीं करेंगे, मैं ऐसा मानता हूं ये विवाद हमेशा चलता रहेगा। सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की लैंड रिकॉर्ड माडरेशन की एक योजना आई थी, उसमें डिजिटाइजेशन करना हुआ भी है, चल भी रहा होगा, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। हमको दो चीजें ध्यान देने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग का दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ चल रहा है, वह कर दिया, क्योंकि बटांकन करवाना या और कुछ करना जो रजिस्ट्री विभाग का काम है, वह तो है नहीं। मैं दो चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब तक ये दो काम नहीं होंगे, तब तक रजिस्ट्री की प्रोप्रायटरशिप कभी नहीं होगी, विवाद चलते रहेंगे। एक नक्शे के साथ रजिस्ट्री। पूरे प्रदेश का बटांकन जितनी जल्दी से हो, उसको एक अभियान चलाकर पूर्ण कराना चाहिए। गांव में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप 1 महीने के अंदर 90 प्रतिशत करा सकते हो, आपको तीन चार शहरों में दिक्कत जाएगी, लेकिन इसको एक टास्क मानकर करना चाहिए। दूसरा, जब तक तहसील ऑफिस को रजिस्ट्री ऑफिस से लिंक न कर दें, रजिस्ट्रार के पास पेपर गया, सीधा तहसील ऑफिस में जाएगा, अपग्रेड होगा, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, फोटो आ जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगा, रजिस्ट्री होकर तहसील ऑफिस में आ जाएगा, अपने आप म्यूटिशन हो जाएगा, अगर कोई आपत्ति नहीं आई तो समय सीमा के अंदर नामांतरण हो जाएगा। हमको ये दो काम करना है। मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं प्रशंसा करता हूं, उनके विभाग का जो काम था, बेहतर से बेहतर किया है। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन जब तक बटांकन का और तहसील ऑफिस और रजिस्ट्री ऑफिस लिंक करने के ये दो काम नहीं होंगे, मैं ऐसा मानता हूं, उसके बिना ये जो झमेले हैं,

प्रोप्रायटरी है, जो जमीन के झगड़े हैं, वे कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन बहुत अच्छी शुरूआत हुई है। उस सरकार के बारे में कुछ कहना नहीं है, आज भूपेश जी बड़े नियम कानून की बात कर रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, जो कभी नियम को जानते नहीं, नियम को कभी मानते नहीं, नियम को समझते नहीं, देर से सही नियम की याद तो आ गई। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, उस सरकार में जितना राजस्व विभाग का कबाड़ा किया है, रजिस्ट्री विभाग का कबाड़ा किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि आजादी के बाद सर्वाधिक इस राजस्व के कबाड़ा करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आज नियम की बात करने वाले उन्हीं को जाता है। (शेम-शेम की आवाज) शायद उनको लगा कि ये सारी बातें आएंगी, जमीन से जुड़ा हुआ विषय है तो तरीके से बहाने से ठीक है, संकोच तो आता ही है जब हमारे किए हुए कर्म सामने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से सुनने की क्षमता नहीं होती और इसीलिए चले गये। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अधिनियम का बहुत प्रशंसा करते हुए स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी क्योंकि एक सामूहिक मंत्रिमंडल की जवाबदारी होती है और संयोग से माननीय राजस्व मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। वे राजस्व के बारे में मेरे से ज्यादा बहुत अच्छे से जानते हैं, वे किसान पुत्र हैं, मेरा एक आग्रह है, समय जरूर लगेगा, मैं ये नहीं कहता की जल्दी करें, बटांकन को एक टास्क के रूप में लेकर कराईए। दूसरा, तहसील ऑफिस से लिंक का काम जरूर कराईए, मैं जानता हूं कि इसमें आपको बहुत सा अवरोध आएगा, आपको बहुत सा विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साहस के साथ ये काम करना चाहिए जिससे जो जर, जोरू, गुलाम है, उसमें से एक चीज तो हट जाए, उसके कारण हमारा छत्तीसगढ़ शांत रहे। मैं इसी आग्रह के साथ इस अधिनियम का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदया :- श्री राजेश मूणत जी।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदया, केवल दो मिनट। अच्छा, आप बोलिये।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय सभापति महोदया, वाणिज्यिक कर एवं पंजीयन विभाग के रजिस्ट्रेशन 1908 के संशोधन विधेयक पर माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में अपनी कुछ बातें रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार से पूरे देश में परिवर्तन हो रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, आदमी की सोच में परिवर्तन हो रहा है और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आमजन को सुविधा पहुंचाने या आम जनता इधर-उधर न भटके, इसके लिए प्रयास हो रहा है। जिस प्रकार से अमर जी ने कहा कि जल, जोरू और जमीन, ये तीनों के विषय कहीं न कहीं जाकर जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन के पंजीयन के सरलीकरण के लिए सन् 1908 के उस समय के इनके जो नियम थे, उस नियम-प्रक्रिया में उनके लगभग 93 छोटे-छोटे संशोधन थे, जिनको आज माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं उसके समर्थन में अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश का राजस्व का एक विभाग यह भी होता है। जिससे पंजीयन,

स्टाम्प शुल्क के रूप में हमें पैसा प्राप्त होता है। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। हमें यहां पर प्रतिवर्ष लगभग 25 सौ 11 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्त होता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को सभी चीजों का अनुभव होता है। एक आई.ए.एस. अधिकारी और कलेक्टर के रूप में काम करते हुए उन्होंने नीचे स्तर तक राजस्व मण्डल को देखा है। उनको पटवारी से भी काम पड़ा है, तहसीलदार से भी काम पड़ा है, एस.डी.एम. से भी काम पड़ा है और कलेक्टर के रूप में भी उनको काम पड़ा होगा। आज सौभाग्य से वह इस विभाग को देख रहे हैं। जब पंजीयन शुल्क के लिए कोई आदमी जाता है और रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको किन-किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है और किन-किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आज आप उसके सरलीकरण का काम कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं इसका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वाभाविक रूप से जब हमारे कांग्रेस के मित्र व पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो उसके पहले ही मंत्री जी ने इसको एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो हमारी व्यवस्था चल रही है, जो हमारा सेटअप है और जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं, उन्हीं का सदुपयोग करते हुए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इससे बाहर कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं होंगे। उन्होंने जो करम किये हैं, आज वह सब तो सामने निकलते। जैसा कि अमर जी ने कहा है कि राजस्व विभाग के पूर्व मंत्री का एक रिकॉर्ड रहा है, एक इतिहास रहा है कि जितना भी जमीन में खेल हुआ है, उस जमीन के खेल के अंदर आपने सबसे बड़ा रोक लगाने का काम किया है। आपने कहा कि जो व्यक्ति जमीन बेचने के लिए जायेगा, उस व्यक्ति के साथ में जो व्यक्ति खरीददार है, पहले उन दोनों की तो साथ में फोटो लगती थी, लेकिन अब इनकी साइट में वह कौन सी जमीन खरीद रहा है, उसकी भी लोकेशन इसमें मिल जाएगी। ताकि उसको आसानी से पता लगे कि कहीं यह विवादित तो नहीं है। आपने इसके अंदर यह एक बहुत बड़ी व्यवस्था की है। दूसरा, जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर की बात करते हैं तो वह गरीब किसान जो शहर के आसपास रहता था, जिसकी करोड़ों की जमीन है, उस जमीन को लेकर कुछ बिल्डर्स, बड़े-बड़े भू-माफिया उसका रजिस्ट्रेशन कराकर उसको लाकर खड़ा करते थे और अवैध प्लाटिंग के नाम पर वह कागज में पूरा का पूरा ले आउट प्लान बना लेते थे और किसान के बेटे को खड़ा करके चले जाते थे और किसान से रजिस्ट्री करा लेते थे। यदि कोई केस कर दे, कोई फर्जीवाड़ा हो जाये तो किसान फंस जाता था। इसके अंदर आपने उन दोनों का प्रावधान किया है और प्रावधान करने के साथ आपने कहा है कि हमको विकास के बारे में सुनिश्चित करना पड़ेगा। यह एक बहुत अच्छी पहल है ताकि जो अवैध निर्माण कार्य होते हैं, अवैध डिवाइजेशन होते हैं, अवैध प्लाटिंग होती है तो इसके लिए वह भी उतना ही जिम्मेदार होगा और उसकी ऋण पुस्तिका में जो बची हुई जमीनें हैं, किसान के नाम पर रखी हुई उस जमीन को वह बिल्डर कभी न कभी बेचकर चला जाता था। वह रास्ते की जमीन थी। वह गार्डन की जमीन थी, वह भवन की जमीन थी, उसके अंदर भी दर्शा दिया

जायेगा ताकि अवैध काम रूक जाये। अमर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, आप राजस्व के बारे में जानते ही हैं, आपके पड़ोस में पूर्व राजस्व मंत्री जी भी बैठे हैं, दोनों की एक ही सीट है। दोनों के जैकेट का कलर भी एक है। दोनों की सोच भी एक है। वह तो पहले रहे हैं, बहुत कुछ जान-पहचान है और अनुभव भी है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर दोनों बैठकर तय कर लेंगे तो अमर भईया, आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि विधान सभा का यह बजट सत्र और इस विधान सभा का आज यह विधेयक छत्तीसगढ़ का नजीर बनेगा, इतिहास लिखेगा। अवैध भू-माफिया, आम जनता को राहत देने वाला हमारा जो रजिस्ट्री, पंजीयन का कार्यालय है, शुद्धिकरण के साथ आम जनता को राहत देगा, यह पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को व्यक्त करता हूं।

सम्माननीय सभापति महोदय, आपने बहुत सारी छोटी-छोटी चीजों का प्रावधान किया है। आपको रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, आपको पहले वहां से समय लेना पड़ता है, वहां पहले दलाल लोग अपना काम करते थे। अब ऑनलाईन सिस्टम है। आप ऑनलाईन आवेदन कर दीजिये कि किस चीज की रजिस्ट्री है, किस समय होगी, उस हिसाब से आपको समय मिल जायेगा कि आपको 2 बजकर 15 मिनट में आना है। अभी भी रायपुर में ऐसा प्रावधान है, लेकिन अब उसके साथ वह जायेगा। अब आप 2 बजकर 15 मिनट में जाईये, आपको अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर आप दोनों को खड़े होकर, thumb impression साथ-साथ आदमी और गवाह भी खड़ा हो जा रहे हैं। आपने पंजीयन के अंदर यह प्रावधान किया है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आम जनता की लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात के माध्यम से इन चीजों को ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खासकर आपने शहरी क्षेत्र में सम्पत्ति के भीतर एक चीज का विवाद आता था कि बेटे के नाम की है या बेटी के नाम की है। पहले पुराने जमाने में कभी जमीन की लड़ाई नहीं होती थी। लोग जमीन दान देकर चले गये हैं, करोड़ो-अरबों रूपये की जमीन देकर चले गये। कभी किसी ने नहीं मांगा, बाप-दादा ने जमीन दान में दे दी, किसी ने अस्पताल बनाने के लिए जमीन दे दी, किसी ने धर्मशाला बनाने के लिए जमीन दान में दे दी, किसी ने तालाब बनाने के लिए जमीन दान में दे दी। अब कई लोग उनके पूर्वज निकल-निकलकर आ रहे हैं और अब वे भी उस जमीन के ऊपर दावा ठोकने लगे हैं। वे आकर आवेदन देने लग गये हैं कि यह तो मेरी जमीन है, मैं इसका वारिस हूं, डिटेल लो। अब किसी के पास डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज 'संतान' शब्द का उल्लेख किया है, बेटा हो या बेटी हो, उसमें फर्क नहीं है, संतान कौन है, संतान शब्द के आने से कम से कम एक काम होगा, उस परिवार का सर्टिफिकेट क्लीयर हो जायेगा यह इसका बेटा है या यह इसकी बेटी है। इससे हमेशा के लिए विवाद खत्म होगा, आपने इसके भीतर एक बहुत बड़ी बात कर दी है।

सभापति महोदय, power of attorney यह भी एक बहुत बड़ा खेल था। जमीन चाहे जिसको भी पजेशन दे दो, थोड़ा बहुत एडवांस दे दो, उससे आकर तीसरा आदमी power of attorney लिखवा लेता

है। अब यह power of attorney किसी को देना है, तो उसको भी वहां होना होगा। अगर वह व्यक्ति किसी को power of attorney दे रहा है, तो उसका पंजीयन होना जरूरी है। मैंने फलाने व्यक्ति को power of attorney दी है। मेरी जगह यह व्यक्ति जाकर इस रजिस्ट्री में अपनी भूमिका निभा सकता है। अब आप उसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। जिसके कारण वहां पर कौन व्यक्ति था, किस व्यक्ति ने power of attorney लिखी थी, उसका बायोग्राफी हो जायेगी तो विवाद से मुक्ति मिलेगी, यह बहुत बड़ी बात है।

सम्माननीय सभापति महोदय, इसमें छोटी-छोटी चीजों के ऊपर, मैं इसके ऊपर ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि माननीय अमर जी ने सब कुछ कहा दिया है। माननीय मंत्री जी ने अपनी प्रस्तावना के समय बहुत सी चीजें क्लीयर कर दिया है। इसका उद्देश्य इतना ही है कि आधुनिकीकरण का उपयोग करना, आम जनता को राहत देना है। जिस प्रकार से रजिस्ट्री कार्यालय के अंदर दलालों का बोलबाला है, उनसे मुक्ति दिलाना, राजस्व और पंजीयन, दोनों के बीच सामंजस्य करना, आम जनता को राहत मिल जाये। जो गलत लोगों के नाम रजिस्ट्री करा देते थे, एक रजिस्ट्री की जगह 4-4 रजिस्ट्रियां हो जाती थीं, वे घूमते रहते थे, कोर्ट में मामलें चलते रहते थे । अगर वर्तमान में जो रजिस्ट्री है, अगर किसी ने पुरानी अवैध रजिस्ट्री की है, उसको भूल जाईये, लेकिन वर्तमान में जिसका भी डाटाबेस रिकॉर्ड रहेगा ..।

श्री ओ.पी. चौधरी :- हमने रजिस्ट्री को चेंज करने का अधिकार सिविल कोर्ट को दिया है।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जो शासकीय जमीन का रिकॉर्ड है। मैंने पिछली बार भी राजस्व मंत्री जी से आग्रह किया था और मैंने उस समय इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कहा था कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश बचा है, जिसके अंदर सरकार की स्वयं की जमीन का रिकॉर्ड नहीं है। इसकी लैंड बैंक बनना चाहिए। अगर हम दूरदृष्टि सोचते हैं तो हमारे पास किन ब्लॉकों में, किन गांवों में कितनी सरकारी लैंड पड़ी है? चाहे वह राजस्व रिकॉर्ड के अंदर पड़त की जमीन हो, चाहे वह घास की जमीन हो, ऐसी कौन-कौन सी जमीन पड़ी है, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर यह रिकॉर्ड दुरूस्त होगा तो कम से कम हमारे पास यह जानकारी रहेगी, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लग जाये और इससे हम बहुत कुछ भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए आज की आवश्यकता के अनुसार यह दोनों महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से यह पंजीयन के अंदर जो प्रमुख चीजों का संशोधन है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि digitalization करने के बाद आम जनता को राहत देना और रजिस्ट्री ऑफिस में जिस प्रकार के दलाल हैं, उनके चंगुल से मुक्ति दिलाकर आम जनता को राहत देना। जो फर्जीवाड़े करते हैं, मैंने कहा न कि जमीन में ही सब कुछ है और अमर जी ने इसको बहुत स्पष्ट कर दिया। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ के चार महानगर हैं, यह चारों महानगर रायपुर बिलासपुर दुर्ग और अब धीरे-धीरे रायगढ़ की ओर भी आ गया है। हमारा जो हावड़ा ट्रैक है, इसके ऊपर जिस प्रकार

से जमीनों के धंधे में व जमीनों का [xx] और जमीनों के ऊपर क्राईम हो रहा है। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूं कि जमीन में जिस प्रकार से धीरे-धीरे क्राईम चालू हुआ, इस पर एक बार जरूर चिंता करते हुए आम जनता को राहत देने के लिए आप digitalization का काम प्रारंभ कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक अच्छी सोच एवं अच्छी कल्पना और आम जनता को राहत देने के लिए आपने इतना अच्छा संशोधन लेकर आया है। आप विचार करिये कि इतने सालों के बाद कभी किसी ने इस पर चिंतन नहीं किया है। इसलिए चिंतन नहीं किया क्योंकि उसको दूध देती गाय समझ रहे थे। वह दूध देती गाय के अंदर दूध तो निकल रहा है, लेकिन दूध सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, वह पर्सनल रिकॉर्ड में जा रहा है, उसको आप रोकने का काम कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत-अभिनंदन करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मिंज जी।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति महोदय, अभी जो रजिस्ट्रीकरण बिल संशोधन प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे विद्वान सदस्य अमर जी एवं राजेश मूणत जी ने बहुत विस्तृत रूप से इस अधिनियम में संशोधन के बारे में बताया है। मैं उस ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन वास्तव में समय के साथ-साथ इसका परिवर्तन करना, digitalization करना और समय के अनुसार तकनीक के साथ नई सुविधाएं देने का बहुत सुंदर प्रयास हो रहा है। इसी के साथ रजिस्ट्रियों में जो गड़बड़ियां होती थी, फौती जमीनों में जो गड़बड़ियां होती थी, उन सारी चीजों में रूकावट आएगी और इसको बहुत सुगमता से एवं बहुत अच्छे ढंग से लागू किया जा सकेगा। इसके लाभ और बाकी चीजों के बारे में दोनों विद्वान सदस्यों ने बताया है। मैं सामाजिक दृष्टिकोण से एक विषय में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। उन क्षेत्रों में सामाजिक रूप से जो आदिवासियों की जमीनें हैं, उन जमीनों को गैर आदिवासियों के नाम से ट्रांसफर हो जा रहे हैं और उन जमीनों का रजिस्ट्री भी हो जा रहा है। आदिवासियों की जमीन का संरक्षण न होकर लोगों ने उसको लूट का अड्डा बनाया हुआ है। राजेश मूणत जी जिस शहरी क्षेत्र की बात कर रहे थे, शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारे आदिवासियों के नाम से जमीन को खरीदा जा रहा है, पॅलाटिंग की जा रही है और उसको भी बेचने का काम हो रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह काम हो रहे हैं। भारत हमारा पुरूष प्रधान देश है, यहां हमारे पिता के वंशानुक्रम में जमीनों का नामांतरण होता है और फौती आते हैं । एक वर्ग विशेष के द्वारा, एक सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा कालान्तर में और अभी भी आदिवासियों लड़कियों के साथ शादी करके अपने साथ रखकर उनके पूरे परिवार के साथ जीवन-यापन करके, एक तरफ से मतान्तरण का भी काम हो रहा है, उनको अपने साथ जोड़कर आदिवासी की जमीन को सामान्य वर्ग में कन्वर्ट होने का काम हो रहा है। सभापति महोदया, मैं उदाहरण के लिये कहना चाहूँगा कि किसी सामान्य वर्ग के पास कोई ट्राईवल लड़की वर्षों से चली गई, उनके बाल-बच्चे हो गये,

चूँकि पुरूष प्रधान देश है, पिता के अनुरूप वह जमीन आयेगी, लेकिन पिता के अनुसार उसके वंशज उतरेंगे। यदि माता आदिवासी है, पुरूष सामान्य है, जमीन तो आदिवासी महिला के नाम से है और आदिवासी भूमि है तो भूमि आदिवासी के नाम से उतरनी चाहिये ?

श्री नीलकंठ नेताम :- उसमें एक प्रावधान है ।

श्री प्रबोध मिंज :- आप पूरी बात सुनिये ना । पूरी जमीन है, वह सामान्य वर्ग को तो जा नहीं सकती है, लेकिन यदि उनके पुत्र आ रहे हैं, चूंकि उनके पुत्र सामान्य वर्ग से ही होंगे, आदिवासी हो नहीं सकते हैं । यदि ट्राईबल के नाम से जमीन है तो वह ट्राईबल को ही उतरेगी । यह सामान्य वर्ग के संतान को तो नहीं आ सकता है ?

श्री नीलकंठ नेताम :- भू-राजस्व संहिता 165 के तहत ऐसे मामलों में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि वह जमीन राजसात होकर सरकारी जमीन हो जायेगी, लेकिन यह प्रेक्टिस में नहीं है । वह बात अलग है, यह चल रहा है, लेकिन जिस दिन भी इसमें जिलों में, एस.डी.एम. लेवल पर कार्यवाहियॉ प्रारंभ की जायेगी, ऐसे मामलों में जहां पर नॉन ट्राईवल ने ट्राईवल महिला के साथ शादी किया है, उस महिला की तब तक तो जमीन रहेगी, लेकिन संतान अगर हो जायेगा तो बच्चे के नाम पर नहीं चढ़ेगा, वह जमीन सरकारी हो जायेगी ।

श्री प्रबोध मिंज :- नहीं, यह खेल हो रहा है । सरगुजा जिले में हो रहा है, आदिवासियों के क्षेत्र में हो रहा है, यह बहुत हो रहा है और इसको रोका जाना बहुत जरूरी है, ऐसे जमीनों का रजिस्ट्रीकरण भी हो रहा है, फौती सामान्य वर्ग में उतर जा रही है, ट्राईवल जमीन सामान्य वर्ग को चला जा रहा है, उनके बाल बच्चों पर जा रहा है, इस तरह से अवैध रूप से जो संबंध बन रहे हैं, विवाह करके रख रहे हैं, इसको रोक लगाने का भी हमको मौका मिलेगा और सामाजिक रूप से जो विकृति आई हुई है, उसको भी दूर करने के प्रयास किये जायेंगे । आदिवासियों की जमीन हमको मिल जा रही है, इस लालच में आदिवासी भोली-भाली लड़को को फंसाने का काम कर रहे हैं, उस पर भी रोक लगेगा । मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । इस दिशा में जरूर सोचने का और रजिस्ट्रीकरण में भी तथा नये तकनीक में भी इस रूप को शामिल करके इस विधेयक को पारित करना चाहिये । मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद, जय हिन्द । (मेजों की थपथपाहट)

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) सभापति महोदय, भू-राजस्व संहिता 170 (बी) में भी अगर एक्सरसाईज करेंगे तो यह मेलाफाईड इंटेशन के तहत जमीन का ट्रांजेक्शन रूक सकता है, लेकिन मेलाफाईड इंटेशन के तहत यह जमीन का ट्रांजेक्शन रूक सकता है । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में संवेदनशील प्रशासन आ चुका है, हमारे राज्सव मंत्री जी इस पर आने वाले दिनों में संशोधन के साथ नया कानून ले आयेंगे तो वास्तव में बहुत बड़ा काम हो जायेगा ।

सभापति महोदया :- माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :-माननीय सभापति महोदया, हमारे सम्माननीय सदस्य राजेश मूणत जी, जब नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उस समय EWS की जो जमीनें होती थी, जो कॉलोनाईजर कालोनी काटता था, 15 प्रतिशत जमीन EWS के लिये आरक्षित होती थी, मैं नगर निगम आयुक्त के रूप में मीटिंग में गया था तो उन्होंने कहा कि रायपुर में सारी जमीनों को खोजकर निकलवाईये । मैंने एस.डी.एम. को यहां बोला तो उसने कहा कि हां हम भेजते हैं, जल्दी भेजते हैं, ऐसा करते हुये एक सप्ताह हो गया, फिर बोला दो सप्ताह हो गया, फिर बोला तीन सप्ताह हो गया, मैंने बहुत नाराजगी व्यक्त करते हुये म्युनिस्पल कमिश्नर के रूप में एस.डी.एम. को फोन किया कि तुम्हारे पटवारी को आज भेजो, इस एरिया में 7-8 पटवारी थे, मैंने कहा कि सातों पटवारी को भेजो । सभापति महोदया, नगर निगम कार्यालय रायपुर में 7 लोग आये और मुझे बताया गया कि वे आये हैं। मैंने सभी 7 व्यक्तियों को देखा । मैंने उनसे पूछा कि आप लोग पटवारी हो तो उन सभी ने कहा कि हम पटवारी के असिस्टेंट हैं । (हंसी) इस तरह के हालत राजस्व की स्थितियों में अनेक बार मिलते रहे हैं और व्यवहारिक समस्या अनेक रूपों में दिखाई देती है । अभी हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी कह रहे थे कि उनके विधान सभा क्षेत्र रामानुजगंज अंचल में, हमारे विपक्ष के साथी तो बहिर्गमन करके चले गए हैं, उनके विधायकों ने मिलकर एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करा दी । 25 साल पहले जो व्यक्ति मर गया था, उसके लिए फर्जी आधार कार्ड का कुछ स्वरूप बना दिया और आधार कार्ड का फर्जी स्वरूप बनाते हुए दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके जमीन को बिकवा दिए । ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने अनेक प्रयास किये हैं । जैसा कि सम्माननीय अमर अग्रवाल जी ने कहा कि बहुत सारे कार्य पंजीयन के हैं, पर पंजीयन के ज्यादा अनेक विषय राजस्व के भी हैं, पर यहां हमारे राजस्व मंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार इस दिशा में काम करेगी ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति जी, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा । वहां पर नोटरी का जो अड्डा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में सारी चीज ऑनलाईन हो गयी, सारी चीज स्केन हो जाता है, लेकिन इसका जो बेस तैयार होता है, उस कागज के बारे में भी कुछ न कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि वह रेडीमेड फार्मेट में आ जाये, लोग सीधा इंट्री करें और सारा डेटा उसमें आता जाए, साफ्टवेयर में ऐसा कोई बंदोबस्त कर देना चाहिए ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- सभापति महोदय, इस बार हम लोग जो संशोधन करने जा रहे हैं, उसमें क्रेता और विक्रेता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति जो वहां इंट्री करता है, उसको अवैध भी ठहराया गया है । यह महत्वपूर्ण विषय है । सम्माननीय प्रबोध मिंज जी ने अनेक प्रकार की विसंगतियों को बताया कि हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीनें हड़पी जा रही है, इस पर उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है । इस संशोधन में पंजीयन विभाग की ओर से जो अच्छा कदम उठाया गया, उसको और एक्सपलेन करना

चाहूंगा कि अगर जमीन की गलत रजिस्ट्री हो जाती थी, एक्ट के हिसाब से पहले उसको चेंज करने का, उसको निरस्त करने का पॉवर सिविल कोर्ट को था और सिविल कोर्ट में प्रक्रिया बहुत लंबी चल जाती है । इसी तरह से मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए कि सरकारी जमीन की गलत रजिस्ट्री हो गई तो उसके लिए भी सिविल कोर्ट में केस चला जाता था और जो राजस्व अधिकारी हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि सरकारी जमीन वापस सरकारी हो या न हो । इसलिए हमने इस संशोधन में यह भी प्रावधान किया है कि जो गलत रजिस्ट्री हुई रहेगी, उसको निरस्त करने का पॉवर अब आई.जी. पंजीयन विभाग को रहेगा । सरकारी जमीन पर कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ही वह रजिस्ट्री को निरस्त कर सकेगा, यह प्रावधान हमने किया है । प्रबोध जी ने जो विषय रखा कि आदिवासी भाइयों के जमीनों की गलत रजिस्ट्री हो रही है तो आदिवासी भाई बहनों के जमीनों की गलत रजिस्ट्री हुई रहेगी तो रिपोर्ट के आधार पर आई.जी. (रजिस्ट्रेशन) उस रजिस्ट्री को चेंज कर सकेगा, निरस्त कर सकेगा । अब विषय स्वत्व है, जो टेकाम जी ने धारा 165, धारा 170 (बी) की बात कही, उसको राजस्व विभाग के साथ मिलकर हमें अनेक विषयों के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन गलत रजिस्ट्री हुई है तो उसको निरस्त करने का पॉवर पहले सिविल कोर्ट को रहता था, वह अब समाप्त करके आई.जी. (रजिस्ट्रेशन) के पास कर दिया गया है और उसमें आवश्यकतानुसार चेंजेस करने की जरूरत रहेगी, उसको हम कर पाएंगे । पहले यह होता था कि फारमेट वकील या बिचौलिया टाईप का कोई भी आदमी बनाता है, अनेक प्रकार के लोग इसमें इंवाल्व रहते हैं तो अब इस साफ्टवेयर में मॉडल डीड साफ्टवेयर में प्रावधान है । जो डीड का प्रारूप है, उसमें नाम इंट्री करिए, उम्र इंट्री करिए, खसरा-रकबा इंट्री करिए, उसके बाद मॉडल डीड का फारमेट उसमें आ जाएगा तो उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी । जो बात मैंने पहले भी कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय में क्रेता, विक्रेता के अतिरिक्त तीसरे आदमी के प्रवेश को अवैधानिक करार दिया गया है, वहां कोई नहीं जाएगा । इसके अलावा अमर अग्रवाल जी ने सबसे बड़ा जो विषय रखा है, वह है कि आटोम्यूटेशन कैसे होगा ? पंजीयन हो और पंजीयन के साथ वह आटोमेटिक तहसील कार्यालय से साफ्टवेयरवाईस उसका लिंक हो और वह म्यूटेट हो जाए, उसका नामांतरण हो जाए । नामांतरण में ही अधिकाधिक भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां होती है, यह सबसे बड़ा कन्सर्न है । माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य और पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्व विभाग का जो भुईंया पोर्टल है, उस भुईंया पोर्टल और रजिस्ट्री साफ्टवेयर इन दोनों को intigrate कर दिया गया है। intigration पर पिछले चार-पांच महीने से काफी काम चल रहा था और intigration हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द महीने-दो महीने के अंदर रजिस्ट्री के बाद स्वत: नामांतरण (automutation) की कार्यवाही प्रारंभ हो पाएगी। उसमें हमें राजस्व विभाग का भी भरपूर सहयोग मिला है।

सभापति महोदया, उन्होंने जो बहुत बड़ा कन्सर्न बटांकन का उठाया है कि नक्शा बटांकन नहीं रहता, जिसके कारण किसकी जमीन कहां है, उसे कभी लोकेट ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम राजस्व विभाग के माध्यम से उस प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभापति महोदया, एक शुरुआत है और जो अनुभव आयेंगे, जो कुछ उन्नीस-बीस और समझ में आएगा, उसके अनुरूप अगर हमें आवश्यकता होगी तो कैबिनेट में और कुछ संशोधनों के साथ सम्माननीय सदन के समक्ष हम फिर से आयेंगे। ये एक सुधार की प्रक्रिया है, सुधार की कोशिश है और ये कोशिश चलती रहेगी। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदन से निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोग जो फर्जीवाड़ा के शिकार होते हैं, भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं, इन परिस्थितियों को रोकने के लिए जनता जनार्दश के हित में सम्माननीय सदन इस एक्ट को पारित करे।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 17 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 17 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी):- माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पारित किया जाये।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(7) छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025)

श्रम मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदया :- माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? (जवाब अप्राप्त) श्री रामकुमार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय सभापति जी, हमर उद्योग मंत्री अउ ओला में हर छत्तीसगढ़ियां में लोहा मंत्री कहिथव। जहां लोहा बनत हे ओला संवैधानिक भाषा में उद्योग मंत्री कहत हे नहीं तो हमन लोहा मंत्री या बिजली मंत्री कहात हन।

सभापति महोदय, अभी ओ हर कानून में संशोधन लावत हे, नवा कानून बनावत हे लेकिन में हर यह कहना चाहत हव कि कानून तो बहुत सारा बने रिहीसे। जब यह देश में संविधान बनिस, तो बहुत सारी चिंता करके जैसे महाज्ञानी यहां बइठथस, वइसने चिंता करके कानून बनाइस। अउ कानून बनाये के बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी मन, देश के महान नेता मन कहात रिहीसे कि कानून तो कतका बन जाये लेकिन कानून के पालन करने वाला यदि ठीक नहीं हे या पालन करने वाला के सोच ठीक नहीं हे तो कानून के कोई मतलब नइ हे। चौधरी साहब, में हर तोर खास आदमी हन, तैं अइसने कइसे कहात हस। में हर ओला छोड़े नइ हन ओ मन हनुमान असन मोर दिल मेर हे।

श्री अनुज शर्मा :- ओ मन दिल में हे तहान बिल मा हे। कहां बाहर हे, ओला बुला ना, अउ बुला के बिठा ना।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन महाराज छत्तीसगढ़ी मन ला हीरो बन के ठग दिस हे, अउ नेता बन गे हन। तोर असली काम ला छोड़कर इहां आ गे हे।

श्री अनुज शर्मा :- बाबू, हीरो, हीरो होत हे।

श्री रामकुमार यादव :- नहीं, असली हीरो अभी बने हन। ओ तो खाली आ कही के उड़ियावत हे ते हा।

सभापति महोदया जी, ये मन कानून बनाइन कि कारखाना में काम करने वाला मन के अच्छे से देख रेख होवय। अगर ओ मन हर काम करते हुए कुछ घटना घट जाये तो ओला अच्छा मुआवजा मिलय लेकिन में हर उद्योग मंत्री जी ला कहना चाहत हव कि हमर विजय शर्मा जी के क्षेत्र हर बलौदा बाजार, ये प्रदेश में एक ठन अइसे कारखाना रिहीसे जहां पर बारूद फट गे हे, वहां कतका न कतका आदमी खत्म हो गे हे।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति जी, ये हाल हे कि विजय शर्मा जी के नाम लेवत हे, ओखर क्षेत्र कवर्धा हे अउ नाम लिस बलौदा बाजार के अउ बेमेतरा के घटना के बात करत हे। ये तो हाल हे।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, सुन लेवव। तोहरो क्षेत्र में भारी कंपनी हे, वहां रोज 4 ठन घटना घटत हे। लेकिन मोला ताज्जुब इस बात के हे कि आज तक अतका बड़े-बड़े कानून बनत हे, कभु सुने हवव कि उद्योगपति हर हथकड़ी पहनाकर कोनो जेल में डालिस हे। आज तक एको ठन घटना हुइस होही तो मोला बतावव तो। कानून तो ऐसे बने हावय जैसे कि कहीं पर यदि किसी आदमी के उंगली कट जाही तो उद्योगपति ला ओला जेल में डाल देंगे, कानून बनत हे। अभी बड़े से बड़े घटना घटे रिहीस हावय। मोर क्षेत्र में खुद कतका न कतका उद्योग हे, कहूं मेर गोड़ टूटत हे, कहूं मेर काकरो जान चल दिस, कोई बड़का किलर में खत्म हो जात हे। जब वहां पर जाकर कहात हस तो बड़ी-बड़ी वर्दी वाला मन हर खड़ा होकर कहिथे कि नइ आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। ये हमर राम विचार नेताम जी हर हमर तरफ के हो गे हे।

सभापति महोदय जी, कानून बने रिहीथे तो हमन ला भरोसा रिहीस कि ए मेर कुछ न कुछ होही अउ गरीब ला कुछ मिलही लेकिन मोला बड़ा दु:ख होत हे कि आज अतका बड़े घटना घटे के बाद 10-20 झन हर खत्म हो गिस, हमर उद्योगपति मन ला कहीं पर एक ठन हथकड़ी तक के नहीं पहनाइन अउ जाकर ओला सर्किट हाउस में चाय पियाय जात हे।

श्री अनुज शर्मा :- जेन संसोधन के बात चलत हे, ओखर बात ला कर ना जी। तै कहां के बात कहां करत हस। ए मा बात कर ना।

श्री रामकुमार यादव :- यही विषय में बात चलत हे। तो वइसने कानून बनाये के का जरूरत हे ? वही कानून तो पहले लागू कर लेवव। मैं हर यही तो कहना चाहत हव।

सभापति महोदया, जतका कन कानून बने हे, आप मन अतके कानून ही अगर हूबहू ईमानदारी के साथ पालन कर दिहा तो तुमन ला नवा कानून बनाये के जरूरत नइ हे, न ही संशोधन करे के जरूरत हे। मैं इस बात पर कहना चाहत हव कि आप कानून पर कानून बनाये जात हन, लेकिन का आज तुमन ला कुछू हासिल होवत हे ? हमर उद्योग मंत्री जी बइठे हे। मैं हर प्रश्न पूछे रेहव। सुनिहव महाराज, तोहरे क्षेत्र के गरीब मन तुमन ला वोट देत हे। आज गरीब आदमी मन के बेरोजगारी के फायदा उठाकर 8 घंटा नहीं, ओ मन ला 12 घंटा ड्यूटी लिये जात हे। अउ गरीब आदमी के खून, पसीना बनकर निकल जात हे। आज कहीं पर देखिहव कि जहां पर 20 झन इंजीनियर के जरूरत हे, वहां मात्र 10 झन हर लिही अउ 12 झन ला ठेकेदारी में चलावत हे। अउ ठेकेदार के पास अगर एक आदमी मन हर आवाज उठा दीहि कि मोला 12 घंटे ड्यूटी लिये जात हे। महाज्ञानी जी आ गे हे। माननीय सभापति महोदया जी ए दारी में एक ठन प्रस्ताव करिहौं। हमर चन्द्राकर जी हा वैसे औसत डेढ़ सौ-दो सौ साल जीये। हम

भगवान से बिनती बिनौत हन, लेकिन जब भी जाही तो ओकर खोपड़ी के जांच किया जाये कि कतना कन दिमाग भरे हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- चल बइठ होगे।

श्री रामकुमार यादव :- महाज्ञानी जी, में बइठत हंव। आप गरीब के गोठ ला घलो सुन लेवौ। कानून अइसे बनाए जाये जेमे गरीब के फायदा हो। ता में पूछए रेहे हाववं कि ये 12 घण्टे लिये जाथे। मोर अतेक कन शिकायत हे तो खाना पूर्ति करे बर इहां ले जांच करे बर भेज तो दिन। उहां कारखाना में गिन तो ओ तो हजारों करोड़ रूपया के प्रोजेक्ट हे। बड़े-बड़े कंपनी उहां काकरो कोनो हिम्मत हे का। (श्री राजेश मूणत सदस्य के सदन में आने पर) ए एक झन हमर महाज्ञानी जी आवत हे। ओ में कुछ कोई कार्यवाही नइ होईस । माननीय सभापति महोदय में आपके माध्यम से सरकार ला अउ उद्योग मंत्री जी ला यही कहना चाहत हौं कि कानून येती ला अगर बढ़िया जगह पालन करतेव तो आने कानून बनाये के न संशोधन करे के जरूरत नहीं पड़तिस। आप मन अइसे कानून बनाथौ जेमे उद्योगपति मन ला कुछ मत हो। ओमन गरीब आदमी के अच्छा से शोषण कर सकय। कहीं पर आवाज मत उठाए सकय। सिर्फ अउ सिर्फ तुंहर हमर जइसे नेता मन ला चुनाव के समय चंदा देवए अउ विधायक, मंत्री बनके फड़-फड़ जहाज में उड़ियाथ रही। गरीब आदमी हर घिसत रहाये। आप मन अइसे कानून बनाना चाहत हौ। एखर खातिर जो कानून बने हे तेला लागू करव। आने बनाये के जरूरत नइ हे। जभे जे दिन तुंहर कानून ला समर्थन करिहौ, जे दिन 12 घण्टा कंपनी में काम झन करे ला पड़े। गरीब आदमी ला सही सम्मान मिलए। इंजीनियर ला सही रेट मिलए। वहां पर हू-ब-हू कानून के राज करिहौ। ता में तुंहर समर्थन करिहौं। नहीं तो जो कानून बनात हौ, लोहा कंपनी, उद्योगपति मन ला फायदा पहुचांए बर ओकर में घोर विरोध करते हुए, अपन वाणी ला विराम देवत हौं।

माननीय सभापति महोदया, आप मोला बोल के समय देव, ओखर बर आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री नीलकंठ टेकाम(केशकाल) :- माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो संशोधन लाया गया है। माननीय मंत्री जी ने कारखाना और कारखाने में काम करने वाले लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है।

माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद् देना चाहता हूँ। जब हमारी सरकार की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया गया और यह बताया गया कि अगर हमारी सरकार Investors Connect Meet करते हैं तब भी हमारा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं होता है। हमारा उद्देश्य यह होता है कि यहां कल्याणकारी काम करना और यहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है। वह हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य रहता है। इसी

बात को ध्यान में रखते हुए, इस संशोधन में बार-बार छत्तीसगढ़ की जनता को एक सहूलियत देने के बारे में बात कही गई है।

माननीय सभापति महोदया, जब कोई उद्योग स्थापित होता है तो उद्योग स्थापित हो जाने के बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गड़बड़ियां सामने आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में तत्काल उस उद्योग, कारखाने को बंद कर दिया जाता है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि अचानक चलते हुए उद्योग या कारखानें को बंद कर देने बाद प्रबंधक को तो जितना नुकसान होना है, वह होना ही है। लेकिन जो वहां पर काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होता है इसका जीता जागता नमूना, जो लोग इंदौर और उज्जैन के आसपास जानते होंगे, जिन्होंने मालवा मिल के बारे में सुना होगा। वह जानते होंगे कि इसका नुकसान कैसे, कितनी पीढ़ी तक हो जाता है। मैं इस मामले में हमारे जगदलपुर में जो टाटा स्टील प्लांट खुलने जा रहा था। मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा । जो बस्तर के भविष्य दृष्टा बाहुबली श्री बलीराम कश्यप जी, ब्लैक टाईगर के नाम से जाने, जाने वाले महेन्द्र कर्मा जी के सपनो का एक उद्योग लगने जा रहा था और बड़ी ही मजेदार बात है कि उस उद्योग को लगाने के शुरूआती दिनों में हमारे साथी दीपक बैज जी भी हमारे साथ हुआ करते थे। जिन्होंने बाद में असत्य रूप से जमीन वापसी का इतना बड़ा प्रपंच फैलाया, माननीय राहुल गांधी जी को बुलाकर बोल दिये कि हमने उद्योग की जमीन किसानों को वापस कर दी। उद्योग की जमीन कभी भी सरकार के हाथ में नहीं गई थी, उसमें किसान काबिज ही थे। केवल कागज में सरकारी लिख गया था, उसी कागज में से सरकारी काटकर के नाम चढ़ा दिये। लेकिन उसका प्रोपोगेंडा कितना किया गया? मैं फिर से विषय पर आना चाहूंगा। निश्चित तौर पर इस संशोधन के माध्यम से जो बातें कही जा रही है कि जब कभी भी कोई किसी प्रकार की कारखाना में, किस उद्योग में गड़बड़ियां सामने आती हैं तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई न करके जुर्माना किया जायेगा। उनको सचेत करने का एक मुद्दा इसमें लाया गया है कि जुर्माना करके उस कारखाने में काम को न रोका जाये, वह चलता रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इसमें लाई गई है, वह हमारी सरकार का डेव्हलपमेंट का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कांसेप्ट था। हम देखते हैं कि हमारे बस्तर, छत्तीसगढ़ के लोग उद्योग स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो कोंडागांव में कलेक्टर था। वहां के उद्योग विभाग को बोला कि मेरे 5 विकासखंड हैं, आप 5 जगह पर कम से कम एक-एक उद्योग लगवा दो बस। मैं 3 साल कलेक्टर रहा, वहां एक उद्योग चालू नहीं करवा पाया। इतनी सारी formality होती हैं, आवेदन के बाद यह एन.ओ.सी., वो एन.ओ.सी., यहां से आय प्रमाण पत्र, वहां से जंगल का प्रमाण पत्र, इतनी सारी formality के कारण आदमी भग जाता है। इस संशोधन के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने यही व्यवस्था लाने की कोशिश की है कि इस प्रकार की जितनी भी औपचारिकतायें हैं, उन औपचारिकाओं को एक साथ, एक जगह पर पूरा कर दिया जाये। मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ के

नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां के बेरोजगारों को स्वरोजगार देने की दिशा में एक बहुत बडा काम चालू किया है और इस संशोधन से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। इसमें मुख्य रूप से जो न्यायालयीन मामले हैं, उन न्यायालयीन मामलों को avoid करते हुए, जैसे अभी हमने पिछले विधेयक में देखा कि रजिस्ट्री को निरस्त कराने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन आई.जी. रजिस्ट्रेशन को भी अब अपील सुनने का अधिकार दिया गया है। इसमें वही अधिकार की बात कही जा रही है। सीधा-सीधा उस कारखाना के मालिक को कोर्ट में घसीटने के बजाय उस पर कार्रवाई करने का अधिकार हमारे श्रम विभाग के अधिकारियों को ही दे देना चाहिए ताकि वह समयबद्ध तरीके से एक निर्धारित समय में उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, उनके खिलाफ दंड भी आरोपित करें और कोई ऑकवर्ड स्थिति न हो।

माननीय सभापति महोदय, जयादातर श्रम न्यायालय में केस सममिट करने का जो टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के मामले में भी इसमें एक सुधार लाने का प्रयास किया गया है। अभी तक कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो कारखाना दोषी सिद्ध हो जाता है, उसके प्रबंधको के विरूद्ध अगर कोई कार्रवाई करना है तो अभियोजन प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा मात्र 3 महीने की रखी गई है। इस 3 महीने को बढ़ा करके 6 महीने करने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के माध्यम से आया है। यह बिल्कुल समर्थन योग्य है। मैं तीनो, चारों जो सुधार हैं, इन सभी सुधारों में छत्तीसगढ़ का जो विकास, प्रगति है, यहां के बेरोजगारों के प्रति जो कल्याण है, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। मैं इसका भी समर्थन करना चाहता हूं। आज इस सदन के माध्यम से मैं एक, दो बात जरूर मंत्री जी को, सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आखिर ये जितने भी उद्योग धंधे, कारखाने इत्यादि खुल रहे हैं इसमें छत्तीसगढ़िया कितने हैं इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। वरना हम तो बाजार में आज जाते हैं तो फालुदा की दुकान भी बिहार से आकर लगी रहती है । आखिर एन.एम.डी.सी. में हमारे छत्तीसगढ़ के कितने लोग हैं ? बैलाडीला में कितने हैं और नगरनार में कितने हैं ? प्राईवेट पॉवर और स्टील सेक्टर के जो कारखाने हैं उसमें आप देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के लेबर कहीं दिखायी नहीं देते हैं इसलिये एक-दिन इस सदन में जब आई.टी.आई. के बारे में बात आ रही थी, कौशल विकास के बारे में बात आ रही थी तो यह बात सामने सुनने को भी मिली थी कि हमको जो उद्योग-धंधे हैं, जो कारखाने हैं उनके साथ पहले प्लानिंग करनी चाहिए कि उनको किस तरह के मेन पॉवर की जरूरत है और उस मेन पॉवर को तैयार करने की व्यवस्था हमें सरकारी तौर पर हमारे आई.टी.आई. के माध्यम से, हमारे स्कूलों के माध्यम से, हमारे एन.जी.ओ. को जो हम लोग कौशल विकास के लिये ट्रेनिंग का फंड देते हैं उसके माध्यम से हमको तैयार करना चाहिए तभी जाकर हमारी जो संकल्पना है, हमने बेरोजगारी के साथ जो लड़ाई करने की शुरूआत की है, हम वर्ष 2047 में एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं, वर्ष 2030 तक हम छत्तीसगढ़ राज्य को एक अच्छी-खासी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं वह सफल हो जायेगा ।

इन्हीं भावनाओं के साथ मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से लाये गये यह जो तीनों-चारों संशोधन हैं, उसका समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदया, मैं विषयांतर नहीं करूंगा । जिस विषय में बात हो रही है, मैं उसी विषय में बात करूंगा । जब से छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से उनके मार्गदशन, उनके कुशल नेतृत्व में चाहे महिला हो, पुरूष हो, श्रमिक हो अथवा नियोजक हो सभी के हितों में हमारी सरकार काम कर रही है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 के संबंध में और इसके समर्थन में अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा 70 से ज्यादा योजनाएं श्रमिकों के हित के लिये हमारी सरकार ने लागू करके रखी हैं जिसका लाभ हमारे श्रमिक भाई-बहनों को मिल रहा है । ऐसी 70 योजनाएं सरकार चला रही है और न केवल 70 योजनाएं चला रही है बल्कि 10 लाख व्यक्ति संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योगों, कारखानों, उपक्रमों एवं संस्थानों में काम कर रहे हैं और इतने 10 लाख लोग इन योजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं जिसका लाभ इनको मिल रहा है । माननीय सभापति महोदया, संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के हित लाभ जैसे नियुक्ति पत्र, वेतन, अवकाश, बोनस, सेवा शर्तें, ग्रेज्युटी इत्यादि से संबंधित ऐसे 29 श्रम कानून प्रचलित हैं और इन श्रम कानूनों में समय-समय पर सुधार की आवश्यकता रही है । यह वर्ष 1947 का यह कानून है और आज समय और तकनीक के साथ इन कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है और यही इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य है कि यह कानून समय के हिसाब से लोगों के लिये अनुकूल हो, जिनका उन्हें लाभ मिल सके ।

माननीय सभापति महोदया, श्रमिकों और मालिकों के बीच परस्पर सद्भाव का एक वातावरण बना रहे, विवादों का निराकरण करने, हड़ताल, तालाबंदी नियंत्रित करने के लिये कारखानों के बंदी, छंटनी, तालाबंदी होने की स्थिति में मुआवजा आदि औद्योगिक विवादों को सुचारू रूप से चलाने के लिये चूंकि वर्ष 1947 में यह जो अधिनियम प्रावधानित है उसमें यह संशोधन की बात है । मैं श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 का समर्थन करता हूं और इस सदन के समस्त साथियों से आग्रह करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से प्रदेश हित में छत्तीसगढ़ के हित में अपना समर्थन दें। साथ ही साथ कुछ विषयों की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस विधेयक में कुछ संशोधन के जो प्रस्ताव आए हैं, उसके अंतर्गत धारा 22 में लोक उपयोगी सेवा से संबंधित उद्योगों में हड़ताल या तालाबंदी करने के 6 सप्ताह पूर्व संबंधितों को सूचना दिया जाना अनिवार्य है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इसमें पहले लोक उपयोगी सेवा से संबंधित उद्योगों

के लिए यह बात लागू होती थी, अब उसे सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए किया जा रहा है। यह मजदूरों के लिए है। यह हमारे ऐसे श्रमिक भाई-बहनों के लिए बहुत लाभप्रद होगा, जब यह सभी उद्योगों के लिए लागू किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने या नियोजक द्वारा तालाबंदी करने के 6 हफ्ता पहले नोटिस दिया जाना अनिवार्य किया जाएगा ताकि कोई भी अचानक हड़ताल न कर सके, जिसके अंतर्गत कोई भी नियोजक अचानक से तालाबंदी न कर सके। यह इस तरह की शिकायत है, क्योंकि मैं औद्योगिक क्षेत्र से आता हूं। इस तरह की शिकायतें यहां आती थीं। इन बातों से इस प्रदेश का विकास बाधित होता है। इस संशोधन के आने से निश्चित तौर पर यह कानून मजबूत होगा। माननीय सभापति जी, वर्तमान में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय 5 (ख) की धारा 25 (ट) अंतर्गत औसतन 100 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले औद्योगिक स्थापनाओं में कामबंदी, छंटनी, बंदीकरण हेतु विशेष प्रावधान है। लेकिन जो प्रस्तावित है, इसमें इस संख्या को 100 से 300 बढ़ाया जा रहा है ताकि जो छोटे उद्योग हैं, उन्हें काम करने में आसानी हो और अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वह सिर्फ 6 सप्ताह की सूचना देकर इस कार्य को क्रियान्वित कर सकते हैं और 300 से अधिक जहां श्रमिक होंगे, उनके लिए इस बात की बाध्यता होगी। यहां कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जितने उद्योग हैं, उनको एक रिलैक्सेशन मिला है और साथ ही साथ श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन वे अपनी जवाबदारियों से पीछे नहीं जा सकते, उन्हें सूचना देना अनिवार्य रखा गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल निर्धारित समय में सूचित करना इन उद्योगों के लिए आवश्यक होगा। श्रमिक हित प्रभावित भी नहीं होंगे तथा श्रमिकों को विधानानुसार देय छंटनी एवं अन्य मुआवजे का लाभ यथावत मिलेगा। जैसे कामबंदी की स्थिति में प्रथम 45 दिन तक काम बंद रहने पर श्रमिकों को 50 प्रतिशत वेतन भुगतान एवं 45 दिन से अधिक काम बंद रहने पर नियमानुसार छंटनी की जा सकेगी। श्रमिकों को छंटनी हेतु एक माह पूर्व नोटिस देना या सूचना के बदले एक माह के वेतन की पात्रता होगी। मैं बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार छंटनी एवं बंदी की स्थिति में श्रमिकों को उनके एक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की औसत से मजदूरी के मानसिक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होगी। यह सब ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन हैं, जो समय के अनुसार यहां इस राज्य के लिए जरूरी थे, इस श्रम कानून के लिए जरूरी थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का जो उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको चरितार्थ करने वाला है। देश के 20 राज्यों में अभी तक इस कानून में संशोधन हुए हैं और इस वैश्विक प्रतियोगिता के दौर में, प्रदेश के हित में प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए इन श्रम कानूनों में होने वाले इस संशोधन के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित करें। आपका बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 के संबंध में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में प्रभावशील विभिन्न श्रम कानूनों में सुधार किए जाने का निर्देश राज्य शासन को प्राप्त होते रहे हैं और हमारे भारत सरकार के माननीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया जी से भी लगातार इस कानून को बनाने के लिए बातचीत होती रही । उनका भी निर्देश प्राप्त हुआ कि कैसे हमारे उद्योगों के लिए हमने एक छोटा सा विधेयक लाया है, छोटा सा परिवर्तन हो रहा है । सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुरूप विकसित भारत-2047 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की पहल जन विश्वास 2.0 अनुरूप श्रम कानूनों में सुधार किया जाना आवश्यक हो गया है । श्रम कानूनों में सुधार एवं प्रक्रिया सरलीकरण किए जाने से राज्य में सुगम व्यापारिक वातावरण निर्मित होगा एवं इज़ ऑफ डुइंग बिजनेस की धारणा विकसित होगी । संशोधन के परिणामस्वरूप व्यापारिक एवं औद्योगिक माहौल परिवर्तनकारी प्रभाव होगा तथा व्यवसायियों, नियोजकों एवं प्रबंधन पक्ष को कम कानूनी जोखिम के साथ व्यवसाय करने में आसानी होगी ।

माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गर्शन में विभाग द्वारा श्रमिकों के हित में संरक्षण एवं कल्याण तथा नियोजकों को व्यापार सुगमता की दृष्टि से लगातार सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 सदन में प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक के माध्यम से निम्न तीन अधिनियम संशोधन प्रस्तावित किया गया है - कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1047, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 । सभापति महोदय, मैं उपरोक्त संशोधन के संबंध में सदन के समक्ष अधिनियमवार संक्षिप्त में बताना चाहता हूं । कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखानों का पंजीयन किए जाने का प्रावधान है । पंजीयन नहीं कराने की स्थिति में कारखाना के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक को कारावास तथा जुर्माना अथवा दोनों से दंडिए किए जाने का प्रावधान है । अब इस संशोधन के माध्यम से पंजीयन नहीं कराने संबंधी अपराध को गैर अपराधीकरण (डिक्रिमिनलाइज) करते हुए जुर्माना से दंडित करने का प्रावधान किया जा रहा है किंतु उक्त अपराध के लिए पूर्व में जुर्माना की अधिकतम् राशि 1 लाख थी जिसे बढ़ाकर न्यूनतम 2 लाख एवं अधिकतम 3 लाख किया गया है । महोदय, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी प्रावधान के उल्लंघन संबंधी अपराधों के लिए वर्तमान में कारखाना अधिभोगी तथा कारखाना प्रबंधक के विरूद्ध माननीय श्रम न्यायालय में अभियोजन प्रकरण प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । भारत सरकार की अनुशंसा एवं नए श्रम संहिता में किए गए प्रावधान के आधार पर कारखाना अधिनियम के ऐसे उल्लंघनों को जो साधारण प्रकृति के हैं, उन अपराधों में दंड की राशि भुगतान कारखाना निरीक्षक द्वारा प्रशमन (कंपाउंडिंग) किए

जाने का प्रावधान नवीन धारा 42 (क) के माध्यम से किया गया है । इस सुधार के तहत कारखाना मुख्य निरीक्षक या कारखाना निरीक्षक अभियोजन की शुरूआत पहले या बाद में अपराधों का प्रशमन (कंपाउंडिंग) कर सकते हैं । इस प्रकार के संशोधन लगभग अन्य सभी राज्यों द्वारा किए जा चुके हैं । इस प्रावधान से कारखाना अभियोगी अथवा कारखाना प्रबंधक न्यायलय में अभियोजनात्मक कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी । मुख्य कारखाना निरीक्षक के द्वारा जिन अपराधों के लिए प्रशमन (कंपाउंडिंग) की जा सकेगी, जिससे संबंधत अनुसूची चार अधिनियम धारा 92(क) में स्थापित किया गया है । माननीय सभापति महोदय, जिन अपराधों में प्रशमन के माध्यम से दण्डित किया जायेगा उनमें मुख्य रूप से साफ-सफाई, पीने का पानी, शौचालय और मूत्रालय, थूकदान, धुलाई की सुविधा, कपड़ों के सुखाने की सुविधा, बैठने की सुविधा, प्राथमिक उपचार उपकरण, कैंटीन, विश्राम कक्ष, सूचनाओं का प्रदर्शन आदि मुख्य है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में कारखाना अधिनियम के किसी प्रावधानों के उल्लंघन की जानकारी कारखाना निरीक्षक की जानकारी में आने के पश्चात् निरीक्षण दिनांक से 03 माह के भीतर श्रम न्यायालय में पाई गई उल्लंघनों के लिए अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक के विरूद्ध अभियोजन प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित है। उक्त प्रावधान को संशोधित करते हुए अभियोजन प्रस्तुत करने की वर्तमान समय-सीमा 03 माह के स्थान पर 06 माह किया जाना प्रावधानित है। इस संशोधन से कारखाना प्रबंधकों को पाई गई त्रुटियों के सुधार हेतु अवसर प्राप्त होगा, वहीं कारखाना निरीक्षकों को मामलों की विस्तृत जांच, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने तथा अनुपालन कराने हेतु समुचित समय मिल सकेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-22 (1) एवं (2) में हड़तालों एवं तालाबंदियों के प्रतिषेध हेतु प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत् कोई भी लोक उपयोगी सेवा से संबंधित औद्योगिक इकाई में कार्यरत श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने से पूर्व के 06 सप्ताह के भीतर हड़ताल की सूचना नियोजक को दिये बिना हड़ताल करना प्रतिषेधित है। इसी प्रकार नियोजकों द्वारा अपने संस्थान में तालाबंदी करने के पूर्व के 06 सप्ताह के भीतर तालाबंदी की सूचना संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को दिये बिना तालाबंदी करना प्रतिषेधित है। माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन के माध्यम से हम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के दायरे को विस्तृत करते हुए समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों उक्त धारा के परिधि में सम्मिलित कर रहे हैं। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल अथवा तालाबंदी जैसी भी स्थिति हो, के लिए कर्मचारियों एवं प्रबंधन पक्ष दोनों को 06 सप्ताह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा। इस संशोधन से अवैध हड़ताल एवं तालाबंदियों में उल्लेखनीय कमी आयेगी जिससे औद्योगिक शांति कायम रहेगी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। यह संशोधन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुरूप किया गया है। सभापति महोदय, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 5 (ख) में ऐसे औद्योगिक संस्थान जहां पर औसतन 100 अथवा 100 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं, में संस्थान की

कामबंदी, श्रमिकों की छंटनी तथा संस्थान की बंदी हेतु राज्य शासन से अनुमति लिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-25-ट (1) में संशोधन किया जाकर 100 के स्थान पर 300 या 300 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों में लागू करने हेतु प्रावधान किया गया है। नवीन प्रावधान के परिणामस्वरूप 300 या 300 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कामबंदी, छंटनी तथा बंदी की अनुमति हेतु राज्य शासन को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 300 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले संस्थानों में श्रमिकों की छंटनी, कामबंदी तथा कारखाने की बंदी हेतु राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुये निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार को सूचित करना होगा।

समय :
5.00 बजे

मानानीय सभापति महोदय, श्रमिकों को कामबंदी, छंटनी तथा बंदी की स्थिति में मुआवजा तथा वैधानिक लाभ पूर्णत: प्राप्त होंगे। इस संशोधन से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों (MSME) को सुगमतापूर्वक संचालन किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा लाया गया यह संशोधन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये नये औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुसार है। उपरोक्तानुसार संशोधन हमारे पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश सहित देश के लगभग 20 राज्यों में किया जा चुका है। व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926। माननीय सभापति महोदया, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 हमारे देश के सबसे पुराने श्रम कानूनों में से एक है। यह अधिनियम उद्योगों, कारखानों, दुकानों तथा अन्य संस्थानों में कार्य कर रहे मजदूरों को संगठित होने तथा यूनियन बनाने का अधिकार प्रदान करता है ताकि वह श्रम कानूनों के अंतर्गत उचित हित लाभ प्राप्त कर सकने में अपने मालिकों/नियोजकों के समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत कर सकें, समझौता कर सके तथा अपने श्रमिक साथियों का प्रतिनिधित्व कर सके। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के किसी प्रावधान का उल्लंघन होने की स्थिति में उल्लंघनकर्ता श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। इस विधेयक के माध्यम से व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में नयी धारा-32 (ख) में जोड़ते हुये समस्त उल्लंघनों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का प्रशमन (कंपाउंडिंग) के द्वारा निराकरण की व्यवस्था की जा रही है। प्रशमन कार्रवाई से विभागीय अधिकारी द्वारा जुर्माने की राशि ली जायेगी, जिससे दोषी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही प्रशमन कार्रवाई के पूर्व यदि कोई प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो या विचाराधीन हो तो प्रशमन पश्चात उक्त प्रकरण से वह दोषमुक्त हो जायेगा। उक्त संशोधन से विभिन्न ट्रेड यूनियनों के द्वारा किये गये उल्लंघनों के निराकरण कंपाउंडिंग के माध्यम से किये जा सकेंगे, जिससे ट्रेड यूनियनों

को न्यायालयीन कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी। इस विधेयक के द्वारा श्रमिक एवं नियोजकों में श्रम कानूनों में सुधार एवं प्रक्रियाओं में सरलीकरण किया गया है, जिससे राज्य में सुगम एवं सकारात्मक व्यापारिक वातावरण निर्मित होगा। राज्य में नये उद्योग आकर्षित होंगे, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। अतः मैं इस सदन के सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 को समर्थन देते हुए सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि इस विधेयक में हमारे सम्माननीय शर्मा जी, पूर्व कलेक्टर साहब सम्माननीय टेकाम जी, सम्माननीय रामकुमार यादव जी ने भाग लिया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें। ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लग सके। धन्यवाद।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्रम मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्तुत प्रस्तुत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(8) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025)

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सदन को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन 28.10.2014 को किया गया था।

समय
5.06 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

उसके तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50(ख) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग में प्रमुख सचिव श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के कोई अधिकारी छत्तीसगढ राज्य में जो सेवारत हो, का निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 10 हजार से अधिक सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 200 से अधिक समितियों के निर्वाचन हेतु आवेदन लंबित हैं। निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण सभी प्रकार के सहकारी समितियों का निर्वाचन बाधित है। मेरा इस विधेयक पर आग्रह है क्योंकि इस प्रकार समितियों का निर्वाचन कराये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी अनेक प्रकरण विचाराधीन है। इसमें एक छोटा सा संशोधन है। इसमें प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की कमी के कारण से सहकारी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में बाधा आ रही है, उसके तहत लोकतान्त्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु अधिनियम में सहकारी निर्वाचन आयुक्त के लिए अर्हता में संशोधन कर 'प्रमुख सचिव' के स्थान पर 'सचिव' किया जाना आवश्यक होगा, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। माननीय सभापति महोदय, पूरे सदन से आग्रह है कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(9) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025)

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री मोतीलाल साहू जी।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के विषय में जो प्रस्ताव लाया गया है, वह बहुत स्वागत

योग्य है। क्योंकि कोई भी उद्योगपति कहीं पर उद्योग लगाना चाहता है तो सबसे पहले वह वहां पर की अनुकूल वातावरण का अध्ययन करता है, डी.पी.आर. तैयार करता है कि वह क्षेत्र उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसमें हमको कितनी सफलता मिलेगी? ऐसी परिस्थिति में वह भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए और वहां पर कच्चे सामग्री की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता, इन सभी चीजों को देखते हुए वह उद्योग की स्थापना करता है, लेकिन उसके पहले वह इस चीज का जरूर ध्यान देता है कि वहां पर हम कितने सुरक्षित हैं? वहां पर व्यापार करना, उद्योग लगाना कितना सुरक्षित है, इस बात का वह जरूर अध्ययन करता है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर अभी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव लाया है कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे औद्योगिक केन्द्र हैं, जहां असुरक्षा के अभाव में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण उद्योगपितयों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहां पर कामगार काम करते हैं, उनको भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम छत्तीसगढ़ में ऐसे वातावरण बनायेंगे तो निश्चित तौर पर उद्योग के अवसर बढ़ेंगे। जब यहां पर उद्योगपति आयेंगे तो निश्चित तौर पर यहां पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहां एक अच्छा निवेश होगा और आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमारा छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। इस दृष्टिकोण से यह विषय आया है कि राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की जाये। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से केन्द्र में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है और उनका जो व्यय है, जो वह सेवा शुल्क लेते हैं उस शुल्क के माध्यम से उनकी व्यवस्था होती है। उसी प्रकार से राज्य की जो औद्योगिक सुरक्षा बल है, अगर उनको भी सेवा शुक्ल के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे तो इसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता भी होगी। इस प्रकार से यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ हमारे राज्य में बहुत से संस्थान हैं, जैसे हम स्वयं यहां विधान सभा में हैं, हमारा मंत्रालय है, हमारा हाई कोर्ट है और ऐसे अनेक संस्थान हैं, जिसमें भी प्रशिक्षित सशस्त्र बल की आवश्यकता होती है। यहां कई प्रकार की ऐसी घटनाएं घटी है, संसद में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई है, कई राज्यों की विधान सभाओं में भी ऐसी घटनाएं घटी है, ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिसके कारण सशस्त्र सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस की गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे 22 बटालियन हैं, जो सशस्त्र सुरक्षा बल के रूप मे हैं, परंतु समुचित प्रशिक्षण केन्द्र नहीं होने के कारण वे प्रशिक्षित नहीं हैं। इसलिए हमारे सशस्त्र बल के लिए एक ऐसी व्यवस्था भी दिया जाये, जिसमें वे अच्छे से प्रशिक्षित हो और जिस उद्देश्य से उनकी नियुक्तियां हुई है, उसमें वह पारंगत हो सके। ऐसे दो महत्वपूर्ण विषय हैं। एक राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का विषय है, जिसका स्थापना किया जाये और दूसरा विषय, यहां पर जो सशस्त्र सुरक्षा बल है, उनके प्रशिक्षण के लिए भी अच्छा प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये, इस प्रकार अपनी बात को रखते हुए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने जो राज्य

औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की मांग की है, मैं उनका भरपूर स्वागत करता हूं, उनका समर्थन करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री आशा राम नेताम जी।

श्री आशाराम नेताम (कांकेर) :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी के समर्थन में खड़ा हूँ, आज सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लाया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 से संबंधित है । सभापति महोदय, हमारा राज्य औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वह चाहे उर्जा संयंत्र हो या इस्पॉत संयंत्र हो या खनिज हो या उत्खनन के रेल्वे नेटवर्क हो, यह हमारे आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं । सभापति महोदय, प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ-साथ सुरक्षा ओर जोखिम बढ़ रहे हैं, यदि हमने समय के अनुसार ठोस कदम नहीं उठाया तो हमारे उद्योग और अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो सकता है । माननीय सभापति महोदय जी, हमारा राज्य औद्योगीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब औद्योगिक सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं होना चाहिये, बल्कि आर्थिक रणनीति के साथ सुरक्षा का विषय भी है । यहां राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना अनिवार्य रूप से होना चाहिये । सभापति महोदय, यदि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना नहीं हुई तो आने वाले समय में तो हमारे उद्योगों को गंभीर खतरा का सामना करना पड़ेगा । मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि प्रभावी और आधुनिक रूप से औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना के लिये सदन एकमत हो, जिससे हमारा राज्य सुरक्षित आत्मनिर्भर और समृद्ध बने । सभापति महोदय, मैं इस आशय के साथ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री गजेन्द्र यादव जी ।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय । सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी द्वारा लाये गये विधेयक छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं दुर्ग शहर का विधायक हूँ जो कि भिलाई स्टील प्लॉण्ट से जुड़ा हुआ है । सुखद संयोग है कि मेरा गांव नंदिनी है और वहां जो नंदिनी माईन्स बी.एस.पी. का खदान था, वहां सुरक्षा का काम सीआईएसएफ करता थो और हमारा बाल्यावस्था उन्हें देखते हुये निकला है । सभापति महोदय, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने सीआईएसएफ के पैटर्न पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के लिये विधेयक लाया है । सभापति महोदय, हम लोग अभी लगातार देख रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, वह यह चाहती है कि उनके राज्य में बड़े औद्योगिक घराने आये, औद्योगिकीकरण हो, शहर का विकास हो, लेकिन कहीं न कहीं उद्योगपतियों के मन में भी भय रहता है, कोई नये स्थान पर वह प्लॉण्ट लगाने के लिये जाते हैं तो स्वाभाविक है कि चाहे वह राजनीतिकरण से हो या भय का वातावरण हो,

कहीं न कहीं वहां के स्थानीय लोगों में उद्योगपतियों के बीच में दूरियां बनती है और इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है और एक बड़े आंदोलन की भी आशंका बनती है । सभापति महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आज से 20 साल पहले जे.के.लक्ष्मी प्लॉण्ट अहिवारा में लगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि ग्रामवासियों ने पूरे जे.के. लक्ष्मी सीमेंट प्लॉण्ट अहिवारा को आग के हवाले कर दिया । स्थानीय ग्रामवासियों ने छोटे-छोटे मांगों को लेकर अरबों रूपये की लागत से निर्मित जे.के.लक्ष्मी सीमेंट प्लॉण्ट को आग लगा दिया और प्रबंधन को फिर से प्लॉण्ट बनाना पड़ा । सभापति महोदय, कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनायें, दुर्घटनायें घटित होती है, वहां के जो उद्योगपति हैं, अरबों रूपया निवेश किये रहते हैं, उनमें भय रहता है, वह चाहते हैं कि उनकी एक सुरक्षा हो । मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि सदन में यह विधेयक लाकर उसे हमारे संज्ञान में लाया है । सभापति महोदय, हमारे विधान सभा से लगा हुआ 30 किलोमीटर की दूर पर पिरदा है, वहां एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ । फटाका संयंत्र था, बारूद फैक्ट्री थी और बारूद फैक्ट्री में चूंकि कोई टेक्निकल हैण्ड्स नहीं रहते, कोई जानकार नहीं रहते । स्थानीय लेबरों के द्वारा काम किया जाता है । कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, जिससे कि लोगों में भी डर रहता है और गांव वाले ऐसी घटनाओं का, ऐसे प्लांटों का विरोध भी करते हैं । हमारा जो औद्योगिक सुरक्षा बलों की ईकाई रहेगी, वह कम से कम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो नार्म्स होते हैं कि स्टील प्लांटों में सुरक्षा कैसे होना है, क्या होना है, उसकी वे चिंता करेंगे । अभी जैसा कि मैं बेमेतरा जिला की ही बात करूं तो राका, पथर्रा, बेलौदी, भैंसा इन सारी जगहों में कहीं न कहीं स्टील प्लांट लग रहे हैं, इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं और आये दिन यह सब देखने में आता है कि गांव वाले और प्लांट के बीच कुछ न कुछ विवाद होता है । कोई बहुत बड़ा कारण नहीं रहता, लेकिन गांव वालों के मन में एक भय रहता है और कहीं न कहीं प्लांट वालों के मन में भी प्लांट के प्रति भय रहता है और आपस में दूरी बनाती है । वहां औद्योगिक सुरक्षा बल रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट और स्थानीय जन के बीच में एक सेतु का काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा । आज भी जब हम जाते हैं तो नंदनी माईन्स में शाम को बहुत बड़ एरिए में 5 बजे के बाद ब्लास्टिंग होती है, लोगों को मालूम नहीं रहता । नॉन टेक्निकल लोगों के द्वारा ब्लास्टिंग की जाती है, नॉन टेक्निकल लेबर रहते हैं, वे सड़क में एक झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि अभी ब्लास्टिंग का टाईम हो गया और जब ब्लास्टिंग होती है, जो ब्लास्टिंग के पत्थर हैं, वे 100 फीट ऊंचाई पर उड़ते हैं, वे आसपास के गांव में किसी के छत में, किसी के खपरैल में गिरते हैं । यह जो ब्लास्टिंग होता है, उसमें भी सुरक्षा के उपकरण की जरूरत है, सुरक्षा के जानकार लोगों की आवश्यकता है । चूंकि वे लेबर लोगों से काम कराते हैं, मालिक चाहता है कि सामान्य लेबर है, लेबर से वह काम निपटा लेता है, दो घंटे का काम है । ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग भी वैसे ही होती है, उसमें भी नॉन टेक्निकल लोग रहते हैं । जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव लाया, जो औद्योगिक सुरक्षा बल के हमारे जवान रहेंगे, वे बताएंगे कि ब्लास्टिंग कैसे होना है, किस प्रकार की

सुरक्षा व्यवस्था करनी है, कैसे रोड ब्लॉक करना है, यह तमाम चीज चूंकि औद्योगिक सुरक्षा बल से रहेंगे तो तमाम प्रकार की सुरक्षा के संबंध में वे बहुत समृद्ध रहेंगे तो उससे गांव वालों को भी और स्थानीय जन जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें जनहानि का जो भय रहेगा, उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी । मैंने देखा है कि ब्लास्टिंग का जो बारूद, बत्ती आती है, उसे लोग गाड़ियों में भरकर खुले जीप में उसे लेकर जाते हैं । उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, न उसमें कोई सुरक्षा जवान रहता है, न सुरक्षा उपकरण रहता है । खुले आम वह गाड़ी मैंने देखा है, हमारे गांव में बारूद प्लांट का एक बारूद सेन्टर है, वहां से जितने भी माइन्स हैं, उन माइन्सों को बारूद की गाड़ियों में बिना किसी सुरक्षा के रखते हैं। चूंकि राज्य शासन से अभी तक किसी भी प्रकार का औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में कोई कार्यवाही या कोई निर्णय नहीं लिया गया था । आज यह जो प्रस्ताव आया है, आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण की दृष्टि से हम बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से यहां माइन्स है, खदानें हैं, कोल है, चूना पत्थर है, डोलामाईट है, जहां ब्लास्टिंग होता है, जहां पर बारूद और तमाम प्रकार के ज्वलनशील चीज को हम उपयोग करते हैं, वह सब चीज के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि यहां जो-जो दुर्घटनाएं घटती हैं, पिरदा में हम सब देख रहे हैं कि 10 लोग जिंदा जल कर मर गए, उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई तो आज छत्तीसगढ़ में समय की मांग है । आज इतना बढ़िया प्रस्ताव माननीय उप मुख्यमंत्री जी (गृह) ने लाया है, उसके लिए मैं उन्हें पुन: धन्यवाद देता हूं, सदन का आभार व्यक्त करता हूं। आज इस विधेयक के पक्ष में मैं धन्यवाद देते हुए अपना बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती शकुँतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 की ओर ध्यानाकर्षित कराना चाहती हूं । राज्य के औद्योगिक संस्थानों जैसे कुसमुंडा, दीपका एवं गेवरा कोल माईन्स की सुरक्षा त्रिपुरा स्टेट रायफल कर रही है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केवल राज्य में मौजूद राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक संस्थानों जैसे एनटीपीसी, एसईसीएल, भिलाई स्टील प्लांट की सुरक्षा तक सीमित है, जबकि राज्य और मध्यम उद्योगों की सुरक्षा बल नहीं मिल पाती है, जिससे उनके सुचारू रूप से संचालन में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं । राज्य के बाहर की सुरक्षा बल की तैनाती से हमारे राज्यों के जनमानस को न तो रोजगार मिल पा रहा है और न ही औद्योगिक विकास में सम्मिलित होने का मौका मिल पा रहा है इसलिए सर्व सुविधायुक्त प्रशिक्षित एवं विशेषीकृत बल के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की नितांत आवश्यकता है। इससे राज्य में रोजगार का भी श्रृजन होगा और जनमानस को उन्नत दक्षता प्राप्त होगी। अत: मैं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 की स्थापना का समर्थन करती हूं तथा सदन से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 के बारे में दो लाईन बोलना चाहती हूं कि इसकी जरुरत क्यों आन पड़ी? हमारे यहां के उद्योग अभी के नहीं हैं, बल्कि वर्षों पुराने हैं। जब हमारा राज्य विभाजित नहीं हुआ था, मध्यप्रदेश के समय से उद्योग हैं और आज भी ये उद्योग चल रहे हैं। हमारे राज्य में ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि अचानक से ये नीति लागू कर दिए और ये संशोधन लाए? मुझे ये लग रहा है कि अभी बस्तर में आपके उद्योग स्थापित होने वाले हैं, कहीं यह आपकी उसकी तैयारी तो नहीं है? क्योंकि आप वहां उद्योग लगायेंगे, केन्द्र से भी आएगा, सब जगह से वहां उद्योग लगेगा, यहां वाले अटैक करेंगे, इसलिए आप पहले से सुरक्षा की तैयारी कर रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यहां वाले अटैक करेंगे मतलब? पांच सालों तक उद्योगों को जो आपने [xx] की दुकान बना रखी थी, ये सब इसीलिए तो कर रहे हैं। [xx] इसी पर तो आपत्ति है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं शुरू होती हूं, आप पांच साल के पीछे जा रहे हैं। उद्योग हमेशा छत्तीसगढ़ राज्य में रहे हैं। आप लोगों के शासन में तो उद्योगों को बंद करने की राजनीति की गई।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, उद्योग रहा है, आपने चिन्ता नहीं की इसीलिए हम चिन्ता कर रहे हैं, ये तो उल्लेखनीय विषय है ना? सभापति महोदय, इन लोगों ने चिन्ता नहीं की, हम चिन्ता कर रहे हैं, उसमें तकलीफ है। यानि कल कुछ युवा संगठन के लोग वसूली करने पहुंच जाएंगे, यह क्रम चलता रहे, जो कि पिछले पांच साल तक चला? क्या यही व्यवस्था छत्तीसगढ़ में चलती रहे?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में हमने जो महसूस किया है कि ये उद्योगों के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, पूरे पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन जो उद्योग चल रहा है, उसका आप निजीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी किसान भाईयों का शेयर शक्कर कारखाने में लगा है, वे आक्रोशित हैं लेकिन आप शक्कर कारखाने का निजीकरण कर रहे हैं। आज उद्योग की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये नीति लाकर सुरक्षा बल ला रहे हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य शांति का टापू है। यहां पर ऐसे किसी बल की जरुरत नहीं है। हम सुरक्षित हैं, यहां उद्योग भी सुरक्षित हैं। मैं तो इसका विरोध करती हूं, इसलिए बोलने के लिए दो मिनट का समय आपसे ली थी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- इसके बाद आप बोल लीजिएगा।

श्री गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की आवश्यता पर ध्यान आकर्षित करना

चाहूंगा। राज्य में दो प्रकार की पुलिस है-जिला पुलिस बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। जिला पुलिस बल हमेशा कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान, यातायात व्यवस्था एवं बंदोबस्त व्यवस्था आदि में व्यस्त रहती है, जबकि राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का अधिकांश बल लगा रहता है। सभी गणमान्य विधायकों एवं पूर्व विधायकों को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल द्वारा सुरक्षा प्रदाय की जा रही है। अति विशिष्ट एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी प्रकार का खतरा परिलक्षित होता है, तो उन्हें भी खतरों के विश्लेषण के आधार पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल द्वारा सुरक्षा दी जाती है, जिससे उद्योगों की सुरक्षा की मांग पर कई बार बल उपलब्ध नहीं होता है एवं एक विशिष्ट तरीके से प्रशिक्षित बल की आवश्यकता पिछले एक दशक से महसूस की गई। राज्य के छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पर वी.आई.पी. सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं नक्सल विरोधी अभियान में तैनात होने के कारण इस बल में बहुत अधिक भार है।

समय:
5.29 बजे

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- इस बल में बहुत अधिक भार है, जिस वजह से उद्योगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदाय नहीं की जा पा रही है इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की नितांत आवश्यकता है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन संबंधी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- निषाद जी, दो मिनट में अपनी बात रखिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री (गृह) के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक का प्रस्ताव रखा गया है । आखिर इस विधेयक की अचानक जरूरत क्यों पड़ गयी ? क्या जो चिंता हमारी सम्माननीय विधायक संगीता जी ने की है कि बस्तर में चहेते उद्योगपतियों के उद्योग स्थापित करने के लिये आप सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। जिस हिसाब से आज सरगुजा में हसदेव प्लांट स्थापित हो रहा है और अपने चहेतों को दिया गया है, कहीं वैसे ही बस्तर में उद्योग स्थापित करने की तैयारी तो नहीं चल रही है ? सभापति महोदय, इस

ओर हमें भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यदि माननीय उप मुख्यमंत्री (गृह) उद्योग की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो बिल्क्ुल सुरक्षा की बात होनी चाहिए लेकिन हमें वह दिन भी याद करना चाहिए, जब दल्ली राजहरा में मजदूरों की मांग को लेकर, मजलूमों की मांग को लेकर शंकर गुहा नियोगी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुए थे। उस आंदोलन को दबाने का एक पुरजोर प्रयास हुआ और हजारों मजदूरों की आवाज को दबाने के लिये शंकर गुहा नियोगी की हत्या कर दी गयी। वे वही उद्योगपति थे। माननीय सभापति महोदय, तो ऐसा हश्र न हो । बिल्कुल सुरक्षा के संबंध में बात होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि उद्योग लगे, वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा प्रदान की जाये लेकिन यदि बगैर लोगों को विश्वास में लेकर, बगैर वहां के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर, बगैर स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर आप उद्योग लगाना चाहेंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यदि आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां पर जन सुनवाई हो, बैठकें हो, कर्मचारी जाये, अधिकारी जाये, स्थानीय नेता जाये और लोगों से बैठकर बात करिये। बात करने से सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती है। बात करने में क्या हर्ज है ? लेकिन हम उसी को बगैर बात करें एक प्रस्ताव लेकर इस जगह पर या उस जगह पर उद्योग स्थापित करने की ओर बढ़े तो कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम हो सकता है। हमारे साथी ने भी सुरक्षा के दृष्टिाकोण से एक बात कही, चाहे वह बारूद की फैक्ट्री की बात हो या अन्य फैक्ट्रियों की बात हो। बालोद जिले में ज्यादा माइंस है और वहां ज्यादातर ब्लास्ट होते रहते हैं। हमने करीब से देखा है कि बगैर सुरक्षा के मानकों का उपयोग करते हुए यूं ही ब्लास्ट कर दिये जाते हैं। मेरे विधान सभा में बहुत से क्रेशर प्लांट है। वह आज भी प्रभावित है। वह आज भी मुआवजा के लिये दर दर भटक रहे हैं। बगैर मापदण्ड के, बगैर सूचना के, बगैर समय के, रात के समय अचानक ब्लास्ट हो जाता है। लोग घर से उठकर निकलते हैं कि क्या हुआ तब पता चलता है कि किसी के घर की दीवारें, किसी के घर की अन्य चीजों में दरार आ चुकी है। ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। उसके लिए हम लोग जो परिमाप तय करते हैं, उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि उद्योग नीति बने तो उसका सही ढंग से परिपालन हो। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रणव कुमार मरपची (मरवाही) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय एवं सम्माननीय सदस्यों, मैं सदन के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी पुलिस कई बार निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों को सुरक्षा मुहैया कराती है, जिसमें शासन को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। यदि उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर भुगतान के आधार पर सुरक्षा दी जाये तो उससे शासन में व्यय भार भी कम आयेगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी एवं नवीन रोजगार भी सृजित होंगे, जिससे यहां पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं आर्थिक उन्नति आयेगी तथा आर्थिक विकास गति पकड़ लेगा।

इस बल से छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक सुरक्षा के नये मापदण्ड निर्धारित हो सकेंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, जिससे राज्य की प्रगति होगी। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की नितांत आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, अभी जैसे ही उद्योगों की सुरक्षा की बात आयी तो कई सदस्यों ने बार-बार औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान के नाम से संबोधित किया। आज बहुत दिनों बाद मुझे हमारे सचेतक महोदय जी ने सुरक्षा बल से संबंधित विषय में बोलने का अवसर दिया। चूंकि मैं पूर्व सैनिक रहा हूँ और जब जवान शब्द का उच्चारण हुआ तो मुझे यह लगा कि कहीं न कहीं जो हथियारों के साथ देश में सेवा देते हैं, राज्यों में सेवा देते हैं चाहे वह नगर सेना हो, चाहे वह पुलिस हो। चाहे सी.आर.पी.एफ. हो, जितने भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं या फिर देश को सुरक्षा प्रदान करने वाले सेना के जवान हों, अधिकारी हों। जब वह लम्बे समय तक देश के कोने-कोने में सेवा देते हैं। तो एक न एक दिन ऐसा अवसर आता है कि उन्हें समय से पहले या समय पूर्ण करने के बाद घर आना होता है तब उनके पास बेरोजगारी जैसी स्थिति बनती है। उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। देश के सभी राज्यों में पूर्व सैनिकों के लिए, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए 10 प्रतिशत का रिजर्वेशन होता है, लेकिन कहीं न कहीं कई कारणों की वजह से जो 10 प्रतिशत की छूट होती है, उसको राज्य सरकारें नहीं दे पाती हैं। मुझे यह लगता है कि आज हमारे प्रदेश में ऐसा अवसर आने वाला है। औद्यागिक सुरक्षा बल का जो गठन होगा, उसमें उन पूर्व सैनिकों, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों, पुलिस के जवान, जबकि वह बेरोजगार हो चुके रहे होंगे, ऐसे अवसर पर उन्हें एक अवसर की तलाश होती है, उसमें उन्हें नौकरी का एक अवसर दिखेगा। जो हमारा छत्तीसगढ़ औद्यागिक सुरक्षा बल का गठन होने वाला है उसमें भी उन्हें अवसर मिलेगा। जो यहां सुरक्षा बल का गठन होने वाला है इसलिए मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। मैं इस सदन से निवेदन करता हूँ क्योंकि इसमें कई सैनिकों, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवानों का हित समाहित है तो आप सब इस विधेयक का समर्थन करें। माननीय सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक अनावश्यक और विचित्र किस्म की चिंता भी इस विषय के साथ दिख रही है। बड़े पवित्र भाव और बहुत संजीदगी से सोचते हुए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको आज सदन के समक्ष लाया गया है। केन्द्र में भी सी.आई.एस.एफ. ऐसी संस्था है, जो सेन्ट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से उद्योगों को सुरक्षा मुहैया कराती है ऐसी ही एस.आई.एस.एफ. जो स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बन जाये, जो हमारे प्रदेश में उद्योगों को सुरक्षा मुहैया कराये। मैं यह सोचकर, सदन में इस विधेयक को समर्थन हेतु लेकर आया हूँ। एक और संस्था बना रहे हैं। मैंने उस दिन सदन में सम्मुख अपने बजट के विषय में सब कुछ रखा, बताया कि एस.ओ.जी. करके, Special Operations Group (SOG) ऐसा हम एक SOG बना रहे हैं। हम लोग

इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जो एन.एस.जी. है ऐसे National Security Guard बना है । अगर कोई ऐसी आपदा की स्थिति आती है तो यह एक्ट कर सके। इसके लिए 44 नये पदों का सृजन भी बजट के माध्यम से प्रावधान हुआ है। मैं ऐसा ही आपसे कहूं कि अनेक ऐसी चीजें हैं जो पहली बार इस बजट में आयी हैं और विभाग के माध्यम से पहली बार ही इसको किया जा रहा है तो मैं निवेदनपूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें जिन-जिन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है आदरणीय मोतीलाल साहू ने बहुत स्पष्टत: से और वह भाव, जो इस भाव के साथ इस विधेयक को लाया गया है कि किसी भी तरीके से उद्योगों की सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह बात रखी है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आशाराम नेताम जी और आदरणीय गजेन्द्र यादव जी ने तो बचपने से बहुत अच्छे ढंग से बी.एस.पी. को देखा है और वहां कैसे बी.एस.पी. को Security की आवश्यकता होती थी, उन्होंने यह भी देखा है। मैं एक बात बी.एस. पी. के संदर्भ में जरूर कहूं कि सबसे पहले वहां बी.एस.पी. में बटालियन Security में लगा हुआ था, वही हमारे छत्तीसगढ़ की पहली बटालियन है। (मेजों की थपथपाहट) बी.एस.पी. में भी पहले सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, परंतु अब उसकी दूसरी व्यवस्थायें खड़ी हो गई हैं। जे.के. लक्ष्मी सीमेंट प्लांट को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, यह भी चिंता का विषय था। जो साथी ऐसी चिंता करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स आ जायेगी। आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी जैसी चिंता कर रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्स आ जायेगी तो संवाद नहीं होगा, संवाद खत्म हो जायेगा। संवाद करके हम सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं। मैं 100 प्रतिशत उनसे सहमत हूं। परंतु उनको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह S.I.S.F. है, यह उद्योग लगाने के लिए नहीं है, यह उद्योग की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत जब उद्योग लगने लग जाये अथवा लगकर खड़ा हो जाये, तब के लिये है। मान लीजिए आप दुर्ग से लेकर रायपुर या बिलासपुर तक मेट्रो ट्रेन का एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यह सारे प्रोजेक्ट की प्रक्रिया के लिये अगर आपको सिक्योरिटी देनी हो तो आप प्रायवेट सिक्योरिटी के लिये जाईये या वर्तमान में जो पुलिस का बल उपलब्ध है, उस बल से आप सुरक्षा लीजिए। हम सब जानते हैं कि उपलब्ध बल किस-किस तरीके से उपयोग में आता है। हमारा ध्यान अचानक बस्तर की तरफ बार-बार चला जाये तो एक अलग मसला है। आप पहले सोचिये। और क्या-क्या हुआ है, मैं एक बार आपके सामने रखना भी चाहता हूं। ऐसा न सोचें कि सुरक्षा बल के साथ कोई उद्योग लगाने वाला है। उद्योग की प्रक्रिया पूरी कर लेगा, तब सुरक्षा बल की आवश्यकता होगी। इसमें चर्चा, बातचीत की जो संभावनायें अभी हैं, वह समाप्त नहीं हो रही हैं, वह यथावत बनी रहेंगी। वरन् सुरक्षा बल हो जाने के बाद उद्योगो को सुरक्षा मिलेगी। श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, श्री गुरू खुशवंत साहेब जी ने इस विषय पर भाग लिया, मै उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमती संगीता सिन्हा जी ने इस विषय पर भाग लिया और उन्होंने कहा कि बस्तर के लिये कुछ विशेष प्रयोजन तो नहीं हो रहा है। नि:संदेह समूचे प्रदेश के साथ बस्तर प्रदेश के लिए भी रहा है। लेकिन मैं

आपसे यह विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बस्तर में कोई एग्रो प्रोडक्ट आयेगा तो क्या उसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी? बस्तर में minor forest produce के लिये कोई इंडस्ट्री आती है तो क्या उसको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी? क्या कोई ऐसी संस्था बस्तर में प्रारंभ होती है जो सेवा कार्य के लिये आगे बढ़े तो क्या उसको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी? आपकी चिंता कहां है, आप कहां अटक गये हैं? आपको आगे बढ़ना होगा। आप आगे सोचिये, कहीं अटकने की जरूरत नहीं हे।

श्री सुशांत शुक्ला :- विजय भैया, धर्मजीत भैया बता रहे थे न, मिट्ठू और खरगोश वाला, उंगली करने वाला, यह लोग वहीं अटक गये हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी एक और चिंता कर रहे थे कि इसको लाने की अचानक जरूरत क्यों पड़ गई? अचानक जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत तो बड़े दिनों से थी। किसी को आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता थी। आज काम करने का अवसर आया तो यह सोचा कि इसको हो जा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आगे बढ़ो। यह अचानक नहीं हुआ है। इसमें संगीता सिन्हा जी यह कह रही थीं कि मध्य प्रदेश के समय से लगे हुए हमारे उद्योग हैं, वह आज भी हैं। मध्य प्रदेश के समय हुआ तो अब नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। म.प्र. के समय लगे हुए जो उद्योग हैं, वह आज भी हैं तो मध्य प्रदेश ने इसको बना लिया है। स्टेल लेवल की इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स मध्य प्रदेश ने बना ली है। उड़ीसा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ने बना लिया है, सबने बना लिया, हम नहीं बना पाये। तमिलनाडु, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रस्तावित है, वहां बनने वाले हैं। यह अचानक नहीं हो रहा है, यह तो gradual process है और इसको तो 5-10 साल पहले हो जाना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, किसी भी तरह की दुष्चिंता से अलग होकर जब स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के बारे में सोचेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में एक समिट बुलाई और कितने लोगों से एम.ओ.यू. किया। वह ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं। वह काम पर विश्वास रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली में बहुत से लोगों के साथ बातचीत करके छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में डिजिटली हमारे जितने equipment हैं, उसके डेव्हलपमेंट के लिये, उनके उत्पादन के लिये बात करके रखे हैं। अनेक क्षेत्रों में बात करके रखे हैं। उन्होंने दिल्ली, बांबे में यह काम किया है और 26 तारीख को बैंगलोर जा रहे हैं। अब ऐसी बडी संस्थाओं से चर्चा करके छत्तीसगढ़ में निवेश के लिये आग्रह कर रहे हैं। अगर वह छत्तीसगढ़ में निवेश के लिये आते हैं तो क्या उनको एक सिक्योरिटी नहीं चाहिए ? क्या आप इस तरह की व्यवस्था को पुन: चाहते हैं जैसा कि जे.के. लक्ष्मी सीमेंट के साथ हुआ था । क्या आप यही सोच रहे हैं कि उस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वह किसी भी तरीके से दबाव में होना चाहिए तो ऐसे तो उद्योग का विकास नहीं होगा और उद्योगों का विकास रायपुर के लिए, सरगुजा के लिए, जांजगीर के लिए, उद्योग का विकास अन्य क्षेत्रों के लिए अर्थात् मैं आपको यह बताना चाहता

हूं कि जिन उद्योगों ने अभी पुलिस से सुरक्षा की मांग की है उसमें एन.एम.डी.सी. है, बड़ी सरकारी संस्था है । एन.एम.डी.सी. ने मांग की है । इसमें एस.ई.सी.एल. ने मांग की है, उनको भी सुरक्षा चाहिए लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं, पुलिस नहीं दे पा रही है क्योंकि हमारे पास उतने लोग उपलब्ध नहीं हैं । इसमें एन.टी.पी.सी. ने मांग की है लेकिन हम नहीं दे पाते हैं और जहां बहुत आवश्यक हो गया है, सरकार के आश्वासन पर बड़ा investment हो गया है परंतु वहां कुछ काम नहीं हो पा रहा है वहां देना भी पड़ता है, ऐसी 5-6 संस्थाएं हैं जिनको हमने सुरक्षा देकर रखी है, वहां से हमको पैसे नहीं मिलते हैं । बस इस एक्ट के आज आप सब लोगों के पारित कर देने के बाद उन संस्थाओं से भी हमको सरकारी तौर पर विभाग को राशि मिल जाएगी और वह राशि अन्य चीजों में काम आएगी । बहुत ही स्पष्टता के साथ इस बजट में पहले इसका प्रावधान किया गया, 500 ऐसे पदों का सृजन किया गया जिसको एस.आई.एस.एफ. में रख करके एक बटालियन, लगभग आधा बटालियन बनाकर के इस काम की पहले शुरुआत करेंगे और इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आकर सीधा-सीधा इसमें ज्वाईन करेगा । ज्वाईनिंग तो हमारी पुलिस की जो भर्तियां हैं उसी में होना है और सब के सब इसमें डेपुटेशन में आने वाले हैं, जो 500 पद होंगे वह सारे लोग डेपुटेशन में आयेंगे । पहले पुलिस की पूरी ट्रेनिंग करके स्थायी नौकरी पा लेंगे । कोई आधा-अधूरा काम नहीं होने वाला है । बड़ी स्पष्टता के साथ सोच-विचार कर इस काम को किया गया है और उसके बाद यहां आने से पहले उनको सभी प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे । औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण होंगे, उद्योगों की सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण होंगे, उनके स्वयं की सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण होंगे इन सारे प्रशिक्षणों के बाद उनको यहां पर रखकर के और छत्तीसगढ़ के विभिन्न उद्योगों को जो रायपुर में लगेंगे, जो सरगुजा में लगेंगे इन उद्योगों को और बस्तर में भी लगेंगे इन सारे उद्योगों को सुरक्षा देने का काम किया जाएगा । मैं आपसे निवेदनपूर्वक यही कहना चाहता हूं कि जब बहुत सारे उद्योगों की बात होगी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर बहुत सारी संस्थाएं जो यहां इंवेस्ट करेंगी उनको हम सुरक्षा देंगे । यहां बड़ा उद्योग प्रारंभ होगा, हम छत्तीसगढ़ में औद्योगिक रूप से आगे बढ़ेंगे तो नौजवानों को अवसर मिलेगा । छत्तीसगढ़ के नौजवानों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी यह उतना ही आवश्यक मसला है और इसीलिए मैं आपसे निवेदनपूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं, चूंकि बहुत सी बातें हैं और इन सारी बातों को रखने के लिए चूंकि समय की मर्यादा है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े पवित्र भाव से सदन के सम्मुख विचारार्थ जो इस विधेयक को आज यहां लाया गया है । सभी साथियों ने इसमें अपने भाव रखे हैं, अपने विषय रखे हैं और विशेष रूप से प्रणव कुमार मरपच्ची जी ने जो सेना से रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी अपना विषय रखा है और सभी साथियों ने इसमें अपने विचार रखे हैं । मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सदन से इस बात का आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित करके

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 का आप सभी समर्थन करें, इसको पारित करें । बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 25 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 25 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने

उप मुख्यमंत्री (गृह मंत्री) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय :
5.51 बजे

नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ में साईबर ठगी व डिजिटल अरेस्ट के प्रकरणों से करोड़ों की ठगी किये जाने के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक जी, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- अनुपस्थित।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी, अशासकीय संकल्प है।

समय:
5.51 बजे

अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि "प्रदेश के मोटर साईकिल चालकों को हेलमेट व कार चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि-

सदन का यह मत है कि "प्रदेश के मोटर साईकिल चालकों को हेलमेट व कार चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जाये।"

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अशासकीय संकल्प में कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी नौजवान आदमी हैं। कुछ करने की इच्छाशक्ति होगी तो इसको करेंगे। संविधान के Preamble में जितने बड़े-बड़े किताब हैं, सब में लिखा रहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य है। माननीय मंत्री जी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है? उसका कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आपकी जनता ही सुरक्षित नहीं है। जनता ही अनायास काल कवलित हो रही है, कारण चाहे जो भी हो, भले ही हम सड़क बना रहे हैं, बिजली लगा रहे हैं, चावल बांट रहे हैं और दुनिया भर की कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जिसको आप लोग बोलते हो कि साहब, गरीबों की सेवा हो रही है, दुनिया भर की योजना चला रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा? भारत में सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, वे राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। माननीय गृहमंत्री जी, हम राष्ट्रीय आंकड़ों में हम देखें तो 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 1,73,000 लोगों की मृत्यु होती है। यदि भारत में हर दिन आंकड़े निकालें तो 1,317 सड़क दुर्घटनाएं और उसमें 474 मौतें होती हैं। हर घंटे 55 दुर्घटनाएं और हर 3 मिनट में एक मौत होती है। अब यह कितना भयावह आंकड़ा है, आप थोड़ा लगा लीजिए, क्या लिख रहे हैं? यदि हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, दुर्घटना होती है तो उसमें दुर्घटना में कारण मौत के जो कारण निकलते हैं, वह 70 प्रतिशत हेलमेट न पहनने के कारण निकलते हैं। अब ज्यादा भाषण तो आज देना नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति जी, विद्वान सदस्य की बातें नोट करता हूं, उसका अध्ययन भी करता हूं । मैं आपसे मैं यह भी जानना चाहूंगा 70 परसेंट मौतें हेलमेट के कारण होती हैं और यह बता दीजिए कि सीट बेल्ट के कारण कितनी मौतें होती हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सीट बेल्ट में भी आऊंगा ना ।

डॉ. चरणदास महंत :- आओ ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सब आंकड़े पढूंगा तो समय लगेगा । इससे पहले मैंने सड़क दुर्घटनाओं के विषय में 139 की चर्चा उठाई थी । मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस भी माननीय मंत्री जी ने उस चर्चा का उत्तर दिया था और मुझे जो क्रियान्वयन का आश्वासन मिला था, उस आश्वासन पर एक भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई, एक भी कार्रवाई । एक सायरस मिस्त्री थे और अभी पीछे सीट में रामविचार जी बैठे थे । अभी एकाध यूनिवर्सिटी को उनके नाम से रखना पड़ता । रामविचार जी नहीं हैं क्या ? वे पीछे सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, पूछ लीजिएगा । सायरस मिस्त्री अरबों खरबों रूपए के मालिक, जैसे बिड़ला ऑस्ट्रेलिया में मच्छर काटने से मर गया, अरबो खरबों के मालिक सिर्फ सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण चला गया और उनके साथ जो महिला थी वह भी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए वह गोल घूमकर सामने जाकर गिरी । उसका पूरा एक डेमो बताया गया । सभापति महोदय, मैं आपको एकाध-दो चीजें बता देता हूं ।

डॉ. चरणदास महंत :- स्पीड भी बता दीजिए, कितनी थी ? सायरस मिस्त्री जिस गाड़ी में चल रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उस गाड़ी की स्पीड क्या थी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- स्पीड ज्यादा नहीं थी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेडी डायना बहुत स्पीड में थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- डोडी फैयद के साथ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वह भगने के चक्कर में निपट गई ।

डॉ. चरणदास महंत :- वह तो सीट बेल्ट लगाई हुई थी । डोडी के साथ वह सीट बेल्ट लगाए हुए थी । उसका चालक पिया हुआ था इसलिए मरे थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप रूचि ले रहे हैं इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं । नेता प्रतिपक्ष जी यदि खड़े होकर प्रश्न करते हैं तो किसी भी विषय का वजन आप ही आप बढ़ जाता है । आपकी गरिमा के अनुकूल ही बात कर रहा हूं साहब ।

डॉ. चरणदास महंत :- आप मेरे मित्र हैं इसलिए मैं आपकी गरिमा बढ़ाने आया हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, इनके अशासकीय संकल्प में आप हैं, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ में 19 से 24 तक, मैं आरोप के लिए पांच साल का उल्लेख नहीं कर रहा हूं । 19,523 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, 70,255 लोग घायल हुए, 33,734 मौतें हुईं ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं तो आपके आंकड़े नोट करूंगा । यह बात तो है कि बिना हमारे पांच साल की चर्चा किए बगैर आपके पेट का पानी भी नहीं पचता । इसलिए जरूरी है रोज हमारी चर्चा करो ।

श्री रामकुमार यादव :- ज्ञानी जी, हम कोई सीट बोल्ट और हेलमेट के विरोधी नो हन । लेकिन रोड ओकर लायक रही ता । अब मान लो पांच के स्पीड मा सीट बेल्ट लगाही का या हेलमेट लगाहा ? पहिल रोड ला बनवा दो जेमा पचास के, सौ के स्पीड चलय ओकर बाद हेलमेट लगाहा, बेल्ट लगाहा । अब भैंसा गाड़ी चलत हे तेमा बेल्ट लगाहा ? महाज्ञानी के जय हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चन्द्रपुर जाथस ना ? यहां से सराईपाली तक के सड़क कब बनिस, कौन बनवाइस ? सराईपाली से रायगढ़ तक के सड़क कौन बनाइस ? थोड़ा ध्यान रखकर बोले कर । सभापति महोदय, एक मोटरयान अधिनियम में 194(घ) में सिर के ऊपर सुरक्षा नहीं पहनने वालों के लिए दंड के समान 500 रूपए रखे गए हैं । फिर से उल्लंघन पर पुन: 500 के दंड का प्रावधान है । इतना ही कानून है हेलमेट नहीं लगाने वालों के लिए । इसमें मैं सड़क की स्थिति भी जोड़ देता हूं, ब्लैक स्पॉट भी जोड़ देता हूं, ट्रैफिक सेंस की जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है यह भी जोड़ देता हूं, नशा भी बोल देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है] इसमें जागरूकता नहीं है।

समय :
6.00 बजे

सभापति महोदय, जो एक लाख का मोटर साईकल खरीद सकता है, वह 5 हजार रूपये का, 3 हजार रूपये का, 2 हजार रूपये का हॉफ वाला हेलमेट भी खरीद सकता है, ये विषय सिर्फ इच्छाशक्ति का है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। कामकाजी महिलाओं में भी ये घटनाएं आ रही हैं, वे भी दुर्घटना की शिकार हो रही हैं, मेरे पास उसके भी आंकड़े हैं, मैं इन विषयों पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो विषय लंबा होगा। माननीय गृह मंत्री जी, इस विषय को आप ले रहे हैं न?

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- जी।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने आपकी प्रशंसा में एक बात कही थी, आप नौजवान हैं और कुछ करने की इच्छा रखते हैं, संभावनाएं देखते हैं इसलिए आप सीधे हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं फिर वहीं पर आता हूं, जहां से मैंने शुरूआत की थी। मैं वही प्रश्न पूछूंगा, वही बात कहूंगा, हम इसको किन कारणों से अनिवार्य करना नहीं चाहते ? मैंने सीट बेल्ट में दो ही उदाहरण दिया, सायरस मिस्त्री और रामविचार नेताम जी का। रामविचार नेताम जी हमारे मंत्री हैं, थोड़ा सा बच गए नहीं तो उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बनानी पड़ती, वे दिख नहीं रहे हैं नहीं तो मजा आता। (हंसी) माननीय सभापति महोदय, स्थिति बहुत भयावह है।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, ये तीन बार रामविचार नेताम जी का नाम ले चुके हैं, आप बताईए न, कहां पर बैठे थे, किसके साथ बैठे थे, कब बैठे थे, किस रोड में जा रहे थे, आगे की सीट में कौन था, पीछे की सीट में कौन था, बाजू में कौन था ? ये सब बताईए।

श्री अजय चंद्राकर :- बाजू में अकेले थे, कोई दूसरा साथी नहीं था।

डॉ. चरणदास महंत :- आप तो सायरस मिस्त्री के साथ रामविचार का नाम लेते हो।

श्री अजय चंद्राकर :- उससे भी बड़े आदमी हैं, वे मेरे मित्र हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- वो अलग बात है, मगर सायरस मिस्त्री के साथ तो नहीं बैठे थे न।

श्री धर्मजीत सिंह :- वे इसलिए बच गए थे, क्योंकि वे भोरमदेव से दर्शन करके आ रहे थे। इधर उधर की बात नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, इसमें स्थिति भयावह होती जा रही है। दूसरा, सरकार के उपर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। तीसरी बात, इस प्रदेश में या दूसरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रैफिक के लिए कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। ट्रैफिक के लिए कौन जिम्मेदार है ? पुलिस है ? पुलिस भर अकेले जिम्मेदार नहीं है, ब्लैकस्पाट भी उतने ही जिम्मेदार हैं, ट्रैफिक की शिक्षा भी उतनी ही जिम्मेदार है। आपने जो ट्रैफिक लाईट लगवाई है, वह कौन से बजट से लगवाई है ? कहीं पर नगर निगम ने लगा दिया है, कहीं पर स्मार्ट सिटी ने लगा दिया है, कहीं पर कोई लगा दिया है। हम सिस्टम में भी इंटीग्रेटेड नहीं हैं कि उसके लिए किसी एक विभाग को किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहरा सकें। कुल मिलाकर सबको जोड़े तो उसका परिणाम ये निकल रहा है, वह जनहानि है। छत्तीसगढ़ की जनहानि की संख्या, मेरे पास पांच साल का आंकड़ा था, अभी इस साल का नहीं है, अभी और बढ़ गया होगा। अभी होली के दूसरे दिन पेपर खोले, 12 लोग मरे हैं, कल हमारी ट्रेनिंग है, मैं लेट से जाऊंगा। दो दिन पहले मेरी विधान सभा में एक SUV ने तीन लोगों को रौंद दिया। वह पेपर में रंगा रहा। साहब, किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है।

(कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) जी सदन में प्रवेश करने पर)

श्री विक्रम मंडावी :- अजय भैया, रामविचार जी आ गए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं अभी बोलूंगा। जब ये स्थिति है कि हम किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, एक सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते, सारा सिस्टम, कोई न कोई विभाग कहीं पर इनवाल्व है तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम खुद जागरूक हो और खुद जागरूक हों तो हेलमेट लगाएं, आंदोलन बनाएं। निजाद, मैंने डिजास्टर मैंनेटमेंट में उस दिन पुलिस के मानवीय चेहरे पर बात की थी। साहब, आप निजाद की तरह आंदोलन चलाएं। सामाजिक आंदोलन बने, कैंपेनिंग हो, पूरा समाज खड़ा हो, हेलमेट पहनेंगे, अनिवार्य करेंगे, जनता की ओर से ये बात आए। सभापति महोदय, मुझे थोड़े दिन तीन, साढ़े तीन महीने गृह विभाग संभालने का

अवसर मिला। मैं केयरटेकर आदमी हूं। जो तत्कालीन डी.जी.पी. थे, मैं अभी आपका नाम ले रहा हूं। मैंने तत्कालीन डी.जी.पी. साहब को कहा कि हर शाम को मेरे पास पूरे छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आनी चाहिए कि हेल्मेट के विरूद्ध आपने कितनी कार्रवाई की? आपने तीन सवारी में कितनी कार्रवाई की? आप यह मानेंगे नहीं कि जिस दिन से मैंने कहा और जिस दिन मैं हटा, उस दिन तक मेरे पास प्रतिदिन रिपोर्ट आती थी कि आज हेल्मेट में इतनी कार्रवाई हुई है। मैंने कहा कि इसको हम एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं कि हम इसमें कतई समझौता नहीं करेंगे। हम तीन सीट-चार सीट सवारी में समझौता नहीं करेंगे। इस सदन में जो सदस्य बैठे हैं, वह यह तय कर लें कि यदि वाहन में ज्यादा लोग बैठे हैं तो उसमें हम नेतागिरी नहीं करेंगे। पुलिस को यह फ्रीहैण्ड देते हैं कि हम तीन सीटर-चार सीटर को छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे। एक जागरूकता पुलिस ने अपने लिए दिखाई और प्रशासान ने अपने लिए दिखाई। चीफ सेक्रेटरी साहब ने चिट्ठी लिख दी कि शासकीय कर्मचारियों के लिए सीट बेल्ट और हेल्मेट अनिवार्य किया जाता है। मुझे तो यह बहुत दुविधापूर्ण बात लगती है। यह भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। इनकी भी जीवन रक्षा होनी चाहिए। यदि केवल इनकी जीवन रक्षा होगी तो यह किसके लिए प्रशासन करेंगे? क्या बाकी सब कीड़े-मकोड़े हैं? उनके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को क्यों नहीं बोलना चाहिए कि इसके लिए भी लागू किया जाना चाहिए। मैं आलोचना में नहीं बोल रहा हूं। एक कदम वह भी है कि आपने उसको अनिवार्य किया तो हमारे यहां कम से कम 2 लाख, 4 लाख कर्मचारी हैं तो वह इसका कितना पालन कर रहे हैं और कितनी सीट बेल्ट लगा रहे हैं? आप एकाध सचिव स्तर के अधिकारी की गाड़ी को रोकिये और देखिये कि उसमें पीछे की सीट में जो बैठते हैं, वह सीट बेल्ट लगाये हैं या नहीं लगाये हैं? इसको आप चेक कीजिये। आपको दिख जाएगा कि कानून कितना लागू हो रहा है। सवाल एक लाख टके का है, वह एक है कि जिंदगी बचानी है। जिंदगी बचाने के लिए आंदोलन के तौर पर इसको स्वीकार करना है। मैं आंकड़ों के फेर में ज्यादा नहीं पड़ता हूं, इसलिए मैंने यह पेपर रख दिया है। मेरे पेज में सब तरह के आंकड़े व सब तरह के कानून मौजूद हैं। भारसाधक मंत्री महोदय इसको ले रहे हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि इसको अनिवार्य करने में शासन के पास कोई वित्तीय भार नहीं होगा। इसको अनिवार्य करने से जीवन की रक्षा ही होगी। नेता प्रतिपक्ष जी बोलेंगे तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आप इसको सर्वसम्मति से स्वीकृत करने की अपील करें कि हम लोग कम से कम इस मामले में पुलिस के पास फोन नहीं करेंगे और नेतागिरी नहीं करेंगे। हम यहां यह भी संकल्प ले लें तो यह एक सामाजिक आंदोलन बन जाएगा और जीवन की रक्षा होगी। रामविचार जी आ गये हैं। रामविचार जी खड़े होकर सबसे अच्छे से सीट बेल्ट का मतलब बता देंगे। मैं आपकी अनुपस्थिति में बोला। आपने भोरमदेव का दर्शन किया था। बाबा महाकाल/महादेव की कृपा हो गई, नहीं तो हमको आपके नाम से यूनिवर्सिटी बनानी पड़ती। (हंसी)

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सभापति महोदय, यह तो सही बात है। यह तो बनानी ही पड़ती। यहां भी कहीं पर एकाध गैलरी रखनी पड़ती। आप लोग ही उसका उद्घाटन करते और चीफ गेस्ट आपको बनवाता। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलता।

गृहमंत्री (श्री विजय शर्मा) :- अच्छा, आप यह बताइये कि अभी आप सीट बेल्ट लगाते हैं?

श्री रामविचार नेताम :- एकदम अनिवार्य। मैं any time गाड़ी में बैठने के साथ सबसे पहले सीट बेल्ट लगाता हूं। मैंने ड्राइवर को बोल रखा है कि चाहे मैं या कोई भी VIP बैठे। मेरी पत्नी भी बैठती है तो ड्राइवर उसको भी टोंकता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। यह जरूरी है। इसका पालन हर किसी को करना चाहिए। इसका पालन क्यों नहीं होना चाहिए ? जीवन अमूल्य है। इसके लिए होना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- भाई साहब।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति जी, रामविचार जी, आपकी अनुपस्थिति में आदरणीय चंद्राकर जी ने आपका 4-5 बार नाम लिया।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने कहा कि वह मेरे मित्र हैं। नहीं तो दुश्मनी हो जाएगी। वह easy संकल्प है।

डॉ. चरणदास महंत :- ठीक है। उन्होंने तो बताया नहीं है कि आप किसके साथ भोरमदेव का दर्शन करने के लिए गये थे, इसको हम लोग जानने में इन्ट्रेस्टेड हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- जानना वह वही चाहते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- हां, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप भोरमदेव अकेले गये थे या अपनी पत्नी जी के साथ गये थे या अन्य मित्रों के साथ गये थे ? आप केवल यह बता दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, अब आप पूरा पोल मत खुलवाइये। (हंसी) बात यह थी कि वहां जाने का माननीय गृहमंत्री जी का ही आदेश था। आपका आदेश कई बार टल रहा था। मैंने भी कार्यक्रम बनाया कि मैं वहां जाऊं। मैं कवर्धा गया था। भोरमदेव बाबा का दर्शन करना जरूरी था तो मैंने वह भी कर लिया। आपके यहां हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज का एक उद्घाटन कार्यक्रम था। वह कार्यक्रम अटेण्ड करने के बाद हम लौटे। यह जरूर है कि उस दिन मेरे साथ मेरी पत्नी नहीं थी, मेरे सहयोगी कार्यकर्तागण थे। भगवान करें किसी के साथ भी ऐसा न हो। यह जरूरी है। मेरी आदत है कि मैं शुरू से ही सीट बेल्ट लगाता ही हूं। पता नहीं, उस दिन क्या हुआ। मैं उसी समय सीट बेल्ट बांधने वाला ही था और उसी समय घटना घट गई। मैं पीछे भी बैठता हूं तो भी सीट बेल्ट बांधता ही हूं। आपने जो संकल्प लाया है, मैं समझता हूं कि यह आज समय की मांग है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, यह बात बताने की नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूं। यह

संकल्प लाने के पीछे का कारण यही हैं। जब यह अस्पताल पहुंचे तो मैं इनकी पूरी एक्टिविटी को देख रहा था। जब यह sure हो गया कि इनकी जीवन रक्षक है, इनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, तब फिर मैं बाहर आया। मैं इनकी सारी चीजों को देख रहा था। मैंने यहां तक पूछा कि इनको air lift तो नहीं कराना पड़ेगा। मैंने ऐसी घटना एक और देखी थी। जब सब तरह से सुरक्षित हैं, ऐसा sure हो गया तब मैं अस्पताल से बाहर आया। इनकी सीटी स्केन, एम.आर.आई. तक को देखा था। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इसके लिए संकल्प लाना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहता हूं, जहां से चर्चा की शुरूआत की थी। सायरस मिस्त्री और राम विचार जी नेताम उदाहरण के तौर पर आये। मैं फिर वहीं से कहता हूं कि welfare state में मानव जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हम लोगों को छत्तीसगढ़ में कम से कम, जिसके लिए यह विधान सभा जवाबदेह है, जिसके हम चुनकर आये हैं, उनके लिए काम करें। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यही कहूंगा कि आपसे प्रदेश की जनता को अपेक्षाएं हैं। कोई कुछ बोले, इसमें आपको धन्यवाद ही मिलेगा, कोई आलोचना नहीं मिलेगी, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। आप बिलकुल मत घबराईये। इसको दम से स्वीकार कीजिये और लागू कीजिये। आप विपक्ष का भी समर्थन लीजिये। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि..।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, आप एक मिनट बाद बोल लीजियेगा।

डॉ. चरण दास महंत :- बोलियेगा न।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, आपके बाद क्या बोलेंगे ?

डॉ. चरण दास महंत :- मैं तो मजाक में कह रहा हूं। आप जितनी बार सायरस मिस्त्री की बात कर रहे हैं, आप उतनी बार राम विचार नेताम का नाम ले रहे हैं। माननीय चन्द्राकर जी, आप जितनी बार सायरस मिस्त्री का नाम ले रहे हैं, उतनी बार उनका नाम ले रहे हैं। इसलिए मुझे शंका है और कोई कारण तो नहीं है ? आप इस बार जितने प्यार से माननीय गृह मंत्री जी से बात कर रहे हैं, मैंने इतने दिनों के कार्यकाल में आपको इतनी शांति से बात करते हुए नहीं देखा है। आप तो चढ़े रहते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब मैं आपको देखने गया था, जब आपका हाथ टूटा था, ये वही दुर्घटना थी या उसके पहले और हो चुकी थी, या यह दूसरी वाली थी, बता देना।

सभापति महोदय :- मुझे लग रहा है कि नेता जी खोद-खोद कर पूछ रहे हैं। हम लोग हेलमेट और बेल्ट पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नौबत मत लाईये कि हेलमेट पहनकर और बेल्ट बांधकर चर्चा ना करना पड़े।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति जी, जब आप इन्टरेस्ट ले रहे हैं तो आपको पता है कि हेलमेट लगाने से कुछ कार्य में बाधा होती है। अगर आप हेलमेट लगाये रहेंगे तो कुछ कार्य में बाधा होती है। सीट बेल्ट भी बांधेंगे तो कुछ कार्य में बाधा होती है। आप समझ रहे हैं चन्द्राकर जी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, हेडफोन लगाकर पूरा सुन रहा हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- तो कभी कभी इस बाधा दूर करने के लिए कुछ लोग हेलमेट भी नहीं लगाते और कुछ लोग बेल्ट भी नहीं बांधते। मैं जो कह रहा हूं, उसको आप समझ रहे हैं। तो वह काम इनके साथ हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं किसी भी विषय में बोलूं, कुछ भी करूं, कहीं भी करूं, आप बोलेंगे तो अवैध सम्बन्धों का सम्मान करता हूं। हेडफोन कान में लगाए रहता हूं ताकि एक बात भी इधर से उधर न हो। आपके मेरे अवैध सम्बन्ध भगवान की देन है।

श्री राम विचार नेताम :- नेता जी, वैसे भी आप चिंता मत करिये। शंका करने की बात नहीं है।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- अजय जी, मैं करीब एक महीने से आप दोनों का अवैध सम्बन्ध की बात सुन रहा हूं, उसको वैध कर लो न। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिये, कुंवर सिंह निषाद जी।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, क्या है कि कभी-कभी बाथरूम भी एक साथ जाते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उस दिन उस सम्बन्ध में बात हो गई थी।

श्री धरम लाल कौशिक :- उसके बाद अवैध सम्बन्ध पता नहीं कहां तक है ? आप उसमें मत पूछो, आश्चर्यचकित मत हो। वह पुराने समय से चल रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- सर, क्या है कि वैध संबंध में तो बहुत सारी तकलीफों को उठाना पड़ता है, लेकिन अवैध संबंध का एक अलग आनंद रहता है। (हंसी) उसमें लुका-छुपी का खेल रहता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अगर सीट बेल्ट बंधा रहता है तो कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। बिलासपुर में 2 बजे रात को एक कार गौरेला-पेंड्रा के लिए निकलती है, उसमें दो लड़के व दो लड़कियां बैठे रहते हैं और सब धूत रहते हैं। यह सत्य घटना बता रहा हूं, मैं कोई मनगढ़ंत घटना नहीं बता रहा हूं। अचानक छांपी के पास जाकर वह गाड़ी टकराती है और उस गाड़ी का लॉक इतनी बुरी तरह से बंद होता है कि वह चारों उसी में जल कर खाक हो जाते हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाने और ठीक से गाड़ी नहीं चलाने का यही दुष्परिणाम होता है। साहब, आपने विज्ञापन भी देखा होगा कि बिना हेलमेट लगाए शेप को सरिया छेद देता है। यह दिक्कत वाली चीज है। यह बहुत ही जिंदगी की हिफाजत के लिए है। मैं अपना स्वयं का एक किस्सा बता देता हूं। मेरे को सीट बेल्ट लगाने में यकीन नहीं था। आज से बहुत साल पहले श्री विद्याचरण शुक्ल जी ने मुझसे स्वयं कहा था कि आप सीट बेल्ट लगाया करिये। मैंने उनसे पूछा कि आप इसका फायदा और नुकसान बता दीजिये तो उन्होंने मुझसे कहा कि सीट बेल्ट

लगाने से 85 प्रतिशत चोट लगने की संभावना खत्म हो जाती है तब से हमने उनसे सीखकर सीट बेल्ट लगाना शुरू किया। एक दिन मैं अचानकमार जा रहा था तब हम एक जगह शिवतराई में कबाब खाने के लिए रूक गये थे। फिर मैंने अपने दोस्तों की गाड़ी में बैठा और मेरी गाड़ी हमारे पीछे-पीछे आ रही थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, अब आप यह मत पूछियेगा कि आपने कबाब भर खाया या उसके साथ कुछ और किया?

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है। वह पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। (हंसी) साहब, अचानकमार के रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप कार के सामने से निकला और वह कार को ईमरजेंसी में बहुत स्पीड से ब्रेक लगाया तो मेरी ही गाड़ी ने उस कार को डैश किया। मैं बिना सीट बेल्ट के बैठा था, जिसके कारण मैं छः महीने तक पीठ के दर्द से परेशान था। हम बच गये, हम लोगों को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि इन्होंने यह बहुत ही जनहित का मुद्दा उठाया है। आजकल के नये-नये लड़के बाईक चलाते समय न हेलमेट पहनते हैं, न दो सवारी बैठते हैं। वे तीन-तीन सवारी बैठते हैं और जैसा सांप चलता है वैसे ही वे गाड़ी को यूं-यूं (हाथ से इशारा करते हुए) चलाते हैं। इसके कारण जो सामने चल रहा है, वही मर जाये या आगे से चल रहा है, वह मर जाये। कोई मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, उसको यह लोग पीछे से मारते हैं तो वह मुंह के भार गिरता है, जिसके कारण वह ऑपरेशन करवाते हैं। इसलिए इनके ऊपर कड़ाई से पेश आना चाहिए, न केवल हेलमेट में, न केवल सीट बेल्ट में, बल्कि शराब पी कर चलाने वाल लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई करिये। जैसा कि आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों को नहीं बोलना चाहिए तो मैं बिल्कुल स्पष्ट नीति और नियम बनाकर रखा हूं कि जब कोई मेरे पास फोन आता है कि भैया यहां पर दरोगा ने चेकिंग में मुझको रोक लिया है, सिपाही ने मुझको रोक लिया है तो मैं उसको बोलता हूं कि वह जितना फाईन बोलता है, उसको पटा कर आ जाओ और हमसे आकर पैसा ले जाओ। साहब, अब मैं सिपाही से कहां बात करूंगा। वह मेरे से बात नहीं करेगा, जिसके कारण बेमतलब में मेरा दिमाग और खराब होगा। सिपाही बोलेगा कि मैं बात नहीं करूंगा तो मैं उसका क्या कर लूंगा? इसलिए मैं अपनी इज्जत को खुद बचा लेता हूं कि तू फाईन पटा और पैसा मेरे से ले जा। जब डायना इंग्लैण्ड में उड़ी, उसको थोड़ी पता चला होगा कि वह कब अल्लाह तआलो को प्यारा हो गई। इतने स्पीड में बिना सीट बेल्ट के कारण उनके कारण की धज्जियां उड़ गई, परखच्चे उड़ गये। अगर वह सीट बेल्ट लगाये रहतीं तो वहां के राजकुमार को दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। यह बहुत जनहित का मुद्दा है, इसलिए इस संकल्प को स्वीकार करना चाहिए। साहब, सुनिये न। यह नियम तो सब ठीक है, लेकिन आप बिना नियम के भी कुछ सख्त आदेश करिये और आप इस मामले में सख्ती बरतिये। भय बिन होय न प्रीत। यह सब बोल कर गये हैं इसलिए आप थोड़ा भय भी व्याप्त कराईये। क्या है कि लड़के लोग चार-चार सवारी बैठकर गाड़ी चलाते हैं। ऐसा लगता है कि मिनी बस और छोटा हाथी में लोग भर के जाते हैं, वैसे ही वे गाड़ी चलाते हैं। यह सब रूकना चाहिए और यहां

जो बोला जा रहा है, यह उनके हित के लिए हैं, हमारे हित के लिए हैं, इस प्रदेश की जनता के हित के लिए है। मैं बोलता हूं कि जो यह लड़का जा रहा है, वह मस्ती में जा रहा है। यदि उसकी मौत हो गई तो उसकी तेरही का खर्चा उसके घर वाले के पास जाएगा और यदि वह अस्पताल पहुंच गया तो बाप को जमीन बेचकर इसका ईलाज कराना पड़ेगा। उसको क्या फर्क पड़ना है? इसलिए दोनों चीज सीखने के लिए इसको मान्यता दीजिये, इस पर विचार करिये और जो अच्छा हो सकता है, उसके लिए आप जागरूकता भी करिये, कानून भी बनाईये और उसको अमल में भी लाईये। साहब, क्या होता है कि हम तो दूसरे की गलती निकाल रहे हैं कि इसको यह पहनना चाहिए, सब बड़े लोगों के गाड़ी के सीट में कव्हर लगा रहता है, अधिकारी हों, नेता हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, यदि बेल्ट लगाना भी चाहो तो वहां छेदा कहां पर है, उस पर तो रेग्जीन लगा हुआ है ? सभापति महोदय, मंत्री हो चाहे अधिकारी हों, ऐसे लोगों की गाड़ी को भी चालान करना चाहिये । यदि बेल्ट लगाने के लिये व्होल के पास जगह नहीं है, आप उसमें सोने और चांदी का भी पत्तर लगवाये जो तो उसे उखाड़ के फेंको और वहां पर बेल्ट लगना चाहिये । सभापति महोदय, एकाध मंत्री की गाड़ी चालान कर दीजिए, एकाध एम.एल.ए. गाड़ी चालान कर दीजिए तो मैसेज चला जायेगा । हमारी गाड़ी का ही कल चालान कर दीजिए, हम तो आपको ऑफर भी दे रहे हैं, मैसेज देना है तो कल हमारी गाड़ी को कर देना, जहां बोलो वहां आ जाते हैं, मैसेज देने का काम है, इसको करिये साब, हर काम नियम कानून से नहीं चलता है, समझाओ कि ठीक से रहोगे तो जिंदा रहोगे, ठीक से रहोगे तो परिवार के काम आओगे, ऐसी मस्ती करोगे तो निपट जाओगे और निपट जाओगे तो 13 दिन बाद लोग भूल भी जाते हैं, कोई ज्यादा याद रखते भी नहीं है ? सभापति महोदय, धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद जी ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो अशासकीय संकल्प लाया है, संविधान की प्रस्तावना से आरंभ में उन्होंने जो बातें कही हैं, लोक कल्याणकारी राज्य से जो आपने शुरूआत की है, यह हम सब के लिये बहुत अच्छा उदाहरण है । सभापति महोदय, जनता की सुरक्षा का सवाल है, चाहे वह दोपहिया चलाते हों या फिर चार पहिया चलाते हों, हम ज्यादातर देखें तो सड़क दुर्घटनायें होती ही है, चाहे वह तेज रफ्तार से बाईक चलाने में होती है या तो फिर नशे के आगोश में रहते हैं । सभापति महोदय, हम पहले शहर के युवाओं को ज्यादा दोष देते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है, सब समान हो गये हैं । आज ज्यादातर गांवों में नशे की लत है, गांवों में हेलमेट का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, अगर आदमी अर्जुन्दा का गांव 3 किलोमीटर डुड़िया जा रहा है तो कहता है कि काय करे बर लगाहूँ, ऐसा सोचते हैं ? समय और परिस्थिति किसी को बताकर नहीं आती, घर से निकलने पर 100 मीटर की दूरी पर भी दुर्घटनायें हो जाती है तो सुरक्षा ज्यादा जरूरी है । सभापति महोदय, यह केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की

जिम्मेदारी है । युवा वर्ग लॉग ड्राईव में जाते हैं और बिना हेलमेट के चलते हैं, जोश है और उम्र का तकाजा भी है । युवा खुली हवा में सॉस लेना पसन्द करते हैं, हेलमेट पहने हैं तो हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रैण्ड उसको न देख पाये । अजय भईया, युवा बाईक राइडर्स अगर चलते हैं तो खुली हवा में सांस लेना पसंद करते हैं । तीन-तीन सवारी चल रहे हैं और वह उस समय ऐसे उड़ते हैं कि अगल-बगल वाले भी डर जाते हैं । सभापति महोदय, आज ऐसी गाड़ियॉ आ चुकी है जो 100-125 की रफ्तार तो उनको समझ में ही नहीं आता है, 140-160 से बाईक भगा रहे हैं । हम लोग चार पहिया से जाते हैं तो हमारे से आगे उन लोग निकल जाते हैं । सभापति महोदय, ऐसे रफ्तार पर भी अंकुश लगना चाहिये, एक पैरामीटर होना चाहिये । युवा अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, वह अपने परिवार की उम्मीद है, वह अपने परिवार के लिये एक आस है, चाहे वह नौकरी कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या अन्य चीजों पर हो, यदि आज वह अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे ? सभापति महोदय, मैं स्वयं दो बार बाईक में एक्सीडेंट हुआ हूँ, मेरी आदत है कि बगैर हेलमेट के घर से निकलता नहीं हूँ और दोनों बार बचा हूँ । एक बार हाथ टूटा है, एक बार पैर छीला है । अजय भैया, मैं डिवाईडर से टकराया हूं । हेलमेट टकराया, लेकिन मैं बच गया । उसकी उपयोगिता हमने करीब से देखी है । जैसे आपने रामविचार नेताम जी का उदाहरण दिया, सीट बेल्ट जरूरी है । हम कभी-कभी भूल जाते हैं, हम स्वयं बैठे रहते हैं, हम अपना दोष बताएंगे । हम कार में बैठते हैं, अचानक हम सीट बेल्ट लगाना छोड़ देते हैं। अचानक ख्याल आता है, तब सीट बेल्ट लगाते हैं । जब हमार ड्राईवेट ब्रेक लगाता है, तब हम सीट बेल्ट लगाते हैं । अगर हम भी सचेत रहें, यह केवल हमारी नहीं, हमारे परिवार की सुरक्षा की बात है क्योंकि हमारे साथ कई जिंदगियां हैं । हमारे परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें सब देखते हैं ।

सभापति महोदय, शासन स्तर पर कई बार हेलमेट का अभियान चलाया गया है, औपचारिक रूप से वह अभियान चली । कभी एक महीना, कभी दो महीना या कभी तीन महीना चला, उसके बाद यह अभियान रूक जाता है । तो ऐसा क्यों होता है ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, अगर यह अभियान चले, जिसके लिए चाहे जितना भी फाईन करना पड़े, वह होना चाहिए, लेकिन इसमें जिस हिसाब से संकल्प पारित हो, उस हिसाब से सख्ती से उसकी भूमिका बने, प्रस्तावना बने । अगर किसी संकल्प पर हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं तो अच्छे मन से, अच्छी भावना से होना चाहिए । इसको स्कूल और कॉलेजों में तो अनिवार्य कर ही देना चाहिए और जिन संस्थाओं पर चाहे जिस प्राईवेट कम्पनी के हों, सरकारी कम्पनी के या अन्य कम्पनी के जितने भी एम्प्लाईज़ हैं, चाहे वह कार में आ रहा है, चाहे बाईक में आ रहा है, उनके लिए भी हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य कर दें तो धीरे-धीरे व्यवस्था सुधर जाएगी और जैसा कि अजय जी ने कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं कि फाईल ले लिस, पकड़ लिस तो हम जनप्रतिनिधि हैं, बात करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए

भी यह न्यायोचित नहीं है कि हम उनको संरक्षण दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं । ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए । हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं और यह संकल्प एक अच्छी भावना से होना चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- पुन्नूलाल मोहले जी । विस्तृत चर्चा तो आ गई है, संक्षेप में अपनी-अपनी बात रखें ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- सभापति जी, मैं संक्षेप में ही कहूंगा ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- जो सदस्य मोटर साईकिल, कार या फोर व्हीलर नहीं चलाता, वह इसमें भाषण नहीं दे सकता । ऐसा नहीं है कि आप बोलें ।

श्री अनुज शर्मा :- वे जो चीज चलाते हैं, उसमें रिकार्ड बनाते हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति जी, अजय चन्द्राकर जी ने जो अशासकीय संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । क्यों समर्थन करता हूं, वह मैं बताता हूं। मैं मुझे दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में बाईक में मेरे लड़के सहित दो लोग मोटर साईकिल में सवार होकर जा रहे थे और एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो गई । दोनों परिवार कितने दुखित हुए होंगे और होते रहे हैं । एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पुलिस वाला गाड़ी रोकता है तो हम लोगों की आदत है, कोई कहता है कि हमारी गाड़ी को छोड़वा दो, पैसा नहीं हैं । गाड़ी चलाने के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया जाये । पिछले समय में मुंगेली जिले में भी एस.पी. साहब के साथ हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, यहां तक कि बात हुई कि जब तक हेलमेट नहीं रहेगा, तब तक वह कोई आगे नहीं बढ़े, यह अनिवार्य किया जाये। सीट बेल्ट और हेलमेट दोनों अनिवार्य कर दें, जिससे बहुत लोग खुश हो जाएंगे, जनता भी आशीर्वाद देगी। मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं । मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है । इसीलिए मैंने स्पष्ट कहा कि दुख कैसा होता है, परिवार में कितने लोग ऐसे होंगे, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई अस्पताल में भर्ती हो गया । रोज यह घटना सबके परिवार में, हर गांव में, हर घर में हो रही है । शादी में, बारात में जाते हैं, वहां पर यह घटना हो रही है । चाहे नशे के लाईन में हो या बिना नशे के भी हों, जो ज्यादा गति से गाड़ी चला रहे हैं, उनकी यही दुर्दशा होती है तो इसे अनिवार्य किया जाये । मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो संकल्प लाया है कि मोटर साईकिल चालकों को हेलमेट व कार चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है । उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, चन्द्राकर जी ने आंकड़ों के साथ बोला है तो वास्तव में यह बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि लोग अपने ही क्षेत्र में देखते हैं कि जब सुबह निकलते हैं और तीन लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं और वे रोड एक्सीडेंट में खतम हो जाते हैं । माननीय सभापति महोदय, कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो इकलौते रहते हैं, घर के इकलौते चिराग रहते हैं, जो एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं।

इसलिए ये बहुत आवश्यक है। सभापति महोदय, इसका कानून तो है ही, हमारे राज्य में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने का कानून है, बस हमारे में कमी यह है कि हम लोग सख्ती से पालन नहीं करते। यातायात विभाग द्वारा कुछ दिन जरूर अभियान चलाया जाता है और जब अभियान चलाते हैं तो बच्चे उसका मिसयूज़ भी करते हैं कि सिर्फ जहां ट्रेफिक पुलिस रहती है, वहीं पर वे हेलमेट लगाते हैं और उसके बाद हेलमेट घर में छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। सेन्ट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रावधान है, जिसे लागू करके सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस बात में मुझे स्पीड को लेकर एक बात याद आ गई कि मेरे घर एक कार्यकर्ता आया, उन्होंने मुझे ऑनलाईन कटा हुआ बिल थमाया जो कि इस बात का था कि जो स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, उसकी फाईन रशीद थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास पांच हजार की रशीद आई है और मैं गाड़ी से गया ही नहीं हूं। मैं पूंछी की वह बाईक कहां है, तो बोले कि बेटे के पास है और मैं पूछी कि बेटा कहाँ है तो बोले कि रायपुर में है। सभापति महोदय, उनका बेटा नया रायपुर में स्पीड से बाईक चला रहा था, जो कि कैमरे में कैद हुआ और उनके पास फाईन चला गया। सभापति महोदय, यही चीज़ तो हमको चाहिए। अगर हम ऑनलाईन चालान पर जोर देते हैं, तो बहुत से एक्सीडेंन्टस कम हो जाएंगे। मैं निवेदन कर रही हूं कि हेलमेट और सीट बेल्ट जरुर पहनना चाहिए। मेरे ख्याल से हम जितने विधायक और दर्शक दीर्घा में बैठे अधिकारीगण यहां आए हैं, तो 40% से ज्यादा लोग बिना सीट बेल्ट बांधे आये होंगे। अगर विधान सभा में ये अशासकीय संकल्प आया है, तो मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष जी से निवेदन करती हूं कि इसका समर्थन करते हुए हम सबकी सहमति से इसे लागू किया जाए। धन्यवाद।

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को मेरा एक लाईन का सुझाव है कि वर्ष 2005 से आज तक दर्जनों बार हेलमेट, सीट बेल्ट के लिए हम exercise कर चुके। महीनेभर का जो ट्रेफिक सप्ताह मनाते हैं, उसमें हम लोग पैसा लेते हैं। बीच में आंदोलन हुआ था। मैं अनुभव के आधार पर आपको सुझाव दे रहा हूं कि लोगों ने कहा था कि सेन्टर का जो एरिया है- मालवीय रोड, गोल बाजार, यहां गाड़ियां 10-12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं, इसलिए यहां पर चालान न किया जाए। रिंग रोड पर जाएगा, तो उसका चालान होगा। तो अगर हम इसे थोड़ा शिथिलता के साथ राजधानी में करें क्योंकि वास्तव में 20 साल में हम लागू नहीं कर पाए। ये एकमात्र ऐसी राजधानी है, जहां हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा धैर्य के साथ में करना होगा क्योंकि आदमी को रिंग रोड और एक्सप्रेस हाईवे में जाना ही पड़ेगा। आज रायपुर की ऐसी संरचना हो गई है कि आदमी वहां जाएगा ही जाएगा और जाएगा तो हेलमेट लेकर आएगा, तो वह फिर झोला लटकाएगा या हेलमेट लटकाएगा? तो वह पहना रहेगा। तो ये आसानी के साथ में इसका हो सकता है एक सुझाव मेरा यह है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा सुझाव यह है कि मान लीजिए कल थाना स्तर पर जहां हेलमेट बिकता है, आप लागू करने वाले हैं, तो वे प्लास्टिक की टोपी बेचते हैं, जो कि और खतरनाक है। अगर गिरा तो सड़क में गिरने से तो वह नहीं मरेगा लेकिन प्लास्टिक टोपी फट गई, तो वह मर जाएगा। तो इसको आईएसआई मार्का वाला, कहीं न कहीं जांच के आधार पर सरकारी स्तर पर भी अगर इसका हम करें कि अगर इसको कुछ जगह रियायती दर पर हम मध्यम वर्ग के आदमी के लिए अगर खोल देते हैं, तो वह भी अगर हेलमेट खरीदता है, तो उससे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि प्लास्टिक टोपी आप देख लीजिए, उस समय मैंने चेक करवाया था तो 60% प्लास्टिक टोपी और प्लास्टिक के बने हुए हेलमेट मिले थे, जिनमें फर्जी आईएसआई मार्का लगा था। तो मेरा आपको ये दो सुझाव था, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे भाई साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद की ऐसे विषय पर अशासकीय संकल्प लाए। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो जब से परिवहन नियम बने, तब से हेलमेट लगाने की अनिवार्यता है, लेकिन इसे अनिवार्य करने की जरूरत है। यह एकदम अनिवार्य हो और हम सब इसका समर्थन करते हैं और विपक्ष के सभी साथी भी सर्मसम्मति प्रदान करते हैं। मेरे मन में एक बात आयी कि कई ट्रकें चलते हैं, वह ट्रक वाले कभी सीट बेल्ट नहीं लगाते है, बस वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हाईवा वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, उसमें भी अनिवार्य हो। इसके साथ ही साथ एक बुरी आदत है, यह हमारा अनुभव है कि जो अधिकारी-कर्मचारी इसकी जांच करते हैं, वह 50, 100, 200 रूपये लेकर उनको छोड़ देते हैं। आप हेलमेट लगाओ या मत लगाओ। वह उन्हें पैसा दे देते हैं और चले जाते हैं। उनके लिये भी नियम अनिवार्य हो और यदि ऐसे कर्मचारियों की शिकायत आती है तो उन्हें तत्काल सस्पेंड भी किया जाये। ट्रक वाला जा रहा होता है, पुलिस वाला ने हाथ मारा, उसने अपनी डायरी निकाली और उनको दे दी। यह डायरी प्रथा भी खत्म होनी चाहिए और लेन देन प्रथा भी खत्म होनी चाहिए। उसमें भी सख्ती बरती जाये, ऐसी चेकिंग होनी चाहिए। हम तो 15 सालों से देख रहे हैं कि यह अनिवार्य है। हम बचपन से सुन रहे हैं कि सीट बेल्ट और हेल्मेट लगाना अनिवार्य है। लेकिन हमारे जो कर्मचारी खड़े रहते हैं, उनको 50, 100, 500 रूपये दे दो तो वह उन्हें छोड़ देते हैं, फिर चाहे वह हेल्मेट लगाये या न लगाये। ऐसी आदतें कैसे सुधरेगी, इसमें भी शासन और विभाग चिंतन, मनन क,रें यही मेरा निवेदन है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सुझाव लाया है। इसको अनिवार्य किया जाये।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है कि हम सदन में इस विषय में बात कर रहे हैं। इसमें तो आज तक इतनी कड़ाई हो जानी चाहिए थी कि हमको इस विषय पर बात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। सभापति महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है। यातायात माह, यातायात पखवाड़ा चलता है। अचानक एक अधिकारी मीडिया के साथ एक

यमराज रूपी कलाकार को लेकर आता है और एक गुलाब का फूल लेकर उनका दल तैयार होता है और जो लोग हेल्मेट पहनकर नहीं आते हैं, जो लोग तीन सवारी चलते हैं, उनको फूल देते हैं, उनको यमराज प्रवचन देता है। जैसे ही उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होती है तो वह अधिकारी और वह कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से नदारद हो जाते हैं। जहां पर यह कार्यक्रम चलता है, वह उसी दिन के लिये होता है। जैसे ही मीडिया में, यूट्यूब्स चैनल पर और अखबारों में छपा, उसके बाद उनको अपनी जवाबदारी से निवृत्ति मिल जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जितनी गंभीरता और तत्परता से यातायात पखवाड़े में, यातायात माह में या सप्ताह में विभाग भिड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा रोज, प्रतिदिन, प्रतिघंटे करने की आवश्यकता है और इससे जो जान माल का नुकसान होता है, उतनी मृत्युओं की कमी का पूरा पुण्य संबंधित विभाग को मिलेगा और माननीय मंत्री जी के खाते में इतने परिवारों का पुण्य जमा होगा। माननीय मंत्री जी, मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे परिवारों को इस आकस्मिक विपदा से बचाने का कार्य करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया लेकिन यातायात सुधार में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है। यहां के लोग जेबरा क्रॉसिंग को समझते नहीं है। ट्रकों में ओव्हरलोड चीजें जाती रहती है। बाइकर्स की आंखों में रेत पड़ती है। आप जाकर देखिये, वह ट्रकों को ढककर नहीं जाते हैं। आप देखेंगे कि लोग शराब पीकर गाड़ियां चला रहे हैं। लोग सीट बेल्ट तो लगाते नहीं है। आजकल एक यंत्र भी आने लगा है। मैं चाहता हूं कि उस पर भी बैन लगाया जाये। जितने कार एसेसिरीज वाले हैं, वह एक बटन देते हैं जो सीट बेल्ट की स्वीच में लगता है, ताकि लोगों को सीट बेल्ट न लगाना पड़े। ऐसे उपकरणों को प्रतिबंधित करना चाहिए और किसी भी ऐसे दुकानदारों के ऊपर इन चीजों की बिक्री पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हूटर पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। नंबर प्लेट्स भी ठीक होने चाहिए। बीच में लोगों के मन में एक भय आया था, जब कैमरे में लोगों की फोटो आ जाती थी और चालान घर पहुंच जाता था। इन सब चीजों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उन सभी सदस्यों को नमन करता हूं जिन्होंने कहा कि जब उनके पास कोई फोन आता है कि पुलिस ने किसी को पकड़ रखा है तो वह छुड़वाते नहीं है और यह कह देते हैं कि आप चालान पटाकर आईये, हम आपको देने के लिये तैयार है। यह भाव हम सभी सदस्यों को रखना होगा और हम सभी सदस्य जब तक इन चीजों में सख्त नहीं होंगे तब तक हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को हमसे सहयोग नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इसे स्वीकार किया जाये। मैं माननीय अजय चन्द्राकर जी को साधूवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत संवेदनशील विषय को इस प्रस्ताव के माध्यम से लाया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार यादव जी, आप केवल सुझाव दे दीजिए।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, बस एक लाईन में अपन बात कहूं। हमर नेता जी हा हमला सुझाव दे चुके हे, मय समझथव बाकी एक ठन बात बस जोड़ना चाहत हौं।

निश्चित तौर पर हम देखथन की कोई व्यक्ति बेमौत चले जथे ए संसार ला छोड़कर के। ओकर उमर जिये खाये के रहिथे। हम सब ला तकलीफ होथे। एमा कार चालक मन ला सीट बेल्ट लगाना अउ प्रदेश के मोटर साईकिल चालक मन ला हेलमेट लगाना अनिवार्य होना चाहिए, आप नियम बनावव, ए अच्छा बात हे। मंत्री जी में एक एमा जोड़ना चाहत हौं। अभी छत्तीसगढ़ हर आर्थिक स्थिति में हरियाणा पंजाब कस नइ होए हे कि अपन शादी बर बिहाव में फार्चूनर में जाये। अभी भी हम गांव में देखथन कि शादी बर बिहाव के समय में बरतिया ला कइसे लेकर जाबो ए गांव मा चिंता रहिथे अउ हम तो ओ घर ले आए हन तो ओला महसूस करे हन कि पिकअप, ट्रेक्टर में भी दूल्हा डउका मन या बरतिया मन ले के जाथे। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहत हौं कि शादी बर बिहाव के समय में पिकअप या ट्रेक्टर में कोई जावत हे तो अनावश्यक रूप से अगर स्थिति ला देखव कि ये बरतिया हे, ओमे थोड़ा राहत देना चाहिए काबर कि अति ओ मन हा परेशान होवत रिहिस हे। बाकी कार चालक मन ला सीट बेल्ट लगाना अउ मोटर साईकिल चालक ला हेलमेट लगाना अनिवार्य हो, एकर समर्थन हमर नेता जी कर दीही तो हमन कोन होथन टिप्पणी करने वाला। अगर बस शादी बर बिहाव में कहीं जावत हे तो पिकअप अउ ट्रेक्टर ला थोकन एमे थोड़ा विशेष रूचि देकर छोड़े बर हे। में शादी बर बिहाव के समय में अतकी कमन कहना चाहत हौं बस। माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोले के समय देव, ओखर बर आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- माननीय सुशान्त जी, बस छोटा सा कहिए।

श्री सुशान्त शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, जी। यह लोक महत्व का विषय है। आज सदन में माननीय अजय चन्द्राकर जी ने एक बहुत प्रासंगिक विषय को उठाया है। इस सदन में उपस्थित सभी सदस्य कभी न कभी अपने जीवन काल में वाहन दुर्घटना का शिकार जरूर हुए होंगे या देखे होंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय देखने में आता है कि आजकल ई-बाईक और ई- रिक्शा जो बैट्री चलित गाड़ी है, हमने उसको स्कूलों में छूट दे रखा है। नाबालिक बच्चे बगैर किसी हेलमेट के वाहनों का सीधा-सीधा संचालन करते हैं और फिर उसकी आड़ में स्कूलों में वाहन चालू हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से इस विषय पर आग्रह करना चाहता हूँ कि उन संबंधित स्कूलों पर पुलिस की या संबंधित विभाग की जांच हो। जब वहां पर बच्चे वाहन लेकर जाते हैं तो उनके अभिभावकों के ऊपर दण्ड स्वरूप कार्यवाही होनी चाहिए। जो स्कूल विद्यालय हैं उनके शिक्षकों और प्राचार्यों के माध्मय से जनजागरूकता का अभियान, सड़क सुरक्षा सप्ताह या अन्य जागरूकता विषयों पर लाया जाता है तो उन विषयों पर उन बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है। यह बात सही है, परन्तु ई-बाईक या उसकी आड़ में चलने वाले दूसरे छोटे वाहन दो पहिया का स्कूलों में खुले आम प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है। हम, मां-बाप अपने बच्चे को लाड-प्यार के चक्कर में वाहन उपलब्ध करवा देते हैं, जो दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। एक हिसाब से हम उनको वाहन उपलब्ध

करवा रहे हैं तो हम अपनी पीढ़ी की हत्या कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि यहां स्कूलों में जांच हो और तत्काल ऐसी व्यवस्था हो और उनके परिवारों के विरूद्ध कार्यवाही भी हो ताकि आने वाले समय में यह जन चेतना का भी विषय बन सके। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप बोलेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय चन्द्राकर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत सामाजिक आवश्यकता जो आज छत्तीसगढ़ की है, उन्होंने उस विषय में चर्चा के लिए "प्रदेश के मोटर साईकिल चालकों को हेलमेट व कार चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जाये" के संदर्भ में यहां अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है। सभी साथियों ने लगभग उसमें अच्छे विचार दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दे सकता हूँ, पता नहीं, मुझे अभी तक तो ज्ञात नहीं है। यदि उस कंपनी मोटर साईकिल बेचने वाली, उस कंपनी को यह अनिवार्य कर दिया जाये कि आप मोटर साईकिल, स्कूटर या ई-बाईक तभी देंगे जब आप उसको बाध्य करें कि वह हेलमेट लें या उसमें उस हेलमेट की कीमत शामिल कर दिया जाये। हेलमेट के साथ ही कोई भी टू व्हीलर दिया जाये, आप ऐसा प्रतिबंध लगा दें तो निश्चित रूप से इसमें कमी आ सकती है। बाकी तो सब समझते हैं। सब अपने-अपने जीवन के प्रति चिंतित हैं, बहुत लोग नहीं हैं, वह लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। हम लोगों को लगाना चाहिए। हम लोगों ने अभी-अभी बुजुर्ग होने के बाद सीखा है कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए। इस तरह धीरे-धीरे लोगों में चेतना आ रही है और उसको आप आगे बढ़ाईये। माननीय चन्द्राकर जी द्वारा लाये गये इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको सर्वानुमति से पास करें, यह मेरा अनुरोध है। सभापति महोदये, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

उपमुख्यमंत्री, गृह (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, आज के माननीय अजय चन्द्राकर जी द्वारा लाये गये अशासकीय संकल्प में कहा गया है कि प्रदेश के मोटर साईकिल चालकों को हेलमेट व कार चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जाये। सभी माननीय सदस्यों ने इसमें अपने विचार रखे हैं और बड़े अच्छे विचार रखे हैं। वह अद्भूत और बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही सारगर्भित हैं। मैं वस्तुत: कुछ चीजें नोट कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, परंतु माननीय सदस्यों के यह विचार अमूल्य हैं। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने भी बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे विषय रखे और विभिन्न आंकडों के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ ये विषय सदन के समक्ष रखा कि क्या स्थिति है या पुराने समय में भी क्या-क्या हुआ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने तो अनूठा ही विषय कह दिया और मैं 100 प्रतिशत इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो बाईक की कंपनियां हैं, उनको ही बाईक के साथ दो हेलमेट साथ देने चाहिए। वह अपने कॉस्ट में जोड़ लें, जो भी करें। लेकिन उसी क्वालिटी का, जिस

क्वालिटी का स्टैण्डर्ड है, कानूनन आई.एस.आई. स्टैण्डर्ड की क्वालिटी का हेलमेट लगाना होता है तो यह उस पर लगाया जाये। ऐसा होना ही चाहिए। इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, उन्होंने मुझे आप सबके साथ इस विषय को ध्यान से चर्चा के लिए कहा है। मैं नि:संदेह उनके ध्यान में लाऊंगा और मैं सोचता हूं कि सहृदय माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देकर इसको आगे बढ़ायेंगे, इसको लागू करवायेंगे। इसमें मुझे कहीं कोई संशय नहीं लगता। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने यह कहा कि धीरे-धीरे चेतना आ रही है, यह भी बहुत महत्व का विषय है। मसला यह है कि कानून के डंडे से, पुलिस खड़ी करके आप क्या-क्या चीज ठीक कर लेंगे ? आप कहां-कहां ठीक कर लेंगे ? क्या यह संभव हो सकता है ? क्या हम वास्तविकता से परे हट करके यहां चर्चा करें, ये ठीक है ? सभापति महोदय, बहुत सारी बातें हैं जो चर्चा का विषय हैं। आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी ने भी तेज रफ्तार बाईक और नशा यह कारण कहा। एक्सीडेंट एक अलग बात है, एक्सीडेंट से हानि एक अलग बात है। एक्सीडेंट हो जाना और सीट बेल्ट लगाकर, हेलमेट लगाकर उस एक्सीडेंट से होने वाली कमी को कम कर लेना, उसमें होने वाले परेशानियों को कम कर लेना, यह अलग विषय है। हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट कम नहीं हो रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि नहीं लगा रहे हैं। उसमें गलत अर्थ नहीं लें। परंतु ये दोंनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। पिछली बार माननीय अजय चन्द्राकर जी ने ऐसे ही एक विषय को चर्चा में लेकर आये थे। तब ये चर्चा हुई थी कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, ब्लैक स्पॉट के लिये क्या किया जा रहा है ? आदि विषयों पर चर्चा हुई थी। उसमें उनका यह कहना कि पिछली बार की चर्चा में कुछ नहीं किया गया, आप बिल्कुल ऐसा न सोचें। माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने उस पर पूर्ण चिंता करते हुए, मैं आपको यह बताऊं कि पिछली बार ब्लैक स्पॉट 104 थे। उसमें लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करते हुए 90 ब्लैक स्पॉट पर काम किया गया, उनको दुरुस्त करने का प्रयास किया, उनको दुरुस्त किया भी गया। उसके बाद नये ब्लैक स्पॉट के भी चिन्हांकन किये गये और अभी 152 ब्लैक स्पॉट फिर से चिन्हांकित हैं जिस पर काम किया जाना है। इसमें पिछली बार 2024-25 में 60 करोड़ रुपये का बजट था, 2025-26 में 120 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान ब्लैक स्पॉट हटाने के लिये रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए मैं नि:संदेह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद कहता हूं। लेकिन पहले धन्यवाद मैं माननीय अजय चन्द्राकर जी को कहता हूं कि उन्होंने पिछली बार ऐसी ही अशासकीय संकल्प ला करके इस विषय पर चर्चा की थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नियम 139 की चर्चा में।

श्री विजय शर्मा :- अविलंबनीय लोक महत्व के विषय 139 की चर्चा में यह विषय लाकर पिछली बार भी चर्चा हुई थी और उन्होंने वह कहा था, जिसके माध्यम से यह हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पर ध्यान दिया, उस पर काम किया है तो यह कहना कि काम नहीं किया है ऐसा नहीं है, जरूर काम हुआ है । माननीय कुंवर सिंह निषाद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यह केवल प्रशासन की

जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है और नि:संदेह यहां पर जो भी माननीय सदस्य बैठे हैं ये प्रभावशाली लोग हैं, समाज में इनका बड़ा प्रभाव है, इनकी बातें सुनी जाती हैं, इनके कहे पर अमल होता है और इसलिये किसी शासन, किसी प्रशासन, किसी कानून, किसी अधिनियम-नियम के पहले यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैसे लागू किया जाये, कैसे इसके माध्यम से जनसुरक्षा मुहैया करायी जाये ? कैसे लोगों को इस बात के लिये तैयार किया जाये यह माननीय निषाद जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कहा है । अचानकमार जाते-जाते धर्मजीत भैया के साथ जो कुछ हुआ वह भी प्रेरणादायी विषय है कि किस तरीके से अगर वह सीट बेल्ट लगा होता तो पीठ पर 6 महीने का दर्द नहीं सहना होता, यह बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता है । माननीय रामविचार नेताम जी का तो मुझे बिल्कुल ध्यान है, हम लोग दिन-भर साथ रहे फिर भाईसाहब वापस आने लगे और मुझे सूचना मिली कि ऐसा हो गया, मैं सब-कुछ छोड़कर भागा तब तक सिमगा से आगे भाईसाहब लोग इधर रायपुर आ गये थे । मैंने सबसे पहले उस स्पॉट को देखा तो गाड़ी ऐसे आ रही थी, एक गाड़ी ने टक्कर मारी और गाड़ी इधर मुंह करके खड़ी हुई थी । मैंने सबसे पहले जाकर गाड़ी को देखा तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आया, मैं बोला कि इधर मुंह है और उधर जा रहे थे तब मुझे बात समझ में आयी कि टक्कर ऐसे हुआ है कि गाड़ी घुमकर उधर चली गयी, रांग साईड में चली गयी । उधर चली गयी तो फिर गाड़ी का मुंह कवर्धा की तरफ हो गया और नि:संदेह भोरमदेव महाराज, भोलेबाबा की कृपा है कि भाईसाहब को कुछ नहीं हुआ, वह सुरक्षित हैं । यह भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह जो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी की गाड़ी भी डैमेज हुई । एक तो आपके जो फॉलोअप और पायलेट की गाड़ियां हैं, सब किराये की गाडियां हैं । दूसरी बात यह है कि जो आपकी पायलेटिंग कर रहे हैं उसको जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए, वह प्रशिक्षित नहीं है । जैसे आपकी गाड़ी चल रही है मतलब पायलेट वाली गाड़ी बढ़ गयी है और आपकी गाड़ी पिछड़ गयी है । गृहमंत्री रहते हुए रामसेवक पैकरा जी का एक्सीडेंट आपने देखा, उस दिन आपकी गाड़ी का देखा, बहुत सारी गाड़ियों का, हमारे उपमुख्यमंत्री माननीय अरूण साव जी का तो उसके जो बड़े कारण हैं, आपको उस पर विचार करना पड़ेगा कि जब आप पायलेटिंग में चलवा रहे हैं तो आपके ड्राईवर प्रशिक्षित होने चाहिए, विभागीय गाड़ी होनी चाहिए, उनको खुद को कुछ मालूम नहीं है कि कहां पर कितने डिस्टेंस में चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, यह बहुत बड़े कारण हैं इसको भी थोड़ा सा आज जब चर्चा हो रही है तो आगे चूंकि सभी अधिकारी भी बैठे हुए हैं और आप भी बैठे हुए हैं इस पर विचार करना चाहिए ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य धरमलाल कौशिक जी का कहना बिल्कुल उचित है । गाड़ियों के किराये पर होने, नहीं होने की क्या स्थिति है, मैं इसका एक-बार बिल्कुल आंकलन कर लूंगा और इसके प्रशिक्षण की क्या पद्धति हो सकती है उसका भी मैं बिल्कुल आंकलन

कर लूंगा । इसके लिये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे । उस दिन कवर्धा से आते समय मैं फिर उसके बाद सीधे हास्पिटल गया, हॉस्पिटल में भाईसाहब से भी मिला । ईश्वर की दया रही मतलब यह है कि एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था परंतु भोलेबाबा ने कृपा की और हमको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी पर किसी भाईसाहब का नाम नहीं लिखवाना पड़ा । यह भगवान भोलेनाथ की कृपा है । उनके हाथों से 10-10 यूनिवर्सिटीज बन जायेंगी परंतु किसी यूनिवर्सिटी में उनके नाम लिखने की जरूरत न हो । (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय पुन्नूलाल मोहले भैया का भी जो कहना था, बेटे का हताहत होना यह भी बड़ा मार्मिक विषय है । श्रीमती संगीता सिन्हा जी ने मूल्यवान विषय कहा है, माननीय सुनील सोनी जी ने भी कहा कि शहर के अंदर और शहर के बाहर से दो भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है मतलब प्रेक्टिकली कहें तो आप व्यवहारत: क्या चीज हो सकती है यह भी महत्व का विषय है, इस पर सोचना ही पड़ेगा । हर जगह स्थिर किसी कानून को बनाकर के और उसके ही डंडे से सब कुछ हकाल लिया जाये, ऐसा संभव नहीं होता है मतलब जन-जन को, हर एक मन को ठीक करना है तो यह धर्म का विषय है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने दो बार एक शब्द कहा, मैं उसमें छोटी सी बात कहूंगा कि हर बात कानून से ठीक नहीं हो सकती। आप यदि विधि विधायी मामलों को पढ़ेंगे तो विधायिका सामाजिक मामलों में कम बात करती है। कानून की भाषा में ज्यादा बात करती है । छत्तीसगढ़ की विधायिका ऐसी विधायिका रही है, जिन्होंने कानून बनाकर सामाजिक मामलों को भी स्पर्श किया। मैं उदाहरण दे देता हूं कि आपके विभाग में स्वच्छता के कानून सबसे पहले इसी विधान सभा में बने और आगे चलकर वह देश भर में बना। आप एक प्रभाव का अध्ययन कीजियेगा कि जब आपने स्वच्छता का कानून बनाया तो कितने जन प्रतिनिधियों ने स्वच्छता अपनाई? दूसरी बात बता देता हूं, साक्षरता, इसी विधान सभा में बनी और आप ही के विभाग में बनी कि जनप्रतिनिधि साक्षर होना चाहिए। यह सामाजिक कानून था। खाद्यान्न सुरक्षा आपके आपके विभाग में बनी, यह भी सॉफ्ट कानून था। एन्क्रोचमेंट अर्हता में शामिल हो, यह एक सामाजिक कानून था, वह भी आपके विभाग में बना। कानून बनाकर भी हमने समाज में बदलाव लाया है, उसका उदाहरण यह विधान सभा है, जिसने देश का इस तरह का पहला कानून बनाया। इसलिए हर बात कानून से हो सकती है। हम यह तय कर सकते हैं, यह सर्वसम्मत कर सकते हैं कि ठीक है हमारे पास कानून है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, प्रेरणा के लिए करेंगे। यह छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने सामाजिक मामलों को स्पर्श कर देश के सामने उदाहरण रखा है और साबित किया है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय में सोचिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, साक्षर होने के बाद ही कोई पंचायत राज के चुनाव लड़ पाएगा। स्वच्छता, अगर उसके यहां शौचालय होगा तो पंचायत राज के चुनाव लड़ पाएगा। खाद्यान्न की सुरक्षा पंचायत में होनी चाहिए या एन्क्रोचमेंट किसी ने कर रखा है तो पंचायत के चुनाव नहीं लड़

पाएगा। इन आदि विषयों का इस पवित्र सदन से विधेयक, कानून बनकर पूरे देश में लागू हुआ है, यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हेलमेट लगाने या नहीं लगाने संबंधी कानून नहीं बने हैं, ऐसा तो नहीं है। इसमें कानून है तो मेरा आपसे इसमें यही कहना है कि नया कानून बनाने की आवश्यकता है, ऐसा तो नहीं है। हमारे पास जैसे भी कानून है, इसमें हेलमेट माने केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994, ये दोनों ही मोटरयान नियम हैं। हेलमेट नहीं लगाने पर 500 रूपये का जुर्माना है। एक बार जुर्माना लगाने के बाद दूसरी बार फिर होता है तो फिर 500 रूपये का जुर्माना और तीन महीने का लाइसेंस रद्द करना, यह भी है। तो इन सारे ही प्रावधानों के अंतर्गत पिछले ही साल मतलब आप इसमें देखेंगे तो प्रदेश भर में 41,000 से भी अधिक कार्रवाइयां की गईं। मैं यह कह रहा हूं कि सिर्फ कानून के आधार पर पुलिस के डंडे से, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे सदन पर ज्यादा विश्वास है। मुझे जनप्रतिनिधियों पर ज्यादा विश्वास है। मुझे माननीय सदस्यों पर ज्यादा विश्वास है। माननीय सदस्यों के प्रभाव पर ज्यादा विश्वास है। मैं इसलिए इस विषय को कह रहा हूं। इसमें और कोई दूसरा मसला नहीं है। विशेष रूप से हेलमेट का आप कहें, उसमें भी पहली बार 500 रूपया, दूसरी बार 1000 रूपया, उसमें भी फाइन का प्रावधान है। हमने हेलमेट नहीं पहनने वालों से ढाई करोड़ रुपये इसमें वसूली की। लगभग 1 करोड़ रूपये सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण वसूली की। पुलिस अपना काम अपनी पूरी क्षमता के आधार पर कर ही रही है। यह कानून लागू ही है। इन कानूनों के आधार पर ऐसा ही सबको करना है, यह भी बिल्कुल है। अब मसला यह है कि इसमें समाज में पूर्णतः और जागरूकता किस तरह से लाई जाए। जितने भी सदस्यों ने आज अपनी बातें रखी हैं, मैं उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्री लखेश्वर बघेल जी, श्री अनुज शर्मा जी, कार एक्सेसरीज में वह बटन, हूटर इन बातों के लिए भी जरूर तुरंत ही इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभाग से चर्चा कर कार्यवाही की बात करता हूं। राम कुमार जी ने एक बात कही, शादी वगैरह में ट्रैक्टर पिकअप पर क्या होना चाहिए? सुशांत जी की बात है। जितने माननीय सीनियर सदस्य हैं, उन सपने अपनी-अपनी बातें कही हैं। मैं प्रार्थनापूर्वक एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और वह यह है कि कानून के पर्याप्त प्रावधान हैं। पुलिस के माध्यम से पर्याप्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। मुझे बिल्कुल स्पष्टत: यह लगता है और आवश्यकता है कि हम सबको आगे बढ़ कर जनजागरण के लिए प्रयास करना चाहिए। पुलिस और विभागों के द्वारा ऐसे भी जनजागरण के कार्यक्रम और भी किए जा रहे हैं। यदि संख्यात्मक कहूंगा तो विभागों के माध्यम से 15-20 हजार कार्यक्रम विभागों के माध्यम से किए गए हैं, वे सब सामने आएंगे । यह भी बात सामने आएगी कि उसमें 50 लाख लोगों तक पहुंच बनी है । उन बातों को छोड़कर मैं कहता हूं कि चलिए हम सब मिलकर कुछ करें, हम सब मिलकर यहां संकल्प लें, किस तरह से जनजागरण कर सकते हैं । माननीय अजय चन्द्राकर जी की ही अगुवाई में कर लेते हैं । वे कुछ प्रोग्राम बनाएं और हम सब उसमें सम्मिलित होते हैं । अपने अपने क्षेत्रों में इस काम को आगे बढ़ाते हैं । आने

वाले समय में मैं सोचता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा जैसे धीरे-धीरे चेतना आ रही है, यह चेतना और शीघ्रता से हम सबके बीच में आएगी । कानूनों के आधार पर जितने प्रावधान हैं, उनको मानते हुए आमजन भी वैसे ही होंगे, जैसा कि हम सब सोच रहे हैं । इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

समय
7.00 बजे

श्री अनुज शर्मा :- सभापति जी, मेरा आग्रह है, सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं, विधान सभा के सदस्यगण चाहें तो अपने अपने क्षेत्रों में अपील जारी कर सकते हैं ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि आप अपना संकल्प वापस लें । सरकार पूरी चेष्टा के साथ, विभाग पूरी मेहनत के साथ काम को आगे बढ़ा रहा है और आपके साथ भी पूरा सदन साथ चलकर जन-जागरण के विषय में समय देना और काम करने के लिए हम तैयार हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सबसे ज्यादा मत विभाजन शुक्रवार के दिन होता है और ज्यादातर संकल्प के विषय में ही मत विभाजन होता है। यह ऐतिहासिक अवसर इस सदन में निर्मित हुआ है इस संकल्प में सदन सर्वसम्मत है, जब हम विधायिका के काम करते हैं तो ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जिसमें सर्वसम्मति बने । मैं जन-जागरण में भाग लूं । मेरे दो-तीन आंदोलन हैं, मैं सड़क में एक्सीडेंट की लड़ाई, हेलमेट की लड़ाई मेरी दृष्टि में ये सामाजिक आंदोलन हैं और दो तीन विषय हैं जिनको मैं विधान सभा में उठाता रहता हूं कि इससे सजगता बढ़े, परिणाम बढ़े । दो लोगों को मोबाइल से बात करते हुए सड़क पर मरते देखा, मैंने देखा । बात करते करते घूमे और ट्रक के नीचे आए । जो भी मोबाइल पर बात करता दिखता है, उसको चिल्लाकर, आदमी भेजकर रोकवाता हूं, यदि पकड़ में आ जाए तो उसके पेरेंट्स को फोन करता हूं कि ये ऐसा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए । इतनी अर्जेंसी नहीं है कि सड़क पर बात करें लेकिन सवाल यह है कि कोई ब्लू प्रिंट कि हम इसको इस स्वरूप में करेंगे । कानून तो है, यह मैंने भी उदाहरण दे दिया था। पुलिस की सामाजिक भागीदारी हो सकती है विभागों की भागीदारी हो सकती है । कार्यवाही इस इस दिशा में सम्पादित करेंगे । यह ब्लू प्रिंट माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया । सारी अपेक्षाएं सदन के ऊपर या निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के ऊपर छोड़ दिया और यदि जनता को ही करना है तो ठीक है, हम राजी है, उसमें क्या है । जांहि विधि राखे राम तांहि विधि रहिले, सीता राम सीता राम कहिले । तुलसी दास जी इस बात को बोलकर गए हैं । तो मैं इस संकल्प को वापस लेता हूं ।

सभापति महोदय :- अनुमति प्रदान की गई, संकल्प वापस हुआ ।

संकल्प वापस हुआ।

(2) वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवोदय विद्यालय की स्थापना

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- सभापति महोदय, मैं, यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह "सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए ।"

सभापति महोदय, क्योंकि यह केन्द्र सरकार का मामला है और केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विभाग से संबंधित है । मुझे यह भी ज्ञात है कि यह जो फैसला अगर किसी विधान सभा क्षेत्र या किसी प्रदेश में करना है तो उसमें केन्द्र सरकार की अनुमति होती है । मैं बताना चाहता हूं कि वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र पूर्णत: शहरी आबादी वाला क्षेत्र है । इस विधान सभा में भिलाई नगर के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं । इसमें दो विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं, इसकी लगभग 6 लाख की आबादी है, इसमें अनेक निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाएं भी संचालित हैं। वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र में 30 से 40 प्रतिशत लोग ही गरीब और मजबूर वर्ग के हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में फीस ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं लेकिन केन्द्र सरकार की नवोदय स्कूल शिक्षण संस्थाएं हैं, उस पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, वे ये समझते हैं कि अगर वे नवोदय स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो कहीं न कहीं उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और देश का भविष्य बनेंगे। माननीय सभापति महोदय, दुर्ग जिले में बोरई में एक नवोदय स्कूल संचालित है, किन्तु प्रवेश संख्या सीमित होने के कारण वहां ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। मुझे ये भी ज्ञात है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी जिले में एक ही नवोदय स्कूल की स्वीकृति दी जाती है। सुकमा जिला चूंकि ट्राईबल क्षेत्र है और कहीं न कहीं वहां पर आवश्यकता है तो एक जिले में दो नवोदय स्कूल हैं। मुझे ये भी ज्ञात है कि केन्द्र सरकार पूरे देश भर में नवोदय स्कूल आगे बढ़े और जिलों में एक दो बढ़े, इसके लिए चिंता भी कर रही है। अशासकीय संकल्प लाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि इस पर चिंतन किया जाए कि नवोदय स्कूल आज के समय में सभी जनप्रतिनिधियों की मांग है, जनता की भी मांग है। नवोदय स्कूल के आने से निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जो कहीं न कहीं पढ़ाई से शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनको शिक्षा में मदद मिलेगी। क्योंकि अधिकतर गरीब और मजबूर वर्ग के बच्चे ही नई पढ़ पाते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी भी पढ़ाई और शिक्षा का स्तर ऊंचा रहे। नवोदय स्कूल के माध्यम से विश्वास बढ़ा है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे अशासकीय संकल्प पर विचार किया जाए और इस पर कहीं न कहीं केन्द्र सरकार को भेजने के लिए उस पर चिंतन

हो, अगर इसमें नियम नहीं है तो कहीं न कहीं इस पर एक पहल हो, हर जिले में और नवोदय स्कूल बढ़े इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करें और हमारे प्रदेश में और भी नवोदय स्कूल की स्थापना हो, ये मैंने इस अशासकीय संकल्प के माध्यम से प्रस्तुत की है।

सभापति महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाये।" माननीय मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने के मापदंड अनुसार प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान है। यदि आदिम जाति, अनुसूचित जाति क्षेत्र है तो विशेष परिस्थितियों में नक्सल या पेशा क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप एक जिले में एक से अधिक अर्थात दो नवोदय विद्यालय प्रारंभ किये जा सकते हैं। एक जिले में एक नवोदय विद्यालय के हिसाब से दुर्ग जिले में नवोदय विद्यालय प्रारंभ हो चुका है। नवोदय विद्यालय भी ऐसे स्थान में होना होता है जहां 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण और 30 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र की होनी चाहिए। माननीय सदस्य जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वह पूर्णत: शहरी क्षेत्र है। ये एक और मामला है। दूसरा, इनके जिले में पहले से ही खुल चुका है। तीसरा, भारत सरकार का वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार को ऐसे संकल्प का कोई विषय नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में नवोदय विद्यालय खोले जाने के लिए भारत सरकार के मापदंड की परिधि में नहीं आता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि इस अशासकीय संकल्प को वापस ले लें।

श्री रिकेश सेन :- माननीय मंत्री जी ने बताया निश्चित रूप से प्रावधान नहीं है। मैं अपना अशासकीय संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति महोदय :- अनुमति प्रदान की गई, संकल्प वापस हुआ।

संकल्प वापस हुआ।

(3) "छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2025 बनायी जाये"

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2025 बनायी जाये।''

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात जानता हूं। मैंने यह पढ़ा भी है कि छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति राज्य शासन के पास है। उसके बावजूद मैंने इस संकल्प को लाया है। जैसे अभी मुझे बताया गया कि हेल्मेट का कानून तो है, लेकिन फिर भी मैंने संकल्प लाया है। मैं हेल्मेट के कानून को

जानता था। प्रवासी मजदूर कानून बनाया जाये, उसको अद्‌यतन किया जाये और उसको वर्ष 2025 का नाम दिया जाये, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि बिहार के रोहतास में 41 लोग पकड़ में आये। जिसमें बच्चियां थीं। जिसमें से कुछ को देह व्यापार में ढकेल दिया गया था, कुछ को बेच दिया गया था और कुछ का मालूम नहीं था। यह अभी 4 दिन पहले की घटना है। उसमें मेरा ध्यानाकर्षण भी लगा है। अब तो खैर वह निकल गया है। यदि आपकी नीति अद्‌यतन है तो वह किस तरह से लागू है और इसकी क्या जरूरत है? हमारे राष्ट्र में वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान इस कानून को बनाया गया कि बड़ी संख्या में लोग इधर-उधर माइग्रेट हो रहे थे। उस समय भगदड़ की स्थिति थी। किसी भी राज्य सरकारों के पास कौन कहां है, इसका कोई बायोडाटा या डाटाबेस नहीं था। जब यह डाटाबेस नहीं था तो कौन कहां जायेगा, कैसे जायेगा, किन कारणों से कहां है और यह किस तरह से हो रहा है? इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। भारत सरकार का यह आग्रह था कि सभी राज्य एक प्रवासी श्रमिक नीति बनाये। छत्तीसगढ़ ने भी प्रवासी श्रमिक नीति बनाई। मैंने उत्तर भी पढ़ा है और मैं यह चाहूंगा कि उस उत्तर को माननीय मंत्री जी स्वयं पढ़ लें और मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य भी पढ़ लें। क्या आज छत्तीसगढ़ के पास उस नीति के अनुरूप डाटाबेस है कि छत्तीसगढ़ के कितने लोग बाहर गये हैं? कितने लोग आते और जाते हैं? अन्य राज्यों से हमारे यहां जो मजदूर आये हैं, क्या आपके पास उन मजदूरों की संख्या का डाटाबेस है? यहां किस तरह के लोग आते हैं? अब इसकी जरूरत दूसरे सेंस में और ज्यादा बढ़ गई है। इसका दूसरा सेंस यह है कि आपके गृह विभाग ने रोहिंग्या लोगों को डिपोट किया है। वह नाम बदलकर भी रह रहे हैं। इसके बाद इसका सबसे बड़ा कारण है कि माइग्रेशन क्यों हो रहा है? माइग्रेशन रोकने के लिए आपने छत्तीसगढ़ में कितना रोजगार क्रियेट किया है? डाटाबेस के हिसाब से कितने लोग बेरोजगार हैं और आपको कितना रोजगार क्रियेट करना है? मैं कुछ काम जानता हूं, लेकिन वह काम छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं हैं। मान लो कि वह काम छत्तीसगढ़ के बाहर उपलब्ध हैं तो छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में जब आप विजन दस्तावेज-2047 बनाने जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के मैन पॉवर को छत्तीसगढ़ में उनकी स्कील के लायक काम मिले। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो वेजेस हैं। जिस काम के लिए वेज का निर्धारण है तो आप वेज का निर्धारण कब-कब और कैसे करते हैं? जिस विभाग में लोग रहते हैं। श्रम विभाग इसका नोडल विभाग है तो उसका पंचायत के साथ कितना समन्वय है? मैं 10 साल तक मंत्री रहा हूं। जब कोई घटना सामने आती है तो पंचायत सचिव से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे गांव के लोग हैं और क्या वह पहुंच गये? मंत्री जी, आप नगर निगम व नगर पंचायत में कहीं भी जाकर अभी चेक कर लीजिए कि आपके कितने लोग बाहर हैं और कितने लोग आये हैं? तो जो नीति है, खास तौर पर अभी-अभी 3 दिन पहले वह दुर्घटना देखी, लॉक डाउन के दौरान 6 लाख से ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ लौटे। तो सवाल इस बात का है कि इसके क्रियान्वयन के लिए समन्वय, इसके कियान्वयन के लिए दूसरे विभाग के साथ

coordination तथा दूसरे विभाग के अतिरिक्त जो कार्य विभाग को करना है, वह काम जैसे प्रवासन के मुददों में मानव तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदम , जब आप उत्तर देंगे तो बताईयेगा कि मैंने ये-ये कदम प्रवासी नीति के तहत या प्रचलित कानूनों के तहत उठाए हैं। जो पंजीकृत एजेंट हैं और जो अपंजीकृत एजेंट हैं, इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई इन सवा सालों में की होगी तो आप मुझे बताईयेगा कि मैंने इस-इस के ऊपर कार्यवाही की है।

मानिनीय सभापति महोदय, interstate migration act,1979 है। यह एक्ट ठेकेदार के माध्यम से पलायन करने वाले मजदूरों को प्रवासी के रूप में शामिल करता है। स्वतन्त्र प्रवासियों को शामिल करता है या नहीं करता है, मुझे यह बता दीजियेगा। आप क्या-क्या कदम उठाए हैं ? क्योंकि जिस तरह से सरकार का उत्तर आया है, मुझे उसमें टिप्पणी करने का अधिकार तो नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा आप कानून को जानते हैं। मैं आपके प्रतिवेदन को पढ़ा हूं। उसके पहले जो 41 लोग पकड़ में आये, मैंने उस दौरान इस विषय को अपने ध्यान में लिया और संकल्प लाने की कोशिश की है। आपका की ओर से सरकार का उत्तर जमा हुआ है, वह मेरे हाथ में है। उसमें का एक लाईन पढ़ देता हूं। रोजगार के अवसरों की खोज करने का कार्य किया जायेगा। शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत लाभ उठाने का लक्ष्य रखा गया है। नीति का नाम 2025 है। आप औद्योगिक नीति, 2024 से 2030 रखा है। प्रवासी नीति है। यदि आपके पास डेटा है तो मान लो छत्तीसगढ़ से 3 लाख लोग प्रवासन में जाते हैं, माइग्रेट होते हैं तो वह किस skill के लोग हैं। उस skill के लोग अंचल में रोजगार के लायक अवसर क्या है, आपने क्या लक्ष्य रखा है ? आपने लिखा है कि 140 विकासखण्डों में श्रम संसाधन केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। अब मुझे आप उत्तर में बता देना कि श्रम संसाधन केन्द्र कहां पर लगते हैं ? ग्राम पंचायत की बिल्डिंग में लगता है या स्कूल के बिल्डिंग में लगता है, कॉलेज की बिल्डिंग में लगता है और क्या उसको पंचायत देखता है ? पंचायत देखता है या आपने उसके लिए दूसरा अधिकारी नियुक्त किया है ? यदि आपने 140 विकसखण्डों में श्रम संसाधन केन्द्र बनाया है तो बाकी 6 विकासखण्ड को क्यों छोड़ दिया है ? आप 6 विकासखण्ड में कब केन्द्र खोलने जा रहे हैं ? मुझको यह बता दीजियेगा। आप कुछ चीजें राज्य सरकारों के साथ एम.ओ.यू. करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितने राज्यों के साथ एम.ओ.यू. करेंगे ?

माननीय सभपति महोदय, मैं एक बार धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) गया था। मैं होटल के बाहर खड़ा हुआ तो कुछ लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते हुए जा रहे थे। मैंने कहा कि रूको-रूको, तुम लोगों को चाय पिलाता हूं। मैंने बोला कि यहां क्यों आये हो ? उन लोगों ने बताया कि हमारे यहां काम नहीं मिलता है, इसलिए यहां आए हैं। मैं छत्तीसगढ़ बनने के बाद की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए सिफा डेटाबेस जरूरी नहीं है। उस दिन एक बात हो रही थी, इसमें उल्लेख है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे, प्रतिवेदन में है कि 40 रैन बसेरें हैं। मैं उठकर खड़े होकर बोल दिया कि चलो एकाध रैन बसेरा देखने

चलते हैं। आपने भी उत्तर दिया है। जो प्रवासन में इस तरह की स्थितियां हैं, आप बतायेंगे कि इनके लिए कहां-कहां कौन-कौन रैन बसेरा, आवास की व्यवस्था की है ? जहां तक पैसे का सवाल है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। नीति नियोजन की कमी है। तो भईया मुझे क्या निर्देश मिलेगा, मैं जानता हूं। लेकिन यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। किसी राज्य से कोई पलायन करता है और पलायन करने वाला यहां आता है और यहां गलत काम में लिप्त होता है। मैंने उसके डेटा में सिर्फ पंचायत और नगर निकाय का उल्लेख किया है। मैं इसमें पुलिस को भी जोड़ता हूं। तो समन्वय करना और इसके लिए वैकल्पिक प्रोग्राम आपके पास कहा है ? यह आपके उत्तर, बातचीत, नीति में नहीं दिखती है। मैंने 140 सेन्टर देखा नहीं है। आप देखे हैं तो अच्छी बात है। होगा, मेरी जानकारी में नहीं आया होगा। मैंने कुछ सुझाव भी दिए । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो नीति है, उसको अद्यतन करेंगे और जो वर्तमान स्वरूप है, आपके जो-जो अनुभव क्रियान्वित नहीं हुए हैं, क्या आप उसको जोड़ कर प्रतिवर्ष क्रियान्वित करेंगे और छत्तीसगढ़ को माइग्रेशन से मुक्त करेंगे? यह आप मुझे बता दीजिये।

सभापति महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2025 बनाई जाये।" श्री ब्यास कश्यप जी।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में श्रमिकों के लिए प्रदेश में अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम लागू है। जब से छत्तीसगढ़ बना है, चाहे माननीय अजीत जोगी जी की सरकार हो, चाहे डॉ. रमन सिंह जी की सरकार हो, भूपेश बघेल जी की सरकार हो और अभी वर्तमान में भैया अजय चन्द्राकर जी ने यह जो संकल्प लाया है, यह वास्तव में अच्छा संकल्प है। खासकर छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए यह कहा जाता है कि 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया'। इस विषय पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जिस समय लॉकडाउन लगा था, उस समय जो आंकड़े आये थे, उसमें प्रवासी श्रमिकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। पिछले बार हुए लॉकडाउन के समय प्रवासी श्रमिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, यह हम सबको ज्ञात है। उस समय लगभग 6 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर रोजी-रोटी के तलाश में गये थे, काम करने के लिए गये थे और उनका काम ईंटा भट्ठा बनाना, मकान बनाना, छोटे उद्योगों में काम करना आदि काम था क्योंकि प्रशिक्षण के अभाव के कारण, कौशल विकास की कमी के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर खासकर जितने भी उत्तर के राज्य हो, चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, इधर हैदराबाद हो या यू.पी. हो, ऐसे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। इसलिए एक बेहतर नीति होने की सख्त जरूरत है। छत्तीसगढ़ के साथ-साथ वह राज्य जहां हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर जाते हैं। अभी एक बात देखने को आया है कि छत्तीसगढ़ में जो कौशल प्राप्त मजदूर हैं, जिनके में हुनर हैं, वह भी मजदूर छत्तीसगढ़ में बाहर से आ रहे हैं। हमने देखा है कि टंकी के निर्माण में बिहार से मजदूर आकर भिलाई में, दुर्ग में,

रायपुर में, बिलासपुर में, कोरबा में उनकी बहुलता हो गई है। उनमें योग्यता क्षमता है क्योंकि वह वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके यहां आते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के मजदूरों की ठीक से नीति नहीं होने के कारण हमारे छत्तीसगढ़िया भाई सिर्फ रोजी-मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और इन लोगों की आए दिन यह शिकायत मिलते रहती है कि वहां ईंटा भट्ठा में मजदूरों को बंधक बना लिया, यहां मकान बन रहा है तो मजदूरों को बंधक बना लिया। आजकल दूरभाष, टेलीफोन या मोबाईल के माध्यम से ग्राम पंचायत में सूचना आ जाती है, एस.पी. कार्यालय में शिकायत होती है, जिससे सरकार के सहयोग से हमें उन मजदूर भाईयों को उन राज्यों से बाहर लाना पड़ता है। यह हमारे छत्तीसगढ़ के श्रमिक लोगों के लिए चिंताजनक स्थिति है क्योंकि हम आज भी उस ढंग से जितने श्रमिकों को पढ़े-लिखे या कौशल होना चाहिए, वह हमारे यहां नहीं है। इसलिए हम सब लोगों के लिए यह अति आवश्यक है कि राज्य सरकार में नीतियां तो बन रही है, पर इस नीति के तहत उसका कठोरता व कड़ाई से पालन हो। ग्राम पंचायत स्तर पर डाटा तैयार रखिये। अभी कई ऐसी बात हैं। दो दिन पहले ही मेरे पास एक फोन आया, वह पंजीकृत ठेकेदार हैं, जो छत्तीसगढ़ से बाहर जम्मू-कश्मीर व पंजाब में मजदूर लेकर लेकर जाता है। समस्या दोनों प्रकार से है। हो क्या रहा है कि जो मजदूर भाई हैं, जिनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, वह उन ठेकेदारों से वह पैसा ले लेते हैं, ठेकेदार से एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह बाहर राज्य नहीं जाते हैं और वह स्थानीय ठेकेदार जो हमारे छत्तीसगढ़ का ही है, उसका पैसा भी डूब जाता है, उनकी भी ऐसी शिकायतें आती हैं, परंतु अगर सही नीति रहेगी तो उसमें ठेकेदारों का भी बचाव होगा और वह मजदूर जो पैसे लेकर मनमानी करते हैं और जो बाहर राज्य नहीं जाते नहीं है, वह परेशान होने से बचेंगे। वह मजदूर, वह श्रमिक भाई जो कि बाहर राज्यों में रहते हैं, उनके लिए भी सुरक्षा की गांरटी हमारी सरकार लें और जितने भी केन्द्र सरकार की ओर से निर्देश मिला है कि जितने भी राज्य है, वे अपने-अपने प्रवासी श्रमिकों के लिए नीति का लागू करें। मैं तो चाहूंगा कि अब जितने भी नई नीति बनें, इस नीति में हमारे प्रदेश के जो कटु अनुभव हैं, हम उन अनुभव के आधार पर उस राज्यों से भी संपर्क करें, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के अप्रवासी श्रमिक भाई बाहर जाते हैं । सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि हम उनके लिये बेहतर व्यवस्था कर सकें । सभापति महोदय, कानून में तो बहुत बेहतर अधिकार है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, समान कार्य के लिये समान वेतन, सुरक्षित कार्य, स्थिरता, जबरन श्रम और लिंग आधारित भेदभाव का उन्मूलन, रोजगार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, जैसे विषयों का प्रावधान है । सभापति महोदय, यह प्रावधान छत्तीसगढ़ में कब कठोरता से लागू होगा, छत्तीसगढ़ में इसके लिये बेहतर ढंग से सेमिनार कर लें, ऐसे संगठनों से बात कर लें, श्रम की आवश्यकता सब को है, चाहे छत्तीसगढ़ में हो या बाहर अन्य राज्यों में हो । सभापति महोदय, जिनके पास हुनर हो, वह आय का जरिया बने, उन्हें पारिश्रमिक का उचित भुगतान हो, छत्तीसगढ़ में बेहतर श्रमिक नीति बनाकर यह सुनिश्चित करें तथा अन्य राज्यों से भी संबंध

स्थापित हो, ताकि बाहर से आने वाले मजदूरों को भी छत्तीसगढ़ में तकलीफ न हो । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ से बाहर जाने वाले जो मजदूर हैं, मैं उनके बारे में सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे हुनरमंद श्रमिक बाहर अपनी सेवायें क्यों दे ? जो श्रमिकों के लिये गाईड लाईन है, जो श्रम नीति हैं, जो मजदूरों की भुगतान प्रणाली है, उनको उस आधार पर यहां भी भुगतान किया जाये, ताकि छत्तीसगढ़ के मजदूर श्रमिक भाई अप्रवासी होकर बाहर तकलीफ पाने के लिये न जायें, यहीं का पैसा यहीं के लोगों के काम आये, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिये । सभापति महोदय, अजय भईया जो छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2025 लाये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी । एक मिनट, लखेश्वर जी ।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- सभापति महोदय, आदरणीय अजय भईया ने श्रमिक नीति के लिये अशासकीय संकल्प लाये हैं, यह बहुत अच्छा संकल्प है, मैं इसका समर्थन करता हूँ । सभापति महोदय, कोरोना काल में श्रमिकों के मामले में एक कड़वा अनुभव रहा है, हम लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हुये थे, कोरोनाकाल से छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरा देश परेशान हुआ है । सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है कि कोरोना के समय देश के विभिन्न प्रदेशों से हजारों श्रमिकों की छत्तीसगढ़ में वापसी हुई थी, उसमें से 10 प्रतिशत मजदूर पंजीकृत थे, आज बिना पंजीयन छत्तीसगढ़ के मजदूर पूरे देश में फैले हुये हैं, इसमें पंजीयन की अनिवार्यता हो । आपका पंचायत वगैरह में जो वक्तव्य आया है कि हम लोग अनिवार्य कर दिये हैं, यह कहीं भी नहीं हो रहा है । सभापति महोदय, मैं वर्ष 2000 से इस संबंध में प्रयास कर रहा हूँ, पंचायत में जाकर अपनी बात को दमदारी से रखता हूँ, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है । छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का पंजीयन सरकार की प्राथमिकता में हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ में रहने वाले मजदूर हों या बाहर जाने वाले मजदूर हों, उसके पंजीयन के लिये सरकार कटिबद्ध हो । सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि आपने कई प्रदेशों में श्रमिक सुविधा के रूप में उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में मोर चिन्हारी भवन बनाने का प्रस्ताव रखा है, यह बहुत अच्छी बात है । सभापति महोदय, हमारे देश में जिस तरह से राजदूतों के लिये भवन बनाये जाते हैं, उसी प्रकार से यह व्यवस्था हो, इससे प्रदेश के मजदूरों में बहुत अच्छा संदेश जायेगा । सभापति महोदय, केरल में हमारे मजदूर जाते हैं, आन्ध्रप्रदेश और तमिलनाडु में हमारे मजदूर हैं, वैसे तो हर प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ से मजदूर जाते हैं, लेकिन केरल में सबसे ज्यादा है । वहां छोटा सा कमरा लेते हैं और 20-20 लोग एक कमरे में रहते हैं । उनका मानना है कि हम लोग शिफ्टवाईज सोते हैं, 2-2, 4-4 घण्टे शिफ्टवाईज सोते हैं, किराया लेकर ऐसा भी करते हैं, क्योंकि मकान मिलनता नही है और मिलता भी है तो उसका बहुत ज्यादा किराया रहता है । आपने अच्छी पहल की है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । चन्द्राकर जी ने जो अशासकीय संकल्प लाया है, वह बहुत अच्छी बात है । हम उस संकल्प का समर्थन भी करते हैं, लेकिन लगता है कि जिस प्रकार से सरकार का वक्तव्य आया है,

उसके हिसाब से यह संकल्प भी आपको वापस लेना पड़ेगा । चन्द्राकर जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, वे कोई संकल्प सोच-समझकर लाते हैं। हम लोग इस संकल्प का पूरा समर्थन कर रहे हैं । पहली बार है कि इस संकल्प का पूरा सदन समर्थन कर रहा है, उसके बावजूद वापस लेना पड़ रहा है, ऐसी नौबत न आये । आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- सभापति महोदय, चन्द्राकर जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, काफी कुछ जानकारी भी रखते हैं । ऐसे सम्माननीय अजय चन्द्राकर जी द्वारा सदन के समक्ष प्रवासी श्रमिकों के संबंध में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ब्यास कश्यप जी और लखेश्वर बघेल जी ने भी सलाह दी । सन् 2020 में प्रवासी श्रमिक का नियम-कानून बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रावधान तो किए गए हैं । वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे श्रमिक भाई ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं । अभी वर्तमान 23-2-25 से लेकर अभी तक हमारे श्रमिक भाई बाहर गए हैं, उनका बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं है, हमारे पास जो रिकार्ड है, उसके अनुसार मात्र 4948 श्रमिक कमाने-खाने के लिए बाहर गए हैं । इसी तरह से जनपद कार्यालय में भी श्रमिकों की देख-रेख के लिए कर्मचारी बिठाया गया है, ताकि उनकी जानकारी निरंतर रूप से हम सबको मिलती रहे। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों की सहायता एवं शिकायत निवारण हेतु राज्य से अन्य राज्यों जहां छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक बहुतायत में जाते हैं, वहां प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र (एम.आर.सी.) प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 के बिंदु क्रमांक 13 में निर्धारित उत्तरदायित्व अनुसार कार्यवाही विभिन्न विभागों के द्वारा किया जाना है । प्रवासी नीति के बिंदु क्रमांक 13 निम्नानुसार है :-

13.1 राजस्व विभाग- प्रवासी श्रमिक नीति के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जिला स्तर पर पदस्थ राजस्व अधिकारी के माध्यम के विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याणकारी कार्यवाही संपादित करेंगे ।

समय :-
7:54 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

13.2 पंचायत एवं ग्रामीण विकास - प्रवासी श्रमिक पंजी का संधारण एवं अद्यतीकरण करना तथा प्रवासी श्रमिक को पुनर्वासित कर स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को अधिकारिक रोजगार शासन की योजना उपलब्ध कराना ।

13.3 कौशल विकास प्राधिकरण- प्रवासी श्रमिकों के कौशल आंकलन एवं कौशल विकास करना तथा दक्षता प्रमाणीकरण ।

13.4 रोजगार एवं नियोजन विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामोद्योग विभाग - विभिन्न निर्माण विभागों, उद्योगों से समन्वय स्थापित कर श्रमिकों के स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों की खोज करना ।

13.5 समस्त निर्माण विभाग - निर्माण कार्यों के ठेकेदारों द्वारा स्थानीय मजदूर को प्राथमिकता से काम उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करना ।

13.6 शिक्षा विभाग, आदिमजाति विकास विभाग - चिह्नांकित प्रवासी श्रमिक परिवार के बच्चों को शिक्षण सुविधा निरंतरित करना तथा आवासीय स्कूलों में प्रवासी श्रमिकों बच्चों को प्रवेश प्राथमिकता तथा दूसरे राज्यों प्रवास कर चुके बच्चों की पहचान करना संबंधित राज्यों को सूचित करना, ताकि गंतव्य स्थानों पर उनको स्कूल में प्रवेश का अवसर मिले ।

13.7 स्वास्थ्य विभाग - प्रवासी श्रमिकों को वर्तमान में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाना तथा कामकाजी महिलाओं के लिए एवं प्रवासी श्रमिक परिवार के बच्चों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना,

13.8 महिला एवं बाल विकास विभाग - प्रवासी महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सखी वनस्टाप केन्द्रों का बेहतर संचालन करना,

13.9 गृह विभाग - पुलिस थाना स्तर पर प्रवासी हेल्प डेस्क शुरू करना, जिसके माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की वैधानिक सहायता प्रदान करना,

13.10 श्रम विभाग - प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु प्रचलित विभिन्न कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा अंतर्राज्यीय सहयोग व समन्वय के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्य करना। श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

13.11 नगरीय प्रशासन विभाग - नगरीय क्षेत्रों में स्थित स्लम/श्रमिक बस्तियों में प्रवासी श्रमिक पंजी का वार्डवार संधारण एवं अद्यतीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में आए श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं, प्रचलित योजनाओं एवं स्वास्थ्य सुविधा का लाभ सुनिश्चित करना।

13.12 जिला योजना समिति - जिला स्तर पर श्रमिक सर्वेक्षण, पंजीयन, कॉल सेंटर, श्रम संसाधन केन्द्र की निगरानी एवं मूल्यांकन कर श्रमिक कल्याण का पर्यवेक्षण।

उपरोक्तानुसार विभिन्न विभागों यथा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, राजस्व विभाग, कौशल विकास प्राधिकरण, रोजगार एवं नियोजन विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग आदि के समन्वय से श्रम विभाग द्वारा छ.ग. राज्य प्रवासी श्रम नीति 2020 तैयार कर छ.ग. राजपत्र दिनांक 19 जुलाई, 2021 के माध्यम से अधिसूचित किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पृथक से प्रवासी श्रमिक नीति, 2025 बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने अशासकीय संकल्प लाया है। मैं बताना चाहता हूं कि छ.ग. राज्य प्रवासी श्रम नीति 2020 जो बनी है, उसमें कई तरह की खामियॉ भी हैं और हमारे वरिष्ठ सदस्य इस संकल्प को लाए हैं, मैं चाहता हूं कि उनका सुझाव हमें इसमें जो लगा है, उसको उनको हम लोग पूर्ण रूप से उपलब्ध करा देंगे और हमारी नयी प्रवासी श्रमिक नीति, 2025 लागू हो जाए, इसके लिए कार्य करेंगे। जैसे कई और भी चीजें हैं कि अन्य राज्य में श्रमिकों के बंधक होने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित राज्य के प्रशासन को पत्र लिखा जाता है। अधिकारियों की टीम भेजकर उन्हें छुड़ाया जाता है। राज्य के भीतर कोई भी श्रमिक बंधक नहीं पाया गया है। इसी तरह से हमारे न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष में किया जाता है। प्रत्येक 6 माह में 01 अप्रेल और 01 अक्टूबर को महंगाई भत्ता श्रम आयुक्त द्वारा घोषित किया जाता है। साथ ही हमारे अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के अंतर्गत 123 निरीक्षण किये गये हैं। दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध 5 अभियोजन न्यायालय में दायर किये गये हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के श्रमिक अन्य राज्यों में बेहतर रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। मुख्यत: निर्माण क्षेत्र, ईंट निर्माण, बोर खनन, कृषि क्षेत्र में कार्य करने जाते हैं। सभी 146 जनपद कार्यालयों में श्रम संसाधन केन्द्र संचालित हैं और माननीय सदस्य ने जो कहा है कि प्रवासी श्रमिक नीति, 2025 बनना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो बना है, उसमें और भी सदन का सुझाव, आपका जो सुझाव मिलेगा और हम लोग प्रवासी श्रमिक नीति, 2025 लागू करेंगे। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि हम लोग प्रवासी श्रमिक नीति लागू करेंगे। मैं सम्माननीय महोदय से चाहता हूं कि कृपया वे अपने संकल्प को वापस लें।

अध्यक्ष महोदय :- क्या माननीय सदस्य संकल्प वापस लेने हेतु सहमत हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से उत्तर आया है कि इसको लागू करेंगे और वर्ष 2025 में बनायेंगे। मैंने दो संकल्प रखे थे। मेरे पहले संकल्प में उत्तर आया और मेरा नाम लेकर कहा गया कि यह काम अजय चन्द्राकर के मार्गदर्शन में शुरू करेंगे।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्माननीय शब्द से संबोधित किया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह भी कह रहे हैं कि मेरे सुझाव से करेंगे। मुझे सुझाव देने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं शासन को क्या सुझाव दूंगा ? मेरी इतनी हैसियत नहीं है। यह जो उत्तर व्यक्ति पर निर्भर होकर आते हैं कि आपका सुझाव लेंगे, आपके नेतृत्व में करेंगे। इस तरह का उत्तर सरकार की ओर से नहीं आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, असल में यह सब धीरे-धीरे मार्गदर्शक मंडल की ओर जा रहे हैं। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जहां नहीं भेजना चाहिए, आप लोग वहां भेज रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि कुछ विषय आपके बारे में बोला गया है। मैं उस पर कहना चाहूंगा। आपने आज के दोनों अशासकीय संकल्प बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किये, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। (मेजों की थपथपाहट) आपने पूरी प्रस्तुतीकरण और स्टेट की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बहुत अच्छी तैयारी के साथ अशासकीय संकल्प लाया। ऐसे विषय आने चाहिए और सभी सदस्यों को सीखना चाहिए। आपने आज जो प्रस्तुत किया, वह हमारे पक्ष-विपक्ष दोनों सदस्यों के लिये सीखने लायक है। इसलिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। यह सदन इसे वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है। मेरा ख्याल है कि सदन सहमत है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, आपने जो विचार रखे हैं, हम सब लोग उस विचार से सहमत हैं और आपने जो प्रशंसा की है, मैं भी उसी के अनुसार उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। मैं प्रतिपक्ष का हूं इसलिए सिर्फ एक छोटा-सा सुझाव दे देता हूं कि आप अपने भाषण का जो समय है, वह थोड़ा कम करें। अध्यक्ष महोदय, बाकी सब चीजों में वह अच्छे हैं।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, यह दोनों ही संकल्प आज माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं कि आज समय की मांग भी है।

अध्यक्ष महोदय :- समय की आवश्यकता है।

श्री राम विचार नेताम :- इतने महत्वपूर्ण विषय में इन्होंने जो दिशा दी, दृष्टि दी, मैं समझता हूं कि वह काबिल-ए-तारीफ है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(4) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "295 किलोमीटर लम्बी कटघोरा-रतनपुर-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल लाईन का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाये।"

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अशासकीय संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "295 किलोमीटर लम्बी कटघोरा-रतनपुर-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल लाईन का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाये।" मैं उसमें एक शब्द और जोड़ता हूं कि इसको प्रारंभ करने की कार्यवाही भी की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "295 किलोमीटर लम्बी कटघोरा-रतनपुर-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल लाईन का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाये।" आप अपनी बात रख दीजिये।

श्री राजेश अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। उसको अंबिकापुर से जोड़ देते तो ठीक रहता।

अध्यक्ष महोदय :- जब आप बोलेंगे तो आप जुड़वा सकते हैं। अभी सब के पास बोलने का अवसर रहेगा। आप अपना सुझाव दे दीजियेगा। पहले इनके मूल प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन के लिए प्रयास किया। हम सब जानते हैं कि रेलवे लाइन बहुत आसानी से स्वीकृत नहीं होती और वह बन भी नहीं पाती है। लेकिन मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ शासन और रेल मंत्रालय के बीच में एक एम.ओ.यू. हुआ। एक संयुक्त उपक्रम कंपनी छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सी.आर.सी.एल) का गठन किया गया, जिसमें राज्य के बहुत ही अति महत्वपूर्ण स्थान कटघोरा, जहां पर अभी आस-पास लिथियम का भण्डार भी मिला है और उसका उसका ऑक्शन भी हो रहा है। वहां से शुरू होकर पाली-रतनपुर होते हुए तखतपुर पहुंचेगी। तखतपुर से मुंगेली होते हुए कवर्धा पहुंचेगी। वहां से होते हुए खैरागढ़ जायेगी और खैरागढ़ से सीधे डोंगरगढ़ के लिये रेल लाइन जायेगी । जो बाम्बे हावड़ा मेल के मेन रेलवे ट्रैक से जाकर मिलेगा। इस दौरान 295 किलोमीटर में छत्तीसगढ़ की कम से कम 15 से ज्यादा विधान सभा क्षेत्र के लोग इससे लाभांवित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने इसके लिए एम.ओ.यू. किया था। उस एम.ओ.यू. में एक छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ उसमें छत्तीसगढ़ शासन को Equity के रूप में जो कि 51 प्रतिशत है। उसका आपको 428 करोड़ रूपये जो कि सी.आर.सी.एल. की Equity का 51 प्रतिशत है। उसको प्रदान करने के लिए 428 करोड़ रूपये की आवश्यकता थी। जिसमें से शासन के द्वारा 422 करोड़ रूपये, आपने राशि उपलब्ध करवा दी है। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने 422 करोड़ रूपये उपलब्ध करवा दिया है तो रेलवे की 49 प्रतिशत की जिम्मेदारी होती है और इसमें जो और भी संभावित हिस्सेदार हैं जो उस एम.ओ.यू. में उल्लेखित हैं, उनके साथ मिलकर इस परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ होना चाहिए। एक तरफ कटघोरा में लिथियम का भण्डार है, वहीं पाली और रतनपुर के बीच में कोयले का भण्डार है। उसके बाद धर्मनगरी रतनपुर आता है। उसके बाद आगे चलते हुए हमारा कवर्धा आता है जहां पर बॉक्साईट का भी खदान है। यह नक्सली एरिया भी है। खैरागढ़ भी नक्सली एरिया है, राजनांदगांव भी नक्सली एरिया है और कवर्धा भी नक्सली एरिया है तो इन एरिया में आज ठीक है कि आज वहां पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा पनप नहीं पाया है, लेकिन अगर जब हमारा यह रेलवे लाईन और नेटवर्क बनेगा तो निश्चित रूप से आपराधिक गतिविधियों की जगह, वहां व्यापारिक और अन्य यात्री सुविधा मिलने से लोगों को सुविधा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस परियोजना को बहुत ही उपयोगी मानता हूँ। अगर अब यह धीरे-धीरे चलेगा तो हम खुद ही 16 साल के थे तो पहली बार रेल देखे थे। आज भी अचानकमार, सेंदूरखार के बैगा, दलदली और तरेगांव के बैगा लोग तो रेल देखे नहीं है। रेंगाखार के लोग भी रेल नहीं देखे हैं। कवर्धा के लोग भी रेल नहीं देखे हैं, तखतपुर के लोग भी रेल नहीं देखे हैं तो इनको भी रेल देखने का हक है। यह आपकी संवेदनशीलता थी कि आप यह चाहते थे कि हमारा वह ऐसा एरिया जो डोंगरगढ़ से लेकर, कटघोरा तक का एक Parallel एरिया है, जो रेलवे लाईन से वंचित है, खनिज संपदा, वन संपदा, खाद्यान्न संपदा, बॉक्साईट की संपदा, लौह अयस्क की संपदा से भरपूर है ऐसे एरिया के लोगों को भी रेलवे में चलने का

अधिकार है और रेलवे को देखने का भी हक है और रेलवे में बैठने का भी हक है। इसमें सारी चीजें हो चुकी हैं, सारी चीजों की व्यवस्था हो चुकी है सिर्फ मैं इस संकल्प के माध्यम से केन्द्र की सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि तत्काल इसको नये सिरे से लेकर आगे की कार्यवाही जहां अभी रूकी है उसको आगे बढ़ायें । मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री रहते हुए इस योजना को मूर्त रूप देने का काम किया, पैसा दिलाने का काम किया। इसका प्रोजेक्ट बनाने का काम किया। इसका डी.पी.आर. बना, इसका सब कुछ हो चुका है। अगर आज आप आगे का काम नहीं शुरू करेंगे तो हम वर्षों तक इससे वंचित हो जाएंगे। यह लोगों की बहुप्रतिक्षित मांग है। हमारे बीच संयोग और सौभाग्य से मुख्यमंत्री जी भी हैं और आप भी हैं। आप दोनों बड़े नेता हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट की ओर फाईल उठाकर पढ़ लेंगे तो यह फाईल और यह प्रोजेक्ट दौड़ने लगेगा। जब यह प्रोजेक्ट और यह फाईल दौड़ेगा तो इसमें काम शुरू होगा। निश्चित रूप से जब काम शुरू होग तो उसमें रेल भी दौड़ेगी उसमें हमारे माल का परिवहन होगा, हमारे लोग यात्रा करेंगे। इसमें कई बार शिलान्यास हो चुका है। कई बार माला और फूल का दौर भी चल चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसे एक बार धरातल में उतारिये। जैसे भागीरथी ने गंगा को धरती पर लाया, वैसे ही इस रेल लाईन को उतारने के लिए डॉ. रमन सिंह साहब आपसे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णु देव साहब आपसे आग्रह है कि इस रेल लाईन को रेलवे डिपार्टमेंट के साथ बात करके लेकर आईये। हमारे इस कटघोरा-रतनपुर-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ के लोगों को यह रेल लाईन को तोहफा और सौगात दीजिए। लोग जिंदगी भर याद रखते हैं कि इस रेल लाईन को कौन लाया। आपके थोड़े से प्रयास से हजारों और लाखों लोगों की जिंदगी में तब्दीली आयेगी, परिवर्तन आयेगा और उस क्षेत्र में खुशहाली की एक नई शुरूआत होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को मुझे यहां रखने के लिए अवसर दिया। मैं इस अवसर पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी आग्रह करूंगा कि वह भी इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और इसकी उपयोगिता के बारे में बतायेंगे। अध्यक्ष महोदय, ऐसा आग्रह है कि आप भी अपनी आवाज, अपनी ताकत, अपने पक्ष की बात से इसको मजबूती देने का काम करेंगे। आपको जो बोलना है, आपको इसको और जहां से भी लंबा खिंचवाना है, खिंचवा लेना, लेकिन अभी मैं कटघोरा से लेकर डोंगरगढ़ तक की बात कर रहा हूं जिसकी दूरी 295 किलोमीटर है। इसमें 15 से ज्यादा विधान सभा प्रभावित होगी, 3-4 नक्सली जिले प्रभावित होंगे जिसको फायदा मिलेगा। साहब, यह मांग बहुत जायज है। यह फाईल कहां रूकी है, क्यों रूकी है, इसमें और क्या कर सकते हैं? अगर आप एक मीटिंग लेंगे तो यह मामला आगे बढ़ जायेगा और आगे बढेगा तभी हमारे छत्तीसगढ़ में रेल लाईन निर्माण का कार्य पूरा होगा। आपने तो बजट में कुछ रेलवे के लिये पैसा भी रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। वित्त मंत्री जी, रेलवे के लिये प्रावधान है?

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- तुरंत करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि तुरंत करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री इसको चाह रहे हैं, वित्त मंत्री जी बोल रहे है कि तुरंत करेंगे, अध्यक्ष महोदय, आपके कहने के बाद कौन नहीं करेगा ? नेता प्रतिपक्ष जी भी बोल रहे हैं तो इसको सर्वदलीय समर्थन मिल गया। इसको जरूर पूरा होना चाहिए। मंत्री जी, आप यहां ठीक-ठीक सलाह लेकर आना, मैं इस संकल्प को वापस नहीं लेने वाला हूं। इसलिए इसको स्वीकृत कराना है, ऐसी बात करके आप मुख्मयंत्री जी से आईये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जनता से जुड़ा हुआ विषय लाया है। क्योकि जिस जगह से रेलवे लाईन कटघोरा से प्रारंभ हो रही है, वहां पर अभी एक नई कोल खदान प्रारंभ हुई। जब हम डोंगरगढ़ पहुंचते तक पाली से कोयला उत्पादन की दूरी देखते हैं तो लगभग 450 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक ढुलाई के लिये..।

अध्यक्ष महोदय :- मूलत: वह कांसेप्ट कोल परिवहन के लिये पेरलल लाईन बनाने का विकल्प के रूप में भारत सरकार में दिया गया था। चूंकि बिलासपुर लाईन बिजी थी। इसलिए कोल के पूरे परिवहन को एक नया रूट दिया जाये, इसके लिए ही प्रपोज था। लालू यादव जी से लेकर सारे रेलवे मिनिस्टर इससे सहमत थे, जब वह मंत्री थे। द्विवेदी वगैरह मिलाकर चार मंत्री थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बेबीलोन होटल में मिस्टर त्रिवेदी रेलवे मिनिस्टर के साथ आपने मुख्यमंत्री के रूप में एम.ओ.यू. किये थे।

अध्यक्ष महोदय :- दिनेश त्रिवेदी जी रेल मंत्री थे, वह तृणमूल कांग्रेस के थे।

श्री सुशांत शुक्ला :- दिनेश त्रिवेदी जी रेल मंत्री थे, तब आपके माध्यम से यह पहल हुई थी। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- यह बड़ा दुर्भाग्यजनक समय था कि कितनी अच्छी पहल हुई और उसी दिन उनका इस्तीफा हो गया।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लगभग 150 किलोमीटर की दूरी, यानी यह प्रोजेक्ट रेलवे को लाभांश देगा। छत्तीसगढ़ का पुरातन राजधानी केन्द्र है, माता महामाया की नगरी रतनपुर जो अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रसाद योजना से भी जोड़ी गई है। उसके उन्नयन, संरक्षण, संवर्द्धन के लिये भी यह विषय बनेगा।

अध्यक्ष महोदय :- वहां से बमलेश्वरी।

श्री सुशांत शुक्ला :- जी, बमलेश्वरी। जो एक शक्ति पीठ केन्द्रों को जोड़ने का छत्तीसगढ़ सरकार ने संकल्प लिया है, एक तो उसकी संरचना को यथावत स्थान मिलेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि बंगाल रेलवे की भूमि आज भी रिक्त पड़ी हुई है। आपके संज्ञान में होगा। बंगाल के समय बंगाल

रेलवे का बिलासपुर से कवर्धा होते हुए खैरागढ़-डोंगरगढ़ का एक सर्वे हुआ था। वह जमीन भी रिक्त पड़ी हुई है जिसमें भूमि की आवश्यकता शासकीय तौर पर उपलब्ध है, जिसमें कोई बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, सरकार से आग्रह करूंगा कि यह अशासकीय संकल्प केन्द्र सरकार को सर्वानुमति से पास करके विधिवत रूप से भेजा जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय विधायक धर्मजीत सिंह जी ने अशासकीय संकल्प का प्रस्ताव रखा है कि 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-रतनपुर-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल लाईन निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाये। मैं इसमें अनुरोध करना चाहूंगा कि शीघ्र किया जाये तो पहले प्रारंभ हो तब शीघ्र पूरा किया जाये, ऐसा आना चाहिए इस विषय पर मैं बोलना चाहता हूं और मैं इसका समर्थन भी करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- शाब्दिक परिवर्तन ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शाब्दिक परिवर्तन करना चाह रहे हैं । उधर प्रस्तावक को बता दीजिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नहीं-नहीं । मैंने बता दिया था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मोहले जी जो बोलेंगे सब सहमत । (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जब मुख्यममंत्री थे । हम सौभाग्य से उस समय आपके साथ मंत्री थे, उस समय आपने कैबिनेट में इस रेल लाईन के लिए एक बैठक की इसके हम लोग साक्षी हैं और आपका इसमें बहुत ज्यादा योगदान है । इसमें 91 प्रतिशत राज्य सरकार से देना का एम.ओ.यू. भी हुआ और यदि इस घटनाचक्र की बात करें तो 60 वर्ष पहले इनका तो सर्वे हो रहा था, हमारे कई लोग चले गये और जब सांसद थे तो भी हम लोग थे और आप भी थे । उस समय हमने वहां भी आवाज उठायी, आखिर प्रशासकीय स्वीकृति मिली और स्वीकृति होने के बाद फिर बीच में ऐसी कड़ी आयी कि इधर के लोग उधर आ गये और उधर के लोग इधर आ गये तो बीच में गाड़ी अटक गई । आज हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो 300 करोड़ रूपये की राशि बजट में स्वीकृत किये हैं उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और वह भी डी.एम.एफ. फंड में दिये हैं । जब सरकार ने बजट में राशि भी दी है तो इसको शीघ्र प्रारंभ करायें क्योंकि पूरी प्रक्रिया हो गयी है । टेंडर की क्या स्थिति है, वह मैं तो नहीं बता पाउंगा, आप ही बता पायेंगे । इसे जल्दी शुरू करायेंगे जिससे 15 विधानसभा तो होगा ही इसके साथ ही लगभग 50 लाख लोगों को फायदा होगा जिन्होंने रेल देखी नहीं है, जो उसमें चढ़े नहीं हैं । इससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बहुत लोगों को मजदूरी भी मिलेगी । कई लोग इससे मजदूरी प्राप्त करेंगे, कई लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और समाज में एक

अच्छा वातावरण होगा और यहां बॉक्साईड है और अन्य है । माता महामाया देवी और बम्लेश्वरी देवी के भी दर्शन इसमें सब करने जायेंगे तो इस तरह से इसका धार्मिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है और लोगों में खुशहाली होगी इसके लिये मैं इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री प्रेमचंद पटेल (कटघोरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पिछली बार माननीय वित्तमंत्री महोदय जी ने अपने बजट भाषण में कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल्वे लाईन का प्रावधान रखा था और उसमें 300 करोड़ रूपये की राशि भी रखे थे । चूंकि हम कटघोरा विधानसभा से आते हैं तो कटघोरा क्षेत्रवासियों को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि जो आपके समय से रेल्वे लाईन का विस्तार होना था, उस समय आपकी मेहनत और उस मेहनत की बदौलत आज माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज वह रेल लाईन फलीभूत होने जा रही है और माननीय वरिष्ठ सदस्य धर्मजीत सिंह जी इस अशासकीय संकल्प को लेकर आये हैं, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और इस अशासकीय संकल्प का मैं समर्थन करता हूं । इस रेल्वे लाईन के बनने से हमारे कटघोरा क्षेत्र के साथ-साथ जितने विधानसभा का और जहां से रेल लाईन गुजरेगी उन क्षेत्रों का भी विकास होगा और सबसे बड़ी बात हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में अभी हम लोगों ने शक्तिपीठ के विकास के लिये बजट में 5 करोड़ रूपये का प्रावधान भी रखा है । कटघोरा से जैसे हमारे रतनपुर में हमारी महामाया देवी, कवर्धा में भोरमदेव मंदिर और डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी माई का मंदिर, हम सभी तीर्थयात्रियों के लिये भी बहुत सुविधा होगी और सबसे बड़ी बात कि हमने जहां से रेल की कल्पना नहीं की थी । जिस-जिस क्षेत्र से यह रेल लाईन गुजरेगी , जहां हमने कभी रेल नहीं देखी है, वहां के लोगों को आवागमन का साधन मिलेगा। वहां के क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग पहले कटघोरा से बिलासपुर और कटघोरा से कोरबा बस और टैक्सी से जाते थे, अब हम सीधे-सीधे रेल लाइन से जुड़ जाएंगे तो हम लोगों को बहुत सुविधा होगी। सबसे बड़ी बात कटघोरा विधान सभा पूरा कोयलांचल क्षेत्र है और अभी कटघोरा में हमारे लिथियम ब्लॉक का ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटन भी हुआ है। कई मायनों में रेल लाइन से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा, साथ ही साथ हमारे देश का विकास भी विकास होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी उपस्थित हैं, हमारे माननीय वित्त मंत्री भी हैं। पिछले बजट में 300 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया था, उसका कहां तक कार्य हुआ और सर्वे हुआ और उस कार्य में कहां तक आगे बढ़े हैं? मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि इस अशासकीय संकल्प को केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय को आगे बढ़ाएंगे। जितनी जल्दी इस रेल लाइन का काम हो सके, इसके लिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, हमारे सुशांत शुक्ला जी और भी माननीय सदस्य, जिनके विधान सभा से यह रेल लाइन गुजरेगी, उस क्षेत्र के विधायक, उस क्षेत्र की जनता और हम सभी

मान सम्मान से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हम अपनी बात को अच्छे ढंग से अपने मतदाताओं के सामने, अपने लोगों के सामने रख पाएंगे कि हम सब लोगों के प्रयास से आपके प्रयास से, हमारे मुख्यमंत्री के प्रयास से, हमारे वित्त मंत्री के प्रयास से रेल लाइन का निर्माण हो सकेगा, इसके लिए मैं अशासकीय संकल्प का समर्थन करते हुए इस प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को और भारत सरकार को भेजने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलेंगे।

श्री राजेश अग्रवाल :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिए।

श्री राजेश अग्रवाल (अंबिकापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प को इस आग्रह के साथ मैं अपना पूरा समर्थन देता हूं कि इसको कटघोरा के बजाय अंबिकापुर से जोड़ा जाए। अंबिकापुर में रेल कनेक्टिविटी का अभाव भी है। आवागमन की कम सुविधा है और कोयला और बाक्साइट भरपूर मात्रा में हैं, रेलवे को परिवहन का भी..।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर आपकी सलाह को मानेंगे न तो यह डिब्बा कहां जाएगा, पता नहीं चलेगा। (हंसी) आपकी बात आ गयी। आप तो अंबिकापुर में रेल देख लिये हो, आजादी के कई 50 साल बाद देखे होंगे। अग्रवाल साहब, हम लोग तो रेल ही नहीं देखे हैं। देख लेने दो। कटघोरा से डोंगरगढ़ चल जाये, यही बहुत है।

श्री राजेश अग्रवाल :- मैं आग्रह कर रहा हूं। (हंसी) हमारे संभाग से मुख्यमंत्री जी भी आते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अंबिकापुर तक पहुंच गया। लेकिन कटघोरा में अंबिकापुर को जोड़े तो यह कहां जायेगा, पता नहीं चलेगा। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपका सुझाव आ गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- अंतरिक्ष यान से खोजवाना पड़ेगा तो ले देकर मिलेगा। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय धर्मजीत भैया, राजेश भैया का आग्रह यह था कि अगर वह घूमकर आये तो आपके लिए पान की व्यवस्था करते हुए आउंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, नेता जी, बोलिए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने एक बहुत अच्छा संकल्प यहां प्रस्तुत किया है और सबसे खुशी की बात तो यह है कि यह आपके सपनों पर आधारित परियोजना थी, जो किसी कारण से रूक गई है । मैं ऐसा सोचता हूं कि कोरबा से रतनपुर-मुंगेली होते हुए कोरबा और डोंगरगढ़ तक जाए । यह वाली पैरलल लाईन आप लोगों ने कोरबा से गेवरा से कोल सप्लाई के लिए व्यवस्था की है, वह बहुत उचित है और पेंड्रारोड तक जा रही है उसमें तो काम चल रहा है । मगर इसका अभी तक अतापता नहीं है । सुनने में आया था कि आपने एमओयू

किया था । अभी वित्तमंत्री जी ने इस हेतु, अब इसी हेतु है या दूसरे हेतु है मैं नहीं जानता, मगर उन्होंने धनराशि रखी है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र शामिल कराएं । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और वित्त मंत्री जी यदि इसकी व्यवस्था कर चुके हैं तो शीघ्र व्यवस्था करा लें । मैं ऐसा समझता हूं कि अभी केन्द्र में जो मंत्री हैं वैष्णव जी, वे बहुत अच्छे मंत्री हैं । मैं उनसे दो-तीन बार मिल चुका हूं, वे बिना मतलब के छत्तीसगढ़ को कुछ न कुछ देना चाहते हैं बशर्ते छत्तीसगढ़ के लोग मांगें । मैं आपसे और हमारे आदरणीय भाई धर्मजीत जी से कि इसमें यहां से प्रस्ताव जाता है, बहुत अच्छी बात है हम आपकी भाभीजी से कहेंगे वे वैष्णव जी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं । वे जाकर मिलेंगी मुझे यह खुशी होगी कि आप हमारे साथ भेजें या अलग से भेजें, आपके सांसदों से भी कह दें कि वे जाकर वैष्णव जी से चर्चा कर लें ताकि यह काम जल्दी निपट जाए मगर इसके लिए जरूरी है कि आप इस संकल्प को वापस मत लीजिए हम आपके साथ हैं, पूरा प्रतिपक्ष आपके साथ है । यह सदन इस संकल्प को स्वीकृत करते हुए केन्द्र सरकार से इसके शीघ्र निर्माण के लिए निवेदन करे, यह मैं चाहता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, आपने बोल दिया, इससे इसको ताकत मिल गई । मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं वे जाकर बात कर लेंगे, सांसद लोग भी बात कर लेंगे, हल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । लगभग बना बुनाया काम है, आप थोड़ा हिम्मत से जवाब दीजिए ।

उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- मैंने आपके अशासकीय संकल्प में हर बार हिम्मत से ही तो जवाब दिया है । अभी तो मुख्यमंत्री जी से हिम्मत लेकर आ गया हूं (हंसी) ।

डॉ. चरणदास महंत :- सिर्फ इस संकल्प के लिए ही हिम्मत लेकर आए हो या आगे के लिए भी हिम्मत लाए हो ।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसे तो मंत्री जी आपको जानकारी है, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं । ये रेलवे के ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट में शामिल है । इसलिए आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी । आप कुछ बोलते हैं तो उसका निराकरण शीघ्र होगा ।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, राज्य में रेलवे नेटवर्क विकास हेतु दिनांक 9 फरवरी, 2016 को आप जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे तब इसका एमओयू हुआ है, मैं आपको भी धन्यवाद् देता हूं कि आपके मुख्यमंत्रित्वकाल में रेलवे के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत ही जोर दिया गया था । कई रेलवे कॉरीडोर चालू भी हो चुके हैं । निश्चित तौर पर भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के मध्य एक एमओयू निष्पादित किया गया है कि एमओयू के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन रेल मंत्रालय एक संयुक्त उपक्रम कंपनी छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड आरसीएल गठित की गई है, जिसमें राज्य शासन तथा रेलवे मंत्रालय भारत सरकार की भागीदारी क्रमश: 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत है । संयुक्त उपक्रम कंपनी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित 04 रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन

हेतु 121.79 करोड़ राशि भी उपलब्ध कराई गई है। अंबिकापुर बरवाडीह रेलवे कॉरिडोर 182 किमी परसा मतीन रेलवे कॉरिडोर 54 किमी, खरसिया-बलौदाबाजार-नवा रायपुर-परमलकसा 325 किमी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ 295 किमी (मेजों की थपथपाहट) वर्तमान में सी.आर.सी.एल. बोर्ड द्वारा अंबिकापुर बरवाडीह रेलवे कॉरिडोर को परियोजनाओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। परसा मतीन रेलवे कॉरिडोर को भी सूची से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। खरसिया-बलौदाबाजार- नवा रायपुर-परमलकसा परियोजना को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को हस्तांतरित कर दिया गया है। कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ परियोजना के लिये रेल मंत्रालय से डी.पी.आर. अनुमोदित है। सी.आर.सी.एल. बोर्ड द्वारा परियोजना को पूर्व स्वीकृत एलाइनमेंट अनुसार किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई तथा भू-अर्जन एवं अन्य कार्य प्रारंभ करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। वर्तमान में विषयांतर्गत परियोजना का क्रियान्वयन सी.आर.सी.एल. द्वारा अपेक्षित गति के साथ नहीं हो रहा है। भारतीय रेल के पास रेलवे परियोजना विषयक निर्माण का कौशल एवं अनुभव है। सी.आर.सी.एल. की एक परियोजना खरसिया-बलौदाबाजार-नवा रायपुर-परमलकसा को भारतीय रेल को हस्तांतरित किया गया है। पूर्व में भारतीय रेल के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कई अन्य परियोजनाएं भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई हैं। विषयांतर्गत परियोजना भी भारतीय रेल को सौंपे जाने का विकल्प राज्य सरकार के पास है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रेलवे के सम्बंधित अधिकारियों के साथ चर्चा एवं रेल परियोजना की समीक्षा कर निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले पांच साल में कई बार एलाईमेंट बदलने के कारण विलंब हुआ है एवं लागत में बढ़ोत्तरी भी हुई है परंतु वर्तमान में रेलवे से निरंतर चर्चा कर इसे प्रारंभ कर पूर्ण करने की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। परियोजना की समीक्षा प्रशासन स्तर के उच्च स्तर पर सतत् रूप से की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रेलवे के अधिकारियों के साथ चर्चा किया जाना एवं रेलवे के विषय में निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है। अत: पृथक से इस संकल्प की आवश्यकता तो नहीं है, बाकी महत्वपूर्ण काम है और निश्चित तौर पर आप सबकी जो मंशा है कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधा हो, हम भारत सरकार को निवेदन आग्रह जरूर करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस संकल्प को हम भारत सरकार को निवेदन करने के लिए भेजें। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-रतनपुर-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल लाईन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जावे।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ और प्रस्ताव स्वीकृत करके केन्द्र सरकार को भेजने के बारे में माननीय मंत्री जी के निर्णय से सब सहमत हैं। धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव :- चौथा इंजन वाले बबा हो, इही दिन के आत ले काम शुरू हो जाना चाहिए सब तो कर दे हन न।

डॉ. चरणदास महंत :- सभी लोगों ने आपका सहयोग किया है, बधाई दे दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय आपको भी धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी आज आपने बहुत सहृदयतापूर्वक जवाब दिया। हम सबको एनर्जी देने वाले वित्त मंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को, सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) ये किसी एक दल का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के दिल के रास्ते को जोड़ने के लिए है।

श्री लखनलाल देवांगन :- आप माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग के अध्यक्ष हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- तभी तो मैं बोल रहा था कि यदि मुख्यमंत्री जी नहीं रहते तो शायद मैं मेरा भाषण भी ठीक से नहीं दे पाता। मैं उन्हीं को सुना रहा था कि जो करेंगे, वही करेंगे। अब इनको जो दर्द मिला है, उसकी दवा तो वही दे सकते हैं और कौन देगा? इस दर्द की दवा उन्हीं के पास है। वह दवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दिया न?

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, उन्होंने धन्यवाद दे दिया है। एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप बोलेंगे ?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तो धन्यवाद दे ही रहे हैं, मगर जो दर्द आपके बाजू वाले को मिला है कि उनके दोनों प्रस्ताव उन्हें वापस लेने पड़े हैं और उधर वाले सेन जी को भी मिला है, जो हमेशा इनके लिए चिल्लाते हैं। उनको भी वापस लेना पड़ा है। आप यह बता दीजिए कि हम इनके दर्द की दवा कहां से लाये?

श्री रामकुमार यादव :- ओ भट्ठी में मिलही। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप और अध्यक्ष जी जैसे दो वरिष्ठ लोगों ने उनके संकल्प को उसकी उपयोगिता व उसके महत्व को इस भरे सदन में स्वीकार लिया। वह पास हो या न हो, उसको वापस लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा, वह बाद की बात है। लेकिन आप जैसे अनुभवी लोगों का उनको समर्थन मिला है, यह नैतिक बल तो उनको मिल ही गया है। इसलिए मैं भी उनको बधाई देता हूं कि वह ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इन्हें लगभग इनडायरेक्ट स्वीकार है।

सदन में घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- आप सभी माननीय सदस्यों को हर्ष के साथ यह सूचित करना है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी सोमवार, दिनाँक 24 मार्च, 2025 को पूर्वान्ह 11:05 बजे छत्तीसगढ़ विधान सभा में पधारेंगी तथा माननीय सदस्यों को सदन में संबोधित करेंगी। (मेजों की थपथपाहट)

संबोधन के पूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदया जी द्वारा वृक्षारोपण एवं माननीय सदस्यों के साथ समूह छायाचित्र आयोजित है। आप सभी माननीय सदस्यगण समूह छायाचित्र एवं सभा में संबोधन के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।

आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यातायात की सुगमता की दृष्टि से माननीय राष्ट्रपति महोदया के आधिकारिक आगमन समय से एक घण्टे पूर्व अर्थात् प्रातः 10:00 बजे विधान सभा परिसर में अपना आगमन सुनिश्चित करेंगे तथा समूह छाया चित्र स्थल "सेंट्रल हॉल" में अपना निर्धारित स्थान प्रातः 11:00 बजे तक हर हाल में ग्रहण करना भी सुनिश्चित करेंगे। माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह है कि माननीय राष्ट्रपति जी के सभा में आगमन एवं प्रस्थान के समय कृपया शांतिपूर्वक अपने आसन पर खड़े रहें, माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन के दौरान सभा की गरिमा के अनुरूप शालीनता और शांतिपूर्ण वातावरण रखने की भी अपेक्षा और आग्रह है।

समय :
8.17 बजे

समितियों का निर्वाचन एवं नाम-निर्देशन

अध्यक्ष महोदय :-

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिये नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए नौ-नौ उम्मीदवारों के ही नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं। चूंकि पांचों समितियों हेतु नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित होने हैं। अतः मैंने इन समितियों के लिये प्राप्त नाम-निर्देशन प्रपत्र अनुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट)

(2) विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियमों में प्रावधान के अनुसार मैंने नाम-निर्दिष्ट समितियों के लिए भी सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट कर दिया है।

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैंने इन समितियों के सभापति को भी नियुक्त कर दिया है।

उक्त समितियों के सभापति एवं सदस्यों की जानकारी पत्रक भाग-दो के माध्यम से पृथक से सदस्यों को दी जायेगी।

समय :
8.18 बजे **नियम-239 के अन्तर्गत विचाराधीन सूचनाएं**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, श्री रामकुमार यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीमती चातुरी नंद, श्री इन्द्र साव, श्री संदीप साहू, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्री ओंकार साहू, श्री अटल श्रीवास्तव, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्री भोलाराम साहू, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री दलेश्वर साहू एवं श्री बालेश्वर साहू (कुल 21) द्वारा श्री सुनील नामदेव के विरूद्ध प्रस्तुत अवमानना तथा विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 02/2025 दिनांक 06.01.2025 मेरे समक्ष विचाराधीन है।

समय :
8.19 बजे **नियम-167 (1) के अन्तर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत द्वारा राजस्व मंत्री, श्री टंक राम वर्मा एवं माननीय मुख्यमंत्री, श्री विष्णु देव साय के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 03/2025 दिनांक 17.03.2025 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा के पंचम सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च, 2025 के मध्य आहूत रहा, जिसमें 17 बैठकें सम्पन्न हुईं। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक सत्र सम्पन्न होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन की सुव्यवस्थित संचालन में अपना अधिकतम सहयोग प्रदान किया। (मेजों की थपथपाहट)

यह सत्र यादगार और महत्वपूर्ण भी है कि संभवतया यह इस भवन में अंतिम बजट सत्र भी हो सकता है। क्योंकि आप अवगत हैं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा शीघ्र ही अपने नये भवन में स्थानान्तरित

होगी। (मेजों की थपथपाहट) इस भवन में आपकी और हमारी अनेक सुखद स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, जो जीवन पर्यन्त हमें इस भवन का स्मरण दिलाती रहेंगी।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की वर्तमान षष्ठम विधान सभा अपने अतीत के स्थापित संसदीय मूल्यों को निरंतर मजबूती देने का प्रयास कर रही है और इस कार्य में आप सभी की सहभागिता प्रसंशनीय है। हमारे लिए यह उपलब्धि है कि इस बजट सत्र में राज्य के विकास से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने व्यापक, विस्तृत और परिणाम मूलक चर्चा की है। इसका प्रभाव भविष्य में अवश्य छत्तीसगढ़ के विकास में परिलक्षित होगा। आपके इस सत्र में राज्य के विकास से जुड़े हुए प्रत्येक ज्वलंत विषयों पर विचार किया और निष्कर्ष तक पहुंचे। आपके इन प्रयासों की प्रशंसा करता हूं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सत्र में उपलब्ध समय का सदन ने अधिकतम उपयोग किया। आप सभी माननीय सदस्यगणों को यही भावना और प्रयास संसदीय व्यवस्था को मजबूती देने में प्रशंसनीय है। मैं आपको इस योगदान की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। जैसे कि आपको विदित है कि दिनांक 24 मार्च, 2025 को भारत की राष्ट्रपति माननीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का छत्तीसगढ़ विधान सभा में आगमन हो रहा है। यहां वे विधान सभा को अपने प्रेरक उद्बोधन से अनुग्रहित करेंगी। माननीया राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनके प्रेरक संबोधन से हम लाभान्वित होंगे।

वर्तमान बजट सत्र में आप माननीय सदस्यगणों को इस सदन में उपस्थिति और अपने विचारों की अभिव्यक्ति आपने जिस ढंग से प्रदर्शित की है, वह आपके कार्य और विचारों में उत्तरोत्तर परिपक्वता को परिभाषित करता है। सदन के प्रत्येक सदस्य का आचार, कार्य, विचार और व्यवहार से हमारी संसदीय सम्पदा अनरवत् समृद्ध हो रही है।

इस अवसर पर मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने संसदीय दायित्वों की पूर्ति हेतु सतत् प्रयत्नशील रहें। हमें यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हमारे कार्यों से संसदीय व्यवस्था समृद्ध हो रही है या उसका क्षरण हो रहा है। क्योंकि सभा के सदस्यगणों का संसदीय आचरण ही संपूर्ण संसदीय व्यवस्था की धुरी यदि कोई है तो वह हमारी व्यवस्था है।

इस बजट सत्र में लोक कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर आपकी चर्चा का विषय बनना इस सत्र की सफलता का प्रतीक है। नये सदस्यों में माननीय श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती चातुरी नंद, श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री सुशांत शुक्ला एवं श्री किरण देव जी आदि सदस्यों ने, वहीं वरिष्ठ एवं अनुभवी माननीय सदस्यों सर्वश्री धरम लाल कौशिक जी, राजेश मूणत जी, अजय चन्द्राकर जी, धर्मजीत सिंह जी, उमेश पटेल जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी ने अपने उत्कृष्ट संसदीय ज्ञान एवं कौशल से सदन में विभिन्न विषयों के माध्यम से अपनी प्रभावी भूमिका को स्थापित किया।

आप सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए निरन्तर इसी तरह प्रतिबद्ध हों।

मैं ऐसा मानता हूं कि चन्द्राकर जी हमारे सदन के जसप्रीत बुमराह हैं। (मेजों की थपथपाहट) जिस प्रकार भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे तेज गेंदबाज बुमराह है, उनको इन-स्विंग एवं यार्कर डिलीवरी में महारत हासिल है वैसे ही अजय चन्द्राकर जी की बॉलिंग से काफी लोग आहत होते हैं। अजय चन्द्राकर जी के संसदीय ज्ञान, अनुभव और विचार निश्चित रूप से सबके लिए उपयोगी होते हैं।

मैं सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्यगणों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया। विशेषकर श्री धर्मजीत सिंह एवं श्री प्रबोध मिंज जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने लंबे समय तक आसंदी का संचालन किया है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगणों ने अपने सकारात्मक सुझावों के सम्बन्ध में सरकार को सचेत करते हुए एक आदर्श प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाई, वहीं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगणों ने अनुशासन के साथ सदन में अपने कार्य और आचरण को प्रदर्शित किया। पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को इसके लिए बधाई देता हूं।

इस सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, महिला सशक्तिकरण, खेल एवं युवा कल्याण सहित विविध विषयों पर चर्चा के विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत सार्थक सम्यक चर्चा को आपने अत्यंत उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शित किया। मेरा विश्वास है कि इस सत्र में संपादित हुई चर्चा के लिए प्राप्त निष्कर्ष खुशहाल छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा।

छत्तीसगढ़ विधान सभा संसदीय व्यवस्था परिष्करण के लिए प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करती है, इस वर्ष उत्कृष्ट विधायक के रूप में पक्ष से माननीय श्रीमती भावना बोहरा एवं प्रतिपक्ष से माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी का चयन किया गया है, (मेजों की थपथपाहट) वहीं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के पत्रकार श्री राकेश पाण्डेय एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पुरस्कार सुदर्शन न्यूज चैनल के संवाददाता श्री योगेश मिश्रा एवं कैमरामैन श्री शिवप्रकाश पुरैना का चयन किया गया। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूं और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

इस बजट सत्र में विधायक क्लब के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम उल्लासमय वातावरण में आयोजित हुआ। आप सभी सदस्यों को अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद। माननीय श्री अनुज शर्मा, माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद, माननीय श्रीमती चातुरी नंद, माननीय श्री रामकुमार यादव एवं माननीय श्री दिलीप लहरिया जी ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से सबको अहलादित किया। पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे ने अपनी हास्य कविताओं के माध्यम से हम सबका मनोरंजन किया। वहीं दिनांक 18, 19 व 20 मार्च, 2025 को आप सबके स्वास्थ्य परीक्षण

के लिए राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में 37 माननीय सदस्यों द्वारा एवं 601 अन्य द्वारा लिया गाय। इस लाभकारी आयोजन के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आगामी 22 एवं 23 मार्च को माननीय सदस्यगणों के लिए आई.आई.एम. द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। आप माननीय सदस्यों से यह मेरा विशेष अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अवश्व रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

इस बजट सत्र में 5 सदस्यों ने 128 पृष्ठों की छायाप्रति पुस्तकालय के साहित्य से संदर्भ हेतु प्राप्त की। प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत विधान सभा के कार्यकरण से राज्य की आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर दिया जाता है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं, आम जन, छात्र-छात्राओं सहित 11,639 लोगों ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। (मेजों की थपथपाहट)

अब मैं आपको इस बजट सत्र में संपादित कार्यों के सांख्यिकीय आंकड़ें प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सत्र में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण और उनके अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा सहित इस सत्र में कुल 17 बैठकों में 111 घंटे 22 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की संख्या 1286 एवं अतारांकित प्रश्नों की 1218, इस प्रकार कुल 2504 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 133 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। इन 2504 प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं में से लगभग 98 प्रतिशत प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त हुईं।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस सत्र की प्रश्नकाल हेतु नियत सभी 16 बैठकों हेतु शत-प्रतिशत 64 प्रश्नों की सूचना देने वाले प्रश्नकर्ता सदस्यों की संख्या 15 रही एवं 50 या 50 से अधिक की सूचना प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की संख्या 15 है, जो अत्यंत प्रसंशनीय एवं माननीय सदस्यों की जागरूकता का द्योतक है। इस सत्र में ध्यानाकर्षण के कुल 562 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 193 सूचनाएं ग्राह्य हुई और 52 सूचनाएं शून्यकाल सूचना में परिवर्तित की गई। स्थगन की कुल 99 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में माननीय सदस्यगणों द्वारा 582 याचिकाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें से 202 याचिकाएं ग्राह्य, 202 याचिकाएं अग्राह्य एवं 178 याचिकाएं विचाराधीन हैं। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 14 विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई और सभी चर्चा उपरान्त पारित हुये । इसके साथ ही अशासकीय संकल्पों की 35 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से कुल ग्राह्य 16 सूचनाओं में से 6 सूचनाओं पर सभा में चर्चा हुई।

मैं इस सत्र समापन के अवसर पर सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया है ।

इस सत्र के समापन अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी को बधाई देता हूँ कि संभवत: मुख्य सचिव के रूप में भी यह उनका अंतिम बजट सत्र होगा । (मेजों की थपथपाहट) आपके सुदीर्घ प्रशासनिक अनुभव का लाभ न केवल शासन को, बल्कि विधान सभा को भी आपका हमेंशा सहयोग मिलता रहा है । शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखी ।

मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ कि जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया । परम्परा अनुसार सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है, तदनुसार आगामी सत्र, जो पावस सत्र भी होगा, उसकी तिथि जुलाई 2025 में होना संभावित है ।

आगामी 30 मार्च, 2025 को प्रारंभ होने वाले चैत्र नवरात्रि और हिन्दू नववर्ष की शुभकामनायें । आईये, हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को देश के विकसित राज्यों के रूप में से एक राज्य बनाने हुतु कृतसंकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ । जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 फरवरी से शुरू हुये विधान सभा के बजट सत्र का आज समापन हो रहा है । इस बजट सत्र के सफल संचालन के लिये मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ । आपने सब को अवसर प्रदान किया, सब को धैर्य से सुना, यह हमारा बजट सत्र सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज संपन्न हो रहा है । मैं आज के इस अवसर में नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत जी को भी उनके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूँ (मेजों की थपथपाहट) साथ ही हमारे संसदीय कार्य मंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूँ । (मेजों की थपथपाहट) सभी हमारे पक्ष-विपक्ष के सदस्यो को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पूरे समय विधान सभा की कार्यवाही में भाग लिया और अपने-अपने प्रदेश तथा जनहित के मामले को हाऊस में उठाया । अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पूरे सत्र में इस बात पर चर्चा की कि छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है और किस तरह से हमें कदम उठाने चाहिये । इस विषय में विपक्ष का भी सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुये हैं । निश्चित रूप से उनके सुझाव पर भी सरकार विचार करेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सत्र हमारी सरकार की सवा साल की उपलब्धियों और भविष्य के विजन का निचोड़ रहा है । इन सवा सालों में प्रदेश के विकास कार्यों में भागीदार रही प्रदेश की 3 करोड़ देवतुल्य जनता का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन

करता हूँ और आपके साथ और आर्शीवाद से हम सरकार के माध्यम से प्रदेश में विकास की पगडंडी को राजमार्ग में बदलने पर सफल हो पाये हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का मूल उद्येश्य यही है कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के विकास के लिये ऐसे अवसर तैयार करें कि वह अपनी प्रतिभा को संपूर्ण रूप से निखार सके और जीवन में चुने हुये अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके । अध्यक्ष महोदय, हम अपने प्रदेश की रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और विधान सभा की रजत जयंती भी मना रहे हैं । बजट सत्र के दौरान जिस तरह से सार्थक बहस हुई है, निश्चित रूप से उससे छत्तीसगढ़ का हित होने वाला है और इससे बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है । पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हो सकते । होली के अवसर पर जिस तरह से हम सब लोगों ने होली मिलन में उत्सव का आनंद लिया और एक दूसरे से गले मिले, यह हमारे विधान सभा की सुन्दर परम्पराओं की एक झलक है । सभी सदस्यगण विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में जुटें, आज के इस अवसर पर ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं । मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सत्र के सफल संचालन में जो भी सहयोगी रहे हमारे विधान सभा के सचिव सहित पूरे विधान सभा के अधिकारीगण, हमारे सरकार के अधिकारीगण, हमारे मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारीगण, सुरक्षा बलों का, जिन्होंने सुरक्षा प्रदान की, उनका भी मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग कभी भी मिलते हैं, भले ही दो दिन के लिए हो, पॉच दिन के लिए हो, चाहे 7 दिन के लिए हो, ऐसा लगता है कि हम एक परिवार के साथ मिल रहे हैं, साथ बैठकर खा रहे हैं, साथ बैठकर चाय पी रहे हैं । जब बिछड़ते हैं तो थोड़ा दुख तो जरूर होता है । मैं उस दुख को महसूस भी करता हूं और समझता भी हूं कि आप सबके मन में इस तरह की भावना बनती है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शक्रगुजार हूं, कहूं। आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने बड़े प्यार से हम सबको सम्हाला, चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों । आपकी जो मंद-मंद मुस्कान है, जो कभी-कभी खुलकर भी आप हॅस देते हैं तो हम लोगों को उससे और बल मिल जाता है और हम सबने हमारे पक्ष के साथी, आपके शासन पक्ष के साथी बड़े आनंदित मन से यहां के पूरे प्रश्न उत्तरों का सामना भी किया । कभी-कभी तीखें सवालों के जवाब भी सुनें और उन्हें तीखे जवाब भी दिए । इन सब बातों के अलावा भी एक अपनापन जो आपकी उपस्थिति में हमें मिलता है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपने प्रतिपक्ष के हमारे साथियों को जितना प्यार और दुलार दिया है, वह आने वाले दिनों में भी बने रहे, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं ।

आदरणीय मुख्यमंत्री जी सचमुच में बहुत सीधे हैं, सरल हैं और उनकी उपस्थिति से यहां किसी को डर ही नहीं लगता । नहीं तो कभी-कभी मुख्यमंत्री जैसे आते थे कि वे आ गए हैं तो सब शांत भाव से बैठ जाते थे, कुछ कह नहीं पाते थे।

अध्यक्ष महोदय :- साँस रूक जाती थी ।

डॉ. चरण दास महंत :- साँस रूक जाती थी । आज दिल खोलकर उनसे बात तो नहीं कर पाते क्योंकि वे भी खुले हुए नहीं दिख रहे हैं, मगर उनसे किसी प्रकार का कोई तकलीफ हमारे साथियों को नहीं हुई । उन्होंने हमेशा एक भातृभाव से सबको अपना समय दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं । छत्तीसगढ़ की जनता ने तो हमें यहां बैठाने का दायित्व सौंपा है और हम अपने दायित्व को अच्छे ढंग से पालन करना चाहते हैं और उस दायित्व के अनुसार ही हम कभी-कभी तीखे सवाल भी करते हैं, तीखे आवाज भी निकालते हैं । यह हमारा दायित्व है, हमारी मजबूरी नहीं है और इसलिए कई बार ऐसे मौके आये, जब हम लोग इस सदन के कार्यवाही का विरोध करके चले भी गए, कभी बेल में भी आए, कभी आपके सस्पेंड करने से खुश भी हुए तो कभी आपके सस्पेंड करने से दुख भी हुए । ये सुख:दुख का जो समय था, वह निकल गया । मैं प्रतिपक्ष के सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रत्येक सवाल में, प्रत्येक जवाब में अपने आप को सम्मिलित किया । मैं विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सभी मंत्रियों को खासकर दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे दायित्व को पूरा किया है, अच्छे सवालों का उत्तर दिया है और एक अच्छा वातावरण प्रस्तुत हुआ है । मैं चाहता तो था कि कुछ मंत्रियों के नाम लूं, मगर जान-बूझकर नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि बाकी के बचे हुए मंत्री हैं, वे शायद नाराज हो जाएंगे इसलिए मैं सभी मंत्रियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रश्नों का बहुत अच्छा उत्तर दिया । कुछ लोगों में कमी जरूर महसूस हुई, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगले समय के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़कर आएं । उनमें कोई कमी है, यह मैं नहीं कहना चाहता । मगर हम लोगों ने इस दायित्व को पूरा किया है , एक अनुभव हम लोगों के पास है, तो मैं समझता हूं कि हमको घर में थोड़ा ज्यादा तैयारी करने की कभी-कभी जरुरत पड़ती है। उसी तरह से मैं हमारे पक्ष के विधायकों को भी आपके सामने यह सलाह दूंगा कि वह घर से आकर यहां विधान सभा आकर ये न देखें कि मेरा कौन सा प्रश्न है, इसमें कौन सा उत्तर बनता है, ये उचित नहीं है। प्रश्नोत्तर को घर ले जाएं, घर में पढ़ें, एकाध घंटा समय दें और उसके बाद आकर पूछें, तो जो तीखे सवाल बनेंगे और जो उत्तर बनेंगे वह छत्तीसगढ की उन्नति और विकास में बहुत काम आएगा, ऐसा मैं उनसे कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने आदरणीय अमिताभ जैन जी का जिक्र किया कि शायद यह इनका अंतिम सत्र है। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मैं जानता हूं कि वे छत्तीसगढ़ के ही हैं और छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे और आपके आशिर्वाद के तले ही रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है, मगर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम सबको एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर दिया है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी यहां आयेंगी, हमको संबोधित करेंगी। ये अवसर जीवन में कभी-कभी मिलता है। (मेजों की थपथपाहट)

यहां भी इसके पहले दो राष्ट्रपति जी आ चुके हैं, उन्होंने संबोधन दिया है और जो-जो उस क्षण के साक्षी रहे हैं, वे विधायकगण और जिनके साथ फोटो खींची जाएगी, जिनकी फोटोग्राफी होगी, वह सब साथी अंदर से कितने खुश होते हैं, यह मुझे ज्ञात है। आपने इस अवसर को हमें प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ यहां के जितने भी अधिकारी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अमिताभ जैन।

डॉ. चरण दास महंत :- अमिताभ जैन ना? बच्चन मैं जानबूझकर बोला। (हंसी) सबके बीच में वे हमारे एक अमिताभ बच्चन ही रहे हैं, हालॉकि नाम उनका जैन है। अब मैंने बोल दिया, तो बोल दिया। अमिताभ बच्चन की तरह उन्होंने अपने आपको, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को संभालकर रखा है। बहुत दिनों तक वह हमारे एक सहयोगी के रूप में काम करते रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ये उस काल के भी है, जिस काल की आप लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। पिछले पांच साल जो हमने गुजारे हैं, वे उस काल में भी थे और इस काल में भी हैं। वे दोनों काल के हैं, इसलिए अमिताभ बच्चन ही हैं, जो दोनों काल वालों को संभाल लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के हमारे श्री दिनेश शर्मा जी को और जितने भी साथी हैं, ये लोग तो उसी दिन से परेशान हो जाते हैं, जिस दिन से आप अधिसूचना जारी करते हैं कि इतने तारीख से विधान सभा शुरू होगी। तब से उनके पसीने छूटते रहते हैं। उसके बावजूद भी बड़े अच्छे अंदाज में वे लोग हम सब विधायकों की मदद करते हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे परिसर में बहुत सारे साथी लगे रहते हैं। पुलिस वाले और सिपाहीगण, एस.पी. कई रैंक के आते हैं। वे लोग भी हमारे लिए बहुत सुरक्षा रक्षा की व्यवस्था करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पत्रकार साथी जो हमेशा हमें खींच-खींचकर ले जाते हैं, अपनी बात सुनते हैं, हमने कोई बात रखी है, तो उसे जानना चाहते हैं और उस माध्यम से, अपने माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाना चाहते हैं, दिखाते भी हैं, उनके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप ऐसे अवसर पर बुरा न मानें तो मेरा एक निवेदन है कि आप तो स्वयं रहे हैं, संसदीय जीवन में आपका पूरा अनुभव है, हमारे मुख्य मंत्री जी का भी है, हम लोग जब भाषण करके, ध्यानाकर्षण करके निकल जाते थे, तो दिल्ली में हमारे लिए हमारे भाषण का टेप मिल जाया करता था। हम लोग कुछ कहकर या यहां की चर्चा में भाग लेते थे, तो उसका अंश हम लोगों को दे दिया जाता था, उस अंश की ये बहुत से साथी, इधर के भी नए साथी, उधर के भी नए साथी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिनने हमको यहां तक भेजा है, उनके लिए, उनके बारे में हमने क्या कहा है, ये तो उनको दिखा सकें। ये हमारे गौरव के क्षण होते हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसी कोई

व्यवस्था हो जाए, या जब हम लोग नए संसदीय काम के लिए अपने नए विधान सभा भवन में जाएं, तो हम सबकी ये व्यवस्था हो जाए कि हमारे भाषण दिए हुए अंश को आपके माध्यम से यहां मिल जाया करे। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ अभी तक किया है, उसके लिए हम सब लोग आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने जो संरक्षण दिया है, आप कई लोगों के पिता तुल्य हैं, उनको उनके पिता की तरह दिया है, हमारे लिये भाई के बराबर है और कुछ लोगों के लिये मित्र के बराबर है। आपने हमें जो स्नेह, प्यार और एक संरक्षण का भाव दिया है, उसके लिये मैं आभार व्यक्त करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री के लिये आभार व्यक्त करते हुए सभी मंत्रिगण, सभी पक्ष के लोग, हमारे प्रतिपक्ष के सभी साथीगण के प्रति अपना बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि आने वाले दिनों में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैं आप सब को नए साल की और हमारी जो नवरात्रि आ रही है, उसकी और ईद की बधाई देता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा। माननीय सदस्यगण राष्ट्रगान हेतु अपने-अपने स्थान में खड़े हो जाये।

राष्ट्रगान

"जन-गण-मन"

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित।

(रात्रि 8 बजकर 47 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 21 मार्च, 2025

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं